दसवीं लोकसभा, खंड 12, अंक 44

मंगलवार, 5 मई, 1992
15 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

[खंड 12 में अंक 41 से 49 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 12, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 44, मंगलवार, 5 मई, 1992/15 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 861, 865 से 867, 869 और 870	2—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—158
तारांकित प्रश्न संख्या 863, 864, 868 और 871 से 881	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 8948 से 9075 और 9077 से 9105	31—158
बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दिए जाने के बारे में	158—166
भारत को रूस से रॉकेट टैक्नोलॉजी के हस्तांतरण के बारे में	166—179
सभा पटल पर रखे गए पत्र	179—186
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	187
श्यामचरणपुर, ढेंकानाल, उड़ीसा में यात्री हाल्ट और मिनी रेलवे स्टेशन के बारे में याचिका	187
मंत्री द्वारा वक्तव्य :	
(एक) वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ नए निर्माण कार्य शुरू करना श्री सी० के० जाफर शरीफ	187—188
(दो) पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना श्री माधव राव सिंधिया	200—223
नियम 377 के अधीन मामले :	189—192
(एक) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के हनुमानगढ़ कस्बे में इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री बीरबल	189
(दो) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में कोठाकोटा में चीनी मिल स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता श्री रामकृष्ण कोताला	189—190

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में 650 मैगावाट की ताप विद्युत परियोजना के शेष कार्य का शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता
श्री मंजय लाल 190

(चार) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में "अल्लाह तीर्थी" में आरम्भ किए गए खुदाई कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता
श्री अजय मुखोपाध्याय 190

(पांच) राजस्थान में कोटा के निकट परमाणु विद्युत केन्द्र, रावतभाटा में प्रयोग होने वाले एल० एस० एम० एस० की चोरी और उसमें होने वाली मिलावट की जांच किए जाने की आवश्यकता
श्री नाथू राम मिर्धा 191

(छः) गैर-कानूनी आप्रवासियों का प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए बंगला देश के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता
श्री राम नाईक 191—192

(सात) चमड़े की तैयार वस्तुओं पर लगाए गए निर्यात शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता
श्री सी० श्रीनिवासन 192

वित्त विधेयक, 1992 192

विचार करने के लिए प्रस्ताव 192—238

श्रीमती गीता मुखर्जी 192—195
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 196—199
श्री मोहन सिंह 199—203
श्री के० पी० सिंह देव 204—211
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 211—215
श्री प्रफुल्ल पटेल 215—219
श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन 223—227
श्री राम नाईक 227—232
श्री अशोक आनंदराव देशमुख 232—234
श्री एम० रमण्णा राय 234—236
श्री वी० एस० विजयराघवन 236—238

लोक सभा

मंगलवार, 5 मई, 1992/15 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) महोदय, कावेरी जल का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज तमिलनाडु के लोगों के लिए जल नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें (व्यवधान) यह समस्या मेरे राज्य की है। (व्यवधान)

11-02 म० पू०

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी आए और सभापटल के निकट फर्श पर बैठ गए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : प्रधान मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया है कि वह मुख्य मंत्रियों को बुलाएंगे। (व्यवधान)

यह अध्यक्षपीठ से क्यों लड़ रहे हैं? यह प्रधान मंत्री से क्यों नहीं लड़ते? यह प्रधान मंत्री का दायित्व है। प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि वह मुख्य मंत्रियों को बुलाएंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सर, यह बहुत गम्भीर मामला है। अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हैं। प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर के हम बात करेंगे, चाहे तमिलनाडु के लिए या कर्नाटक के लिए हो। इसलिए इस को सरकार को निश्चित रूप से गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) सरकार वक्तव्य दे कि उसने क्या कदम उठाए हैं। (व्यवधान)

11-04 म० पू०

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर आपस चले गए । (व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : यह बहुत खराब स्थिति है । जल बिल्कुल भी नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 861 लें ।

11-03 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए शायिकाओं का आरक्षण

*861. श्री सी० पी० †मुदाल गिरियप्पा
श्री के० एच० मुनियप्पा } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए द्वितीय श्रेणी का एक डिब्बा अथवा कुछ शयिकाएं आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि रेलवे विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना चाहेगी परन्तु आरक्षित स्थानों की उपलब्धता की तुलना में मांग बहुत अधिक होने के कारण, और यात्रियों की अन्य कोटियों से इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त होने के कारण, उनके लिए अलग से स्थान निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, विकलांग व्यक्तियों के प्रति यह कच्चा उत्तर तथा रवैया है । महोदय, आप जानते हैं कि हम मानवीय कठिनाईयों विशेषकर विकलांग लोगों की कठिनाईयों का बहुत ध्यान रखते हैं । वे इसलिए विकलांग नहीं हैं कि यह उन्हीं का भाग है बल्कि समाज उनकी उचित मदद नहीं कर रहा । यह सरकार की घोषित नीति के मुताबिक नहीं है । भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं दी हैं । जबकि रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों को कोई सुविधा नहीं दी है । इसलिए क्या मानवीय मंत्री विकलांग व्यक्तियों के प्रति उनके विचार पर गौर करेंगे और सरकार की नीति में घोषित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं और रेलवे भी विकलांग के प्रति मानवीय रवैये के तहत ऐसा ही चाहता है । जहां तक विकलांग के लिए भारत सरकार द्वारा

घोषित नीति का संबंध है कि वह उन्हें सुविधाएं दे, हमारे यहां कुछ सुविधाएं हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग, विकलांग चिकित्सा संबंधी पक्षाघात-घात से प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत दी गई है और नेत्रहीनों, पूर्णतः बहरों और गूंगे व्यक्तियों को भी रियायतें दी जा रही हैं। दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है कि विकलांगों के लिए अलग डिब्बे की व्यवस्था कर दें।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को अन्य देशों में उपलब्ध ऐसी सुविधाओं के बारे में पता है। उदाहरण के लिए वाहन खड़े करने के सार्वजनिक स्थानों पर भी विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग स्थान आरक्षित होता है। अनेक सामाजिक संगठनों ने विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए पहल की है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अन्य देशों से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे कि वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन्हें भारतीय रेलवे में भी उपलब्ध कराएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, अवश्य ही यह संभव है, मैं उतना नहीं जानता जितना माननीय सदस्य जानते हैं कि विदेशों में विकलांगों की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उदाहरण के लिए वहां यह सुविधा है कि विकलांग की पहियेदार कुर्सी सीधे ही डिब्बे में आएगी। अन्य देशों में अन्य अनेक बातें हैं, वहां पर सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियां भारत से एकदम भिन्न हैं। लेकिन फिर भी हम सभी को विकलांगों के प्रति सहानुभूति है और जहां तक आरक्षण का संबंध है, कम्प्यूटरीकृत स्टेशनों पर जहां तक संभव है, बूढ़ों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा विकलांगों के लिए आरक्षण हेतु एक पृथक काउन्टर की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : अगर डिब्बे नहीं तो क्या कुछ शायिकाएं आरक्षित रखना भी संभव नहीं है?

श्री मल्लिकार्जुन : मुद्दा यह है कि यह प्रश्न एक गाड़ी में उपलब्ध कराना नहीं है। हम हजारों गाड़ियों को इसके लिए लेते हैं और विशेषकर लम्बी दूरी की गाड़ियों, मेल तथा एक्सप्रेस लेते हैं। वास्तव में हमने अपने रेल प्रशासन को कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि इन गाड़ियों में और अधिक गैर-आरक्षित डिब्बे जोड़े जाएं, ताकि आरक्षण की व्यवस्था काफी हद तक कम हो जाए।

***श्री के० एच० मुनियप्पा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री जाफर शरीफ तथा माननीय राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुन की गरीब, दलित और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति को जानता हूं। लेकिन यह अजीब बात है कि माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता नहीं चलता।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा विकलांग व्यक्तियों को 80% विकलांगता होने पर ही रियायत दी जाएगी? यदि हां, तो यह प्रतिशतता कैसे तय की जाती है।

क्या यह सच है कि एक विकलांग व्यक्ति जो दोनों टांगें खो चुका है और केवल पहियेदार कुर्सी से चलता है उसे 50% विकलांग माना जाता है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

---

*मूलतः कन्नड़ में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

***श्री के० एच० मुनियप्पा** : विकलांग व्यक्ति सामान्य आदमी नहीं होता और इसलिए विकलांग व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

विकलांगता की प्रतिशतता तय करने की वैधता, सक्षमता और संगतता के बारे में भी कुछ सन्देह है।

इसलिए क्या माननीय मंत्री इस प्रतिशतता व्यवस्था को समाप्त करेंगे और सभी विकलांग व्यक्तियों को रियायत देंगे।

---

*मूलतः कन्नड़ में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अन्त में महोदय, क्या माननीय मंत्री अनुरक्षण रहित विकलांगों को राहत देकर कादिरी संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह समझ गए?

श्री मल्लिकार्जुन : कुछ हद तक। इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य प्रतिशतता के बारे में जानना चाहते थे कि हम किस प्रकार विकलांग व्यक्ति का निर्धारण और इसकी वैधता कर रहे हैं।

जहां तक विकलांग व्यक्ति के निर्धारण का संबंध है, हमारे कुछ मानदंड हैं। सरकारी डाक्टर अस्थिजन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा। सरकारी डाक्टर मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्तियों को भी प्रमाणपत्र जारी करेगा, इसी प्रकार एक सरकारी डाक्टर या चिकित्सक व्यक्ति के अन्वेषण पर प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

जहां तक गाड़ियों में यात्रा करने वाले नेत्रहीन लोगों का संबंध है, एक बार स्टेशन मास्टर उन्हें देखता है और पहचान पत्र से इसकी शिनाख्त करता है, वह उसे रियायत दे देता है। जहाँ तथा अस्थिजन्य विकलांग या पूर्णतः बहरे या मूक और मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें तभी अनुमति दी जाती है जब उनका अनुरक्षी उनके साथ यात्रा कर रहा हो और उनके अनुरक्षी को भी विकलांग व्यक्ति के समान रियायत मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि बहुत ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, इसलिये उनमें आरक्षित करना उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दूरी से ट्रेनें राजधानी आती हैं—जैसे राजधानी है, या लम्बी सफर की गाड़ियां हैं, उनमें क्या एक डिब्बा वह विकलांगों के लिये आरक्षित करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने कह दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री अन्ना जोशी : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके साथी को

अनुमति दी जाती है। लेकिन वास्तव में पूरा तथ्य इसकी अनुमति नहीं दे रहा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसकी जांच करें। यहां, यह कह रहे हैं कि विकलांग यात्रियों के साथ साथियों की अनुमति है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं उनसे इस बारे में जांच करने का अनुरोध करूंगा।

मेरा प्रश्न है कि अन्य कितनी श्रेणियों ने रेलवे में ऐसी ही सुविधाएं मांगी हैं और जैसा कि आपने कहा है इनकी तादाद ही इसे स्वीकार न करने का एक कारण है। कितनी अन्य श्रेणियों ने ऐसी रियायत के लिए कहा है या अनुरोध किया है?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक विकलांग व्यक्ति के साथ चलने वाले व्यक्ति का संबंध है, मैंने इस सम्माननीय सभा को बहुत ही स्पष्ट रूप से सूचित किया है। अस्थिजन्य विकलांग अर्थात् अधरांग-ग्रस्त और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी अगर वे अपना अनुरक्षी लेकर नहीं चलते हैं और उस अनुरक्षी को भी इतनी ही रियायत मिलेगी।

यही रियायत मांगने वाले अन्य लोगों की श्रेणी में बूढ़े नागरिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा अन्य की सूची है। इसे उपलब्ध कराना संभव नहीं है; यह एक बड़ी समस्या बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 862—स्थगित।

गेहूं का मूल्य और वितरण

*865. †श्री अन्नाराव इता
श्री वी० श्रीनिवासन } : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को छोटी थैलियों में उत्तम किस्म के गेहूं का वितरण करने का विचार है;

(ख) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे गेहूं का मूल्य क्या है और खुले बाजार में इसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या गेहूं के आयात के लिए आमंत्रित निविदाओं पर कार्यवाही करके उन पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत सरकार केवल उचित औसत किस्म के गेहूं की वसूली करती है। यह देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए जारी किया जाता है। बढ़िया किस्म के किसी भी गेहूं का छोटी थैलियों में वितरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 280/- रु० प्रति क्विंटल है लेकिन समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के दायरे में आ रहे इलाकों में यह मूल्य 230/- रु० प्रति क्विंटल है। तथापि, उपभोक्ताओं के लिए निश्चित खुदरा मूल्य प्रशासनिक लागत, परिवहन प्रभारों और उचित दर की दुकानों के लिए अनुमत मार्जिन पर निर्भर करते हुए राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से खुदरा मूल्य को 255/- रु० प्रति क्विंटल के स्तर पर बनाए रखने के लिए कहा गया है। देश के कुछेक प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में 22-4-1992 को सूचित की गई स्थिति के अनुसार गेहूं का खुले बाजार में खुदरा मूल्य 3/- रु० प्रति किलो और 7.20 रु० प्रति किलो के बीच था।

(ग) और (घ) मार्च, 1992 में जारी की गई विश्वव्यापी खुली टेंडर इन्क्वायरी के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई विभिन्न पेशकशों पर विचार करने के बाद सरकार ने इस टेंडर इन्क्वायरी के आधार पर गेहूं की खरीदारी करने के लिए कोई आर्डर न देने का निर्णय किया है।

(ङ) हार्ड रेड विंटर (एच०आर०डब्ल्यू०) किस्म के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में केंसास एक्सचेंज में पिछले कुछ दिनों के लिए लगभग 14 प्रतिशत प्रोटीनतत्व के साथ कोट किए गए गेहूं के मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(प्रति मीटरी टन)

15-4-1992	यू० एस० डालर	134.13
16-4-1992	यू० एस० डालर	134.75
20-4-1992	यू० एस० डालर	136.36
21-4-1992	यू० एस० डालर	136.34
24-4-1992	यू० एस० डालर	137.81

(स्रोत : "रयूटर कामाडिटी सर्विस")

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री अन्नासाहब हरा : मैं उनके पास भी नहीं बैठना चाहता। वह कोई भी तहलका मचाने वाला उत्तर दे सकते हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को गेहूं का बहुत ही कम मूल्य दिया गया है। मेरे विचार में प्रति क्विंटल 250 रुपये किसानों को दिया गया है। अत: यह जानकारी मिली है कि वे सरकारी एजेन्सियों को अपना माल नहीं बेच रहे हैं। इन परिस्थितियों के तहत क्या ऐसा गेहूं के क्रय मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार है ताकि किसानों को लाभ मिल सके?

श्री तरुण गगोई : महोदय, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसे 225 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया है। इसके अलावा मई के अंत तक हमने 25 रुपये बोनस के तौर पर दिए हैं।

श्री अन्बाराशु इरा : मैंने समाचार पत्रों में एक दूसरा समाचार पढ़ा है कि गेहूं के निर्यात कोटे में कटौती करने के लिये तथा आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने और देश में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये भारत सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 10 लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है।

साथ ही, एक अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 6.72 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। यह विरोधाभासपूर्ण है। एक ओर तो हम आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर निर्यात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है। क्या यह सही है कि हम आयात के साथ-साथ निर्यात भी कर रहे हैं। कौन-सी बात सही है?

श्री सरुपा गगोई : आज तक, हमने गेहूं के आयात के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अगस्त, 1990 में हमने गेहूं के निर्यात के संबंध में एक निर्णय लिया था। यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया था। हमने इसे जारी रहने दिया क्योंकि उन दिनों हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज तक सात लाख टन हमने निर्यात किया है। आयात करने संबंधी एक निर्णय लिया गया था (व्यवधान) आज तक हमने आयात नहीं किया है। एक मिलियन टन आयात करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज तक हमने गेहूं आयात के मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री सी० श्रीनिवासन : हमारे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि प्रशासनिक व्यय एवं ढुलाई भाड़ा के कारण राज्यों में गेहूं के मूल्य में अंतर होता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में गेहूं का समान मूल्य निर्धारित करने के लिये कदम उठाने का कोई विचार है ताकि दक्षिण के गरीब ग्रामीणों को सहायता दी जा सके।

श्री सरुपा गगोई : वास्तव में जारी मूल्य समान होता है लेकिन राज्यों के खुदरा बाजार मूल्य में अंतर होता है।

श्री सी० श्रीनिवासन : आप राजसहायता दे सकते हैं।

श्री सरुपा गगोई : समर्थन मूल्य समान होता है। तब पूरे देश में केन्द्रीय निर्गत मूल्य भी समान होता है। लेकिन राज्यों में खुदरा मूल्य भिन्न-भिन्न होता है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं तथ्य जानना चाहता हूं। समर्थन मूल्य के कारण किसान गेहूं नहीं बेच रहे हैं। अतः खुले बाजार में गेहूं का मूल्य 7 रुपये से कुछ अधिक है। क्या सरकार को यह आशंका है कि यह गेहूं बाजार में आ जाएगा और दूसरी तरह वितरित किया जाएगा जिससे जनवितरण प्रणाली कार्य नहीं कर पाएगी और मूल्य नियंत्रित नहीं हो सकेंगे।

दूसरी ओर, यदि सरकार चावल निर्यात कर रही है तो गेहूं आयात करने की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास प्रचुर भण्डार है तो भी आप निर्यात करते हैं। आपने किस कारण यह विचार किया और गेहूं आयात करने के लिये निविदाएं मांगते है? अतः यह किसी दबाव के कारण हो रहा है या पहले से ही होता रहा है?

सभ्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है। यदि आप चाहें तो आप इसे दुहरा सकते हैं।

श्री सरुपा गगोई : जहां तक आज की स्थिति में खरीद का समय है हमने करीब 3.5 मिलियन टन खरीद की है और विगत वर्ष भी इतनी ही खरीद की गई थी। इस बार कोई आंदोलन चल रहा था और मैं

आशा करता हूं कि खरीद में वृद्धि होगी। जहां तक आयात का संबंध है उस समय निविदा में मूल्य बहुत अधिक था। इसलिये हमने कोई निर्णय नहीं लिया। इस समय खरीद का समय शुरू हो गया है और हम पूरे मामले की खरीद का मौसम समय समाप्त होने पर समीक्षा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बताया कि गेहूं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं और विदेशी ऋण के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से विदेशी ऋण के लिए गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सार्वजनिक वितरण पर अभी पूरा गेहूं जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है वह पूरा कोटा सारे राज्यों को नहीं दे पा रहे हैं तो वे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है वह पूरा कोटा राज्यों पर पूरा निर्भर नहीं कर रहा है तो वह पूरा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : वह निर्यात विगत में किए गए समझौते के तहत था। गेहूं के निर्यात के लिये हमने कोई निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगमीत सिंह बराड़ : आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जैसा कि पंजाब के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया था कि विगत सात दिनों से किसानों में भारी आक्रोश है और पंजाब की सभी अनाज मंडियों का बहिष्कार किया गया है। मैं समझता हूं कि खरीद का जो लक्ष्य पंजाब सरकार ने निर्धारित किया है वह इससे पूरा नहीं हो पाएगा और वे पंजाब में सात दिनों की हड़ताल पर जाने का विचार कर रहे हैं। अत: केन्द्रीय पूल में राज्य के किसान 70 प्रतिशत अनाज देते हैं यदि वे अगले सात दिन और बाजार में अनाज नहीं लाते हैं तो यह अत्यंत गंभीर मामला हो जाएगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह इस हड़ताल को समाप्त करने तथा विशेषकर बहिष्कार को रोकने के लिये सामने आएं और किसानों या विभिन्न कृषक संगठनों की बैठक बुलाएं जो पहले से ही सामने आने के लिये तैयार है और इस मामले में विचार करें। मेरे विचार में यदि उन्हें समय दिया जाए तो इस बहिष्कार को समाप्त कर सकते हैं और यह पूरे राष्ट्रहित में होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके इस सुझाव को प्रश्न मान सकते हैं।

श्री तरुण गगोई : हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं और हम पंजाब सरकार से इस संबंध में सम्पर्क बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

रक्त बैंक

866. †**श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार**
श्री जीवन शर्मा } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ वाणिज्यिक रक्त बैंक रक्त-बोतलों के साथ अपना "एड्स" मुक्त प्रमाण पत्र जारी करके रक्त बेच रहे हैं;

(ख) क्या हाल ही में जांच किए गए कुछ मामले में ऐसा रक्त एच० आई० वी० के जीवाणु से मुक्त पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इन वाणिज्यिक रक्त बैंकों द्वारा ऐसे "एड्स" मुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बारे में जांच के आदेश दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) राजधानी और देश के अन्य भागों में रक्त के मामले में हो रही ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ङ) फरवरी, 1989 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, वाणिज्यिक रक्त बैंकों सहित सभी रक्त बैंकों को यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि सप्लाई किया गया रक्त एच० आई० वी० प्रतिपिंडों से मुक्त है, आंचलिक रक्त जांच केन्द्रों के साथ जोड़ना अपेक्षित है ।

चूंकि रक्त नमूनों को आंचलिक रक्त जांच केन्द्रों में एच० आई० वी० संक्रमण के लिए जांच करनी जरूरी होती है, इसलिए वाणिज्यिक बैंक एच० आई० वी० मुक्त प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है । तथापि, हाल में एक दृष्टांत मिला है जहां एक रक्त नमूना आंचलिक रक्त जांच केन्द्र अर्थात विकृति विज्ञान संस्थान (आई० सी० एम० आर०) द्वारा एच० आई० वी० नेगेटिव घोषित किया गया जो एक प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा एच० आई० वी० पॉजिटिव पाया गया था । इसी नमूने पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा की गई एक और जांच से नर्सिंग होम के निष्कर्ष की पुष्टि हुई । दिल्ली प्रशासन ने परस्पर विरोधी जांच रिपोर्टों के मुद्दे से संबंधित परिस्थितियों की विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया ।

विशेषज्ञ समिति ने रक्त नमूनों संबंधी परस्पर विरोधी जांच रिपोर्टों का कारण यह बताया है कि या तो रक्त के नमूने गड़बड़-मड़बड़ हो गए या एक दूर की संभावना यह हो सकती है कि झूठे परिणाम प्राप्त किए गए । इस निष्कर्ष के आधार पर विशेषज्ञ समिति ने जांच प्रयोगशालाओं में कार्यरत कार्मिकों के गहन प्रशिक्षण और निरंतर अनुवीक्षण की सिफारिश की है ।

आंचलिक रक्त जांच केन्द्रों और रक्त बैंकों की एक संयुक्त बैठक रक्त नमूनों को संभालने, लेबल लगाने और यातायात के लिए एकरूप मानकीकृत क्रियाविधि तैयार करने हेतु बुलाई जा रही है ।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, रक्त मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस रक्त का देशभर में जो अवैध व्यापार चल रहा है और देशभर में बहुत बड़े पैमाने पर

कुछ लोग जो व्यावसायिक रक्तदाता हैं उनसे रक्त खरीद कर उसका ब्लैक मार्केट करते हैं और उस रक्त की जांच किए बगैर उनको प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं जिससे एड्स जैसे भयानक कीटाणु के होने की संभावना है तो इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ? सरकार ने अपने उत्तर में दिया है कि हम एक समिति बनाने जा रहे हैं तो इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर समिति कब तक तैयार हो जाएगी और उसका उत्तर कब तक आएगा और सरकार के उत्तर में यह भी बताया है कि एच० आई० वी० नेगेटिव, एक संस्थान द्वारा एच० आई० वी० नेगेटिव का प्रमाण-पत्र दिया है और एक संस्थान ने एच० आई० वी० पाजिटिव का प्रमाण-पत्र दिया है तो ऐसा डबल प्रमाण-पत्र दिया है और सरकार खुद बोलने जा रही है कि उसके अन्दर झूठा प्रमाण-पत्र दिया गया है ऐसा संभव है । तो ऐसा झूठा प्रमाण-पत्र जिस संस्था ने दिया है, जिन्होंने प्राप्त किया है उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह चिन्ता की है कि जो जीवन की रक्षा के लिए रक्त की आवश्यकता होती है उसकी शुद्धता प्रमाणित हो और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, यह उपयुक्त है और इसके लिए अलग-अलग जोनल सेंटर दिल्ली में कायम किए गए हैं जिनसे संबंधित ही ब्लड बैंक ब्लड दे सकते हैं, टेस्टिंग के बाद और जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उस घटना की 14-4-92 को एक समाचार-पत्र में उसके बारे में जानकारी छपी थी । उसके बाद इन्क्वायरी की गयी । जहां तक ब्लड सैम्पल जो दिया गया और बाद में, उसको नेगेटिव कह कर दिया गया, पाजिटिव आया, उस क्लिनिक ने उसको टैस्ट किया जहां उसको इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया उन्होंने उसको पाजिटिव बताया । सबसे पहले तो वह सैम्पल नष्ट कर दिया गया, किसी को देने का सवाल ही नहीं उठता । लेकिन यह सवाल आया कि उसमें से कुछ ब्लड फिर टेस्ट करने के लिए गया आई० सी० एम० आर० को । एन० आई० सी० डी० ने कंफर्म किया कि यह पाजिटिव है, आई० सी० एम० आर० में गया तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव है । जब यह इन्क्वायरी शुरू हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक जो प्राप्त तथ्य हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिकसिंग-अप हुआ है कहीं पर । मैं आदरणीय सदस्य और सम्मानीय सदन को यह कहना चाहूंगा कि इस निष्कर्ष से मैं भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं । इस विषय पर और गहराई से जांच की जाएगी और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे । लेकिन ऐसा न हो, चूंकि यह पहला केस है, इसके पहले ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, आगे ऐसी कोई चीज रिपीट न हो हम उसके लिए सतर्क रहेंगे ।

श्री विलासराव भागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, देशभर में ऐसे कितने प्रकरण पकड़े हैं जिसमें रक्त में भयानक प्रकार के किटाणू या एड्स के किटाणु पाए गए हैं ? उसके वास्ते सरकार कोई नया कानून तालुका स्तर पर क्या बनाने जा रही है कि रक्त जैसे महत्वपूर्ण विषय में यदि कोई गड़बड़ हो गयी तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दण्ड मिलना चाहिए, ऐसा कोई कानून सरकार बनाने जा रही है क्या ? क्या भारत सरकार तालुका स्तर पर ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार कर रही है और उसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : यह प्रश्न तो दिल्ली से संबंधित है ।

श्री विलासराव भागनाथराव गुंडेवार : मूल प्रश्न का लास्ट भाग आप देखें यह भी इसके अन्दर है ।

श्री अर्जुन सिंह : इसके बारे में डिटेल में माननीय सदस्य और सम्मानीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा ।

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस नर्सिंग होम के द्वारा या व्यक्तिगत रक्त बैंक के द्वारा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया, आपके कहे अनुसार कि एक पर रिजल्ट नेगेटिव आया और दूसरे पर पॉजिटिव आया, उसके खिलाफ कोई इन्क्वायरी की गयी या नहीं ? क्या ब्लड बैंक नार्म्स का पालन वह संस्था कर रही थी ?

[अनुवाद]

उत्तर में यह बताया कहा गया है कि रक्त के नमूनों के रखरखाव के लिये, चिन्हित करने तथा लाने-ले जाने, व्यवस्था करने के लिये समान मानकीकृत प्रक्रिया अपनाने के लिये क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों तथा रक्त बैंकों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है।

[हिन्दी]

क्योंकि ट्रान्सपोर्टेशन में अपने इस प्रकार की सम्भावनाएं हो सकती हैं कि कहीं कोई लापरवाही हो जाए और किटाणुओं का प्रवेश हो जाए। आप इसके बारे में क्या और कौन से उपाय करने जा रहे हैं ताकि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा न हों और लोगों में असुरक्षा की स्थिति पैदा न हो तथा उनको अपनी जान से हाथ न धोना पड़े ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न के "ख" भाग का सवाल है एक्शन तभी लिया जा सकेगा जब पूरी तरह से किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएं। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वह तो हो रही है। जहां तक दूसरा भाग प्रश्न का है, सभी राज्य सरकारों से इस संबंध में प्रतिवेदन मांगे गए हैं, सुझाव भी मांगे गए हैं, जोनल कमेटी का भी इसमें है, वैसे ही यह सब कार्यवाही पूरी हो जाएगी व्यापक रूप से जो प्रबन्ध करना है उसके लिए कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, क्या इस भयानक रोग से बचने के लिए दिल्ली की तरह देश के अन्य हिस्सों में, सभी प्रदेशों में जोनल सेंटर खोलने की योजना है ताकि वहां खून की जांच सही-सही हो सके और लोग इस रोग से बच सकें ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले कहा कि इसकी जानकारी लेकर मैं सदन को दूंगा।

"सार्क" देशों के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

*867. श्री श्रवण कुमार पटेल †
श्री सुधीर गिरि } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास सम्मेलन हेतु एक संयुक्त नीति तैयार करने के लिए नई दिल्ली में "सार्क" देशों के पर्यावरण मंत्रियों का द्विदिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या "सार्क" देशों की समिति द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्र में "ग्रीन हाउस" प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) ब्राजील में जून, 1992 को होने वाले पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सार्क देशों के पर्यावरण मंत्रियों का एक सम्मेलन 8-9 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें पर्यावरण और विकास पर सार्क देशों के एकमत विचारों को प्रतिबिम्बित किया गया था। जिस संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति हुई उसकी एक प्रति माननीय सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद के पुस्तकालय में रखी गई है।

नवम्बर, 1990 में माले में आयोजित 5वें सार्क शिखर सम्मेलन के घोषणा-पत्र में ग्रीन हाउस प्रभाव और इस क्षेत्र में इसके प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन करने की मांग की गई थी। सार्क स्थाई समिति ने इस मामले की जांच की जिसमें निर्णय लिया कि सदस्य देश अपने राष्ट्रीय अध्ययन तैयार करें और इन अध्ययनों को सार्क सचिवालय को भेजें जिन्हें बाद में एक क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में संकलित किया जाना है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, 'वक्षेस' बैठक में मंत्रियों ने पाया कि यद्यपि 'ग्रीन हाउस' प्रभाव, 'ओजोन' परत का नष्ट होना तथा सी० एफ० सी० जैसी गैसों का औद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा उत्सर्जित इन पदार्थों का दयनीय पहलू यह है कि वे विकासशील देशों को पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने में वे सहायता की इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर वे विकासशील देशों पर नई शर्तों को लागू कर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं।

महोदय क्या मैं जान सकता हूं कि सम्मेलन में मंत्री द्वारा किन शर्तों और आक्रमक रवैयों का जिक्र किया गया ?

श्री कमल नाथ : महोदय, 'ओजन' परत के संबंध में मांट्रियल विज्ञप्ति में उल्लेख है जिस पर भारत को अभी हस्ताक्षर करना है। भारत ने मांट्रियल विज्ञप्ति में कुछ संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की है। इन संशोधनों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब 20 देशों की उस पर सहमति मिल जाए। अनुमोदन की प्रक्रिया अब भी चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक विदेशों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और ज्योंही 20वां देश इसका अनुमोदन करेगा तब भारत मांट्रियल विज्ञप्ति को स्वीकार कर लेगा।

सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साईड और कार्बन डाई ऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन के संबंध में माननीय सदस्य का ठीक ही कहना है कि मुख्य रूप से पर्यावरणीय विनाश लिये विकसित देश जिम्मेदार हैं जो कि उनके विकास के क्रम में हुआ है। इस पर एक प्रस्तावित सम्मेलन में विचार किया गया, इस पर बातचीत हो रही है और इसे पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन कहा गया है। विकासशील देशों ने अधिक धन मांगा है, जिसका तात्पर्य है नए और अतिरिक्त कोष। धन देने पर अब भी बातचीत चल रही है। हमने स्पष्ट रूप से राशि की मांग की है, हमने एक ऐसी राशि की मांग की है जो लोक तांत्रिक रूप से दी जाती है और उसमें दानकर्ता विकसित देशों का कोई प्रभुत्व नहीं हो। यह अब भी बातचीत के दौर में है लेकिन विकसित देशों ने जो रवैया अपनाया है वह अत्यंत असहयोग पूर्ण है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री के उत्तर से जुड़ा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'वक्षेस' की बैठक में क्या नीति तय की गई है जिससे पर्यावरण सुरक्षा के लिये

आवश्यक राशि विकसित देशों से ली जा सके और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अनुसार यह राशि प्रतिवर्ष 625 बिलियन डालर है और क्या तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों से अलग पर्यावरण संबंधी विश्व सहायता कोष के माध्यम से सहायता देने का आग्रह कर रहे हैं । इसके प्रति बड़े देशों की सहमति लेने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या पर्यावरण विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरह बनाई जानी है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह प्रश्न दो भागों में है । मैं पहले प्रथम भाग का उत्तर दूंगा । विश्व पर्यावरण व्यवस्था एक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है जिसका प्रस्ताव जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया । वास्तव में विकसित देशों ने प्रस्ताव किया है कि विश्व पर्यावरण व्यवस्था (जी० ई० एफ०) ही एक मात्र धन उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था होनी चाहिये चाहे यह जैव विविधता सम्मेलन हो अथवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो या विकासशील देशों के लिये तैयार प्रारूप विषय सूची इक्कीस में निहित अन्य कार्य योजना हो । भारत सहित जी-77 के अधिकांश देशों सहित विकासशील देशों का यह मत है कि प्रत्येक सम्मेलन के लिये एक पृथक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो और जैसा कि मैंने कहा है यह व्यवस्था स्पष्ट हो, लोकतांत्रिक तरीके से चले और दानकर्ता के प्रति झुकाव न रखे । यू० एन० सी० इ० डी० सचिवालय द्वारा तैयार 625 बिलियन डालर की यह संख्या आवश्यक कुल धन राशि का उनका अनुमान है । इसका केवल एक भाग विकासशील राष्ट्रों द्वारा बढ़ाया जा रहा है । वर्तमान समय में वार्षिक 55 बिलियन डॉलर ओ० डी० ए० (सरकारी विकास सहायता) उपलब्ध है और यह अनुमान लगाया गया है कि विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी विकास सहायक को बढ़ाकर 125 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष करना होगा ।

विकसित राष्ट्रों द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 125 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं ।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न और माननीय मंत्री का उत्तर विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच संबंधों के बारे में है ।

दक्षेस देशों द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव, जो पृथ्वी सम्मेलन में रखा जाएगा, के अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरणीय विकास को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इन देशों ने कौन से उपायों पर विचार किया है ?

पांचवीं दक्षेस सम्मेलन घोषणा नवम्बर, 1990 में की गई थी । दक्षेस स्थायी समिति ने सदस्य देशों से अपने क्षेत्र में पादप-गृहों का अध्ययन करने के लिए कहा था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दक्षेस देशों ने अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे प्रस्तुत कर दिया है तथा विशेष रूप से क्या भारत ने कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली है और यदि हां, तब इसके परिणाम क्या रहे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, दक्षेस ने अब तक जून में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय विकास सम्मेलन में इन देशों के सामंजस्यपूर्ण और समन्वित दृष्टिकोण के लिए ही प्रयास किए हैं । इसमें अभी यही कार्य हुआ है । यह समझौता हुआ था कि प्रत्येक देश अलग-अलग अध्ययन करेगा जिसके आधार पर समेकित रिपोर्ट बनेगी । प्रत्येक देश राष्ट्रीय अध्ययन कर रहा है । भारत में भी आंशिक रूप से यह कार्य शुरू हो गया है । अन्य देशों में भी यह कार्य किया जा रहा है और कुछ परिणाम भी आ गए हैं । लेकिन हम इस बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्येक देश में पादप-गृह के बारे में अध्ययन अभी भी किया जा रहा है ।

श्री विजय एन॰ पाटील : अध्यक्ष महोदय, 1990 में एक सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन ब्राजील में 1992 में होगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इन दक्षेस देशों की अप्रैल, 1992 में बैठक हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हाल के खाड़ी युध्द के कारण प्रदूषण और पर्यावरण में परिवर्तन से संबंधित मुद्दा उस बैठक की कार्य-सूची में शामिल था, क्योंकि यह मुख्यत: दक्षेस देशों को प्रभावित करेगा। अभी हम खाड़ी युध्द के दौरान तेल कुंओं में लगी आग के प्रभाव को झेल रहे हैं।

विशेष रूप से दिल्ली में तापमान गत वर्षों की ग्रीष्मकालीन ऋतु की तुलना में काफी कम हो गया।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन दक्षेस देशों के पर्यावरण पर खाड़ी युध्द के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी।

श्री कमल नाथ : महोदय, दक्षेस देशों पर खाड़ी युध्द के प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि रियो सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर दक्षेस देशों द्वारा अपनाए जाने वाले रवैये पर ही चर्चा हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने सभा में पहले बताया था कि इराक युद्ध और भारत में नोट किए गए उत्सर्जन का कोई प्रकट प्रभाव नहीं है। इस बारे में कोई खोज भी नहीं की गई है।

अत: 8 और 9 अप्रैल को दक्षेस देशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में रियो सम्मेलन में अपनाए जाने वाले संयुक्त दृष्टिकोण पर ही चर्चा की गई।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, अप्रैल, 1992 में दक्षेस देशों के मंत्रियों की बैठक के बाद रियो सम्मेलन के लिए प्रारंभिक वार्ता के अनेक दौरे हुए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रारंभिक वार्ता के अंतिम दौर में कुछ दक्षेस देशों ने सार्वभौमिक पर्यावरणीय सुविधाओं और इस संबंध में भारत की स्थिति के बारे में अपने विचारों में कुछ संशोधन किया।

श्री कमल नाथ : दक्षेस बैठक के बाद पिछले सप्ताह कुआलालम्पुर, मलेशिया में जी-77 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई। मैं उस बैठक में उपस्थित था। दक्षेस देशों ने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया है। मैंने पाकिस्तान और नेपाल के पर्यावरण मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और मैंने देखा कि 8 और 9 अप्रैल को जो हमने निर्णय लिया था अभी भी हमारे वही विचार हैं।

माननीय सदस्य भारत के रवैये की मुख्य बातों के बारे में जानना चाहते हैं। हाल ही में कल और आज भी न्यूयार्क में अंतर्सरकारीय जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता समिति की बैठक चल रही है; जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारा यह रवैया है कि विकसित देशों को अपना उत्सर्जन स्तर स्थिर करने के लिए सहमति देनी चाहिए। उन्हें कोई वचन देना चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। उनका यह दायित्व है कि वह सबसे पहले कदम उठाएं, विकासशील राष्ट्र उत्सर्जन को रोकने के लिए कोई भावी कार्ययोजना बनाएं, विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और योजनाओं से समझौता किए बिना उत्सर्जन को रोकने के लिए बढ़ी हुई लागत नये और अतिरिक्त कोष से पूरी की जाती है। मैंने 'नये और अतिरिक्त कोष' शब्द का उपयोग किया है, जो कि विकसित राष्ट्रों द्वारा दिया जाएगा, विकसित राष्ट्र नए और अतिरिक्त कोष के लिए सहमत नहीं हुए हैं, उनका कहना है कि इसके लिए 'सहमति कोष' शब्द का उपयोग करना चाहिए। अत: यही भारत और विकसित राष्ट्रों के रवैये में अंतर है।

जैव-विविधता सम्मेलन के बारे में भारत ने जैव-सामग्री और जैव-प्रौद्योगिकी के बीच संबंध के लिए कहा। अभी तक भारत और उष्ण कटिबंध देश में जैव-सामग्री के प्रचुर भंडार है और विकसित राष्ट्रों के पास उपलब्ध इससे विकसित जैव-सामग्री और जैव-प्रौद्योगिकी के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी अन्य

विकासशील राष्ट्र जैसे भारत को भी जैव-प्रौद्योगिकी के लिए भुगतान करना पड़ता है । इसीलिए हमने भारत और अन्य उप-उष्णकटिबंधीय देशों से ली गई जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-सामग्री के बीच संबंध के लिए कहा । यह दो सम्मेलन चल रहे है—जैव-विविधता सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन । जैसा कि मैंने कहा है कि इन पर चर्चा हो रही है और यह भारत के रवैये की मुख्य विशेषताएं हैं ।

श्री आनन्दगजपति राजू पूसापति : परिस्थिति की और विकास संबंधी इस सम्मेलन के आधार पर हमने यह देखा कि पश्चिमी देश मितव्ययता की नीति नहीं अपना रहे हैं क्योंकि वे समुचित विकास नहीं कर रहे हैं अर्थात दूसरे शब्दों में अंधेतर विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है । अत: सम्मेलन के आधार पर विकासशील राष्ट्र यह देखने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं कि पश्चिमी राष्ट्र मितव्ययता की नीति अपनाएं और समुचित विकास पर अधिक बल दिया जाए ।

श्री कमल नाथ : यह समुचित विकास पर निर्भर है क्योंकि भावी विकास प्रतिमान समुचित विकास पर निर्भर होता है और यही मुद्दा है यह जून में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संबंधी सम्मेलन के लिए घोषणा पत्र है ।

हमने अन्य विकासशील देशों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर प्रभावी तौर से अनेक मंचों पर यह मुद्दा उठाया कि विकसित राष्ट्रों को अपने रहन-सहन के तरीके में परिवर्तन कर अपने उत्सर्ग को रोकना होगा क्योंकि न केवल वृद्धि के तरीके के कारण ही पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि रहन-सहन के तरीके, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत तथा उत्सर्ग स्तर से भी प्रदूषित होता है । अत: इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए और सम्मेलन का घोषणा पत्र इसी पर निर्भर है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : दक्षेस देशों में रहने वाले 25 करोड़ से अधिक लोग तटीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं और पादप-गृह उनके जीवन पर कुप्रभाव डाल सकते हैं । मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि भारत ने सी० एफ० सी० के मोन्ट्रियल प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । पिछले मुद्दों मोन्ट्रियल प्रोटोकोल में संशोधन किया गया था जिसमें समय सीमा पांच वर्ष घटाकर सन् 2000 से 1995 कर दी गई । मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का क्या रवैया है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री कमल नाथ : मोन्ट्रियल प्रोटोकोल में सी० एफ० सी० चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की व्यवस्था की गई है । कुछ विकसित राष्ट्रों, विशेष रूप से ई० ई० सी० देशों ने स्वेच्छा से सी० एफ० सी० को समाप्त करने की अवधि पहले करने का निर्णय लिया है । कुछ देशों, जिन्हें इसे सन् 2000 तक समाप्त करना था, उन्होंने स्वेच्छा से इसे पहले करने का निर्णय लिया क्योंकि नए अध्ययन और खोज की गई कि ओज़ोन रेखा प्रभावित हो रही है और इसका पश्चिमी देशों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम प्रोटोकोल को लागू करने और सी० एफ० सी० को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के विषय में कुछ संशोधन करना चाहते हैं । इन संशोधनों को 19 देशों ने स्वीकृति दे दी है । मुझे बताया गया है कि बीसवां देश भी इसे अनुमति दे रहा है । जैसे ही ऐसा होगा हम मोन्ट्रियल प्रोटोकोल को स्वीकार कर लेंगे ।

उद्योगों द्वारा सीसा-कण युक्त धुएं का छोड़ा जाना

*869. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीसे का प्रयोग करने वाले और इसका निर्माण करने वाले कई उद्योग सीसा-कण युक्त विषैला धुआं छोड़ रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी कितनी औद्योगिक यूनिटों का पता लगाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस धुएं से वनस्पति, पशुओं और मानव स्वास्थ्य, विशेषकर श्वसन प्रणाली को होने वाली क्षति का अनुमान लगाया है :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सीसा-कण युक्त धुआं परिसंकटमय होता है । सीसे का प्रयोग और विनिर्माण करने वाली तथा सीसा-कण युक्त धुआं छोड़ने वाली इकाइयों के संबंध में राज्य-वार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वायु, जल, खाद्यान्नों और मानव शरीर के प्रतिनिधि नमूनों में भारी धातुओं की मात्रा की निगरानी के लिए अप्रैल, 1983 से मार्च, 1989 तक भारी धातुओं के संबंध में एक समन्वित पर्यावरणीय कार्यक्रम प्रायोजित किया । इस अध्ययन के निष्कर्षों को एक पुस्तक के रूप में 1991 में प्रकाशित किया गया है । इस पुस्तक के दो अध्याय भारतीय पर्यावरण में सीसा और मानव शरीर पर इसके प्रभावों से संबंधित हैं ।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(ङ) सीसे से होने वाले प्रदूषण को फैलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत सीसा स्मेल्टरों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित करना :
2. सीसे के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करना ;
3. सीसे का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों से उत्सर्जन को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहना :
4. सीसे से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता पैदा करना ;
5. सीसे के महामारी विज्ञानी प्रभावों के संबंध में अध्ययन प्रारम्भ करना :
6. तेल शोध कारखानों से पेट्रोल में सीसे की मात्रा को कम करके 0.15 ग्राम/1 करने को कहना :

7. कार्य के पर्यावरण में सीसे के स्तर की अनुज्ञेय मात्रा निर्धारित करना ।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : यहाँ ऐसे उदाहरण है, विशेषकर कलकत्ता हवाई-अड्डे के समीप जहाँ औद्योगिक संयंत्र सीसा-कण युक्त विषैला धुआं छोड़ रहे है और इससे भी अधिक उनकी चिमनियाँ निर्धारित लम्बाई से कम है जिसके लिए वह यह तर्क देते हैं कि हवाई-अड्डा प्राधिकरण उन्हें हवाई अड्डे के समीप होने के कारण लम्बी चिमनियों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है ।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार इन उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि बेल्जियम में आन्तवर्प विश्वविद्यालय और स्पेन मे जरागोज़ा विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण विद्यालय जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा नमुनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से सीसे संक्रिया और कुछ हद तक अरगजी के उच्च संदूषण की पुष्टि हुई है ?

श्री कमल नाथ : इस विशिष्ट उदाहरण के संबंध में, जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं, इन विशेष क्षेत्रों में हम यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ही कदम उठायेंगे कि स्थिति में सुधार हो । लेकिन सीसा उत्सर्जन के मुख्य स्रोत केवल फैक्टरियाँ ही नहीं हैं, बल्कि गैसोलीन और तेल की व्यर्थ खपत द्वारा भी सीसे का उत्सर्जन होता है । गैसोलीन उत्सर्जन को मुख्य सीसा उत्सर्जक कहा गया है । इस संबंध में भी कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हम सीसा-रहित ईंधन पर भी विचार कर रहे हैं जो कि अब अनेक दूसरे देशों में उपयोग किया जा रहा है और इस विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे ।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, मोटर स्पिरिट में 'टेटरारिथाइल लैड' (टी०ई०एल०) की उच्च प्रतिशतता को देखते हुए, जो कि सामान्य रूप से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, और विशेष रूप से गुवाहाटी में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में सीसे की प्रतिशतता सबसे अधिक है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि सरकार डिगबोई तेल शोधक कारखाने के प्रस्तावित कैटेलिकटिक संसाधन यूनिट जो कि स्रोत पर सीसे को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, के परिणाम के विशेष संदर्भ में सीसे के नियंत्रण के लिए किन कदमों पर विचार कर रही है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं पृथक रूप से माननीय मंत्री जी को सूचित कर दूँगा । एक बार फिर तेल शोधक कारखाने के बारे में एक विशिष्ट मामले का उल्लेख किया गया है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच आपसी तालमेल है । प्राथमिक रूप से यह जिम्मेवारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है कि इसे नियंत्रित किया जाए, इसका निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जा रहा है । इस त्रिस्तर तालमेल द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिक सावधानी बरती जा रही है तथा अधिक कोशिश की जा रही है जिससे मुझे विश्वास है कि मामले की वर्तमान स्थिति में सुधार होगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, श्री हान्डिक द्वारा जिस विशेष यूनिट का उल्लेख किया गया है, उससे 10 से 15 वर्षों से अधिक समय से सीसे के रूप में जहर फैल रहा है । कुछ प्रदूषण विरोधी उपाय किए गए है जिससे कि सीसे जैसे ज़हर के उत्सर्जन में कमी आई है । यह स्थिति फैक्ट्री के पड़ोस के लोगों और कर्मचारियों सहित फैक्टरी के मालिकों के बीच विवाद का कारण है । पड़ोसी जनता चाहती है कि कारखानों को उस स्थान से हटा दिया जाए । जैसा कि उल्लेख किया गया है, वे कहते है कि क्या हवाई-अड्डा प्राधिकरण द्वारा बिना किसी आपत्ति के लम्बी चिमनियाँ बनायी जा सकती है, क्योंकि अब तो ऊँची बहुमंजलीय इमारतें भी बन रही हैं । इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी इसे देख सकते हैं कि (क) पड़ोसी जनता

को बचाने के लिए निधि की आवश्यकता है, जो कि सरकार द्वारा मिल सकती है और (ख) क्या हवाई-अड्डा प्राधिकरणों पर यह देखने के लिए ज़ोर डाला जा सकता है या नहीं कि क्या वहां हवाई-जहाजों की उड़ानों पर प्रभाव डाले बिना कुछ ऐसी चिमनियों और ऐसे अन्य प्रदूषण विरोधी उपाय आरम्भ किए जा सकते हैं ?

श्री कमल नाथ : मैं इसे पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से करूँगा और मैं दिल्ली से एक टीम भी भेजूँगा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय से विशिष्ट समस्याओं पर गौर करेगी, ताकि एक संतोषजनक समाधान ढूँढा जा सके ।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, पर्यावरण प्रदूषण में सीसे के कण अधिकतर गैसोलिन तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के जलने से आते है । मैं जानना चाहूँगा कि क्या गैसोलिन तथा पैट्रोलियम में शामिल एण्टी-नॉकिंग तत्व से छुटकारा पाने के उद्देश्य से पहले ही कोई उपाय खोजा गया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में हम क्या करने जा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : यह सही है । पर्यावरण में सीसे के मुख्य स्रोत गैसोलिन तथा अन्य तेल हैं । मोटर स्पिरिट सीसे की मात्रा को कम करने के लिए तेल कम्पनियों से बातचीत शुरू की गई है । यह पूरी होने वाली है और कार्यक्रम के अनुसार, मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष तक हम सीसा रहित ईंधन अथवा कम सीसे का गैसोलिन प्राप्त कर सकेंगे । विशेषकर शहरी केन्द्रों के लिए यह एक बहुत खतरनाक प्रदूषण है । जहाँ लगभग पचास अथवा . . . . .

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मद्रास में यह प्रयोग किए जा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : मैं उस पर आ रहा हूँ । वहां लगभग 50 से 60 प्रतिशत वाहन प्रदूषण है । यहाँ अनेक साधन बाज़ार में आ गए है, जो कि बेहतर दहन अथवा इसी तरह की दूसरी बातों को सुनिश्चित करके उत्सर्जन को कम करते हैं । इनमें से कुछ का हमने अपने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में निजी तौर पर परीक्षण किया है । मुझे कुछ जानकारी भी भेजी गई है और हम उसकी व्यवहार्यता तथा प्रभावशीलता की जाँच कर रहे हैं । अतः, जैसे ही यह उपलब्ध होगा, हम यह देखने के लिए कदम उठायेंगे कि यदि इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं अपनाया जाता है, तो इसे मोटरकार निर्माताओं द्वारा अपनाया जाए ।

धान खरीद केन्द्र

*870. **श्री अज किशोर त्रिपाठी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के राज्यवार कितने धान खरीद केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में और अधिक ऐसे केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा धान की वसूली करने के लिए 1991-92 के खरीफ मौसम के दौरान चलाए गए क्रय केन्द्रों/मंडियों की संख्या

राज्य का नाम	1991-92 में चलाए गए		
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य सरकार /एजेन्सियां	जोड़
पंजाब	337	376	713
हरियाणा	105	49	154
उत्तर प्रदेश	61	1189	1250
दिल्ली	3	—	3
राजस्थान	23	—	23
आन्ध्र प्रदेश	150	—	150
मध्य प्रदेश	55	2279	2334
पश्चिम बंगाल	185£	—	185
पांडिचेरी	2	—	2
अरूणाचल प्रदेश	7£	—	7
बिहार	13£	—	13
उड़ीसा	35	25	60
हिमाचल प्रदेश	9	—	9
महाराष्ट्र	—	168	168
	985	4086	5071

नोट : पंजाब और हरियाणा में कच्चे आढ़तियों तथा अरूणाचल प्रदेश में अंचल समितियों के माध्यम से।

£ : 1991-92 के दौरान पिछले वर्ष के आंकड़े लिए गए हैं।

श्री अज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति अथवा नियम अपना रही है, जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान खरीद केन्द्र खोले जायेंगे ? यदि हाँ, तो वह क्या है और इस संबंध में राज्यों के बीच भेद-भाव क्यों है जैसा कि विवरण पत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हुआ है ?

श्री तरूण गगोई : जहां तक कि खरीद-केन्द्रों का संबंध है, हम हमेशा यह खरीद केन्द्र राज्य सरकार के परामर्श से खोलते हैं। यदि आप विवरण-पत्र देखें, तो आप देखेंगे कि भारतीय खाद्य निगम की अपेक्षा राज्य सरकार/एजेंसी केन्द्र अधिक हैं। कुल 5,071 धान खरीद केन्द्रों में से 985 धान केन्द्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा और 4,086 धान केन्द्र राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा स्थापित किए गए है।

श्री अज किशोर त्रिपाठी : महोदय मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या उड़ीसा सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें और अधिक धान खरीद केन्द्रों के खोलने पर जोर दे रही हैं, ताकि उपज के समय कृषि

उत्पादकों की बिक्री को बढ़ाकर उनकी मदद की जा सके, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में जिन पर निश्चय ही, सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री तरुण गगोई : महोदय, अभी तक राज्य सरकारों द्वारा और धान खरीद केन्द्रों को खोलने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है। यदि हमें ऐसे कोई प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, तो हम केन्द्रो को खोलने के लिए तैयार है।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, कर्नाटक राज्य में, उस क्षेत्र के बड़े भाग का प्रधान खाद्य चावल है। यह सूची दर्शाती है कि पूरे कर्नाटक राज्य में भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा कोई ऐसा खरीद केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। जब भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चावल की आपूर्ति का प्रश्न आता है, तो उत्तर दिया जाता है कि राज्य सरकार धान की उपलब्धि में असफल रही है। मेरा प्रश्न यह है कि कम से कम भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्नाटक के कुछ भागों में कम से कम वहां जहां धान का उत्पादन बृहत क्षेत्रों में होता है, धान की वसूली के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। शिमोगा, रायचुर और मंड्या जैसे जिलों में धान बृहत क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम को वहां खरीद केन्द्र स्थापित करने चाहिए, ताकि धान की वसूली हो सके .....(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराये नहीं। आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है।

श्री वी० धनंजय कुमार : तो, मेरा प्रश्न यह है कि कर्नाटक राज्य के इन बृहत धान उत्पादित क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद केन्द्र खोलने के लिए कदम उठाए जायेगें।

श्री तरुण गगोई : महोदय, वास्तव में, यदि मूल्य ऊँचे हैं, तो वे भारतीय खाद्य निगम के पास नहीं आते है। वास्तव में कर्नाटक में, मैंने देखा है कि कई वर्षों से धान की कोई वसूली नहीं हुई है।

श्री मुमताज अन्सारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में भारतीय खाद्य निगम के केवल 13 केन्द्र आरम्भ किए गए हैं जहाँ 33.1 अथवा कुछ ऐसे ही केन्द्र पंजाब में आरम्भ किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक बड़े-बड़े धान के खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं लेकिन बिहार में केवल 13 केन्द्र खोले गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या केन्द्र सरकार का बिहार में धान के और अधिक खरीद केन्द्र खोलने का विचार है, विशेषकर कि दक्षिण बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में धान खरीद केन्द्र न होने के कारण वहाँ कम मूल्यों पर गेहूँ की बिक्री हो रही है। इसलिए, मैं जानना चाहूँगा कि कम कीमतों पर बिक्री से बचने के लिए क्या केन्द्र सरकार धान के और अधिक खरीद केन्द्रों को खोलने का विचार रखती है।

श्री तरुण गगोई : महोदय, बिहार में भी वसूली न के बराबर है। इसलिए बिहार में खरीद केन्द्रों की संख्या केवल तेरह हैं। यदि लोग अधिक धान का उत्पादन करने के लिए तैयार है, तो हम अधिक केन्द्र खोल देगें।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि यदि लोग उन्हें अधिक धान बेचने के लिए इच्छुक हैं, तो वे और अधिक केन्द्र खोलेंगे। चूँकि धान उड़ीसा राज्य की मुख्य फसल है, इसलिए उड़ीसा सरकार भारतीय खाद्य निगम पर हमेशा से यह जोर डाल रही है और उनको लिख रही है कि वे उड़ीसा में और अधिक केन्द्र खोले, लेकिन भारतीय खाद्य निगम और केन्द्र नहीं खोल रही है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि उड़ीसा सरकार की क्या मांगे है और भारतीय खाद्य निगम ने उन क्षेत्रों में विशेषकर कि राज्य में पश्चिमी भाग में और अधिक केन्द्र खोलने के लिए उन मांगो का

क्या मूल्यांकन किया है ? भारत सरकार धान की खरीद के लिए वहाँ भारतीय खाद्य निगम के और केन्द्र खोलने के लिए इच्छुक क्यों नहीं है ?

श्री तरुण गगोई : वास्तव में, उड़ीसा मे धान की वसूली केवल 2,363 टन है और तभी राज्य सरकार केन्द्र खोल सकती है और हम वित्त उपलब्ध करवा सकते हैं। लगभग सभी राज्यों मे'.....(व्यवधान)।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम ही एकमात्र वसूली एजेंट है। यह सही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं है।

श्री तरुण गगोई : भारतीय खाद्य निगम अधिकतर निधि उपलब्ध करवाता है और वसूली हमेशा राज्य की एजेंसियों द्वारा ही की जाती है, चाहे वह पंजाब हो अथवा बिहार अथवा कहीं और हो। इसलिए 5071 केन्द्रों में से, 4086 केन्द्र राज्य की एजेंसियों द्वारा ही स्थापित किए गए है। राज्य की एजेंसियाँ केन्द्र स्थापित कर सकती है हम धन उपलब्ध करवाते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या आप उन्हें सीधे ही खोलते हैं ?

श्री तरुण गगोई : हम भी उन्हें खोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में खतरनाक उद्योग

*863. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कौन-कौन से औद्योगिक एकक खतरनाक हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने कारखाना अधिनियम, 1948 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियम, 1989 के उपबंधों का उल्लंघन किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने प्रयुक्त किए जाने वाले खतरनाक रसायनों की मात्रा के आधार पर दिल्ली में 22 प्रमुख खतरनाक प्रतिष्ठानों की शिनाख्त की है। इन इकाइयों के नाम सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) दिल्ली में प्रमुख दुर्घटना-प्रवण खतरनाक प्रतिष्ठानों की सूची :

क्र० सं०	फैक्टरी का नाम और पता
1.	मैसर्स श्रीराम कैमिकल वर्क्स, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-15
2.	मैसर्स श्रीराम वनस्पति मैनुफैक्चरिंग वर्क्स, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-15
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि०, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, नई दिल्ली-15
4.	मैसर्स हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पो० लि०, सब्जीमंडी, नई दिल्ली-7
5.	मैसर्स सिल्वानिया एंड लक्ष्मण लि०, 68/2 मजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15
6.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-2 एन० आई० टी० सी० परिसर, शाहाबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्ली-45
7.	मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पो० लि०, विजवासन इन्स्टालेशन, नई दिल्ली-61
8.	मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पो० लि०, शकूरबस्ती, दिल्ली-56
9.	मैसर्स इण्डियन आयल कार्पो० लि०, मार्केटिंग डिविजन, दिल्ली टर्मिनल विजवासन, नई दिल्ली-61
10.	मैसर्स इंडियन आयल कार्पो० लि०, शकूर बस्ती टर्मिनल, दिल्ली-56
11.	मैसर्स इंडियन आयल कार्पो० लि० एल पी जी घेवरामोठ, रोहतक रोड, दिल्ली
12.	मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पो० लि०, शकूर बस्ती, नई दिल्ली-56
13.	मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पो० लि०, एल पी जी शकूर बस्ती, नई दिल्ली-56
14.	मैसर्स हैदरपुर वाटर वर्क्स, हैदरपुर, दिल्ली-42
15.	मैसर्स एम जी डी भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गोकुल पुरी, शाहदरा, दिल्ली-1
16.	मैसर्स दिल्ली वाटर वर्क्स, चन्द्रावल नं० 1, पुराना सचिवालय के पीछे, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
17.	मैसर्स दिल्ली वाटर वर्क्स, चन्द्रावल नं० 2, सिविल लाइन्स, दिल्ली-7
18.	मैसर्स वजीराबाद वाटर वर्क्स, पो० ओ० तिमारपुर वजीराबाद, दिल्ली-7
19.	मैसर्स ओखला सीवेज डिस्पोजल वर्क्स, पी ओ सी आर आर आई, मथुरा रोड, नई दिल्ली-20
20.	मैसर्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिठाला, दिल्ली
21.	मैसर्स गैस टर्बाइन पावर स्टेशन, डेसू आई पी इस्टेट, नई दिल्ली-2
22.	मैसर्स जे जे फोम प्रा० लि०, 224 ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-20

(ख) 17 यूनिटों ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अधिकांश उपबन्धों का अनुपालन किया है । 2 यूनिटों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं और एक यूनिट को हाल ही में रजिस्टर्ड किया गया है । बाकी यूनिटों को सुधार सम्बन्धी नोटिस जारी किए गए हैं और उन से फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है । परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं उठाई-धराई) नियमावली, 1989 के कार्यक्षेत्र में आने वाले 22 प्रमुख खतरनाक प्रतिष्ठानों में से अब तक दिल्ली में 2 यूनिटों अर्थात मैसर्स श्रीराम कैमिकल वर्क्स और मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० की प्रमुख खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाली यूनिटों के रूप में शिनाख्त की गई है । मैसर्स श्रीराम कैमिकल वर्क्स ने खतरनाक अपशिष्टों की उठाई-धराई

का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है। मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लि० से अपने खतरनाक अपशिष्टों को सुरक्षित खाली जर्मीन पर निपटान करने को कहा गया है।

अलर्क रोग (रेबीज) की रोकथाम

*864. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलर्क रोग (रेबीज) की रोकथाम के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुत्तों के काटने के कारण होने वाली शिशु मृत्युदर में कमी करने हेतु सरकार का विचार पालतू कुत्तों को अलर्क रोग रोधी टीके अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए कोई कानून लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो अलर्क रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृषि मंत्रालय छठी योजना से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चुनिन्दा महानगरों में अलर्क के नियंत्रण हेतु एक कार्यक्रम को सहयोग दे रहा है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

*868. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों हेतु कितने सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किये गये;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जनसंचार, शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान, 6 सांस्कृतिक करारों और 13 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) और (ग) जी, हां। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदर्शन-कलाओं, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, संग्रहालय-विज्ञान, पुरातत्व-विज्ञान, साहित्य, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों, खेल-कूद आदि के क्षेत्रों में सार्थक सहयोग और लाभप्रद द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा परस्पर तालमेल हुआ है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों से विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के बीच संस्थागत संबंधों की

स्थापना, शिक्षकों और अध्येयताओं का विनिमय तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान भी हुआ है ।

[हिन्दी]

मलेरिया नियंत्रण

*871. श्री लारे लाल जाटव
श्री मृत्युंजय नायक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत वर्ष मलेरिया नियंत्रण के लिए मानदण्ड के अनुरूप छिड़काव कार्य नहीं किया गया;

(ख) इस कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन की टिकिया बेअसर होने का कारण प्लास्मोडियम पैरासाइट में इस औषधि के लिए प्रतिरक्षण क्षमता पैदा हो जाना है;

(घ) क्या मलेरिया अनुसंधान संस्थान, मलेरिया नियंत्रण के लिए एक नई वैकल्पिक औषधि का विकास करने हेतु अनुसंधान कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) राजधानी में मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) पिछले वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी झोपड़ियों, नदीतटीय क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत घरों में बी०एच०सी० का तीन बार छिड़काव किया गया । छिड़काव के लिए बहुत अधिक इन्कार किए जाने की दर के कारण छिड़काव संबंधी लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका ।

(ग) जी, नहीं । क्लोरोक्वीन अभी भी मलेरिया के रोगियों के उपचार के लिए प्रभावकारी है ।

(घ) और (ङ) मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा शुरू किए जा रहे अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं :—(i) वैक्टर जीव-विज्ञान, (ii) वैक्टर आनुवंशिकी और कोशिकाजनन प्रकरण, (iii) वैक्टर नियंत्रण के जैव-पर्यावरणिक उपाय, (iv) जानपदिक रोग विज्ञान और (v) रोग-प्रतिरक्षण-विज्ञान ।

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र ने नई-नई औषधों की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान शुरू किया है ।

(च) राजधानी में मच्छरों के प्रकोप और मलेरिया की रोकथाम के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए उपयुक्त लार्वानाशकों सहित पानी जमा होने के स्थानों पर साप्ताहिक लार्वा-रोधी कार्य ।

2. मलेरिया के पाजीटिव रोगियों के आस-पास स्थानीय छिड़काव के अतिरिक्त ग्रामीण और झुग्गी क्षेत्रों में बी०एच०सी० छिड़काव के तीन दौर ।

3. पर्चों, पोस्टरों और जन प्रचार के साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा ।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों का चयन

*872. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या इन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर आगामी ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, पिछले ओलम्पिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिपों में, दोनों प्रदर्शनों में जो भी उच्चतर हो, छठे स्थान के प्रदर्शन को मापनीय स्पर्धाओं के लिए विचार किया जाता है । गैर-मापनीय स्पर्धाओं में स्वीकृति, संघ द्वारा सार्थक मूल्यांकन सहित प्रामाणिक श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है कि चयनित किए गए खिलाड़ी कम से कम छठा स्थान प्राप्त करने की संभावना रखते हैं । एशियाई खेलों मे चयन के लिए पिछले एशियाई खेलों या निकटतम एशियाई चैम्पियनशिप में, जो भी उच्च हो, तीसरे स्थान के प्रदर्शन को मापनीय स्पर्धाओं के संबंध में मानदण्ड के रूप में तथा राष्ट्रीय संघ द्वारा सार्थक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है कि खिलाड़ी गैर-मापनीय विधाओं के मामले में कम-से-कम तीसरा स्थान प्राप्त करने की आशा करते हैं ।

(ख) और (ग) 1992 में बार्सेलोना के आगामी ओलम्पिक के लिए उन खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संघों द्वारा विविध विधाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अर्हता प्राप्त की है । तदनुसार, आज की तारीख में निम्नलिखित ने अर्हता प्राप्त की हैं :—

(1) *मुक्केबाजी* :

(i) श्री आर० प्रसाद
(ii) श्री डी० यादव

(2) *कुश्ती* :

(i) श्री अशोक कुमार —फ्री स्टाइल (57 कि० ग्रा०)
(ii) श्री धर्मवीर सिंह—वही—(62 कि० ग्रा०)
(iii) श्री पप्पू यादव—ग्रेको रोमन (48 कि० ग्रा०)
(iv) श्री एन० आर० पाटिल—ग्रेको रोमन (62 कि० ग्रा०)

(3) *टेबल टेनिस* :

(i) श्री कमलेश मेहता (सिंगल्स और डबल्स)
(ii) श्री चेतन अब्भूर (सिंगल्स)
(iii) श्री संजय घोरपडे (डबल्स)
(iv) सुश्री नियति शाह (सिंगल्स)

(4) *मुक्केबाजी*

(i) श्री नरिन्द्र सिंह—(60 कि० ग्रा०)
(ii) श्री संदीप बयाला—(65 कि० ग्रा०)
(iii) श्री राजिन्द्र कुमार—(86 कि० ग्रा०)
(iv) श्री कवास बिल्लिमोरिया—(95 कि० ग्रा०)
(v) सुश्री संगीता मेहता—(70 कि० ग्रा०)

(5) *तीरंदाजी*

(i) श्री लिम्बा राम
(ii) श्री लालरेम संगा
(iii) श्री धूल चन्द बमोर

(6) *निशानेबाजी*

कुमारी सोमा दत्ता

(7) *लॉन टेनिस*

श्री रमेश कृष्णन

(8) *हॉकी*

संभावित खिलाड़ियों के ठीक नामों सहित टीम का अंतिम चयन मई, 1992 में यूरोपीय दौरे के बाद किया जाएगा ।

वर्तमान ओलम्पिक खेलों के दौरान अपनाई जा रही अर्हता प्रक्रिया के अनुसार एथलेटिक्स और नौकायन के सम्बन्ध में एथलीटों और खिलाड़ियों से कोई विशेष अर्हता मानदण्ड प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती बशर्ते विशेष स्पर्धा में प्रविष्टियों की संख्या एक व्यक्ति या एक टीम तक सीमित हो ।

अन्य विधाओं के सम्बन्ध में, जिनमें भारत के भाग लेने की आशा है, संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित अर्हता मानदण्डों को प्राप्त करना होगा । बैडमिंटन और भारोत्तोलन की विधाओं में हमारे एथलीटों और खिलाड़ियों के अर्हता प्रदर्शन के बारे में अंतिम परिणाम अभी नहीं आए हैं । कुछ अतिरिक्त एथलीट और खिलाड़ी भी मुक्केबाजी और टेनिस में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं । तथापि यह स्थिति चल रहे प्री-अर्हता टूर्नामेंट पूर्ण होने के बाद जानी जाएगी ।

वृद्ध लोक नर्तकों और गायकों को वित्तीय सहायता

*873. **श्री वीर सिंह भडाना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे वृद्ध लोक नर्तकों और गायकों को, जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखने और उसे समृद्ध करने में योगदान किया है, वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

साहित्य, कला और जीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत 58 वर्ष से ऊपर की आयु के ऐसे कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है, जिनकी वैयक्तिक आय जीवन साथी की आय सहित 1000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है । वृद्ध लोक नर्तकों और गायकों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है ।

इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक 1000/- रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । आवेदन-पत्र राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं जिनका सहायता में केन्द्रीय सहायता के 50% का अंशदान होता है । असाधारण मामलों में केन्द्रीय सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर करती है ।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

*874. **श्री के० राममूर्ती तिंडिवनम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान लागू किए जाने वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं :

(ख) वर्ष 1992-93 हेतु इनके लिए कितना परिव्यय रखा गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक और "यूनिसेफ" से कितनी धनराशि मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) 1992-93 के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम को चलाए रखना ।

(ख) अतिसार के कारण जनशून्यता के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मौतों को रोकने के लिए मुखीय पुनर्जलपूरण चिकित्सा को जारी रखना ।

(ग) आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देने के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए मौजूदा रोग निरोधक योजना को व्यापक बनाना ।

(घ) 3 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिविहीनता की रोकथाम के बारे में मौजूदा रोगनिरोधक योजना को व्यापक बनाना ।

(ङ) न्यूमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का प्रसार ।

(च) प्रशिक्षित दाइयों के उपयोग, उपकेन्द्र और प्राथमिक रेफरल केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को कार्यान्वित करना ।

2. वर्ष 1992-93 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 95.00 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय प्रदान किया गया है । विश्व बैंक अन्तरराष्ट्रीय विकास सहायता के रूप में 63.35 करोड़ रुपये प्रदान करेगा जबकि यूनिसेफ इस कार्यक्रम के लिए अनुदान के रूप में 16 करोड़ रुपये प्रदान करेगा ।

3. इस कार्यक्रम को 1991-92 से 7 वर्ष की अवधि में और शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ।

[हिन्दी]

रेलवे परामर्शदात्री समितियां

*875. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन और जोन स्तर पर रेलवे परामर्शदात्री समितियों का गठन अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और किन-किन जोनों और डिवीजनों में ऐसी समितियां कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ग) इन समितियों के गठन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) मंडल तथा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन कर दिया गया है ।

[अनुवाद]

पर्यावरण नीति

*876. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1992 के "इकानॉमिक टाइम्स" नई दिल्ली में "लैक आफ इन्वाइरनमेंट पालिसी ब्लाक्स डेवलपमेंट ऐंड प्लो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण पर व्यापक नीति अथवा कानून के न होने के बारे में विशेषज्ञ दल की क्या सिफारिशें/टिप्पणियां हैं क्योंकि इससे प्रमुख दानदाता देशों से विकास सहायता प्राप्त होने में बाधा पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस बारे में, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय ने उनके द्वारा स्थापित किसी क्रोड़-दल की कोई रिपोर्ट अथवा सिफारिश नहीं भेजी है, जैसाकि समाचार में छपा है । पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीति और विधायी ढांचा भारत में पहले से मौजूद है । देश में पर्यावरण संबंधी नीति न होने के कारण विकास सहायता अवरुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

*877. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों की फरवरी, 1992 में हुई बैठक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर कोई सहमति हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जी, नहीं । लेकिन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने और विकेन्द्रित करने के लिए वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 में संशोधन करने और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

तटीय विनियमों संबंधी समिति

*878 **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमों संबंधी समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं;

(घ) क्या समिति ने समुद्र तटों पर होटलों के निर्माण के संबंध में भी कोई सिफारिशें की थीं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न सिफारिशों पर क्या निर्णय लिए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पर्यटन और होटल सुविधाएं स्थापित करने के संदर्भ में तटीय क्षेत्रों में इस समय लागू विनियमों और मानकों की जांच करने के लिए श्री बी० बी० वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है ।

(ग) समिति ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है और इसलिए इसका कार्यकाल 31 मई, 1992 तक बढ़ा दिया गया है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य पदार्थों पर राजसहायता

*879. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों पर समाप्त की गई राजसहायता को बहाल करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य पदार्थों पर दी जा रही राजसहायता में और अधिक कमी किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (घ) केन्द्रीय पूल में भण्डारित स्टाक से वितरित चावल और गेहूं पर खाद्य राजसहायता को जारी रखा जा रहा है । अत: राजसहायता को समाप्त करने अथवा बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उच्चतर शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंपना

*880. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने का औचित्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पर्यावरण और वन संरक्षण

*881. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण और वन संरक्षण के कार्य में देश के युवाओं को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से इस कार्य में कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार प्रायोगिक आधार पर पर्यावरण और वनों के संरक्षण में देश के युवाओं को शामिल कर रही है । पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो स्कीमें तैयार की हैं वे इस प्रकार हैं :—(i) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान; (ii) पारि-क्लबों का गठन; (iii) स्कूली बच्चों के लिए पर्यावरण संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता देना । ये स्कीमें युवाओं, विशेषकर स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों में पर्यावरण संबंधी विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी । वर्ष 1991-92 में मंत्रालय ने इस प्रयोजन हेतु लगभग 550 संगठनों, जिनमें युवा संगठन भी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की है । ऐसी कुछ अन्य स्कीमों पर विचार किया जा रहा है जिनमें युवाओं को भी शामिल किया जा सकेगा ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सेवा स्कीम का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से निरक्षरता को दूर करना है । तथापि राष्ट्रीय सेवा स्कीम संगठनों ने अलवर तथा इन्दौर के जिलों में तथा चंडीगढ़ व हैदराबाद के कस्बों में प्रायोगिक आधार पर वृक्षारोपण तथा परती भूमि विकास और पर्यावरण सुधार की परियोजनाएं शुरू की हैं ।

लेवी चीनी का मूल्य

8948. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान लेवी चीनी की अधिकतम वसूली और इसके मूल्यों के निर्धारण में निर्धारित की गई अवधि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गन्ना विकास परिषद् को क्रय-कर के रूप में, जोन-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) गन्ने के लेवी मूल्यों में गन्ना लागत और संरक्षण लागत का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त चीनी मौसम के दौरान प्रत्येक महीने प्रदत्त वृद्धि लागत का जोन-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान फैक्ट्री-आहय लेवी चीनी का जोन-वार मूल्य क्या था और 1991-92 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का खुदरा मूल्य क्या था ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) चीनी वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान लेवी चीनी की अधिकतम वसूली और इसके मूल्यों के निर्धारण में निर्धारित की गई अवधि का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि के दौरान निर्धारित किए गए तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रय कर की क्षेत्रवार दर तथा गन्ना विकास परिषद् को क्रय कर के रूप में प्राप्त कमीशन ब्यौरा क्रमशः विवरण-II तथा विवरण-III के रूप में संलग्न हैं ।

(ग) लेवी चीनी के मूल्य के निर्धारण के लिए गन्ना लागत निकालने हेतु चीनी मौसम 1990-91 तथा 1991-92 के लिए गन्ने की क्रमशः 23 रुपये प्रति क्विंटल तथा 26 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम सांविधिक कीमत को ध्यान में रखा गया है और यह न्यूनतम सांविधिक कीमत 8.5 प्रतिशत की वसूली तथा इससे अधिक वसूली पर 0.1 प्रतिशत के अनुपातिक प्रिमियम से जोड़ी गयी है ।

रूपांतरण लागतों का क्षेत्रवार निर्धारण औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई सूची के अनुसार किया गया है तथा क्रमशः 1990-91 और 1991-92 मौसमों के लिए अनुमानित अवधि तथा वसूली के लिए विधिवत् समायोजन किया गया है ।

(घ) वृध्दि लागत हर महीने नहीं दी जाती अपितु औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए फार्मूले के अनुसार निकाली जाती है ।

(ङ) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण IV से VIII में दिया गया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का खुदरा मूल्य पूरे देश में एक समान है तथा 24-7-1991 को पहले घोषित किए गए 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में चीनी का खुदरा मूल्य 21-1-92 को 6.90 रुपये प्रति किलोग्राम अधिसूचित किया गया था ।

विवरण I

क्रम सं०	क्षेत्र	अधिकतम वसूली		अवधि (दिन)	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1.	पंजाब	9.514	9.140	137	136
2.	हरियाणा	10.090	9.596	163	180
3.	राजस्थान	9.556	8.820	90	90
4.	पश्चिमी उ० प्र०	9.539	9.567	179	177
5.	मध्य उ० प्र०	9.386	9.373	165	157
6.	पूर्वी उ० प्र०	9.477	9.470	142	145
7.	उत्तर बिहार	9.209	9.585	107	114
8.	दक्षिण बिहार	8.500	8.500	90	90
9.	दक्षिण गुजरात	11.794	12.085	180	180
10.	सौराष्ट्र	8.740	9.086	111	143
11.	मध्य प्रदेश	9.812	10.177	96	99
12.	दक्षिण महाराष्ट्र	11.246	11.239	177	180
13.	उत्तर महाराष्ट्र	10.401	10.784	144	161
14.	कर्नाटक	10.604	10.560	140	142
15.	आन्ध्र प्रदेश	10.091	10.181	114	121
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	9.976	9.538	180	180

क्रम सं०	क्षेत्र	अधिकतम वसूली		अवधि (दिन)	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
17.	आसाम, उड़िसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैंड	8.500	8.813	90	90
18.	केरल व गोआ	8.986	8.773	90	90

विवरण II

लेवी चीनी कीमत—1990-91 के निर्धारण के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न चीनी क्षेत्रों में लागू क्रय कर/बिक्री कर, गन्ना उपकर, सहकारी कमीशन आदि की दरें

क्र.	क्रय कर, उपकर आदि	
		प्रति क्विंटल गन्ने पर प्रभार
1.	पंजाब	रुपये 0.50
2.	हरियाणा	रुपये 1.50
3.	राजस्थान	गन्ना कीमत पर 2.5 प्रतिशत
4.	उत्तर प्रदेश	रुपये 1.75
5.	बिहार	1.00 रुपया जमा 1 प्रतिशत बाजार शुल्क, 8 प्रतिशत क्रय कर तथा प्रत्यक्ष क्रय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर। सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गए गन्ने पर कोई क्रय कर तथा अतिरिक्त कर नहीं। 10 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर पर 10 प्रतिशत टर्न ओवर कर।
6.	गुजरात	रुपये 2.40
7.	महाराष्ट्र	रुपये 2.20
8.	मध्य प्रदेश	क्रय कर 4.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क 1 प्रतिशत
9.	कर्नाटक	क्रय कर 8 प्रतिशत बिक्री कर 1.75 प्रतिशत
10.	आन्ध्र प्रदेश	रुपये 3.00 उपकर रुपये 0.28
11.	तमिलनाडु	मूल बिक्री कर 14 प्रतिशत, अतिरिक्त बिक्री कर 2.5 प्रतिशत, कर पर अधिभार 8 प्रतिशत (लागू दर 17.62) उपकर रुपये 0.50
12.	पांडिचेरी	गन्ना कीमत पर 15 प्रतिशत उपकर रु० 0.50
13.	केरल	गन्ना कीमत पर 6.25 प्रतिशत
14.	आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल व नागालैण्ड	शून्य
15.	गोआ	शून्य

क्रय कर, उपकर आदि —जारी

	प्रति क्विंटल गन्ने पर प्रभार —जारी
स. सहकारी समितियों का कमीशन	
1. पंजाब	सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये गन्ने पर 50 पैसे
2. हरियाणा	-वही-
3. उत्तर प्रदेश	रुपये 0.50 प्रति क्विंटल
4. बिहार	सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये गन्ने पर 15 पैसे
5. मध्य प्रदेश	8 पैसे

विवरण III

लेवी चीनी कीमत—1991-92 के निर्धारण के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न चीनी क्षेत्रों में लागू क्रय कर/बिक्री कर, गन्ना उपकर, सहकारी कमीशन आदि की दरें

क. क्रय कर, उपकर आदि	प्रति क्विंटल गन्ने पर प्रभार
1. पंजाब	रुपये 0.50
2. हरियाणा	रुपये 1.50
3. राजस्थान	गन्ना कीमत पर 2.5 प्रतिशत
4. उत्तर प्रदेश	रुपये 1.75
5. बिहार	1.00 रुपया जमा 1 प्रतिशत बाजार शुल्क, 8 प्रतिशत क्रय कर तथा प्रत्यक्ष क्रय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर। सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गए गन्ने पर कोई क्रय कर तथा अतिरिक्त कर नहीं। 10 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर पर 10 प्रतिशत टर्न ओवर कर।
6. गुजरात	रुपये 2.40
7. महाराष्ट्र	रुपये 2.20
8. मध्य प्रदेश	क्रय कर 4.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क 1 प्रतिशत
9. कर्नाटक	क्रय कर 8 प्रतिशत बिक्री कर 1.75 प्रतिशत
10. आन्ध्र प्रदेश	रुपये 3.00
11. तमिलनाडु	मूल बिक्री कर 14 प्रतिशत, अतिरिक्त बिक्री कर 2.5 प्रतिशत, कर पर अधिभार 15 प्रतिशत (लागू दर 18.6 प्रतिशत), उपकर रुपये 0.50

क. क्रय कर, उपकर आदि —जारी	
	प्रति क्विंटल गन्ने पर प्रभार —जारी
12. पांडिचेरी	गन्ना कीमत पर 15 प्रतिशत उपकर रु० 0.50
13. केरल	गन्ना कीमत पर 6.25 प्रतिशत
14. आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल व नागालैण्ड	शून्य
15. गोआ	शून्य
ख. सहकारी समितियों का कमीशन	
1. पंजाब	सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये गन्ने पर 50 पैसे
2. हरियाणा	-वही-
3. उत्तर प्रदेश	एस०एम०पी० पर 5 प्रतिशत
4. बिहार	सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये गन्ने पर 15 पैसे
5. मध्य प्रदेश	8 पैसे

विवरण IV

अनुसूची I

(खण्ड 2 देखें)

अनुसूची III में विनिर्दिष्ट फैक्ट्रियों के संबंध में रेलवे वैगनों में डिलीवरी के लिए आई० एस० एस० ग्रेड की चीनी की ग्रेडवार कीमतें (रुपये प्रति क्विंटल) (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) वर्ष 1990-91 के लिए

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई० एस० एस०) ग्रेड			
	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
आन्ध्र प्रदेश	542.45	541.45	541.30	540.45
आसाम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	603.64	602.64	602.49	601.64
बिहार (उत्तर)*	572.32	571.32	571.17	570.32
बिहार (दक्षिण)*	673.54	672.54	672.39	671.54
गुजरात (दक्षिण)	500.32	499.32	499.17	498.32
गुजरात (सौराष्ट्र)	522.21	521.21	521.06	520.21
हरियाणा	528.00	527.00	526.85	526.00
कर्नाटक	504.27	503.27	503.12	502.27
केरल व गोआ	620.87	619.87	619.72	618.87
मध्य प्रदेश	597.07	596.07	595.92	595.07

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
महाराष्ट्र (दक्षिण)	482.41	481.41	481.26	480.41
महाराष्ट्र (उत्तर)	528.59	527.59	527.44	526.59
पंजाब	526.43	525.43	525.28	524.43
राजस्थान	654.71	653.71	653.56	652.71
तमिलनाडु व पांडिचेरी	551.22	550.22	550.07	549.22
उत्तर प्रदेश (मध्य)	540.60	539.60	539.45	538.60
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	563.76	562.76	562.61	561.76
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	550.12	549.12	548.97	548.12

*उत्तर तथा दक्षिण बिहार क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी की कीमतें तय कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करती है । यदि बिहार के उक्त क्षेत्रों की फैक्टियों से कोई राशि वसूल की जानी है तो इसे संबंधित फैक्टियों द्वारा चीनी मूल्य समकरण निधि को वापस करना होगा ।

विवरण V
अनुसूची II

(खण्ड 2 देखें)

अनुसूची III में विनिर्दिष्ट फैक्टियों के संबंध में फैक्ट्री गेट/फैक्ट्री गोदाम पर क्रेताओं की गाड़ियों, लारियों या यातायात के अन्य साधनों में डिलीवरी के लिए आई०एस०एस० ग्रेडों की लेवी चीनी की ग्रेडवार कीमतें (रुपये प्रति क्विंटल) (उत्पाद शुल्क छोड़कर)

वर्ष 1990-91 के लिए

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
आन्ध्र प्रदेश	540.45	539.45	539.30	536.45
आसाम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	601.64	600.64	600.49	599.64
बिहार (उत्तर)*	570.32	569.32	569.17	568.32
बिहार (दक्षिण)*	671.54	670.54	670.39	669.54
गुजरात (दक्षिण)	498.32	497.32	497.17	496.32
गुजरात (सौराष्ट्र)	520.21	519.21	519.06	518.21
हरियाणा	526.00	525.00	524.85	524.00
कर्नाटक	502.27	501.27	501.12	500.27
केरल व गोआ	618.87	617.87	617.72	616.87
मध्य प्रदेश	595.07	594.07	593.92	593.07
महाराष्ट्र (दक्षिण)	480.41	479.41	479.26	478.41

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
महाराष्ट्र (उत्तर)	526.59	525.59	525.44	524.59
पंजाब	524.43	523.43	523.28	522.43
राजस्थान	652.71	651.71	651.56	650.71
तमिलनाडु व पांडिचेरी	549.22	548.22	548.07	547.22
उत्तर प्रदेश (मध्य)	538.60	537.60	537.45	536.60
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	561.76	560.76	560.61	559.76
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	548.12	547.12	546.97	546.12

*उत्तर तथा दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी की कीमतें क्रय कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करती हैं । यदि बिहार के उक्त क्षेत्रों की फैक्टरियों से कोई राशि वसूल की जानी है तो इसे संबंधित फैक्टरियों द्वारा चीनी मूल्य समकरण निधि को वापस करना होगा ।

विवरण VI

अनुसूची I

(खण्ड 2 देखें)

अनुसूची III में विनिर्दिष्ट फैक्टरियों के संबंध में रेलवे वैगनों में डिलीवरी के लिए आई०एस०एस० ग्रेड की चीनी की ग्रेडवार कीमतें (रुपये प्रति क्विंटल) (उत्पाद शुल्क छोड़कर)

वर्ष 1991-92 के लिए

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
आन्ध्र प्रदेश	588.29	587.29	587.14	586.29
आसाम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	672.09	671.09	670.94	670.09
बिहार (उत्तर)*	636.92	635.92	635.77	634.92
बिहार (दक्षिण)*	734.27	733.27	733.12	732.27
गुजरात (दक्षिण)	563.49	562.49	562.34	561.49
गुजरात (सौराष्ट्र)	582.13	581.13	580.98	580.13
हरियाणा	572.23	571.23	571.08	570.23
कर्नाटक	559.31	558.31	558.16	557.31
केरल व गोआ	668.33	667.33	667.18	666.33
मध्य प्रदेश	649.54	648.54	648.39	647.54

	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
क्षेत्र	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
महाराष्ट्र (दक्षिण)	535.28	534.28	534.13	533.28
महाराष्ट्र (उत्तर)	582.07	581.07	580.92	580.07
पंजाब	587.92	586.92	586.77	585.92
राजस्थान	703.44	702.44	702.29	701.44
तमिलनाडु व पांडिचेरी	605.86	604.86	604.71	603.86
उत्तर प्रदेश (मध्य)	607.03	606.03	605.88	605.03
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	630.83	629.83	629.68	628.83
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	613.07	612.07	611.92	611.07

*उत्तर तथा दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी की कीमतें क्रय कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करती हैं। यदि बिहार के उक्त क्षेत्रों की फैक्टियों से कोई राशि वसूल की जानी हो तो इसे संबंधित फैक्टियों द्वारा चीनी मूल्य समकरण निधि को वापस करना होगा।

विवरण VII

अनुसूची I

(खण्ड 2 देखें)

अनुसूची III में विनिर्दिष्ट फैक्ट्रियों के संबंध में फैक्ट्री गेट/फैक्ट्री गोदाम पर क्रेताओं की गाड़ियों, लारियों या यातायात के अन्य साधनों में डिलीवरी के लिए आई० एस० एस० ग्रेडों की लेवी चीनी की ग्रेडवार कीमतें (रुपये प्रति क्विंटल) (उत्पाद शुल्क छोड़कर)

वर्ष 1991-92 के लिए

	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई०एस०एस०) ग्रेड			
क्षेत्र	एल-30 एम-30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
आन्ध्र प्रदेश	586.29	585.29	585.14	584.29
आसम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	670.09	669.09	668.94	668.09
बिहार (उत्तर)*	634.92	633.92	633.77	632.92
बिहार (दक्षिण)*	732.27	731.27	731.12	730.27
गुजरात (दक्षिण)	561.49	560.49	560.34	559.49
गुजरात (सौराष्ट्र)	580.13	579.13	578.98	578.13
हरियाणा	570.23	569.23	569.08	568.23
कर्नाटक	557.31	556.31	556.16	555.31
केरल व गोआ	666.33	665.33	665.18	664.33

क्षेत्र	चीनी के भारतीय चीनी मानक (आई० एस० एस०)ग्रेड			
	एल-30 एम -30	एल-29 एम-29	एस-30	एस-29
मध्य प्रदेश	647.54	646.54	646.39	645.54
महाराष्ट्र (दक्षिण)	533.28	532.28	532.13	531.28
महाराष्ट्र (उत्तर)	580.07	579.07	578.92	578.07
पंजाब	585.92	584.92	584.77	583.92
राजस्थान	701.44	700.44	700.29	699.44
तमिलनाडु व पांडिचेरी	603.86	602.86	602.71	601.86
उत्तर प्रदेश (मध्य)	605.03	604.03	603.88	603.03
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	628.83	627.83	627.68	626.83
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	611.07	610.07	609.92	609.07

*उत्तर तथा दक्षिण बिहार क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी की कीमतें क्रय कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करती हैं । यदि बिहार के उक्त क्षेत्रों की फैक्टियों से कोई राशि वसूल की जानी हो तो इसे संबंधित फैक्टियों द्वारा चीनी मूल्य समकरण निधि को वापस करना होगा ।

[हिन्दी] **होलिस्टिक मेडीकल साइंस को प्रोत्साहन देना**

8949. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होलिस्टिक मेडीकल साइंस को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयुर्वेद और आधुनिक औषधियों पर संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आयुर्वेद-भारद्वाज संहिता पर आधारित हर्बल की कैमिस्ट्री पर अनुसंधान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) होमियोपैथी में अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षा और भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनेक स्कीमें तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध बुनियादी रूप से आधुनिक चिकित्सा में अनुसंधान कार्य से है । तथापि, संस्थान में प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से जड़ी-बूटी भेषज गुण विज्ञान, जड़ी-बूटी रसायन विज्ञान और जड़ी-बूटी उपचारों के क्लिनिकल मूल्यांकन के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं ।

[अनुवाद]

खाद्यान्न ढोने वाली गाड़ियों का लूटा जाना

8950. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न ढोने वाली कितनी गाड़ियां लूटी गईं; और

(ख) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खाद्यान्न ढोने वाली गाड़ियों में 1990 में लूटपाट के 2 और 1991 में तीन मामलों की ही रिपोर्ट मिली है।

(ख) खाद्यान्न की ढुलाई करने वाली गाड़ियों में लूटपाट रोकने के लिए, यथासंभव रे० सु० ब० के मार्गनिर्देशों की व्यवस्था की जाती है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर मुकदमा चलाना

8951. श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया, मुम्बई में प्रकाशित "प्रोसिक्यूशन आफ आइ० एफ० एस० आफिसर्स एक्सकर्ड" समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इन अधिकारियों पर उनके कथित सिन्टेक्स टैक स्कैंडल में लिप्त होने के लिए मुकदमा चलाने के लिए अनुमति सरकार के विचाराधीन थी और यह अनुमति कब दी गई; और

(घ) अनुमति देने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमालय प्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा के 17 अधिकारियों, जो तथाकथित रूप से उच्च घनत्व वाली पोलीथीन की जल भण्डारण टंकियों (सिन्टेक्स टंकियों) की अनियमित खरीद में शामिल थे, के विरुध्य मुकदमा चलाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मांगी थी। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस बारे में और अधिक ब्यौरा इस समय नहीं दिया जा सकता है। मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने के बारे में अलग-अलग प्रस्ताव मई/जून, 1990 में प्राप्त हुए और उनके साथ आवश्यक दस्तावेज आदि नहीं लगे थे। इस मामले की विस्तृत जांच की जानी थी, जिसके लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को बार-बार लिखना पड़ा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह लेने के लिए इस मामले को उन्हें भी भिजवाना था। 17 अधिकारियों में से, 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के उपबंधों के तहत मंजूरी जारी करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई। शेष अधिकारियों में से, 11 अधिकारियों के संबंध में 29-10-1991 को मंजूरी जारी की गई है और तीन अधिकारियों का मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

भारतीय भाषाओं का विकास

8952. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय भाषाओं के विकास का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ नियत की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में कोई भौतिक/वित्तीय लक्ष्य बताना संभव नहीं है।

डी०एम०/एम० सी० एच० पाठ्यक्रम

8953. **श्री केशरी लाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन संस्थानों के नाम क्या हैं जहां पर डाक्टेट इन मेडिसिन (डी० एम० /मास्टर आफ चिरुजुरी (एम० सी० एच०) पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाता है :

(ख) उन संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश हेतु कितने स्थान आरक्षित किए जाते है ;

(ग) क्या उन आरक्षित रिक्तियों को गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष भरा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस बारे में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रिकार्डों के अनुसार विभिन्न अति विशिष्टताओं में डी० एम०/एम० सी० एच० पाठ्यक्रमों को चलाने वाली चिकित्सीय संस्थाओं की एक सूची ' विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) डी० एम० और एम० सी० एच० पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली केन्द्रीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7.5% सीटें आरक्षित करें।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीटों को भरने से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

	वर्ष	कुल सीटें	भरी गई सीटों की वास्तविक संख्या	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान	1989	23	3(13%)	1(4.3%)
संस्थान, नई दिल्ली	1990	25	4(16%)	—

	वर्ष	कुल सीटें	भरी गई सीटों की वास्तविक संख्या	
स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़	1989	29	4(13.7%)	3(10.3%)
	1990	17	5(29%)	—
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलूर	1989	9	1(11%)	1(11.1%)

(ड.) भारत सरकार आयुर्विज्ञान शिक्षा में सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करने के लिए समय-समय अनुदेश जारी करती आ रही है।

विवरण

1. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद
2. पटना मेडिकल कालेज, पटना
3. आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली
4. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली से संबद्ध जी० बी० पन्त अस्पताल
5. मेडिकल कालेज, बड़ौदा
6. शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर
7. पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, चण्डीगढ़
8. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज, बंगलौर
9. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
10. ग्रान्ट मेडिकल कालेज, बम्बई
11. सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई
12. टी० एन० मेडिकल कालेज, बम्बई
13. एल० टी० एम० मेडिकल कालेज, सायन, बम्बई
14. बी० जे० मेडिकल कालेज, पुणे
15. आर्मड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पुणे
16. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक
17. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला
18. जवाहर इंस्टिट्यूट आफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन और रिसर्च, पांडेचरी
19. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना
20. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर
21. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास
22. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेलौर
23. स्टैनले मेडिकल कालेज, मद्रास
24. मदुरै मेडिकल कालेज, मदुराई
25. किलपाक मेडिकल कालेज, मद्रास
26. इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी
27. जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर
28. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ
29. मेडिकल कालेज, कलकत्ता
30. इंस्टिट्यूट आफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कलकत्ता

विवरण—जारी

31. निजाम इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद
32. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
33. श्री चित्रा तिरुनेल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसेज आई टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम
34. किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर
35. कैंसर इंस्टिट्यूट, अडयार, मद्रास
36. एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ

परिवार कल्याण केन्द्र

8954. **श्री जितेन्द्रनाथ दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं; और

(ख) 1991-92 के दौरान कितने लोगों ने परिवार कल्याण आपरेशन कराया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंथेटिक इन्सुलिन का उत्पादन

8955. **श्री जी० देवराजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मधुमेह से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या आनुवंशिक रूप से या किसी अन्य तरीके से तैयार किए जीवाणुओं द्वारा सिंथेटिक इन्सुलिन अथवा सूअर अग्राशय इन्सुलिन अथवा कोई अन्य नए विकल्प तैयार किए गए हैं;

(ग) इन्सुलिन के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है और इससे वास्तव में कितने रोगियों का इलाज किया जा सकता है;

(घ) क्या इस संबंध में आयुर्वेद अथवा एलोपैथी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा भी अनुसंधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अनुमान है कि भारत में मधुमेह के लगभग एक करोड़ रोगी हैं।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क जैसे देशों में आनुवंशिकी रूप से तैयार किए गए जीवाणुओं की सहायता से मानव इन्सुलिन तैयार की जा रही है। भारत में रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नालॉजी बेस्ड इन्सुलिन बायो-सिंथेटिक विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) इस बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा मधुमेह में कुछ आयुर्वेदिक और सिद्ध मिश्रणों पर नैदानिक परीक्षण किए गए हैं।

नई इन्सुलिन तैयार करने, इन्सुलिन प्रदान किए जाने के लिए नई प्रणाली और इन्सुलिन की क्रियाविधि और कोशिकीय स्तर पर इन्सुलिन अभिग्राहकों के साथ इसकी पारस्परिक क्रिया के बारे में प्रमुख अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सूरत-बदरौली सैक्शन पर रेल दुर्घटना

8956. श्री नारायणभाई जमनाभाई राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-बदरौली सैक्शन पर 13 मार्च, 1992 को कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए;

(घ) दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ङ) सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल का निर्यात

8957. डा० बसंत पवार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) विगत वर्ष के दौरान चावल की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यात के कारण देश में चावल की कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में चावल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1990-91 में कुल 176.23 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 1991-92 के दौरान निम्नानुसार चावल का निर्यात किया गया था :—

(मात्र लाख मीटरी टन में)

(अनन्तिम)

बासमती चावल	2.35
गैर-बासमती चावल	5.25

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल

8958. श्री रामकृष्ण कोंसाला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ऐसे सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्या है जिनमें मार्च-अप्रैल, 1991 के दौरान आयोजित 12वीं श्रेणी की परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ;

(ख) इन स्कूलों में शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन समय-समय पर इन स्कूलों का निरीक्षण करता है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्कूलों में निरीक्षण के बावजूद छात्रों के फेल होने के क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से सूचित किया है कि 536 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में से केवल एक स्कूल ने शून्य प्रतिशत परीक्षा-परिणाम दर्शाया है। दिल्ली प्रशासन ने घटिया परीक्षा-परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, छात्रों का सुधारात्मक शिक्षण, रिक्त पदों को समय से भरा जाना, अध्ययन केन्द्र योजना, गणित और विज्ञान के शिक्षण में सुधार करना, अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देना और घटिया निष्पादन को रोकना, इत्यादि शामिल हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि स्कूलों का आवधिक आधार पर निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे परियोजनाओं के लिये प्रस्ताव

8959. श्री राम टहल चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गये नयी रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ प्रस्ताव अलाभप्रद पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य द्वारा भेजे गये प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग)

प्रस्ताव का ब्यौरा	लागत	की गई कार्रवाई
1	2	3
1. मुज़फ़्फ़रपुर-नरकटियागंज मी० ला० का ब० ला० में बदलाव	87.20 करोड़ रुपये (सगौली-रक्सौल शाखा लाइन के बदलाव सहित)	87.20 करोड़ रुपये की लागत से 1992-93 में मुज़फ़्फ़रपुर-नरकटियागंज और सगौली-रक्सौल लाइनों के आमान परिवर्तन को स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के लिए 1992-93 में 20 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।
2. डेहरी आन सोन-पिपराडीह मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव और इसका भावनाथपुर तक विस्तार	199.92 करोड़ रुपये	परियोजना को लाभप्रद नहीं पाया गया है इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया।
3. मैरवा-मुज़फ़्फ़रपुर-कटिहार-बारसोई खंड का विद्युतीकरण लखनऊ-गुवाहाटी विद्युतीकरण के भाग के रूप में है	आकलित नहीं की गयी है	यातायात घनत्व बहुत कम है इसलिए परियोजना अलाभप्रद है और इसे शुरू नहीं किया गया।
4. मोकामा-क्यूल-भागलपुर-विक्रमशिला खंड का विद्युतीकरण	आकलित नहीं की गयी है	मोकामा-क्यूल खंड के विद्युतीकरण को 1992-93 में मुगलसराय-झाझा-सीतारामपुर विद्युतीकरण के भाग के रूप में स्वीकृति दी गयी है।
5. मुज़फ़्फ़रपुर-नरकटियागंज विद्युतीकरण	आकलित नहीं की गयी है	यातायात का घनत्व बहुत कम होने के कारण परियोजना को लाभप्रद नहीं पाया गया और इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया।
6. नरकटियागंज-सीतामढ़ी-दरभंगा-समस्तीपुर खंड का विद्युतीकरण	आकलित नहीं की गयी है	यातायात का घनत्व बहुत कम होने के कारण परियोजना को लाभप्रद नहीं पाया गया और इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया।

प्रस्ताव का ब्यौरा	लागत	की गई कार्रवाई
1	2	3
7. मुगलसराय-पटना-मोकामा-चित्तरंजन खंड का विद्युतीकरण मुगलसराय-हवड़ा-पुरी के विद्युतीकरण के भाग के रूप में है	240.40 करोड़ रुपये	240.40 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। 4.75 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और 1992-93 के लिए 15.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

समुद्री पुरातत्व संरक्षण हेतु कानून बनाना

*8960. **श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री पुरातत्व के बारे में देश के हित की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या समुद्र में द्वारका की तरह कुछ अन्य महत्वपूर्ण अथवा ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के एक टापू के निकट और कावेरी पट्टनम, तमिलनाडु के पास समुद्र में विनष्ट जहाज के अवशेषों और पुरावस्तुओं, विशेष रूप से प्राचीन मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है।

कटाई के दौरान धूलकण और सूक्ष्म वनस्पतियों के कारण प्रदूषण

8961. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटाई के दौरान धूलकण और सूक्ष्म वनस्पतियों के कारण होने वाले प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या गेहूं के भूसे, चावल की भूसी और पुराल आदि कृषि अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई बड़ी वैज्ञानिक योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) इन कृषि अवशेषों का प्रयोग बायलर फ़यूल के रूप में किया जाता है । जहां उत्सर्जनों का प्रयोग होता है वहां उनके लिए मानक निर्धारित कर दिए गए हैं और उद्योगों से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है ।

उर्दू को प्रोत्साहन

8962. **श्री पी० सी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

देश में उर्दू भाषा की प्रोन्नति करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

1. मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का गठन किया गया है । यह बोर्ड उर्दू भाषा के प्रवर्धन और विकास से सम्बद्ध सभी मामलों में सरकार को सलाह देता है ।

2. उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो का गठन शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किया गया है ताकि यह तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सचिवालय के रूप में उर्दू भाषा की प्रोन्नति और विकास से सम्बद्ध मामलों पर सरकार को अपेक्षित सलाह दे ।

3. उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(i) अब तक ब्यूरो ने उर्दू में 600 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

(ii) देश के विभिन्न भागों में 39 उर्दू सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।

(iii) उर्दू भाषा के लिए प्रकाशन और अन्य प्रसार संबंधी कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं । इसमें स्वैच्छिक संगठनों के ज़रिए उर्दू भाषा के शिक्षण के लिए प्रावधान शामिल है ।

(iv) विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन संस्थानों में तृतीय स्तर पर उर्दू शिक्षण के लिए सुविधाएं देना ।

4. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कार्य की प्रमुख विशेषताएं ये हैं ।

5. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।**

शिक्षा विभाग

(क) जरूरत को पूरा करने के लिए, उर्दू शिक्षकों द्वारा शोध कार्य करने और प्रशिक्षण की प्रोन्नति के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के तत्वावधान में सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ।

(ख) संस्थान ने गैर-उर्दू भाषी स्कूली बच्चों को उर्दू पढ़ाने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को नकद प्रोत्साहन देने की योजनाएं आरंभ की हैं ।

(ग) यह गैर-उर्दू मातृभाषी लेखकों को उर्दू में लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना का भी अनुश्रवण करता है ।

(घ) संस्थान ने उर्दू गहन पाठ्यक्रम, उर्दू पाठ्यक्रम सामग्री तथा उर्दू स्वनिक पाठमाला प्रकाशित की है ।

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा I से XII तक उर्दू शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विशा निर्देश और पाठ्यचर्या तैयार किए हैं । कुछ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । रा० शै० अ० और प्र० परिषद अपनी तैयार की हुई पुस्तकों के अनुवाद भी निकालती है ।

(च) इसने उर्दू में अनुपूरक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं जिनमें कुछ मूल रूप से उर्दू में हैं और अन्य अनुवाद हैं ।

(छ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भी उर्दू सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है ।

(ज) पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग विदेशों में और विशेष रूप से अरब देशों में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में उर्दू पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहा है ।

संस्कृति विभाग

साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा और साहित्य की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए हैं :—

(i) साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं में, उर्दू भी एक है जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं ।

(ii) प्रत्येक वर्ष सृजनात्मक लेखन और अनुवाद के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं ।

(iii) उर्दू लेखकों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं ।

(iv) उर्दू में मूल मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त, साहित्य अकादमी अन्य भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के उर्दू अनुवाद निकालती है।

पुरस्कृत पुस्तकों के अनुवाद भी उर्दू में प्रकाशित किए जाते हैं।

(v) अनुवाद कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें कार्यरत अनुवादक भाग लेते हैं।

(vi) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, स्वैच्छिक एजेंसियों और उर्दू पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता एवं व्यावसायिक परामर्श प्रदान करता है। उर्दू लेखकों सहित रचनात्मक एवं प्रतिष्ठित लेखकों को सेवामुक्त फैलोशिप प्रदान की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्व० अ० आ० पहले से ही क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर प्रौढ़ और सतत शिक्षा की एक योजना चला रहा है जिसमें उर्दू सहित स्थानीय भाषा में साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

वि० अ० आ०, साहित्य एवं भाषा में अनुसंधान की प्रोन्नति और विकास के लिए विश्वविद्यालयों में उर्दू के चुनिन्दा विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसने इस कार्य के लिए काश्मीर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय में उर्दू विभागों का पता लगाया है। इस योजना के अन्तर्गत संकाय सदस्यों की नियुक्ति, संकाय सदस्यों की पदोन्नति, सेमिनार/संगोष्ठी, अनुसंधान फैलोशिप और पुस्तकों इत्यादि के लिए खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

6. **रेल मंत्रालय**

उर्दू भाषी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के नाम उर्दू में लिखे गए हैं।

7. **सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

(i) लखनऊ और पटना स्टेशनों से उर्दू में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों का प्रसारण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ii) जालन्धर के ट्रांसमीटर पर आकाशवाणी की उर्दू सेवा प्रसारित की जाती है और इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में उर्दू के कार्यक्रमों को सुना जा सकता है।

(iii) आकाशवाणी ने राष्ट्रीय चैनल प्रारम्भ किया है और इसमें एक 25 मिनट के उर्दू कार्यक्रम के प्रसारण का प्रावधान रखा गया है।

(iv) एस० आई० यू० के मानदंडों के अनुसार जहां अनुमत्य हो, उर्दू जानने वाले कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जाता है।

(v) नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उर्दू नाटक भी शामिल किए जाते हैं।

(vi) आकाशवाणी के स्टेशनों पर उन महत्वपूर्ण मुशायरों का भी प्रसारण किया जाता है जिनमें जाने माने उर्दू शायर भाग लेते हैं।

(vii) पत्र सूचना कार्यालय ने अपने मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में उर्दू एकक की स्थापना की है जो उर्दू समाचार पत्रों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में उर्दू

में सूचना प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के महत्वपूर्ण भाषणों, वक्तव्यों और संदेशों को भी उर्दू में जारी किया जाता है। केन्द्रीय आम बजट और रेल बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण आदि के प्रेस सारांश उर्दू में भी जारी किए जाते हैं।

(viii) प्रकाशन प्रभाग, 'आजकल' और 'योजना' नामक दो उर्दू पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है।

(ix) जो फिल्में बनाई जाती हैं उनमें वे विषय भी होते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उर्दू भाषा से संबंधित होते हैं।

(x) संघ लोक सेवा आयोग और अन्य नियुक्ति विज्ञापनों तथा घोषणाओं एवं अधिसूचनाओं के लिए कई उर्दू समाचार पत्रों का उपयोग किया जाता है।

8. **गृह मंत्रालय**

जम्मू एवं काश्मीर, दिल्ली जैसे उर्दू भाषी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले जनगणना संबंधी फार्म तथा अन्य आंकड़े उर्दू में छापे गए हैं।

9. **विधि मंत्रालय**

भारत के संविधान का उर्दू रूपान्तर जम्मू एवं काश्मीर सरकार के सहयोग से निकाला गया है। 222 केन्द्रीय अधिनियमों का उर्दू में अनुवाद किया जा चुका है जिसमें से 204 का विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड के कार्य दल द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।

10. **चुनाव आयोग**

इस समय मतदाता सूचियां तैयार करने में उर्दू का प्रयोग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ चुनाव क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

स्कूल पूर्व बाल शिक्षा कार्यक्रम

8963. **श्री विश्वनाथ शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री के बारे में 24 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल पूर्व बाल शिक्षा कार्यक्रम की वीडियो टेपों को दूरदर्शन पर दिखाने के बाद उन्हें स्कूलों को निःशुल्क देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय आयोग किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि

8964. **श्री जगमीत सिंह बराड़**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गत एक वर्ष के दौरान खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1991 में गेहूं और चावल का पृथक्-पृथक् कितना निर्यात किया गया ; और

(घ) इस निर्यात से देश ने पिछले वर्षों की तुलना में कितनी अतिरिक्त धनराशि अर्जित की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण गगोई) : (क) और (ख) गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान वृद्धि का रूख देखा गया है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कंसास एक्सचेंज में कोट किए गए मूल्यों से पता चलता है । लगभग 14 प्रतिशत प्रोटीन तत्व के साथ हार्ड रेड विन्टर किस्म के गेहूं का मूल्य जनवरी, 1991 में लगभग 97 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन था । यह मूल्य जनवरी, 1992 में लगभग 170 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और उसके बाद अप्रैल, 1992 के अन्त में यह मूल्य लगभग 137 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन के स्तर पर पहुंच गया ।

(ग) और (घ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान गेहूं और चावल का निम्नानुसार निर्यात किया गया है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)
(करोड़ रुपयों में)

जिन्स	1990-91		1991-92 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल	5.6	475.89	7.6	743.40
गेहूं	2.0	38.51	7.0	185.00

कोंकण रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिये क्षतिपूर्ति

8965. **श्री गोविंदराव निकम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे द्वारा अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति किसानों को अभी तक नहीं की गई है ;

(ख) थाणे, रत्नागिरि, रायगढ़, सिंधुदुर्ग जिलों के कितने किसानों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गयी है ; और

(ग) उन्हें क्षतिपूर्ति कब तक देने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जहां कहीं राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, मुआवजें का भुगतान कर दिया गया है ।

(ख) जिले-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i)	रायगढ़ जिला	— 3583
(ii)	रत्नागिरि जिला	— 5691
(iii)	सिंधुदुर्ग जिला	— 5640

थाणें जिला कोंकण रेलवे के संरेखण पर नहीं पड़ता ।

(ग) भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा निर्णय ले लिए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा । विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।

[अनुवाद]

नशीली औषधियों का निर्माण

8966. **श्री आनन्द अडिरवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1992 के "संडे टाइम्स" में "नशीली गोलियां बनाकर वो कमा रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है : और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमति डी० के० सारादेवी सिद्धार्थी) : (क) और (ख) जी हां । यह समाचार गुजरात और महाराष्ट्र में डोवर्स पाउडर गोलियां, आई० पी० का विनिर्माण करने से संबंधित है । इस औषध को दिल्ली और पंजाब में बेचे जाने तथा इसका नशे के लिए दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है क्योंकि इसमें एक घटक के रूप में अफीम शामिल है ।

(ग) और (घ) गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई थी जिन्होंने विनिर्माताओं से कहा है कि वे उनके राज्यों में डोवर्स पाउडर गोलियों, आई० पी० का उत्पादन बंद करें ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेलवे पास

8967. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेलवे निःशुल्क रेलवे पास जारी करती है ;

(ख) यदि हां, तो जारी वर्ष 1991 के दौरान और 1992 में अब तक, अलग-अलग ऐसे कितने पास जारी किए गए :

(ग) क्या इन पासों के माध्यम से भूतपूर्व संसद सदस्य अपने परिवार के साथ प्रथम श्रेणी में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं तथा उनके लिये इन पासों का नवीकरण कराना आवश्यक नहीं होता :

(घ) क्या इन पासों को जारी करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मानार्थ पास पात्र भूतपूर्व संसद सदस्यों को जारी किये जा रहे हैं ।

(ख) 1991 में जारी किये गये पासों की संख्या—कुछ नहीं
1992 में जारी किये गये पासों की संख्या (30-4-1992 तक)—325

(ग) पात्र भूतपूर्व संसद सदस्य मानार्थ पासों से दूसरे दर्जे में एक परिचर के साथ पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान में भारतीय रेलों पर किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा कर सकते हैं । ये पास एक समय में एक वर्ष के लिए वैध होते हैं ।

(घ) और (ङ) केवल उन्हीं भूतपूर्व संसद सदस्यों को मानार्थ पास जारी किये जा रहे हैं जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय से पेंशन पाने के पात्र हैं ।
[हिन्दी]

गुजरात में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

8968. श्री महेश कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सभी जिलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू नहीं किया जा रहा है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है :

(ग) इस संबंध में पिछले वर्ष के दौरान गुजरात हेतु जिलावार क्या लक्ष्य रखा गया और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई : और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान किस सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति की गयी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) गुजरात के सभी जिलों में 30-9-1986 तक के मौजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का विचार है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्षवार तथा जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते इस योजना की चरण व्यवस्था राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की गति तथा क्षमता पर निर्भर करती है । अब तक 1987-88 तथा 1989-90 के दो चरणों में गुजरात राज्य के सभी जिलों के अन्तर्गत आने वाले 5214 स्कूलों को शामिल करते हुए संस्वीकृति प्रदान की गई है । रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन तथा निधियों का उपयोग निम्नानुसार है :—

(i) उपकरण

संस्वीकृति धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
391.53 लाख रुपए	385.98 लाख रुपए (98.58%)

(ii) शिक्षक

संस्वीकृति पदों की संख्या	नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या
2374	2374 (शत प्रतिशत)

(iii) निर्माण

निर्माण किए जाने वाले अपेक्षित कक्षा/कक्षों की संख्या	निर्मित कक्षा/कक्षों की संख्या
4809	1168 (24.28%)

[अनुवाद]

कश्मीर घाटी में स्मारक

8969. **श्री गुरूदास कामत :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर घाटी के स्मारकों का उचित रख-रखाव नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है :

(ग) क्या इस राज्य में खुदाई कार्य शुरू किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर राज्य के बुर्जहोन, हर्वान, अम्बरान, मंडा, सेमथान, गुफकराल और थिस्सेए नामक स्थानों में पुरातत्व संबंधी उत्खनन-कार्य किए गए हैं ।

इन उत्खनन-कार्यों से नवपाषण-कालीन, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक अवशेष, पुरावस्तुएं और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्र और अध्यापक

8970. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के शैक्षिक सत्र के दौरान केन्द्रीय स्कूल प्रणाली के अन्तर्गत स्कूलों, अध्यापकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या और नामांकन क्षमता कितनी-कितनी थी :

(ख) उक्त शैक्षिक सत्र के दौरान वास्तविक रूप से कुल कितने अध्यापक सेवारत थे और कितने छात्र नामांकित थे :

(ग) उक्त शैक्षिक सत्र के दौरान एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कितने अध्यापकों को स्थानान्तरित किया गया : और

(घ) क्या ये स्थानान्तरण निर्धारित नीति के अनुरूप किए गए अथवा तदर्थ आधार पर ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 30-4-1991 की यथास्थिति के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :—

(i) स्कूलों की संख्या	—	744
(ii) संस्वीकृत शैक्षिक पदों की संख्या	—	29,486
(iii) छात्रों का कुल नामांकन	—	600197
(ख) 30-4-1991 की यथास्थिति के अनुसार नियुक्त शिक्षकों की संख्या	—	24,227

(ग) और (घ) 30-4-1992 की यथा स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी किए गए स्थानांतरणों की संख्या निम्नलिखित है :—

(i) स्नातकोत्तर शिक्षक	—	199
(ii) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	—	393
(iii) प्राइमरी शिक्षक	—	320
(iv) विविध श्रेणी के शिक्षक	—	152

ये स्थानांतरण मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुरूप हैं ।

[अनुवाद]

लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना

8971. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दक्षेस" सम्मेलन में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना आरंभ करने हेतु विभिन्न देशों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्राथमिकता क्षेत्रों में कौन-कौन से देशों को शामिल किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

लंबित पड़े चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल

8972. **श्री मोहन सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भुगतान के लिए तीन महीने से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हुए है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार द्वारा इन लंबित बिलों को शीघ्र निपटाने और चिकित्सा व्यय की निर्धारित अवधि में प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हाँ ।

(ख) लंबित पड़े हुए 1179 मामलों में से 788 मामलों पर कार्रवाई हो रही है और 391 मामलों पर अभी कार्रवाई की जानी है ।

(ग) बकाया कार्य को निपटाने के लिए छः अतिरिक्त सहायकों एवं दो चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है । चिकित्सीय दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए, 1 अप्रैल, 1992 से चिकित्सीय दावों के निपटान की शक्तियां सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं ।

राष्ट्रीय वन आयोग

8973. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वनों के विकास के लिए राष्ट्रीय वन आयोग गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार वनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय वन कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय किया है । इस कार्यक्रम के तहत, 25 वर्षों के लिए एक भावी योजना तथा अल्पावधि कार्य योजनाएं तैयार की जायेंगी, जिनमें राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी होगी ।

नेशनल बुक ट्रस्ट के क्षेत्रीय कार्यालय

8974. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए मुम्बई, कलकत्ता और बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी/उर्दू आदि प्रोत्साहन हेतु चंडीगढ़, जम्मू और शिमला में ऐसे ही क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपने प्रकाशनों की प्रोन्नति और पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप शुरू करने के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश सहित समूचे उत्तरी क्षेत्र की देखभाल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्यालय द्वारा की जाती है जो नई दिल्ली में स्थित है ।

पारिस्थितिकी कृतिक बल

8975. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों पर आधारित एक पारिस्थितिकी कृतिक बल गठित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) एक पारि-कृत्यक बल बनाने के बारे में एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था । आठवीं योजना अवधि में धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

जम्मू-तावी और नवजीवन एक्सप्रेस रेल सेवा का विस्तार

8976. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-तावी और नवजीवन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हापा और राजकोट तक चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तिकार्जुन) : (क) से (ग) सप्ताह में दो दिन चलने वाली 2981/2982 जम्मू-तावी-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस को जुलाई, 92 से सप्ताह में एक दिन राजकोट से/तक चलाया जाएगा । परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल 2641/2642 मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को हापा/राजकोट से/तक तथा 2981/2982 जम्मू-तावी-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस को हापा से/तक चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

[हिन्दी]

समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8977. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पुन: शुरू करने का विनिश्चय किया गया है और इसके लिए प्रारंभिक कार्य 1992-93 में शुरू किये जायेंगे । बहरहाल, गाड़ी सेवाओं को कम से कम त्रस्त-व्यस्त करने और यात्री जनता की असुविधा में कमी लाने की आवश्यकता को देखते हुए मुजफ्फरपुर-रक्सौल लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिए जाने, जिसे 92-93 के बजट में शामिल किया गया है, के बाद ही वास्तव में इस मीटर लाइन का आमान परिवर्तन करना संभव होगा ।

[अनुवाद]

पर्यावरण के संबंध में बैठक

8978. **श्री नवल किशोर राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को दिल्ली में पर्यावरण के संबंध में सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों की एक बैठक हुई थी :

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में मुख्य रूप से क्या सिफारिशें की गईं :

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या सरकार को पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों से इस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस मंत्रालय को 21 अप्रैल, 1992 को दिल्ली में आयोजित इस तरह की किसी बैठक के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा के लिए प्रति व्यक्ति राशि

8979. **श्री अम्मा जोशी**
श्री चेतन पी० एस० चौहान } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय किये जाने का विचार है ;

(ख) क्या इस योजना अवधि में उन राज्यों को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है जहां पर साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्याशित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध नहीं है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को भेजे गए विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर कुल साक्षरता अभियानों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है ।

अंकों में वृद्धि करने संबंधी घोटाला

8980. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री चेतन पी० एस० चौहान
श्री गुरुदास कामत } क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सैकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में अंक बढ़ाने संबंधी घोटाले का हाल ही में पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सी० से० स्कूल परीक्षा, 1992 के जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में एक संशोधनकर्ता और एक परीक्षक द्वारा पैसे के लिए अंकों में वृद्धि/परिवर्तन से संबंधित उनकी तथाकथित भूमिका के संबंध में 15-4-92 को टाइम्स आफ इंडिया (बंबई संस्करण) में प्रकाशित समाचार पर सरकार का ध्यान गया है ।

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार उपर्युक्त बोर्ड द्वारा तुरंत जांच-पड़ताल की गई । उपर्युक्त संशोधनकर्ता और परीक्षक द्वारा जांची गई/अंक संशोधित किए गए, सभी उत्तर-पुस्तिकाओं की फिर से जांच की गई । प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर स्कूल के प्रबंधक को, जहां संबंधित संशोधनकर्ता और परीक्षक नियुक्त हैं, इन दोनों को निलंबित करने की सलाह दी गई है ।

विकलांग बच्चों को शिक्षा

8981. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना की प्रगति सन्तोषजनक रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे किस प्रकार से कारगर बनाया जाएगा ;

(घ) किन-किन राज्यों से इस योजना के कार्यान्वयन और इसके लिए वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान जारी की गई धनराशि के उपयोग संबंधी रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं; और

(ङ) इस योजना को भलीभांति कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना इस समय 19 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों में चल रही है। इस योजना के तहत शामिल बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है, 1984-85 में यह संख्या 7000 थी जो बढ़कर 1990-91 में लगभग 28,000 तक पहुंच गई।

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना 1987 से प्रायोगिक आधार पर 8 राज्यों और 2 नगर निगमों के एक-एक ब्लाकों में चल रही है। विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना को विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है।

इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर बहु-श्रेणी विकलांगताओं के लिए शिक्षकों तथा शैक्षिक योजना तैयार करने वालों और प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों को उनकी कार्य-निष्पादन की रिपोर्टों तथा निधियों के उपयोग के आधार पर अनुदान दिया जाता है। उन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं जिन्हें 1989-90 और 1990-91 में अनुदान दिया गया था। प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन की प्रगति भिन्न-भिन्न है तथा इसकी नियमित रूप से बैठकों में तथा क्षेत्र दौरों के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

"विरासत में महिलाएं" संबंधी रिपोर्ट

8982. **डी० आर० श्रीधरण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के किसी भूतपूर्व न्यायाधीश ने 1986 के दौरान "विरासत में महिलाएं" संबंधी कोई रिपोर्ट सरकार को पेश की थी :

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टरों की नियुक्ति में आरक्षण

8983. **श्री राम विलास पासवान**
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी निकाय ने जनवरी, 1983 में निर्णय लिया था और पुन: मई, 1987 में संकल्प लिया था कि प्रोफेसर तक संकाय के सभी स्तर के पदों पर आरक्षण लागू किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में उपरोक्त संकल्प के विरुद्ध विभिन्न श्रेणी के पदों की नियुक्ति में कथित अनियमितता के कुछ मामले आए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सांस्थानिक निकाय ने जनवरी, 1983 में निर्णय लिया था कि जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संकाय के पद आरक्षित किए जाएंगे । 1987 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय ने यह निर्णय नहीं लिया था कि संकाय के पदों में प्रोफेसर के पद तक सभी स्तरों पर यह आरक्षण लागू होगा । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपने सांस्थानिक/शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आरक्षण की नीति का पालन कर रहा है ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

असम का कैन्सर अभिमुखी क्षेत्र

8984. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम का कछार जिले में कैंसर होने की संभावना अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जाने हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

ईंट भट्ठा उद्योग हेतु रेक

8985. **श्री श्याम बिहारी मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंट भट्टा उद्योग को कोयले की आपूर्ति में वरीयता प्रदान करने के लिए कोर सेक्टर में लाने का है :

(ख) ईंट भट्ठों को कोयले की आपूर्ति करने हेतु कितने रेकों का मासिक कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(ग) नवम्बर, 1991 से मार्च, 1992 तक के ईंट निर्माण समय के दौरान प्रति मास कितने रेक उपलब्ध कराये गये और उसके लिए कितने रेकों का उपयोग किया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लि० के कोयला क्षेत्रों से ईंट भट्टा उद्योग के लिए कोयले की ढुलाई के लिए समग्र अधिकतम सीमा वर्ष 1991 के लिए प्रतिमाह 14442 चौपहिया मालडिब्बे और वर्ष 1992 के लिए प्रतिमाह 14435 मालडिब्बे निर्धारित की गई थी । नवम्बर, 91 से मार्च, 92 के दौरान भारतीय रेलों के सभी स्रोतों से ईंट भट्टा उद्योग के लिए कोयले की महीने-वार की गई वास्तविक ढुलाई इस प्रकार है :—

महिना	वास्तविक ढुलाई (चौपहिया माल डिब्बों में)
नवम्बर, 91	8700
दिसम्बर, 91	5145
जनवरी, 92	9579
फरवरी, 92	7424
मार्च, 92	11067

आबंटन के बाद बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से पार्टियों द्वारा 33 रेक रद्द करा दिए गए थे ।

तुगलकाबाद किले का भूमि पर अवैध निर्माण

8986. श्री राम अवतार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1992 के जनसत्ता में "जमीन माफियों के दबाव में कार्रवाई अधूरी छोड़ी" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है :

(ग) सरकार द्वारा अवैध रूप से भूमि हथियाने के विरुद्ध अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है :

(घ) कुल कितनी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है : और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) किले के 2396 बीघा और 19 बिस्वा, जिसमें तुगलकाबाद का पुराना गांव भी आता है, के कुल क्षेत्र में से 78 बीघा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है । तुगलकाबाद गांव की उत्तरी सीमा तथा पश्चिमी सीमा के निकटवर्ती स्थानों पर पीछे समय-समय पर अधिक्रमण और अवैध निर्माण-कार्य किए गए हैं, जो सरकारी भूमि थे, जिसका स्वामित्व दिल्ली प्रशासन का है । इस मामले में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज करवाता रहा है तथा दिल्ली प्रशासन को भी लिखता रहा है । परिणामस्वरूप, पीछे कुछ अधिक्रमणों को वार वार हटाया जा चुका है । आगे अधिक्रमणों और अवैध निर्माणों

को रोकने के लिए अतिरिक्त पहरा एवं निगरानी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इस क्षेत्र में कांटेदार तार लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक औषधालयों में दवाइयों की सप्लाई

8987. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1989 से केन्द्रीय सरकार की जानकारी में स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को कुछ होम्योपैथिक दवाओं को "मदर टिंक्चर" की आधी खाली "फाइअल" की सप्लाई करने का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को मानक होम्योपैथिक मदर टिंक्चरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

5 मई, 1992 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बाल कल्याण कार्यक्रम

8988. **श्री संदीपान भगवान घोरात :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों में क्या उपलब्धियां हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के बेहतर एवं सफल कार्यान्वयन के लिए क्या नीति तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजनावधि के दौरान निम्नलिखित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए :—

1. व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम
2. मुखसेव्य पुनर्जलपूर्ति उपचार (ओ० आर० टी०) कार्यक्रम (1986-87 के दौरान शुरू किया गया)।
3. रक्तल्पता और विटामिन "ए" की कमी की वजह से बच्चों में होने वाली दृष्टिहीनता का रोगनिरोध।

उक्त कार्यक्रमों की उपलब्धियां संलग्न (उपाबंध-I और II) विवरणों में दी गई है।

आठवीं योजना के दौरान, उक्त कार्यक्रम शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के रूप में जानी जाने वाली परियोजना के अंतर्गत समेकित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं :—

(क) नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को चलाए रखना।

(ख) जलक्षीणता की वजह से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मौतों को रोकने के लिए मुखसेव्य पुनर्जलपूर्ति उपचार शुरू करना।

(ग) आयरन और फालिक एसिड की गोलियां देकर गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए मौजूदा रोगनिरोधन योजना को व्यापक रूप देना।

(घ) तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए वर्तमान रोग निरोधन योजना को व्यापक रूप देना।

(ङ) निमोनिया की वजह से होने वाली मौतो को कम करने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार।

(च) सफाई से प्रसव करवाने के लिए प्रशिक्षण/वैयक्तिक प्रशिक्षित दाइयों से, उप-केन्द्रों और प्रथम रेफरल केन्द्रों को सुदृढ़ करके सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को कार्यान्वित करना।

विवरण I

व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम

सातवीं योजनावधि के दौरान उपलब्धियां

	वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट की गई उपलब्धि				
	डीपीटी	ओपीवी	बीसीजी	खसरे का टीका	टेटनस टाक्साइड (पी० डब्ल्यू०)
1985-86	41.12	35.66	28.84		39.85

	वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट की गई उपलब्धि				
	डीपीटी	ओपीवी	बीसीजी	खसरे का टीका	टेटनस टाक्साइड (पी० डब्ल्यू०)
1986-87	56.55	48.41	52.19	16.17	45.27
1987-88	72.23	60.46	70.70	44.06	56.48
1988-89	79.61	74.83	79.29	55.17	65.15
1989-90	82.00	82.00	89.00	69.00	69.00

विवरण II

II. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोग निरोधन योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

(आंकड़े मिलियन में)

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. बच्चों में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम	14.00	17.16	19.43	12.82	22.00	18.50	30.00	21.67	29.89	22.44
2. विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम	24.96	29.40	28.97	30.24	30.00	46.62 (खुराकें)	30.00	41.60 (खुराकें)	29.89	29.02

III. मुख्य क्षेत्र पुनर्जलपूर्ति उपचार कार्यक्रम

1986-87 में यह कार्यक्रम शुरू किए जाने से 3.26 लाख मेडिकल और अर्ध मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है और 15 अतिसार उपचार एवं प्रशिक्षण एकक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं में जीवनरक्षक घोल के पैकेटों को सप्लाई करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा 593.15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

कैंटीन कर्मचारियों को सेवामुक्ति लाभ

8989. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभागीय कैंटीन (सांविधिक और असांविधिक) कर्मचारियों की छंटनी के बाद उनकी पेंशन, उपदान, छुट्टी वेतन आदि के 1 अप्रैल, 1990 को अथवा उसके बाद निपटाये गए मामलों की जोनवार संख्या कितनी है : और

(ख) अब तक ऐसे कितने कर्मचारी इस अवधि के लाभों को प्राप्त किए बिना मर गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो, हैदराबाद द्वारा औषधों की खरीद

8990. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो, हैदराबाद द्वारा 1991-92 में औषधियों की खरीद में कथित धांधली का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, 10-9-91 के स्थानीय तेलगू समाचार पत्र "आंध्र ज्योति" में गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, हैदराबाद से दवाइयों की खरीद के संबंध में समाचार छपा था जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों पर कुछेक आरोप लगाए गए हैं । जहां तक मेडिकल स्टोर डिपो, हैदराबाद द्वारा घटिया दवाइयों की आपूर्ति के बारे में लगाए गए आरोपों का संबंध है, मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया गया है कि किसी अनियमितता का पता नहीं चला है ।

समेकित जनजाति विकास परियोजना क्षेत्रों के लिए राशन

8991. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित जनजाति विकास परियोजना के अन्तर्गत चुने गये क्षेत्रों को राशन की सप्लाई को जारी रखने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान कितना कोटा जारी करने का विचार है ;

(ग) इस वर्ष किन-किन क्षेत्रों और राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा ; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत विशेष रियायती दरें निर्धारित की गई हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अधीन गेहूं और चावल की मात्रा और स्केल संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए गए

आवंटनों में से और उनके अंदर-अंदर रहते हुए संबंधित सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निश्चित किए जाते हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अधीन विशेष रूप से राजसहायताप्राप्त निर्गम मूल्यों और इस योजना के अधीन उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित निश्चित खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

	केन्द्रीय निर्गम मूल्य	अभिस्तावित निश्चित खुदरा मूल्य
गेहूं	230	255
चावल (साधारण)	327	352
चावल (बढ़िया)	387	412
चावल (उत्तम)	408	433

विवरण

प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में विशेषरूप से राजसहायताप्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल उपलब्ध करने की स्कीम के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश/जिले का नाम		पृष्ठ सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	समन्वित आदिवासी	1
2.	असम	विकास परियोजना	1
3.	बिहार	के ब्यौरे इन पृष्ठों	2
4.	गुजरात	पर हैं ।	2
5.	हिमाचल प्रदेश		2
6.	कर्नाटक		3
7.	केरल		3
8.	मध्य प्रदेश		3-4
9.	महाराष्ट्र		5
10.	मणिपुर		5
11.	उड़ीसा		6
12.	राजस्थान		6
13.	सिक्किम		7

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश/जिले का नाम	पृष्ठ सं०
14.	तमिलनाडु	7
15.	त्रिपुरा	7
16.	उत्तर प्रदेश	7
17.	पश्चिम बंगाल	8
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8
19.	दमन और दीव	8

आदिवासी बहुल राज्य

20.	अरूणाचल प्रदेश
21.	दादरा तथा नगर हवेली
22.	लक्षद्वीप
23.	मेघालय
24.	मिजोरम
25.	नागालैण्ड

पहाड़ी क्षेत्र

असम का	उत्तरी कछार जिला
	कारबी आंगलांग जिला

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
	राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1.	अदिलाबाद	अदिलाबाद
2.	ईस्ट गोदावरी	ईस्ट गोदावरी
3.	खम्माम	खम्माम
4.	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
5.	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम
6.	विजयनगरम	विजयनगरम
7.	वारांगल	वारांगल
8.	वेस्ट गोदावरी	पेलावरम
		बुटटयागुडम

(1)	(2)	(3)
	राज्य : असम	
1.	कछार	सिल्चर
2.	दरांग	मंगलदोई
		तेजपुर
3.	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
		तिनसुकिया और
		सदिया
4.	गोलपाड़ा	कोकराझार
		धुबरी
		गोलपाड़ा
5.	कामरूप	बारपेटा
		नालबाड़ी
		गौहाटी-I
		गौहाटी-II
6.	लखीमपुर	उत्तरी लखीमपुर
		धेमजी और
		जोनाज
7.	नवगोंग	नवगोंग
8.	शिवसागर	जोरहाट
		मजुली
		गोलाघाट
		शिवसागर

पहाड़ी क्षेत्र

असम का उत्तरी कछार जिला
कारबी अंगलांग जिला

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
	राज्य : बिहार	
1.	पालामू	लटचार
2.	रांची	रांची
		खुन्टी
3.	लोहारडागा	लोहारडागा
4.	गुमला	गुमला

(1)	(2)	(3)
5.	सिमडेगा	सिमडेगा
6.	दुमका	दुमका
7.	जमतारा	जमतारा
		पाकुर
		राजमहल
8.	गोड्डा	पाकुर
		राजमहल
9.	सिंहभूम	चाईबासा
10.	सरायकला	सरायकला
11.	धालभूम	धालभूम
	राज्य : गुजरात	
1.	बनासकंठा	बनासकंठा
2.	भड़ौंच	भड़ौंच
3.	डांगस	डांगस
4.	पंचमहल	दोहाद
5.	साबरकंठा	खेदब्रहमा
6.	सूरत	सूरत-I
		(सोनगढ)
		सूरत-II
		(मांडवी)
7.	वडोदरा	वडोदरा
8.	वलसाड	वलसाड
	राज्य : हिमाचल प्रदेश	
1.	चम्बा	पांगी
		भरमौर
2.	किन्नौर	किन्नौर
3.	लाहौल और स्पीति	लाहौल स्पीती
	राज्य : कर्नाटक	
1.	चिकमगलूर	मुडीगिरि

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
2.	कुर्ग	पोन्नमपेट
3.	मैसूर	एच०डी०कोटे
4.	साउथ कनारा	उडिपी पुट्टूर
	राज्य : केरल	
1.	तिरुअन्नतपुरम	नेडुमंगाड
2.	कोट्टायम	कंजियापल्ली
3.	इडुक्की	इडुक्की
4.	पालघाट	अट्टापड़ी (पालाकाड)
5.	मालापुरम	नीलमपुर
6.	वयानाड	वयानाड
7.	कन्नानौर	कन्नानौर
	राज्य : मध्य प्रदेश	
1.	झबुआ	झबुआ अलीराजपुर
2.	धार	धार कुकशी
3.	खरगोन	बारवानी खारगोन सेंधवा महेश्वर
4.	खंडवा	खाल्वा
5.	बस्तर	जगदलपुर भानुप्रतापपुर नारायणपुर कोन्डागांव दान्तेवाडा कोन्टा बीजापुर

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
	राज्य : मध्य प्रदेश (जारी)	
6.	रायपुर	गरियाबंद
7.	दुर्ग	डोंडी
8.	राजनन्दगांव	चौकी (राजनन्दगांव)
9.	सुरगुजा	अम्बिकापुर सूरजपुर बैकुंठपुर पाल (रामानुजगंज)
10.	बिलासपुर	कटघोरा गौरेला
11.	रायगढ़	जसपुरनगर धर्मजयगढ़
12.	मांडला	मंडला डिन्डोरी
13.	बालाघाट	बैहार
14.	शिवनी	लखनादौन
15.	छिन्दवाड़ा	टमिया सौसर
16.	जबलपुर	कुन्डम
17.	सिधी	कुस्मी देवसर
18.	शहडोल	शहडोल पुष्पराजगढ़ जयसिंह नगर कांथोगढ़
19.	बेतुल	बेतुल भैनदेही
20.	रतलाम	सेलाना
21.	शिवनी	कुराई

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
	राज्य : मध्य प्रदेश (जारी)	
22.	देवास	देवास
23.	मोरेना	कारहल
24.	होशंगाबाद	केसला हरदा
	राज्य : महाराष्ट्र	
1.	अहमदनगर	राजुरा
2.	अमरावती	आरनी
3.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर-I (एटापल्ली) चन्द्रपुर-II (धनोरा) चन्द्रपुर-III
4.	धुले	धुले-I (टोलवेडा) धुले-II (नन्दुरबार)
5.	जलगांव	जलगांव
6.	नान्देड	किनवाट
7.	नासिक	नासिक-I (कलवण) नासिक-II (दिन्डोरी)
8.	पुणे	साल
9.	थाने	थाने-I (जवहार) थाने-II (शाहपुर)
10.	यवतमाल	पैथारकवाडा

(1)	(2)	(3)
	राज्य : मणिपुर	
1.	मणिपुर ईस्ट (पूरा जिला)	मणिपुर ईस्ट
2.	मणिपुर नार्थ (पूरा जिला)	मणिपुर नार्थ
3.	मणिपुर साउथ (पूरा जिला)	मणिपुर साउथ
4.	मणिपुर वेस्ट (पूरा जिला)	मणिपुर वेस्ट
5.	तांगनोपाल (पूरा जिला)	तांगनोपाल
	राज्य : उड़ीसा	
1.	बालासोर	नीलगिरि
2.	बौध कौंडामल्स	बालीगुडा फुलबनी
3.	गंजम	परालखेमुंडि
4.	कालाहांडी	थाना रामपुर
5.	क्योंझर	क्योंझर चम्पुआ
6.	कोरापुट	कोरापुट रायगाडा मलकानगिरि जेपौर नवरंगपुर गुनुपुर
7	मयूरभंज	बारीपाड़ा रायरंगपुर करंजिया कपटीपाड़ा
8	सम्बलपुर	कुचिन्दा

क्रम सं०	जिला	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना
(1)	(2)	(3)
9.	सुंदरगढ़	सुन्दरगढ़ पनपोश बोनई
	राज्य : राजस्थान	
1.	बांसवाड़ा (पूरा जिला)	बांसवाड़ा
2.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
3.	डूंगरपुर (पूरा जिला)	डूंगरपुर
4.	सिरोही	सिरोही
5.	उदयपुर	उदयपुर
	राज्य : सिक्किम	
1.	उत्तरी जिला	उत्तरी जिला
2.	दक्षिणी जिला	दक्षिणी जिला
3.	पूर्वी जिला	पूर्वी जिला
4.	पश्चिमी जिला	पश्चिमी जिला
	राज्य : तमिलनाडु	
1.	धर्मपुरी	सिट्टेरी हिल्स
2.	उत्तरी अरकाट	जवाधी हिल्स
3.	सेलम	यरकौड
4.	सेलम	कोल्ली हिल्स
5.	सेलम	कलरायन हिल्स
6.	सेलम	पचमलाई
7.	सेलम	अरानुथुमाई
8.	दक्षिणी आरकाट	कलरायन हिल्स
9.	तिरुचिरापल्ली	पचमलाई हिल्स

(1)	(2)	(3)
	राज्य : त्रिपुरा	
1.	उत्तरी त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
2.	दक्षिणी त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा
3.	पश्चिमी त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा
	राज्य : उत्तर प्रदेश	
1.	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी
	राज्य : पश्चिम बंगाल	
1.	बांकुरा	
2.	बीरभूम	
3.	बर्दमान	
4.	दार्जिलिंग	
5.	हुगली	
6.	जलपाईगुड़ी	
7.	मालदा	
8.	मिदनापुर	
9.	मुर्शिदाबाद	
10.	पुरूलिया	
11.	24-परगना	
12.	पश्चिमी दीनाजपुर	
	संघ शासित प्रदेश/राज्य : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
1.	निकोबार	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
	संघ शासित प्रदेश/राज्य : दमन और दीव	
1.	दमन	दमन

नोट : आदिवासी बहुल राज्यों के सभी जिले इस योजना के अधीन भी आते हैं।

इंदिरा सागर परियोजना

8992. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा सागर परियोजना (गोसीखुर्द) को स्वीकृति देते समय कुछ शर्तें लगाई गई थी ;

(ख) यदी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक पूरी की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इस परियोजना की समीक्षा कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की इन्दा सागर परियोजना (गोसीखुर्द) को फरवरी, 1988 में इस शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी कि आवाह क्षेत्र सुधार, कमांड क्षेत्र विकास, पुनर्वास आदि के लिए पर्यावरणीय कार्य योजनाएं निर्माण कार्यों के साथ-साथ कार्यान्वित की जायेगी ।

(ग) और (घ) परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह नोट किया गया है कि वे पर्यावरणीय कार्य योजनाएं बनाने के लिए ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें प्रस्तुत करने पर विधिवत जांच/पुनरीक्षा की जायेगी ।

गढ़वाल क्षेत्र में "सी.जी.एच.एस." डिस्पेन्सरी

8993. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 26 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल क्षेत्र में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी खोलने के लिए वहां कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा कार्यालयों की संख्या के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर और गोपेश्वर शहरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है :

(ग) क्या वहां रह रहे कर्मचारियों की संख्या वहां एक सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी खोलने के वर्तमान मानदंडों को पूरा करती है :

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में ऐसी डिस्पेंसरी खोलने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग), (घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार उन्हीं नए नगरों में किया जाता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हों । इसके साथ-साथ यह भी शर्त है कि इसके लिए धन उपलब्ध हो । इस प्रयोजन के लिए उस शहर में 7500 से अधिक कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिएं । तिरूवनन्तपुरम शिलांग, चंडीगढ़ आदि जैसे बहुत से शहरों जिनमें बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, को अब तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर नहीं किया गया है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय गढवाल क्षेत्र तक कें०स०स्वा०यो० की सुविधा बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

आवासीय फ्लैटों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

8994. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में सरकारी कालोनियों के आवासीय फ्लैटों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं ;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए पृथक भवनों का निर्माण करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं : और

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू बजट में कितना नियतन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) 40

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए पृथक भवनों के निर्माण के लिए राजधानी के विभिन्न भागों में भू-खंडों का आवंटन किया गया है ।

सेक्टर-12, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/पाली क्लीनिक के निर्माण के लिए नक्शे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए विचार किया जा रहा है जिसके पश्चात प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरंभिक अनुमान तैयार किए जाएंगे ।

सेक्टर-12, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के निर्माण के लिए भू-खंड, भूमि एवं विकास अधिकारी से लिया जाना है जिसके पश्चात निर्माण के लिए केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा कें०स०स्वा०यो० के औषधालय के भवन के लिए आरंभिक नक्शा तैयार किया जाएगा ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्तमान बजट में 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) का प्रावधान आवंटित किया गया है ।

लिथोट्रिप्टर की खरीद

8995. **श्री जीवन शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुर्दे की पथरी की चिकित्सा हेतु कितने लिथोट्रिप्टरों की खरीद की गई है और राजधानी के किन-किन अस्पतालों में इन्हें स्थापित किया गया है :

(ख) क्या इन मशीनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है : और

(ग) इन मशीनों से गत दो वर्षों में कितने रोगियों का उपचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में एक-एक लिथोट्रिप्टर लगाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में जुलाई, 1990 से मार्च, 1992 तक 711 रोगियों का उपचार किया गया है तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वर्ष 1990 एवं 1991 में 589 रोगियों का उपचार किया गया है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

8996. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) इस संबंध में गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई थी : और

(घ) गत वर्ष में इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 30-9-1986 तक के मौजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का विचार है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्षवार तथा जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, इस योजना की चरण व्यवस्था राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की गति तथा क्षमता पर निर्भर करती है । अब तक 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के तीन चरणों में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के अन्तर्गत आने वाले 65388 स्कूलों को शामिल करते हुए संस्वीकृति प्रदान की गई है । रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन तथा निधियों का उपयोग निम्नानुसार है :—

(i) उपकरण

संस्वीकृत की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
49,65,22,000 रुपए	41,57,78,000 रुपए (83.89 प्रतिशत)

(ii) शिक्षक

संस्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या
7224	7224 (शत प्रतिशत)

(iii) निर्माण

निर्माण किए जाने वाले अपेक्षित कक्षा-कक्षों की संख्या	निर्मित कक्षा-कक्षों की संख्या
22300	19950 (89.46 प्रतिशत)

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम् केंद्रीय रेलवे स्टेशन

8997. श्री ए० चार्ल्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम् केंद्रीय रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित मूल परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसकी कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या मूल परियोजना को अब कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "आदर्श स्टेशन" की मूल योजना में 227.77 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर निम्नलिखित कार्य शामिल किये गये थे :—

1. दक्षिण दिशा में प्रस्तावित नई स्टेशन इमारत
2. दूसरे ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था
3. प्लेटफार्म नं० 2/3 पर प्लेटफार्म-सायबान का विस्तार (चरण-I)
4. प्लेटफार्म नं० 2/3 पर प्लेटफार्म-सायबान का विस्तार (चरण-II)
5. परिचालन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केरल जल प्राधिकरण से भूमि का अधिग्रहण
6. रोड नं० 1 और 2 पर सी० सी० एप्रन की व्यवस्था।

"आदर्श स्टेशन" योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यों के अलावा, तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन पर अन्य आधुनिकीकरण कार्य भी समय-समय पर शुरू किये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्लेटफार्म नं० 2/3 पर प्लेटफार्म-सायबान के विस्तार (चरण-I), रोड नं० 1 और 2 पर सी० सी०

एप्रन की व्यवस्था और केरल जल प्राधिकरण से भूमि के अधिग्रहण के कार्य पूरे हो गये हैं। नई स्टेशन इमारत और प्लेटफार्म नं० 2/3 पर प्लेटफार्म-सायबान के विस्तार (चरण-II), के कार्य प्रगति पर हैं। दूसरे ऊपरी पैदल पुल का कार्य भी स्वीकृत कर दिया गया है। आज तक इन कार्यों पर 186.55 लाख रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(ङ) जी हां।

(च)

कार्य का नाम	मूल्य वृध्दी
1. प्रस्तावित नई स्टेशन इमारत	24.5 लाख रुपये
2. केरल जल प्राधिकरण से भूमि का अधिग्रहण	8.52 लाख रुपये

भिलाई से बैलाडिला बरास्ता डिल्ली रजहारा रेल-लाइन

8998. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क की ढुलाई हेतु बैलाडिला-भिलाई बरास्ता डिल्ली रजहारा रेल लाईन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) प्रस्तावित लाइन भिलाई को लौह अयस्क के संचलन के लिए स्टील अथार्टी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा इस्तेमाल में लायी जाने वाली एकल उपयोगकर्ता लाइन है। इस्पात मंत्रालय को लागत बता दी गयी है। इस्पात मंत्रालय/स्टील अथार्टी आफ इंडिया लि० द्वारा इस लाइन के लिए धन की व्यवस्था कर दिए जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिलासपुर-गेवरा रेलगाडी की बारंबारता

8999. **श्री भवानीलाल वर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के करचा शहर के यात्रियों की सुविधा के लिये बिलासपुर-गेवरा रेलगाडी को दिन में दो बार चलाये जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) जांच की गयी है, लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय युवा कल्याण बोर्ड

9000. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय युवा कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो बोर्ड को पुनर्गठित करने में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) इसे कब पुनर्गठित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने कोई भी राष्ट्रीय युवा कल्याण बोर्ड गठित नहीं किया है । तथापि, सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय युवा परिषद् को लघु व्यवहार्य निकाय के रूप में पुनर्गठित किया है तथा इसका नया नाम "राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति" रखा है ।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों की स्थापना

9001. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मेडिकल कालेज खोलने संबंधी नीति क्या है :

(ख) किन-किन राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने संबंधी प्रस्ताव मंजूरी, सहायता और मान्यता प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए है : और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिध्दार्थी) : (क) भारत सरकार की मौजूदा नीति देश में नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति देने की नहीं है ।

(ख) अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सहित कुछ राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है ।

(ग) यद्यपि सरकारी क्षेत्र में कोई नया मेडिकल कालेज न खोलने की मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभी यह निर्णय लिया जाना है कि क्या प्राइवेट क्षेत्र में अस्पताल सहित अपेक्षित सुविधाओं वाले मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुशंसित किया गया है ।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटन

9002. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सातवीं योजनावधि के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्षवार कुल कितना आवंटन किया गया :

(ख) राज्य में कौन सी एजेंसी इन कार्यक्रमों को आयोजित करती रही है :

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कार्यक्रम कार्यान्वयन में उसे कहां तक सफलता मिली :

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में और गहन बनाया जायेगा : और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत राज्य सरकार अन्य विभिन्न एजेन्सियों को कुल 1783-71 लाख रू० मुक्त किए गए थे। इस अवधि के दौरान मुक्त किए गए अनुदानों के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि (लाख रू० में)
1985-86	289.46
1986-87	225.99
1987-88	291.39
1988-89	406.59
1989-90	570.28

इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्य क्षेत्र को 1572-00 लाख रू० की कुल राशि भी आवंटित की गई थी। आवंटनों के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि (लाख रू० में)
1985-86	215.00
1986-87	400.00
1987-88	290.00
1988-89	300.00
1989-90	367.00
जोड़	1572.00 लाख रू०

(ख) सातवीं योजना के दौरान राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों क्षेत्रों के द्वारा कार्यान्वित किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में 26 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा० का० सा० प०) तथा राज्य क्षेत्र में 26 राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं कार्य कर रही थी। इसके अलावा, 123 स्वैच्छिक एजेन्सियों को साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी।

(ग) राज्य में सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नलिखित है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (लाख रु० में)
1985-86	4.40	3.66
1986-87	4.32	3.67
1987-88	4.32	4.68
1988-89	5.00	4.68
1989-90	9.00	7.77

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत मुख्य नीति सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों को आयोजित करना है । आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित जिलों/क्षेत्रों मे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए है :

1. चित्तूर
2. कुड्डापाह
3. हैदराबाद जिला
4. नेल्लौर
5. विशाखापटनम
6. कुरनूल
7. महबूबनगर (6 मंडल और 2 म्यूनिसिपालिटी)
8. खम्माम
9. निजामाबाद
10. पश्चिमी गोदावरी
11. करीमनगर
12. नालगोंडा
13. विजीनगरम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, अनंतपुर, रंगारेड्डी, आदिलाबाद तथा वारंगल के नौ जिलों के प्रत्येक का एक मंडल
14. मेडेक (9 मंडल)
15. श्रीकाकुलम

यह आशा की जाती है कि आठवीं योजना के अन्त तक राज्य के सभी जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में शामिल कर लिया जाएगा ।

केरल की लोक कलायें

9003. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केरल की लोक कलाओं को संरक्षण देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में कितनी उपलब्धि हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, व्यक्तियों और संस्थाओं को इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत, केरल राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर एक विशेषज्ञ सलाहाकार समिति द्वारा विचार किया जाता है । तत्पश्चात् समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं ।

देश के विभिन्न भागों में स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को भी अपने अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा गया है । इन केन्द्रों में लोक कलाओं के परिरक्षण एवं संरक्षण के प्रलेखन के कार्यक्रम भी मौजूद हैं ।

केरल में तकनीकी शिक्षा

9004. **श्री आइज़क जान अंजलोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राज्य योजना के अन्तर्गत, केरल सरकार द्वारा तकनीकि शिक्षा के विकास के लिए योजना आयोग को भेजे गए प्रस्तावों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया है । केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबन्ध संस्थानों की पद्धति पर विशिष्टता के केन्द्रों को स्थापित करने के उनके अनुरोध के सम्बन्ध में इन परियोजनाओं पर पूर्ण रूप से केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत विचार करने के लिए राज्य को अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी गई है । यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त कोष जुटाने के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करें ।

[हिन्दी]

भारत महोत्सव

9005. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी में भारत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है :

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान किन-किन देशों में भारत महोत्सव आयोजित करने का है : और

(ग) पर्यटन की दृष्टि से उक्त महोत्सवों से क्या उपलब्धि होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां । यह सितंबर, 1991 में प्रारंभ हुआ था ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जर्मनी में आयोजित भारत महोत्सव से जर्मनी में भारत के बारे में जागरूकता और सुस्पष्ट छवि उभारने में सहायता मिली है । चूंकि जर्मन पर्यटकों द्वारा भारत का भ्रमण करने का मुख्य प्रयोजन सांस्कृतिक पर्यटन है, अतः भारत महोत्सव से जर्मनी से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है । महोत्सव के आरंभ होने के बाद से, पर्यटन संबंधी पूछताछ और जारी किए गए वीजाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

[अनुवाद[

जीवाश्मों द्वारा एड्स का इलाज

9006. श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित 'टॉकिंग फासिल्स हेल्प्स एड्स क्योर' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'हार्सशू-क्रेब' के नाम से ज्ञात जीवित जीवाश्म उड़ीसा के बालासौर जिले में चान्दीपुर के समुद्र तटीय जल में भारी मात्रा में पाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके खून के औषधीय गुणों का प्रयोग एड्स तथा अन्य बीमारियों के लिए करने का है जैसाकि पश्चिमी देशों में किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस 'क्रेब' का निर्यात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हुबली-मिरज-लोन्दा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

9007. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-लोन्दा-वॉस्को-द-गामा (गोआ) और मिरज-लोन्दा रेल लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां तो कुल अनुमानित लागत तथा वर्ष 1992-93 हेतु नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को शुरू करने और पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत और 1992-93 के दौरान मुहैया कराए गए परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	परिव्यय 1992-93
मिरज-लोंडा	122 करोड़ रुपये	1 करोड़ रुपये
हासपेट-हुबली-लोंडा-गोवा	312 करोड़ रुपये	1 करोड़ रुपये

1992-93 में इस काम को शुरू किए जाने की संभावना है और आशा है कि यह कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हो जायेगा।

वन्य जीवों के खेल-तमाशों के आयोजन हेतु नियमों में ढील

9008. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्कस, ट्रेड एसोशिएशन से सांस्कृतिक व्यापार के अंग के रूप में वन्य पशुओं के सर्कस में खेल-तमाशे सिखाने, उन्हे हासिल करने तथा खेल-तमाशे के आयोजन उनके सम्बन्धी नियमों में ढील देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या वन्य जीवों से खेल-तमाशे सिखाने पर प्रतिबन्ध लगाने से व्यापार प्रभावित हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सर्कस व्यापार के विकास हेतु नियमों में ढील देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरणीय और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने 2 मार्च, 1991 की अधिसूचना के अनुसार, भालुओं, बाघों, बन्दरों, चीतों और कुत्तों के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारतीय सर्कस फेडरेशन ने इसे दिल्ली के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगा दी है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्तियों के लिये पैनल

9009. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 1988 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की घोषित रिक्तियों की अपेक्षा 50% लम्बा चयन पैनल तैयार किया था :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का निर्णय अभी तक लागू है अथवा इस बीच रद्द कर दिया गया है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने शिक्षण-पदों के मामले में घोषित रिक्तियों की अपेक्षा 50 प्रतिशत लम्बा-चयन पैनल तैयार करने को अनुमोदित किया है ताकि संगठन केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की पूरी आपूर्ति कर सके। यह एक बार में लिया गया निर्णय है।

[हिन्दी]

विक्रमशिला में संग्रहालय का निर्माण

9010. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रमशिला, जिला भागलपुर, बिहार में "संग्रहालय" का निर्माण करने हेतु धनराशि आवंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संग्रहालय के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विक्रमशिला स्थित मूर्ति शेड के चालू वित्तीय वर्ष में बनकर पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

खुली बिक्री के लिए चीनी का कोटा

9011. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे**
श्री शंकर राव काले } : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूत-काल में देशभर में चीनी की खुली बिक्री के लिए घोषित मासिक कोटे में से समानता के आधार पर फैक्ट्री-वार खुली बिक्री के लिए चीनी का कोटा निर्धारित करती रही है ;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रणाली बन्द कर दी है और वह चीनी की खुली बिक्री के लिए घोषित मासिक कोटे से राज्यवार चीनी देने की प्रणाली अपना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली में किये गए परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में चीनी उत्पादक के विभिन्न तरीकों को ध्यान में रखते हुए तथा लम्बी दूरी तक अनावश्यक रूप से चीनी लाने ले जाने को रोकने के लिए, विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों से समुचित मात्रा में रिलीज़ सुनिश्चित करने के लिए पध्दति में परिवर्तन किया गया था।

रेल विभाग में पेट्रोल की कथित चोरी

9012. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इगतपुरी रेल स्टेशन यार्ड पर रेलवे के पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल की कथित चोरी के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं :

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार चुराये गये पेट्रोल की मात्रा का ब्यौरा क्या है : तथा वह कितने मूल्य का था :

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने रेलवे स्टेशन यार्ड से पेट्रोल की चोरी के लिये रेल विभाग पर दावा दायर किया था ;

(घ) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा रेलवे पर कितनी धनराशि का दावा किया गया था ;

(ङ) क्या इस बीच दावे का निपटारा कर दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस दावे के संबंध में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया है। प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मई, 1991 से सितम्बर, 1991 के दौरान हुई चोरी 1.5 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के मूल्य की थी।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

रनघाट-बोनगांव रेल लाइन का विद्युतीकरण

9013. **डा॰ असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में रनघाट बोनगांव रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव था : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय यह मामला किस चरण में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रेल विभागों में हिंदी का प्रयोग

9014. कुमारी विमला वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल विभागों के कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति के आकलन के बारे में 1990 के दौरान कोई रिपोर्ट तैयार की थी :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) रेल विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को हर वर्ष भिजवायी जा रही है । जहां तक मूल्यांकन वर्ष 1990-91 का संबंध है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत रेलवे बोर्ड में 96% दस्तावेज और रेलों पर 98.8% दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये गये हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान, देश भर में "क", "ख", और "ग" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों तथा राज्य सरकारों को 18, 61, 073 पत्र हिंदी में भेजे गये । 1990-91 तक, 2, 65, 979 कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ आदि में तथा 3,494 और 1,798 कर्मचारियों को क्रमशः हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया था ।

(ग) रेलों पर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं, तथा रेलों/रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्टेशनों/कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है, विभिन्न जांच बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पादों के पैकेजिंग और ढुलाई के लिए लकड़ी

9015. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी उत्पादों के पैकेजिंग और ढुलाई के लिए प्रतिवर्ष प्रयोग की जाने वाली लकड़ी के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं; जहां इसका प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से वे राज्य जहां इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए पेड़ न काटे जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) फलों और सब्जियों की पैकेजिंग करने के लिए लकड़ी के उपयोग के बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा 1983 में गठित कृत्यक बल की रिपोर्ट के अनुसार देश में बागवानी संबंधी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए लकड़ी की आवश्यकता 1990 में 5.9 मिलियन घन मीटर आंकी गई थी । बागवानी उत्पादों की बड़े स्तर पर पैकेजिंग करने के लिए लकड़ी का उपयोग मुख्यत: हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश (हिमालय क्षेत्र) राज्यों में किया जाता है ।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. बागवानी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए तार से बांध कर पैकिंग करने, क्राफ्ट पेपर कवर वेनीर बॉक्सों, लहरदार फाइबर बोर्ड के बॉक्सों, उच्च घनत्व वाले पोलीथीन क्रेटों, लहरदार प्लास्टिक कार्टनों आदि जैसे लकड़ी के विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अधिक कड़ा बनाया गया है ।

3. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ों में एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हरे-भरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ।

4. पुन: वनरोपण करने के लिए प्राकृतिक वनों को पूरी तरह से काटने को रोकना और जहां इस प्रकार की कटाई वन वर्धनीय कार्यों के लिए अनिवार्य हो, वहां यह कटाई पहाड़ियों पर 10 हे० और मैदानी इलाकों में 25 हे० से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा

5. केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति के बिना गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

[हिन्दी]

दक्षिण मध्य रेलवे में उपलब्ध माल डिब्बे

9016. श्री तेजनारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में दक्षिण मध्य रेलवे को कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये तथा 1991 के अन्त तक उसके पास कितने माल डिब्बे उपलब्ध थे ;

(ख) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के पास माल डिब्बों की संख्या में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) मरम्मत के लिये कार्यशाला दक्षिण मध्य रेलवे के कितने माल डिब्बे भेजे गये, कुल कितने डिब्बों की मरम्मत की गई तथा दिसंबर 1991 तक की स्थिति के अनुसार कितने डिब्बे उपयोग के अनुपयुक्त घोषित किये गये : और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे में माल डिब्बों और यातायात के लक्ष्य पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए कुल मिलाकर 89,756 माल डिब्बे प्राप्त किये गए थे किन्तु शुद्ध वृद्धि केवल 27,547 माल डिब्बे ही हुई थी क्योंकि इसके साथ-साथ 62,209 माल डिब्बे नकारा हो गए थे ।

31-12-91 को दक्षिण-मध्य रेलवे के माल डिब्बे बेड़े में बड़ी लाइन के 39,603 और मीटर लाइन के 10,597 माल डिब्बे थे ।

(ख) दक्षिण-मध्य रेलवे के स्वामित्व में बड़ी लाइन के माल डिब्बा बेड़े में 31-12-90 की तुलना में 31-12-91 को लगभग 400 माल डिब्बों की वृध्दि हुई थी और मीटर लाइन के माल डिब्बों में लगभग इतनी ही कमी आई थी ।

जहां तक अलग-अलग रेलों के यातायात की आवश्यकताओं का संबंध है, अलग-अलग रेलवे के स्वामित्व में माल डिब्बा बेड़े का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उस प्रयोजन के लिए कुछ विशेष स्टाक को छोड़कर पूरा माल डिब्बा बेड़ा सभी रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

(ग)	(i)	वर्ष 1991 में कारखानों को भेजे गए ब० ला० के माल डिब्बों की संख्या	10,110
	(ii)	वर्ष 1991 में कारखानों को भेजे गए मी० ला० के माल डिब्बों की संख्या	3,644
	(iii)	वर्ष 1991 में नकारा घोषित किए गए ब० ला० के माल डिब्बों की संख्या	1,011
	(iv)	वर्ष 1991 में नकारा घोषित किए गए मी० ला० के माल डिब्बों की संख्या	480

(घ) आठवीं योजना में 1,50,000 चौपाहिए माल डिब्बे प्राप्त करने का प्रस्ताव है जो दक्षिण-मध्य रेलवे सहित सभी रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में गन्ने की पेराई

9017. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय की सारी गन्ना मिलों द्वारा कुल गन्ना उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग की पेराई की जा रही है :

(ख) क्या यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है :

(ग) यदि हां, तो कितना प्रतिशत कम है : और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) 1990-91 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान तमिलनाडु की चीनी फैक्टियों द्वारा तमिलनाडु में उत्पादित गन्ने के 52.9 प्रतिशत की पेराई की गई जबकि राष्ट्रीय औसत 50.9 प्रतिशत था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

9018. **श्री ई॰ अहमद :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने 20-8-1989 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ योग्यता के आधार पर मुस्लिम छात्रों के लिए कक्षा XI डिग्री पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 50% स्थानों के आरक्षण के संबंध में त्याबजी समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का संकल्प किया। चूंकि यह संकल्प अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था, जिसमें यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय किसी भी सेक्स, जाति, धर्म, मत या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, संकल्प के निराकरण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (6) के तहत विश्वविद्यालय को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओं नोटिस का उत्तर विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गांवों में स्वास्थ्य कर्मचारी

9019. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री राम अवध } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी हिस्सों में स्थित ग्रामीण उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैनात किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश के सभी गांवों में तैनाती के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की विस्तृत योजना क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कार्यरत 1,31,385 उपकेन्द्रों में से ऐसे 1,25,502 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं जहां सहायक नर्स मिडवाइफें (ए एन एम) तैनात हैं। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं वाले 1,17,134 उप केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की भर्ती राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन के लिए भारत सरकार धन देती है तथा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें धन देती हैं।

(ग) देश में, 19,908 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले 473 ए॰ एन॰ एम॰ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल तथा 2,873 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले 46 प्रोन्नति परीक्षण (महिला स्वास्थ्य सहायक) स्कूल कार्य कर रहे हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और महिला स्वास्थ्य सहायकों की मांग को पूरा

7—21 LSS/ND/93

करने के लिए ये प्रशिक्षण स्कूल पर्याप्त हैं। 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 2,820 है। मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार ने 50 और स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है।

[अनुवाद]

रेल टिकटों में रियायतें

9020. **डा० आर० मल्लू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खिलाड़ियों, कलाकारों, कैंसर तथा मानसिक रूप से अशांत व्यक्तियों को भी, उसके एक सहयोगी के साथ, कम दरों पर टिकटें प्रदान करने की घोषणा की है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) क्या यही रियायत नेत्रहीन व्यक्तियों को भी दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खिलाड़ियों, कलाकारों, कैंसर के रोगियों, नेत्रहीन और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को अनुमेय रियायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

व्यक्तियों की कोटि	रियायत की मात्रा	
	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
1. निम्नलिखित रूप में टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को—		
(क) व्यक्तिगत रूप में	कुछ नहीं	50%
(ख) टीमों के रूप में	50%	50%
2. अर्जुन पुरस्कार पाने वालों को	कुछ नहीं	50%
3. द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वालों को	कुछ नहीं	50%
4. कलाकार-नाटक, गायन, संगीत और नृत्य मंडलियों को	कुछ नहीं	50%
5. उपचार के लिए, अकेले या अनुरक्षी के साथ यात्रा कर रहे कैंसर के रोगियों को	75% दोनों के लिए	75% दोनों के लिए
6. अनुरक्षी के साथ यात्रा कर रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को	75% दोनों के लिए	75% दोनों के लिए
7. अकेले या अनुरक्षी के साथ यात्रा कर रहे नेत्रहीन व्यक्तियों को	75% दोनों के लिए	75% दोनों के लिए

उत्तर रेलवे के पुल विभाग के कर्मचारियों का भुगतान

9021. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के उत्तर रेलवे के पुल विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 2500 कर्मचारियों के वेतन की लगभग दो करोड़ रुपये की राशि 1973 से बकाया पड़ी है :

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन के भुगतान में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के पुल विभाग के कतिपय नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी अहोदा देने के कारण बकाया राशि के भुगतान के लिए कुछ दावे रेलवे को प्राप्त हुए हैं । इन दावों का सत्यापन किया जा रहा है । सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात ही बकाया देय राशि का भुगतान किया जाएगा ।

[हिन्दी]

योग विश्वविद्यालय

9022. श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर अनुसंधान करने हेतु योग विश्वविद्यालय स्थापित करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी सरकार की नीति और संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में अत्यंत कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार एक योग विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

आयुर्वेदिक दवाओं का अभाव

9023. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का अभाव है :

(ख) यदि हां, तो उन दवाओं के क्या नाम हैं तथा इसके क्या कारण हैं : और

(ग) सरकार का बाजार में ऐसी दवाओं की पर्याप्त सप्लाई हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बाजार में आयुर्वेदिक औषधियों की कमी होने के बारे में इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बरेली-पीलीभीत-लखनऊ रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9024. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पीलीभीत होकर लखनऊ से बरेली तक रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

[अनुवाद]

चॉकलेटों में निकल

9025. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चॉकलेट में कैंसर जन्य पदार्थ निकल के अवशेष पाए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खतरनाक चॉकलेट खाने से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) पर्यावरणिक अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ, जो एक छोटी सी प्राइवेट प्रयोगशाला है, ने चॉकलेट के कुछेक नमूनों की जांच की है और सूचित किया है कि इनसे चॉकलेट में काफी अधिक मात्रा में निकल के होने का पता चलता है । तथापि, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन एक स्थायी अनुसंधान केन्द्र है, में विश्लेषण किए गए चॉकलेट के नमूनों के परिणाम डेनमार्क से अर्थात 1.26 मि० ग्रा०/कि० ग्रा० के औसत अंक के साथ सूचित किए गए परिणामों के अनुकूल पाए गए हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि निकल का मुख से सेवन करने से कैंसर पैदा होने के खतरे के प्रमाण नहीं मिले हैं, वस्तुतः, निकल को कुछेक संयंत्रों और जीवाणुज एन्जाइमों में अनिवार्य धातु पदार्थ दर्शाया गया है । इस सूचना के आधार पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने बताया है कि चॉकलेट में निकल की कोई अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

9026. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुदरा व्यापारियों से खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ जयादेवी शिध्दार्थी) : (क) से (ग) लघु स्तर के खुदरा विक्रेता एसोसिएशन ने खुदरा विक्रेताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्रोत पर ही खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के स्तर पर खाद्य के नमूने लेने पर अधिक जोर दें । उन मामलों में जहां मिलावट स्रोत पर की गई है, खुदरा विक्रेताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन पर्याप्त उपबन्ध भी मौजुद है ।

प्रवेश में आरक्षण

9027 **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली प्रशासन सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश में क्रमशः 15% और 5% का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है । इनका सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 7-4-92 को दोबारा ऐसे अनुदेश जारी किए गए ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए संशोधित योग्यता

9028 **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए संशोधित नियमानुसार योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के प्रोफेसरों की नियुक्ति में इन संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है :

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ङ) इन मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रोफेसरों, रीडरों व लेक्चररों के पदों पर नियुक्ति के लिए तथा रीडर के पदों पर पदोन्नति व वरिष्ठ ग्रेड और प्रवरण ग्रेड में लेक्चररों की नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन के जरिए न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित करते हुए सितम्बर, 1991 में विनियम अधिसूचित किए हैं।

(ख) दिनांक 5 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में विनियम अधिसूचित किए गए हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रत्येक नियुक्ति तथा पदोन्नति का निरीक्षण नहीं करता। तथापि, जब कमी निर्धारित मानदंडों से हटने के मामले नजर में आते हैं, इन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय को भेज दिया जाता है।

चावल मिलों द्वारा हैंडलिंग शुल्क का दावा करना

9029. **श्री जी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ चावल मिलों द्वारा हैंडलिंग शुल्क आदि के झूठे दावे किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है।

तमिलनाडु में खाद्यान्नों की खरीद

9030. **श्री वी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गयी :

(ख) क्या वर्तमान भण्डार राज्य के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम ने क्या प्रयास किए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम तमिलनाडु में खाद्यान्नों की वसूली नहीं करता है। तथापि, राज्य सरकार की एजेंसियां राज्य में चावल और धान की वसूली करती हैं। उन्होंने खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान 29-4-92 तक 9.58 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड

9031. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को 1980 में टोकन कार्ड जारी किए गए थे :

(ख) क्या तब से ये कार्ड विकृत और बेकार हो गए हैं और लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों आदि के संबंध में अनेक परिवर्तन हो गए हैं :

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए टोकन कार्ड जारी न करने के क्या कारण हैं : और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के टोकन कार्डों की वर्तमान मान्यता अवधि कितनी है और उन्हें कब संशोधित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिध्दार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विकृत और बेकार कार्डों को बदले जाने की मांग होने पर उन्हें अनुलिपि कार्ड जारी करके बदला जाता है। टोकन कार्डों की नई श्रृंखला के मुद्रण का आदेश भारत सरकार मुद्रणालय को पहले ही दिया जा चुका है। इंडेक्स कार्डों की आंशिक आपूर्ति प्राप्त हो गई है तथा शेष आपूर्ति अभी प्राप्त होनी है। भारत सरकार मुद्रणालय से शेष आपूर्ति को पूरा करने का अनुरोध किया जा रहा है। इस आपूर्ति के प्राप्त होने पर मौजूदा कार्डों के स्थान पर नए कार्ड आरम्भ किए जाएंगे।

मुख्याध्यापकों के पद

9032. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अंतर्गत मुख्याध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं :

(ख) मुख्याध्यापकों के उक्त रिक्त पदों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितने उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है और विभाग को आयोग की सिफारिशें कब प्राप्त हुई :

(ग) क्या रिक्त पदों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अब तक तैनाती कर दी गई है : और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी तैनाती कब तक की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय प्रधानाचार्य के 15 पद रिक्त हैं, ये पद अक्तूबर, 1991 से लेकर इसके बाद की विभिन्न तारीखों से रिक्त हैं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए आने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश नहीं की है।

(उन्होंने 25-10-91 को 23 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, लेकिन ये सिफारिशें इससे पहले वाली रिक्तियों के लिए थीं।)

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जन्म दर पर नियन्त्रण हेतु प्रोत्साहन

9033. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम जन्म-दर के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की बजाय दर में वास्तव में कमी लाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई योजना बनाई है :

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं :

(ग) योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है :,

(घ) क्या प्रोत्साहन की राशि बढ़ाये जाने की संभावना है : और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) से (ङ) नंगद मुआवजे की वर्तमान योजना, जिसके अन्तर्गत नसबंदियों/आई यू डी निवेशनों के अपने कार्यनिष्पादन आंकड़ों के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को धनराशि रिलीज की जाती है, में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और उनके द्वारा किए गए जन्म में कमी लाने के प्रयासों से उसे जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इस संशोधित योजना को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए और अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है ताकि अभीष्टतम तरीके से इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियों का उपयोग किया जा सके और जन्म में अन्तर रखने के उपायों के अन्तर्गत अधिक बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता वाले युवा आयु वर्ग के दम्पतियों के और अधिक कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के पूरे ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम

9034. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को रोग-प्रतिरक्षण टीके लगाये गये : और

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोगप्रतिरक्षित किए गए शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या तथा 1992-93 के दौरान शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित रोगप्रतिरक्षण लक्ष्य संलग्न विवरण (I से IV) में दिए गए हैं।

विवरण I

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित की गई उपलब्धियां

राज्य	डी॰ पी॰ टी॰	ओ॰ पी॰ वी॰	बी॰ सी॰ जी॰	खसरा	टी॰ टी॰ (गर्भवती महिलाएं)
बड़े राज्य	(तीसरी खुराक)	(तीसरी खुराक)		(दूसरी+बूस्टर)	
आन्ध्र प्रदेश	1187729	1183519	1443674	1027501	1349320
असम	310885	308398	208142	120131	224884
बिहार	1994681	1976194	2299290	1816570	1487654
गुजरात	983572	1025113	1042134	893646	1041589
हरियाणा	454833	450962	516654	382633	385691
कर्नाटक	912903	908705	1067960	733224	1042119
केरल	669178	694805	729340	557736	638582
मध्य प्रदेश	1674122	1654093	1867376	1480284	1411550
महाराष्ट्र	1630561	1653565	1867319	1418492	1592791
उड़ीसा	701220	695183	738474	457394	700953
पंजाब	476518	475516	556848	441846	465767
राजस्थान	1199503	1097723	1087806	1066608	1105299
तमिलनाडु	1103034	1117621	1193028	1093130	1182799
उत्तर प्रदेश	4049000	3955000	3632000	3217000	3548000
पश्चिम बंगाल	1206350	1209719	1301734	746615	1099117
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	110262	111143	126258	100202	94115
जम्मू एवं कश्मीर	141321	146651	174639	104500	65769
मणिपुर	37676	36744	38962	27864	34242
मेघालय	34129	33988	34427	11783	32074
नागालैंड	7453	6680	5752	3759	4898
सिक्किम	7932	7530	8762	5595	5048
त्रिपुरा	17958	17650	28522	11819	12613
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6052	6070	6172	5476	4621
अरुणाचल प्रदेश	14317	14444	18679	9381	9349
चण्डीगढ़	11423	11509	15761	7242	13476
दादरा व नगर हवेली	3422	3422	3647	3038	2848
दिल्ली	181112	180750	259613	160912	178125
गोवा	16720	17303	19554	12805	10637

राज्य	डी०पी०टी०	ओ०पी०वी०	बी०सी०जी०	खसरा	टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)
दमन व दीव	1528	1528	1728	1216	933
लक्षद्वीप	1571	1491	1324	1472	1364
मिजोरम	14721	15457	17261	11649	11317
पांडिचेरी	17488	17515	25698	14153	16032
अखिल भारत	19176174	19035991	20338538	15945615	17733576

विवरण II

व्यापक टीका प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित उपलब्धियां—1990-91

राज्य	डी० पी० टी०	ओ० पी० वी०	बी० सी० जी०	खसरा	टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)
बड़े राज्य	(तीसरी खुराक)	(तीसरी खुराक)		(दूसरी+बूस्टर)	
आन्ध्र प्रदेश	1638762	1638102	1698545	1448593	1784781
असम	635072	637440	715288	574645	405363
बिहार	2559537	2521744	2215471	2261125	1692120
गुजरात	1051018	1062752	1072771	1029560	1077554
हरियाणा	489832	498830	505562	384704	382252
कर्नाटक	1050591	1156211	1225048	992704	1174829
केरल	591714	607516	656370	543196	644001
मध्य प्रदेश	1827763	1854131	2008106	1785020	1700151
महाराष्ट्र	1873842	1960192	1946212	1694152	1625322
उड़ीसा	743292	742858	825513	697532	645916
पंजाब	516823	518280	510383	471403	464543
राजस्थान	1362283	1364932	1351947	1269960	1260179
तमिलनाडु	1261753	1274634	1281890	1217179	1286288
उत्तर प्रदेश	4469000	4332000	4269000	4009000	3885000
पश्चिम बंगाल	1484308	1525331	1750383	1198484	1259433
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	112874	113159	106121	130324	101842
जम्मू और कश्मीर	128714	125803	154962	94144	69056
मणिपुर	32304	32622	36658	26616	33547

राज्य	डी०पी०टी०	ओ०पी०वी०	बी०सी०जी०	खसरा	टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)
मेघालय	33894	34527	37148	15981	39844
नागालैंड	7470	6788	10566	6834	5557
सिक्किम	10371	8869	10779	7591	5654
त्रिपुरा	43028	43432	78020	36334	25990
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	6878	7183	7065	5855	4855
अरूणाचल प्रदेश	15007	15115	14769	9286	9786
चण्डीगढ़	12666	12551	17591	10265	12700
दादरा और नागर हवेली	4990	4490	5100	3795	3009
गोवा	19600	20079	20567	17438	18351
दिल्ली	202216	202851	272057	173900	194593
दमन और दीव	1969	1968	2262	2285	1423
लक्षद्वीप	1629	1720	1653	1655	1331
मिजोरम	17516	17305	20336	15390	15690
पांडिचेरी	20151	20557	28520	18401	17911
अखिल भारत	22226367	22363972	22856663	20153354	19848871

**जनवरी तक के आंकड़े ।

विवरण III

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित उपलब्धियां—1991-92

राज्य	डी० पी० टी०	ओ० पी० वी०	बी० सी० जी०	खसरा	टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)
बड़े राज्य	(तीसरी खुराक)	(तीसरी खुराक)		(दूसरी+बूस्टर)	
आन्ध्र प्रदेश	1596198	1596320	1403400	1417319	1886283
असम	467263	469032	496506	432420	388597
बिहार*	1208551	1214090	1120644	1127251	846778
गुजरात	1021900	1029200	1044100	969800	1063300
हरियाणा	454405	460191	501139	432150	456886
कर्नाटक	1065616	1067586	1133730	970836	1183935
केरल	572381	585517	636283	509642	606046

राज्य	डी०पी०टी०	ओ०पी०वी०	बी०सी०जी०	खसरा	टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)
मध्य प्रदेश	1655510	1680809	1627822	1659185	1600864
महाराष्ट्र	2089097	2115338	1948188	1962195	1987481
उड़ीसा	736128	737502	816112	639384	697431
पंजाब	543722	540484	548358	536104	551020
राजस्थान	1298445	1306907	1257276	1274044	1270395
तमिलनाडु	1048433	1056424	1194937	1025214	1088341
उत्तर प्रदेश	4335000	4241000	4255000	4055000	3842000
पश्चिम बंगाल	1305122	1348972	1544591	1118269	1261735
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	125774	139188	132309	116223	111563
जम्मू और कश्मीर*****	55937	55853	74082	44759	23638
मणिपुर	33659	33922	39293	30684	32504
मेघालय**	22371	22514	25054	14088	16711
नागालैंड****	4723	4318	6758	4437	2675
सिक्किम	9642	9662	10360	7942	5595
त्रिपुरा	34822	34039	61240	33477	25460
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	6603	6679	6689	6091	5613
अरूणाचल प्रदेश	11275	11014	14113	8071	7940
चण्डीगढ़	14471	14627	20150	14032	15855
दादरा और नागर हवेली*	3540	3540	4254	3168	3265
दिल्ली	209325	219380	270918	211710	208712
गोवा	21314	21292	23326	19252	18777
दमन और दीव	2693	2913	2147	19272	1308
लक्षद्वीप	1342	1335	1227	1357	1436
मिजोरम	18117	20822	21011	16572	16393
पांडिचेरी	19200	19475	30500	18200	16650
अखिल भारत	19992579	20069945	20271517	18680848	19245187

आंकड़े अनन्तिम ।

*फरवरी तक के आंकड़े ।

**जनवरी तक के आंकड़े ।

****अक्तूबर तक के आंकड़े ।

*****सितम्बर तक के आंकड़े ।

विवरण IV

रोग प्रतिरक्षण लक्ष्य—1992-93

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	गर्भवती महिलाएं	शिशु
आन्ध्र प्रदेश	1820·415	1648·776
अरूणाचल प्रदेश	27·588	24·652
असम	657·403	592·351
बिहार	3045·508	2748·208
गोवा	19·301	17·868
गुजरात	1299·586	1175·321
हरियाणा	557·543	505·347
हिमाचल प्रदेश	147·464	133·757
जम्मू और कश्मीर	261·051	236·438
कर्नाटक	1332·814	1206·260
केरल	586·356	551·789
मध्य प्रदेश	2623·164	2304·137
महाराष्ट्र	2324·019	2123·489
मणिपुर	41·290	38·707
मेघालय	60·410	55·306
मिजोरम	16·745	15·409
नागालैंड	21·607	19·893
उड़ीसा	1006·931	876·414
पंजाब	595·954	545·724
राजस्थान	1562·741	1401·853
सिक्किम	11·460	10·401
तमिलनाडु	1326·803	1204·358
त्रिपुरा	73·252	65·969
उत्तर प्रदेश	5317·946	4717·272
पश्चिम बंगाल	1991·597	1813·112
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6·367	5·850
चंडीगढ़	12·325	11·433
दादरा और नगर हवेली	5·374	4·872
दमण और दीव	2·980	2·759
दिल्ली	233·527	215·105
लक्षद्वीप	1·424	1·278
पांडिचेरी	16·935	15·552
अखिल भारत	27007·880	24289·660

तिनसुकिया-सायखोवा (असम) रेल लाइन

9035. **श्री लाइता उम्ब्रे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में तिनसुकिया से सायखोवा (डोल्ला) तक रेल लाइन को किस वर्ष से चालू किया गया है :

(ख) क्या इस लाइन के चालू हो जाने के पश्चात इसमें कोई सुधार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या यह वाणिज्यिक दृष्टि से उपादेय है : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे उपादेय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तिनसुकिया-सायखोवा घाट रेल लाइन को टुकड़ों में चालू किया गया था :

	लंबाई	
1. तिनसुकिया-माकुम	9 कि० मी०	16-7-1883
2. माकुम-डूम डुमा	15 कि० मी०	2-5-1884
3. डूम डुमा-तालाप	10 कि० मी०	6-2-1885
4. तालाप-ढंगारी-सायखोवा घाट	6 कि० मी० (ढंगारी तक)	1-5-1910

मौजूदा लाइन ढंगारी तक है, इसके आगे का खंड ब्रह्मपुत्र का मार्ग बदल जाने के कारण छोड़ दिया गया था।

(ख) और (ग) पिछले कई वर्षों से लगातार रेलपथ और सिगनलों का अनुरक्षण किया गया है और उनमें सुधार किया गया है।

(घ) चाय बागान क्षेत्र से चाय यातायात का संचलन सड़क द्वारा होने के कारण डूम-डुमा-ढंगारी शाखा लाइन (31 कि० मी०) के लिए बहुत ही कम यातायात बचता है इसलिए यह अर्थक्षम नहीं है।

(ङ) रेलवे ने इस लाइन को आठवीं योजना में ब० ला० आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। आमान परिवर्तन के बाद यह लाइन राष्ट्रीय ब० ला० नेटवर्क से जुड़ जाएगी और इसके परिणामस्वरूप यातायात में वृद्धि हो जाने की संभावना है।

पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिये गर्भ निरोधक

9036. **श्री समर कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1992 के 'स्टेट्समैन' में 'कोंट्रासेप्टिव फार बोथ सेक्सेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

(ग) क्या इस संबंध में कोई क्लिनिकल परीक्षण कराये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या परिवार नियोजन के उपायों के प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिये लक्ष्य निर्धारित करने की नीति में परिवर्तन करके उसे केवल स्त्रियों के लिये निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिध्दार्थ): (क) जी, हां।

(ख) प्रॉस्टेट ग्रन्थि, जो एक छोटी ग्रन्थि होती है जो पुरुषों में मूत्राशय की ग्रीवा को घेरती है से "इनहिबिन" नामक पदार्थ को अलग करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रजनन अनुसंधान संस्थान में पहले ही अध्ययन किया जा रहा है।

जैसा कि समाचार में बताया गया है प्रजनन अनुसंधान संस्थान में पशु अध्ययनों से पता चला है कि इनहिबिन ने फॉलिकिल उत्तेजक हार्मोनों के संचरण स्तर को अनुकूल करके महिलाओं में गर्भाधान को रोका। जब यह पुरुषों को दी गई तो इसने शुक्राणुओं को "पिंड" में बदल दिया जिससे अंडे का निषेचन नहीं होने पाया। इन अध्ययनों की केवल प्रयोगशाला पशुओं में ही पुष्टि की गई है।

(ग) और (घ) चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सा पूर्व पशु विषविज्ञान अध्ययनों के समाप्त होने के बाद विषविज्ञान समीक्षा पैनल से क्लियरेंस मिलने के बाद शुरू किए जाएंगे।

(ङ) अपने प्रारम्भ से ही परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए निर्धारित हैं और इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी में विज्ञान लेखन पर कार्यशाला

9037. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई० आई० टी० कानपुर ने हिन्दी में विज्ञान लेखन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां। संस्थान और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के तत्वावधान में भा० प्रौ० संस्थान, कानपुर में दिनांक 25 और 26 अक्तूबर, 1991 को "हिन्दी में विज्ञान लेखन" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

(ख) सिफारिशें विवरण में संलग्न हैं। ये सिफारिशें एक संस्थान में एक सेमिनार में की गयी थीं, अतः इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संगोष्ठी में पारित संस्तुतियां :

संगोष्ठी में अनुभव किया गया कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में लोकप्रिय विज्ञान लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, अभी तक हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप में लोकप्रिय विज्ञान लेखन उपलब्ध नहीं है । इसके साथ ही विज्ञान लेखन से और भी कई समस्याएं जुड़ी हुई है । इन समस्याओं पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सिफारिशें की गयी :

1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तकों में विज्ञान संबंधी अध्यायों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए ।

2. समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान विषयक सामग्री का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए । इसके लिए विज्ञान संबंधी स्थायी स्तंभों की शुरूआत लाभप्रद होगी ।

3. विज्ञान लेखन के क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :

(क) रचनात्मक लेखन केन्द्रों की स्थापना आई० आई० टी०, कानपुर की तरह अन्य तकनीकी संस्थानों में भी की जाए तथा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान और साहित्य संबंधी पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया जाए ।

(ख) इंजीनियरिंग मेडीकल और बेसिक साईंस के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर संप्रेषण कौशलवर्धन विषय पढ़ाने की व्यवस्था की जाए ।

(ग) ललित कला विद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान संबंधी विषयों के चित्रण को भी शामिल किया जाए ।

(घ) वैज्ञानिकों, विज्ञान लेखकों और विज्ञान के चित्रकारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जायें ।

4. विज्ञान लेखकों एवं अनुवादकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित है :

(क) विज्ञान साहित्य संबंधी पांडुलिपि तैयार करने के लिए लेखक को यात्रा, सन्दर्भ संबंधी सामग्री संकलन एवं स्टेशनरी, टंकण आदि के लिये अग्रिम आर्थिक-सहायता का प्रावधान किया जाये ।

(ख) विज्ञान लेखकों एवं अनुवादकों को अंग्रेजी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन के लिये दिये जाने वाला पारिश्रमिक एक समान हो ।

(ग) तकनीकी विषयों पर विज्ञान लेखन के लिए लेखक को मार्ग दर्शन करने वाले विशेषज्ञ को मान दिये जाने का प्रावधान हो ।

5. प्रामाणिक विज्ञान लेखन के लिये अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये जिनमें निम्न सुविधाओं की व्यवस्था हो

(क) भारतीय भाषाओं में साइंस राइटर्स वर्क स्टेशन उपलब्ध हों जिनमें वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा कोश, प्रबंधन, शैली सुधार साफट वेयर शब्दकोश, मुहावराकोश, रचनाओं के मूल्यांकन संबंधी साफट वेयरों आदि की समुचित व्यवस्था हो।

(ख) प्रशिक्षण और पांडुलिपियों के मूल्यांकन की सुविधायें उपलब्ध हों।

(ग) भारतीय विज्ञान इतिहास और लोकप्रिय विज्ञान साहित्य संबंधी ग्रंथ व पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हों।

(घ) विश्व विज्ञान साहित्य की समीक्षा संबंधी पत्रिका का प्रकाशन किया जाये।

(ङ) विज्ञान और तकनीकी लेखन कैसे करें? विषय संबंधी पुस्तकें तैयार की जायें।

(च) केन्द्र, पाठक प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण एवं अध्ययन करें।

6. लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के अनुवादकों को प्रोत्साहन के लिये प्रशिक्षण, समुचित पारिश्रमिक और उचित श्रेय दिया जाये।

7. लोकप्रिय विज्ञान लेखन सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य तथा रोचक हो। यथासंभव भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख किया जाये।

8. विज्ञान साहित्य के मूल्यांकन के मानदंड एवं पद्धतियां सुनिश्चित की जायें।

9. सामान्य पाठकों, स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य एवं केन्द्र सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप विषय-चयन और विज्ञान साहित्य का निर्माण किया जाये।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगी

9038. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगी व्यक्तियों की तलाकशुदा लड़कियां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा प्राप्त करने की पात्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें यह सुविधा देने का है क्योंकि ये लड़कियां मातापिता पर आश्रित हो जाती हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। परिवार की परिभाषा के अनुसार तलाकशुदा लड़कियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत

9039. **श्री रामकृष्ण कोंडाला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

8—21 LSS/ND/93

(क) 1990 तथा 1991 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों में 12 वीं कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) इन वर्षों के दौरान इसकी तुलना में अखिल भारतीय पास प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में 12 वीं कक्षा में सफलता की कम प्रतिशतता के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा निश्चित अवधि के बाद निरीक्षण कराया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 1990 और 1991 में कक्षा XII में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

वर्ष	के० वि० में उत्तीर्ण %	के० मा० शि० बो० की समग्र उत्तीर्ण प्रतिशतता
1990	92.66	78.00
1991	88.69	68.46

(ग) और (घ) शैक्षणिक परिणामों को बरकरार रखने तथा उनमें सुधार लाने के लिए अपने-अपने केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अपेक्षित उपचारी कदम उठाते हैं । तथापि, समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों के शिक्षा अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों द्वारा शैक्षिक निरीक्षणों का भी आयोजन किया जाता है ।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

9040. **श्री पी० सी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु कोई वरीयता/कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दक्षिण रेलवे में ऐसे व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" कोटियों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 3% रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं ।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

9041. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए विदेशी एजेंसियों से प्राप्त सहायता में से राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल कर्मचारियों को पास

9042. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान कुछ नि:शुल्क पास और पी० टी० ओ० जारी किए जाते हैं :

(ख) यदि हां, तो राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले पासों और पी० टी० ओ० का अलग-अलग ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या ये नि:शुल्क पास तथा पी० टी० ओ० रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जारी किए जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले पासों और पी० टी० ओ० का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इन दो श्रेणियों के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा में कोई भिन्नता है तो उसके क्या कारण हैं :

(ङ) क्या कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले पी० टी० ओ० की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है : और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश निम्न प्रकार प्रदान किये जाते हैं :—

	सुविधा पास	सुविधा टिकट आदेश
राजपत्रित (ग्रुप "ए" और "बी")	— प्रतिवर्ष 6 सेट	
अराजपत्रित (ग्रुप "सी" और "डी")	— (i) सेवा के पहले पांच वर्षों के दौरान—प्रतिवर्ष 1 सेट (ii) सेवा के पांच वर्षों के बाद — प्रतिवर्ष 3 सेट	प्रतिवर्ष 4 सेट

(ग) और (घ) रेलवे सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पात्र रेल कर्मचारियों को उनके ग्रुप और रेलवे सेवा की अवधि के आधार पर रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में यथानिर्धारित मानार्थ पास प्रदान किये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :—

राजपत्रित

(ग्रुप "ए" और "बी")	— (i)	20 वर्ष की रेलवे सेवा पूरी करने के बाद—प्रति वर्ष 2 सेट पास
	— (ii)	25 वर्ष की रेलवे सेवा पूरी करने के बाद—प्रति वर्ष 3 सेट पास

अराजपत्रित

(ग्रुप "सी")	— (i)	20 वर्ष की रेलवे सेवा पूरी करने के बाद—प्रति वर्ष 1 सेट पास
	— (ii)	25 वर्ष की रेल सेवा पूरी करने के बाद—प्रति वर्ष 2 सेट पास
(ग्रुप "डी")	— (i)	25 वर्ष की रेल सेवा के बाद हर दूसरे वर्ष—1 सेट पास

सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मचारी सुविधा टिकट आदेश पाने के हकदार नहीं होते।

(ङ) और (च) पात्र विधवाओं को मानार्थ पास प्रदान करने की योजना शुरू किये जाने के फलस्वरूप सेवारत रेल कर्मचारियों को जारी किये जा रहे सुविधा टिकट आदेशों की संख्या 6 से घटाकर चार कर दी गयी है जिससे अतिरिक्त बोझ संतुलित हो सके।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उर्दू "सर्टिफिकेट कोर्स"

9043. श्री केशरी लाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, विगत तीन-चार वर्षों से उर्दू "सर्टिफिकेट कोर्स" चला रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाठ्यक्रम अब स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों का भंडार

9044. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को भारतीय खाद्य निगम के भंडार में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की कितनी मात्रा थी;

(ख) 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई;

(ग) 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया;

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल मांग का कितने प्रतिशत खाद्यान्न दिया गया; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के लिए राज्यों से राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तथा खाद्यान्नवार विभिन्न खाद्यान्नों की कुल कितनी मांग की गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-4-91 और 1-4-92 को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अनुमानित स्टाक निम्नानुसार था :—

(लाख मीटरी टन में)

निम्न तारीख को	*चावल*	*गेहूं*	*मोटे अनाज*	*जोड़*
1-4-91	101.73	56.45	0.01	158.19
1-4-92	88.79	21.87	नगण्य	110.66

(ख) 1991-92 (वित्तीय वर्ष) के दौरान वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

गेहूं	77.52
चावल (चावल के हिसाब से धान सहित)	104.45
मोटे अनाज	0.51

(ग) और (घ) 1991-92 वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहू की कुल मांग और आवंटन तथा मांग की तुलना में आवंटन की प्रतिशतता की स्थिति नीचे दी गई है —

(लाख मीटरी टन में)

मांग		*आवंटन*		*प्रतिशतता*	
चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
151.88	156.24	111.39	101.59	73%	65%

(ङ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास अनुरोध किया जाता है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें। चूंकि उनसे मांग मासिक आधार पर प्राप्त होती है और आवंटन भी मास प्रति मास के आधार पर किए जाते हैं इसलिए 1992-93 के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कुल मांग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

गर्भ निरोधक नीम का तेल

9045. श्री अन्ना जोशी
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दिपा } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान ने ऐसे किसी गर्भ निरोधक नीम के तेल का विकास किया है जिसका कोई गौण प्रभाव नहीं पड़ता है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस जड़ी-बूटी संबंधी गर्भ निरोधक की तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, संस्थान में किए गए अनुसंधान से बंदरों सहित प्रयोगमूलक जानवरों में प्रजननता रोकने में नीम के तेल की प्रभावकारिता प्रमाणित हुई है। उन्होंने शुक्राणुनाशी गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग के लिए नीम के अर्क से युक्त क्रीम भी तैयार की है। जानवरों पर इनका प्रयोग अभी किया जा रहा है तथा विषविज्ञान संबंधी समीक्षा पैनल की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) सरकार इस औषध की चिकित्सीय जांच का पोषण करना चाहेगी और उसके बाद यदि विषविज्ञान संबंधी समीक्षा पैनल की रिपोर्ट के अनुसार इसे निरापद पाया गया तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के घाटे

9046. श्री जगमीत सिंह बरार
श्री नीतीश कुमार
मोहम्मद अली अशरफ फातमी

} क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम गत तीन वर्षों से घाटे पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा ढुलाई, भण्डारण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय पर कितनी धनराशि खर्च की गई : और

(ग) इस व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार हानियां हुई हैं :—

वर्ष	*रुपये (करोड़ में)*
1988-89	7.53
1989-90	11.10
1990-91	7.95

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान किए गए मार्गस्थ, भण्डारण और अन्य प्रशासनिक खर्चों की स्थिति नीचे दी गई है :—

रुपये (करोड़ में)

खर्च की मद	1988-89	1989-90	1990-91
परिवहन	455.54	491.00	613.85
अनाजों की हैंडलिंग	127.96	138.29	189.54
भण्डारण संबंधी खर्च	312.75	248.14	274.02
ब्याज प्रभार	195.82	241.57	556.18
हैण्डलिंग में हानियां	106.01	77.19	148.42
प्रशासनिक प्रभार	179.72	143.44	182.39
	1377.80	1339.63	1964.40

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने प्रशासनिक खर्चों को कम करने तथा खाद्यान्नों के भण्डारण, हैंडलिंग, संचलन और वितरण संबंधी खर्चों में किफायत करने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

दवाओं के फार्मूले बनाना

9047. **श्री अवधा कुमार पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60,000 से भी अधिक तरह की दवाओं और फार्मूले बनाने की विधियां मात्र 700 मूल औषधों में निहित है : और

(ख) यदि हां, तो उन धोखेबाज औषधि निर्माताओं, जो अनुसंधान पृष्ठभूमि के बिना विभिन्न औषधि और फार्मूला बनाने के मिक्स्चर तैयार करते हैं और नई दवाओं के नाम पर मनमाने ढंग से अधिक मूल्य वसूल करते हैं, से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए दवाओं और फार्मूला बनाने की युक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) औषधों/फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए उसी औषध के विभिन्न ब्रांडों, विभिन्न खुराकों, विभिन्न पैकेजिंग सहित फार्मूलेशनों की सही संख्या केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने बाजार में बेचे जा रहे फार्मूलेशनों की वर्तमान जानकारी के संदर्भ में उनकी निरापदता, प्रभावकारिता, उपयुक्तता की दृष्टि से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है तथापि, यह एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सरकार ने अब तक फार्मूलेशनों की 43 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है।

नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश देना

9048. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) इन केन्द्रों में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम क्या है :

(ग) इनमें से कितने केन्द्रों में नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है ; और

(घ) इन केन्द्रों में प्रवेश पाने का क्या मानदंड है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :—

जी० एन० जी० नर्सिंग पाठ्यक्रम

वे सभी छात्र जिन्होंने विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है । दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होगी ।

सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम

वे सभी छात्र जिन्होंने अधिमानत: विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है । दाखिले के लिए आयु सीमा 17 वर्ष से 35 वर्ष होगी ।

सहायक नर्स और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम

वे सभी छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण की है । दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है ।

विवरण

वर्ष 1990 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य नर्सिंग परिषदों और परीक्षण बोर्डों के नाम	सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी			ए० एन० एम०/एच० डब्ल्यू०	स्वास्थ्य विजिटर/ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
		पुरुष	महिलाएं	मिडवाइफरी		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	74	74	144	—
2.	असम	4	20	20	20	1
3.	बिहार	—	21	14	35	1

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	7	21	20	4	—
5.	हरियाणा	1	6	4	9	1
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4	4	8	1
7.	केरल	—	61	61	31	3
8.	महाकौशल	—	17	16	37	—
9.	महाराष्ट्र	—	46	41	34	—
10.	मद्रास	—	25	22	18	3
11.	कर्नाटक	—	30	31	21	4
12.	उड़ीसा	—	5	5	19	1
13.	पंजाब	3	26	3	13	1
14.	राजस्थान	16	3	8	17	2
15.	उत्तर प्रदेश	—	24	14	48	4
16.	पश्चिम बंगाल	—	28	—	21	6
17.	मिडवाइफरी भारतीय बोर्ड	4	8	8	4	—
18.	दक्षिण भारत बोर्ड	4	20	20	8	—
19.	ए० एफ० एम० एस० परीक्षण बोर्ड	—	3	16	—	—
20.	त्रिपुरा	—	1	—	3	1
	महायोग	39	443	381	494	29

भारतीय उपचर्या परिषद,
कोटला रोड, टेम्पल लेन,
नई दिल्ली-2

वर्ष 1990 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या

सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी			ए० एन० एम०/एच० डब्ल्यू०	स्वास्थ्य विजिटर/ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
पुरुष	महिला	मिडवाइफरी		
8	9	10	11	12
—	495	491	257	150
5	235	207	137	12
—	686	699	1547	74
49	443	502	67	—
1	217	100	361	38
—	9	9	503	—
18	2685	2660	554	120
—	274	316	481	—
25	1314	1446	1465	—
—	856	957	777	13
6	596	477	940	120
—	223	223	608	50
10	777	302	885	53
11	78	115	660	79
13	342	327	2371	169
—	1007	—	544	307
26	96	104	34	—
—	281	210	92	—
—	214	223	—	—
—	40	—	94	—
154	10860	9368	12377	1185

31 दिसम्बर, 1990 तक राज्य रजिस्टरों में दर्ज किए गए अर्हता प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या

सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी		ए० एन० एम०/एच० डब्ल्यू०	स्वास्थ्य विजिटर/ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
पुरुष	महिलाएं		
13	14	15	16
495	14982	15860	1227
15	2112	2054	46
54	8829	7501	1510
873	23418	8573	1276
124	3259	3882	162
212	1312	2055	274
333	22414	6738	674
2386	55813	15454	574
1639	366415	10861	551
2287	31368	7210	1478
—	23401	20707	3787
4381	11449	882	110
1293	22179	10447	1963
—	9819	10424	323
638	12190	10849	2734
746	16425	16934	1204
	नॉन रजिस्टरिंग वाढी		
	—तदेव—		
	—तदेव—		
—	—	—	—
3.11.235		150431	17892

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं की क्षति

9049. श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री बापू हरि चौरे
श्री प्रकाश वी० पाटील
: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेमौसमी बरसात, गेहूं गोदाम में गेहूं के स्टाक खराब होने और ढुलाई के दौरान हुई बरबादी से कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के गेहूं की क्षति हुई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये कुल गेहूं में से अनुमानित कितना गेहूं खराब हो गया है और इस प्रकार कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) बेमौसमी वर्षा के कारण गेहूं की कोई हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि रबी 1992-93 के लिए गेहूं की वसूली हाल ही में शुरू की गई है, इसलिए इस वर्ष गोदामों में स्टाक के खराब होने और मार्ग में स्टाक की कमी होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1992-93 के दौरान 28-4-1992 तक 5.60 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली है। राज्यों की एजेन्सियों ने 14.35 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की है। वर्तमान रबी मौसम के दौरान वसूल किए गए गेहूं के स्टाक के किसी तरह से खराब होने के बारे में कोई सूचना नहीं है और इसलिए किसी हानि की सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गोदामों में स्टाक की क्षति को रोकने और मार्ग में इसकी कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए गए हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में खाद्यान्न रखता है जोकि मूषक और नमी प्रूफ होते हैं।

(2) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाता है।

(3) जब कभी आवश्यक होता है, तब अस्थायी भंडारण के लिए वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन की गई प्रणाली के अधीन खुले में खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(4) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर भण्डारित किया जाता है और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई न्यून घनत्व की काली पोलीथीन की वाटर प्रूफ चादरों से ढका जाता है।

(5) कीटाणुओं और चूहों, पक्षियों आदि जैसे अन्य पीड़क जन्तुओं द्वारा होने वाली पीड़क जन्तुबाधा पर काबू पाने के लिए स्टाक का यथापेक्षित नियमित निरीक्षण और सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाते हैं।

(6) खाद्यान्नों की वसूली विनिर्दिष्टियों के अनुसार की जाती है।

(7) खुले वैगनों का कम से कम उपयोग करना।

(8) पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किये जाते हैं ताकि चोरी और घोटाले को रोका जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

चावल का आयात

9050. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान सरकार का विचार चावल का आयात करने का है;

(ख) क्या खुले बाजार में चावल के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) चावल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में जमाखोरी निरोधी अभियान को तेज करना और स्टाक रखने की सीमा को कम करना शामिल है। राज्य सरकारों को हाल ही में परामर्श दिया गया है कि वे जमाखोरी निरोधी अभियान में तेजी लाएं। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे चावल का स्टाक रखने की सीमा को कम करके थोक विक्रेताओं के लिए 250 क्विंटल, खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 क्विंटल और चावल मिल मालिकों के लिए 500 क्विंटल कर दें।

मैसूर चिड़ियाघर का शताब्दी समारोह

9051. **श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्स :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर चिड़ियाघर अक्तूबर 1992 में अपने सौ वर्ष पूरे कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शताब्दी समारोह मनाने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का है;

(ग) क्या शताब्दी समारोह के संबंध में, पशुओं के व्यवहार पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर चिड़ियाघर का शताब्दी समारोह मनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मैसूर चिड़ियाघर के प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसूर चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में चिड़ियाघर के निदेशकों और वन्यी प्रजनन विशेषज्ञों के दल की कुछ बैठकें शामिल हैं।

[हिन्दी]

निरक्षरता उन्मूलन

9052. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निरक्षरता उन्मूलन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन संगठनों ने निरक्षरता अभियान की अपनी लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) प्रत्येक संगठन के लक्ष्य की उपलब्धि और उसके श्रम बल की किस प्रकार निगरानी की जाती है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक संगठन की उपलब्धि क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत, निम्नलिखित दो योजनाएं हैं, जिनके तहत स्वैच्छिक एजेंसियों को पूर्ण साक्षरता अभियान तथा जनशिक्षण निलयमों की परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती है :—

(i) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सक्षमता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वे पंजीकृत सोसायटियां, तीन वर्ष या इससे-अधिक समय से अस्तित्व में हैं, को संस्वीकृति दी जाती है ।

(ii) निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, जिन जिला साक्षरता समितियों को, विशेष तौर पर पूर्ण साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत किया गया है तथा जिनकी अध्यक्षता जिलाधीशों/जिला आयुक्तों द्वारा की जाती है, उन्हें पूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियानों की संस्वीकृति दी जाती है ।

वर्ष 1991-92 के दौरान कोई भी बुनियादी शिक्षा परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई । निम्नलिखित 4 स्वैच्छिक एजेन्सियों को जनशिक्षण निलयम की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई :—

क्र० सं०	स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम व पता	जनशिक्षण निलयम की संख्या
1.	सर्व सेवा फार्म एसोसिएशन, दत्तापुर, वर्धा	21
2.	चेतना विकास, गोपुरी, गीतेनगर, वर्धा	17
3.	ग्राम विकास तन्त्र निकेतन, पिपरी, वर्धा	5
4.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दी नगर, वर्धा	144

निम्नलिखित जिलों की जिला साक्षरता समितियों को पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई :—

(1) सिन्धुदुर्ग ।

(2) वर्धा ।
(3) बम्बई सिटी ।
(4) पुणे (ग्रामीण) ।
(5) लातूर ।
(6) औरंगाबाद ।
(7) रत्नागिरी ।
(8) जालना ।
(9) नांदेड ।
(10) परभनी ।

(ख) पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्टें, इस मंत्रालय को प्राप्त हो रही हैं ।

(ग) संगणीकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति के तहत प्रगति रिपोर्टों के प्रारूप, स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा जिला साक्षरता समितियों को पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं ।

(घ) जिला साक्षरता समितियों की संस्वीकृत पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं से सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त होने की सूचना मिली है । जिला साक्षरता समितियों को संस्वीकृत 10 पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं में से, सिन्धु दुर्ग तथा वर्धा जिले, पूर्ण साक्षर जिले घोषित किए गए हैं ।

[अनुवाद]

गीर वनों में शेर

9053. श्री विजय कृष्ण हांडिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 की वन्य जीव संख्या के आंकड़ों के अनुसार गीर वनों में शेरों की मृत्यु दर अधिक बढ़ी है जबकि उनकी संख्या में वृद्धि बहुत कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(ग) गीर वनों में इस समय कितने शेर हैं ;

(घ) क्या वहां वन्य जीवों की संख्या में सामान्य कमी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा 1990 में की गई गणना के अनुसार गीर अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक शेरों की संख्या 284 थी, जबकि 1985 में की गई पिछली गणना के समय इनकी संख्या 239 थी । 1985 से 1990 की अवधि में 65 शेर निम्नलिखित कारणों से मर गए बताए जाते हैं :—

शेरों की मृत्यु के कारण

	दुर्घटना	प्राकृतिक मृत्यु	चोरी छिपे शिकार	जोड़
1985-86	5	1	1	7

	दुर्घटना	प्राकृतिक मृत्यु	चोरी छिपे शिकार	जोड़
1986-87	2	1	1	4
1987-88	4	6	2	12
1988-89	14	13	3	30
1989-90	6	5	1	12
जोड़	31	26	8	65

1991 और 1992 में शेरों की गणना नहीं की गई ।

(घ) जी, नहीं :

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में गाड़ियां रद्द करना

9054. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूपसा-भांगरीपोसी संकरी लाइन पर पैसेंजर गाड़ियों को रद्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में गुनुपुर-नौपाड़ा संकरी लाइन पर भी रेल सेवा बंद कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये स्कूल

9055. श्री आनन्द राव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्कूलों को अपनाये जाने के क्या मानदण्ड हैं ; और

(ख) अब तक ऐसे कितने स्कूलों को अपनाया गया है और इन स्कूलों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) स्कूलों को अपनाने का मानदण्ड निम्नलिखित है :—

स्कूल के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(i) भोजन और आवास की सुविधा ।

(ii) कुछ खेलों की तुलनात्मक सुविधा/खेल मैदान के लिए पर्याप्त खाली स्थान।

(iii) अच्छा शैक्षिक रिकार्ड।

(iv) एन०एस०टी०सी० योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों के लिए तीसरी से आठवीं तक की कक्षा (8—13 वर्ष के आयु वर्ग) में वार्षिक प्रवेश के लिए 10% सीटों का आरक्षण।

(v) एन०एस०टी०सी० योजना के अन्तर्गत प्रविष्ट बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अब तक अपनाए गए स्कूलों की संख्या 56 है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए स्कूलों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(i) विभिन्न खेल विधाओं में खेल की मूलभूत सुविधाओं के सुधार/विस्तार/सृजन तथा आवश्यक खेल उपस्कर के लिए एक मुश्त अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 7.5 लाख रुपये) तक की अनावर्ती वित्तीय सहायता।

(ii) एन०एस०टी०सी० छात्रों के लिए अपेक्षित खेल सुविधाओं के रखरखाव और खेल उपस्कर की खरीद के लिए 50,000 रुपये तक प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।

(iii) प्रत्येक पहचान की गई विधा में एक वैतनिक कोच के अलावा किसी विशेष विधा में एन०एस०टी०सी० योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चे अधिक होने की स्थिति में एक अतिरिक्त कोच का प्रावधान।

(iv) एन०एस०टी०सी० योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को खेल-किट।

(v) भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुरोध पर अपनाए गए स्कूलों में प्रविष्ट किए गए छात्रों के बारे में इन स्कूलों को निम्नलिखित वस्तुओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति।

— प्रवेश शुल्क
— भोजन और आवास खर्च
— ट्यूशन फीस
— चिकित्सा
— बीमा
— भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा यथा नामित उन बच्चों को आने जाने का यात्रा खर्च जो अपने राज्य से बाहर स्कूल में प्रवेश लेते हैं।

नवोदय विद्यालय

9056. श्री चन्द्रकान्त चन्द्राकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के हैं;

(ख) नवोदय विद्यालय शुरू करने में कितनी औसत लागत आती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति पांच लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक नवोदय विद्यालय खोलने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नवोदय विद्यालयों में दिनांक 1-12-91 की यथा-स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की औसत प्रतिशतता क्रमश: 20.35 प्रतिशत तथा 10.75 प्रतिशत थी । नवोदय-विद्यालयों में पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है और उनके सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) कक्षा-VI में एक विद्यालय आरम्भ करने के लिए औसतन आवर्ती तथा अनावर्ती लागत 14.00 लाख रुपए है । इसमें भवनों की लागत शामिल नहीं होती है जिसका बाद में पता चलता है ।

(ग) जी, नहीं । नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय-विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना है ।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान पर कार्यशाला

†9057. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साक्षरता अभियान में निजी संगठनों की भूमिका पर मार्च, 92 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था : और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यशाला में कौन-कौन से मुद्दे उठाए गये और क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मार्च 1992 में निजी संगठनों की भूमिका पर सरकार ने कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में रेल सेवाएं पुन: चालू करना

9058. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत कुछ वर्षों के दौरान गुजरात हो कर जाने वाली पश्चिम रेलवे की अनेक रेल-सेवाएं स्थगित कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेल-सेवाओं को पुन: चालू करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1989-90 से निम्नलिखित गाड़ियां बंद कर दी गयी हैं :—

(i) 293/294 भावनगर—अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर

(ii) 303/304 भावनगर—अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर

(iii) 439/440 प्रतापनगर—छोटा उदयपुर फास्ट मिश्रित गाड़ी, बोडेली—छोटा उदयपुर खंड पर

(iv) 441/442 चांपानेर रोड—पानी माइन्स फास्ट मिश्रित गाड़ी

(v) 411/412 बडौंसरा—नवलखी मिश्रित गाड़ी

(vi) 139 अप रणुज—पाटन मिश्रित गाड़ी

(vii) 451/452 मोरवी—घांटीला मिश्रित गाड़ी

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

विद्वत्पीठम को पाठशाला में बदलना

9059. प्रो० सावित्री लक्ष्मन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडन्गल्लूर, जिला त्रिचूर, केरल में स्थित विद्वत्पीठम को एक आदर्श पाठशाला में बदलने के लिए कोई कदम उठाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं : और

(घ) कोडन्गल्लूर विद्वत्पीठम को वर्ष 1992-93 के लिए दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने विद्वत्पीठम कोडन्गल्लूर, जिला त्रिचुर को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव की जाँच की है। तदनुसार संस्थान को अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से विचारार्थ प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(घ) वर्ष 1992-93 में विद्वत्पीठम कोडन्गल्लूर को अनुदान दिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

9060. श्री बाहुल जान अंजलोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिलावार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के प्रथम तीन चरणों के दौरान कितने स्कूलों को इसमें शामिल किया गया :

(ख) क्या चौथे चरण के संबंध में केरल सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिले हैं :

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है :

(घ) क्या चौथे चरण में नगरपालिका क्षेत्रों के स्कूलों को शामिल किया जायेगा : और

(ङ) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है, उसमें से केरल के लिये कितनी मंजूर की गयी है तथा 31 मार्च, 1992 तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी हाँ । केरल को वर्ष, 1991-92 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के चौथे चरण के प्रस्ताव की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसमें राज्य के 30 ब्लाकों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में शेष सभी 1149 प्राईमरी स्कूलों को शामिल कर लिया गया है ।

(ङ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अब तक 699.04 करोड़ रुपए की धनराशि संस्वीकृत की जा चुकी है । इसके अलावा, केरल को 31 मार्च, 1992 तक 613.57 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत और जारी कर दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	जिला	केरल में शामिल किए गए स्कूलों की सं० चरण-वार		
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
1.	तिरूवनन्तपुरम	107	156	—
2.	कोल्लम	81	203	—
3.	पतनमथिट्टा	88	97	—
4.	अलेप्पी	72	67	—
5.	कोट्टायम	76	137	—
6.	इदुक्की	71	84	43
7.	एरनाकुलम	97	106	256
8.	त्रिस्सूर	85	148	286
9.	पालक्काड	62	252	226
10.	मालाप्पुरम	181	253	412
11.	कोझिकोडे	182	261	269
12.	वायानेद	45	78	—
13.	कन्नूर	142	290	323
14.	कासर गोड	151	111	—
	जोड़	1440	2243	1815

भारतीय इतिहास कांग्रेस को सहायता

9061. **श्री राम नाईक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय इतिहास कांग्रेस को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कांग्रेस को कितनी वित्तीय सहायता मिली और यह सहायता किस प्रयोजनार्थ दी गई थी ;

(ग) क्या कांग्रेस ने हाल ही में अपनी सदस्यता के नियमों में संशोधन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) क्या सरकार का विचार नियमों में परिवर्तनों को देखते हुए वित्तीय सहायता के बारे में अपने निर्णय की समीक्षा करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कांग्रेस ने दिल्ली में 21 से 23 फरवरी, 1992 तक अपना 52वां अधिवेशन आयोजित किया । सरकार ने 3.00 लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया ताकि भारतीय इतिहास कांग्रेस यह अधिवेशन आयोजित कर सके । इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने सम्मेलन का 52वां अधिवेशन आयोजित करने के लिए 30,000 रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया । वि०अ०आ० ने भी सिद्धान्ततः 10,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है । भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय इतिहास कांग्रेस के 50वें तथा 51वें अधिवेशन के लिए संस्वीकृत किए गए अनुदान क्रमशः 80,000 रुपये और 78,500 रुपये थे ।

(ग) से (ङ) भारतीय इतिहास कांग्रेस इतिहासकारों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपने कार्यों का स्वयं प्रबंध करती है । सरकार इस पर किसी प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग नहीं करती । तथापि, भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सदस्यता में अभूतपूर्व वृद्धि, कांग्रेस के प्रबंध की समस्याओं और जटिलताओं में वृद्धि के कारण सदस्यता में संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हो गए थे ।

बसंत विहार में प्राथमिक स्कूल

9062. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी पी डब्लू डी कालोनी, बसंत विहार, नई दिल्ली में एक प्राइमरी स्कूल चलाया जा रहा है :

(ख) क्या स्कूल के लिए भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई है :

(ग) यदि हां, तो भवन का निर्माण अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं : और

(घ) उक्त स्कूल के लिए भवन निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां । वर्तमान में स्कूल शामियाने में चल रहा है । दस कमरों वाले एक स्कूल-भवन के निर्माण की योजना है और निर्माण एजेन्सी पहले ही निर्धारित कर ली गई है । इस भवन के एक वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना नहीं है ।

[हिन्दी]

अल्कोहल युक्त आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री

9063. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों की, जिनमें अल्कोहल काफी मात्रा में होता है, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा इसका नुस्खा लिखे बिना ही बाजार में बिक्री की जा रही है : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री सीमित की जा सके जिनका शराब के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर दिनांक 4 मई, 1990 को आयोजित आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी परामर्शदात्री बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई । बोर्ड इस बात पर सहमत था कि मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षासव की बिक्री के लिए राज्य मौजूदा आबकारी अधिनियमों के अधीन बिक्री लाइसेंस अनिवार्य किए जाएं तथा ये औषधें पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही दी जाएं । इन औषधों का दुरुपयोग राज्य के मौजूदा आबकारी और अन्य कानूनों तथा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के तहत रोका जाए ।

इस निर्णय के बारे में सभी राज्य आबकारी विभागों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य औषध नियंत्रकों को सूचित कर दिया गया ।

[अनुवाद]

दामोदर-बड़ाकर बेसिन में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ना

9064. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मरुभूमि विकास बोर्ड ने देश के कोयला खान क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति को बिगड़ने से रोकने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कोई धनराशि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है :

(ग) दामोदर-बड़ाकर बेसिन में कोयला खान क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाने हेतु चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या ये कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां, बिहार और पश्चिम बंगाल की कोयला खानों में प्रायोगिक पैमाने पर, उपलब्ध प्रोद्योगिकी के प्रदर्शन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :—

(1) निम्नलिखित की खान भूमि के सुधार की प्रदर्शन परियोजना :

(i) झरिया कोल फील्ड, जिला धनबाद, बिहार

(ii) रानीगंज फील्ड, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल वनीकरण और मृदा तथा जल संरक्षण उपायों से 500 हैक्टेयर भूमि के उपचार हेतु पांच वर्षों के लिए 66.48 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और 1990-91 के दौरान 13.62 लाख रुपए मुक्त किए जा चुके हैं ।

(2) रानीगंज कोल फील्ड क्षेत्र में धनबाद बिहार तथा बर्दवान, पश्चिम बंगाल जिलों में 6 कार्य स्थलों में समुचित वृक्ष प्रजातियों के रोपण तथा जल क्षेत्र में वृद्धि करके खान परती भूमि का सुधार, 195 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 22.72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान 11.15 लाख रुपए मुक्त किए जा चुके हैं ।

(ग) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मृदा संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना से 1991-92 तक 3.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है जिसके लिए 30.94 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया है । इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य अवक्रमित जल ग्रहण क्षेत्रों को मजबूत बनाकर उनकी उत्पादी संभाव्यता में सुधार लाकर जल-भंडारों को समय से पूर्व गाद से भर जाने से रोकना है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं और उनकी प्रभाविकता कुछ समय बाद ही ज्ञात हो सकेगी । फिर भी दामोदर-बराकर के नदी घाटी जल-ग्रहण क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मृदा संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत उपचार किए गए क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जहां उपचार किए गए जल संभरणों से गाद के बहाव में कमी आई है तथा दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत जल भंडारों में तलछट में कमी आई है ।

अधिगृहीत की गई भूमि के बदले मुआवजे का भुगतान

9065. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिवा-वसई, आपता रोहा करजत लोनावला (तीसरी लाइन) और इगतपुरी-कसारा (तीसरी लाइन) रेल-लाइनों के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत की है लेकिन उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) सरकार का उन किसानों को कब तक मुआवजा देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण तथा तत्संबंधी मुआवजे की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । नियमानुसार, अधिगृहीत की गई भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि रेलवे द्वारा राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकारियों के पास जमा करा दी गई है । जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

शान्तिपुर-नवद्वीप घाट रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9066. डा० असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शान्तिपुर-नवद्वीप घाट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शांतिपुर-नवद्वीपघाट (छो०ला०) खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है । इस लाइन का आमान परिवर्तन कार्य का शुरू होना सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

9067. कुमारी विमला वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदी सलाहकार समिति ने मई, 1989 से कितनी बैठकें आयोजित की;

(ख) क्या "हिंदी दिवस" या "हिंदी सप्ताह", प्रति वर्ष मनाये जाते हैं;

(ग) हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने पुरस्कार दिये गए और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें पुरस्कार दिये गए;

(घ) क्या रेलवे में हिंदी का स्तर गिर गया है; और

(ङ) इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मई 1989 से, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें 7 जून, 1989 और 3 अक्तूबर, 1989 को आयोजित की गयी थीं।

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों पर हिंदी दिवस/सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के साथ किया जाता है। चूंकि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी सप्ताह पिछले 2 वर्षों से नहीं मनाया जा सका है।

(ग) हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्षेत्रीय एवं रेलवे बोर्ड के स्तर पर विभिन्न पुरस्कार दिए गये हैं। पुरस्कार पाने वालों के नाम इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ii) समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और

(iii) पुरस्कारों के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

अलीपुर द्वार जं० और न्यू अलीपुर द्वार के बीच की रेल लाइन को बदलना

9068. **श्री बसुदेव आचार्य**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनसाधारण को पेश आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अलीपुर द्वार जं० से न्यू अलीपुर द्वार के बीच की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अलीपुर द्वार जं० से न्यू अलीपुर द्वार तक कोई छोटी लाइन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें

9069. **श्री जितेन्द्र नाथ दास**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वेस्ट दिनाजपुर के बालुरघाट सहित मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एकलाखी-बालुरघाट नयी ब० ला० 1983-84 में अनुमोदित की गयी थी । इस परियोजना की वर्तमान लागत लगभग 60 करोड़ रुपये होगी । अभी तक इस परियोजना पर एकलाखी और गज़ोल के बीच मिट्टी संबंधी कार्य पर 2.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है । संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना के लिए 87-88 से अब तक केवल सांकेतिक धनराशि की ही व्यवस्था की जा सकी है, इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

[हिन्दी]

शाहजहांपुर-पीलीभीत-टनकपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9070. डा० परशुराम गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शाहजहांपुर-पीलीभीत-टनकपुर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक ही आमान वाली रेल प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए चुनिंदा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए रेलों ने एक कार्य योजना शुरू की है । प्रथम चरण में शामिल की गई लाइनें परिचालनिक/सामरिक प्राथमिकताओं पर आधारित हैं । जब दूसरे चरण में बकाया लाइनों के आमान परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया जाएगा । तब इस लाइन पर भी विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियां

9071. श्री राम नारायण बैरवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से अरावली क्षेत्र में खनन तथा अन्य गतिविधियों के बारे में जारी की गई अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिले हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारत सरकार ने हरियाणा के गुड़गांवा जिले और राजस्थान के अलवर जिले के अरावली श्रृंखला में आने वाले क्षेत्रों में खनन और

कतिपय अन्य गतिविधियों को विनियमित करने, न कि प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है। 60 दिन की अवधि के अन्दर अपनी टिप्पणियां, सुझाव अथवा आपत्तियां, यदि कोई हो, दायर करने के अवसर का लाभ उठाते हुए राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जिसमें आशंका व्यक्त की गई है कि :

- जिले और राज्य का समग्र विकास प्रभावित होगा ;
- बेरोजगारी बढ़ेगी :
- राज्यों को राजस्व की हानि होगी :
- परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब होगा ;
- इससे राज्य और केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्रवाई की पुनरावृत्ति होगी ;
- राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा, आदि ।

हरियाणा और राजस्थान राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्रमशः 30-3-1992 और 7-4-1992 को हुई सुनवाइयों में अपनी लिखित टिप्पणियों के अलावा विचार भी व्यक्त किए । अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय प्राप्त टिप्पणियों पर समुचित ध्यान दिया जायेगा ।

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा परिषद

9072. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ शिक्षा परिषद का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन के पीछे क्या उद्देश्य है तथा इसका क्षेत्राधिकार क्या है :

(ग) इसमें नियुक्त तथा नामजद सदस्यों का ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या इस निर्णय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने विरोध दर्ज कराया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है : और

(च) इस परिषद के गठन के बाद पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई०जी०एन०ओ०यू०) अधिनियम, 1985 की धारा 5(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से, हाल ही में विश्वविद्यालय को एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी०ई०सी०) की स्थापना की है । दूरस्थ शिक्षा परिषद की सामान्य जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोन्नत करने के लिए, उसके समन्वित विकास और उसके स्तरों को निर्धारित करने और रख रखाव के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों, सांविधियों और अध्यादेशों के अनुरूप हों ।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 13-3-1992 को गठित दूरस्थ शिक्षा परिषद में निम्नलिखित शामिल हैं :—

कुलपति, इं० गां० रा० मु० वि० अध्यक्ष के रूप में शिक्षा सचिव
सचिव, विश्व० अनु० आ० } पदेन
तथा निम्नलिखित मनोनीत सदस्य :

एफ० आर० टी० वी० कून्नाकल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल ।

प्रो० (श्रीमती) राजम्मल पी० देवदास, कुलपति, अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा महिला संस्थान ।

प्रो० टी० एन० भारद्वाज, कुलपति, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय ।

प्रो० आर० वी० आर० चन्द्रशेखर राव, कुलपति, डा० बी० आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ।

डा० बी० पी० तुल्ला, निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, बम्बई विश्वविद्यालय ।

प्रो० आर० एस० रघ, निदेशक, पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय, उत्कल विश्वविद्यालय ।

प्रो० सव्यासाची भट्टाचार्य, कुलपति, विश्वभारती ।

प्रो० सी० एस० झा, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ।

श्री यू० सी० तिवारी, भूतपूर्व मुख्य सूचना अधिकारी, भारत सरकार ।

(घ) इं० गां० रा० मु० विश्वविद्यालय तथा वि० अ० आ० द्वारा प्रस्तुत की गई एवं विभाग में उपलब्ध सूचनानुसार, किसी भी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा परिषद स्थापित करने के संबंध में कोई विरोध प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के परिसरों का किराया

9073. श्री धर्मलिंगम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राउज ऐवेन्यू स्थित तकनीकी शिक्षा निदेशालय का किराया हाल ही में कथित रूप से 4500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 56,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस मनमानी वृद्धि के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, न्यायालय में मामले को अन्तिम रूप दिए जाने तक दयाल सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय न्यास सोसाइटी को दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रतिमाह 50,899/- रु० की राशि किराए के रूप में दी जा रही है ।

तमिलनाडु के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

9074. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के शैक्षिक रूप से उन पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं जो तमिलनाडु में साक्षरता के औसत स्तर से नीचे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से तमिलनाडु के तथा सामान्य रूप से सारे देश में साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष धनराशि प्रदान की है : और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इसमें तमिलनाडु का हिस्सा कितना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे आपरेशन-ब्लैकबोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शैक्षणिक-विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । राज्य-सरकारों को पिछड़े हुए जिलों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कुल आबंटनों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के आबंटनों को विभाग की वर्ष 1991-92 की वार्षिक-रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है ।

विवरण

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की औसत-स्तर-साक्षरता-दर 46.76 (सभी व्यक्ति) से कम साक्षरता दर वाले जिलों की सूची

राज्य का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	साक्षरता-दर
तमिलनाडु	1.	उत्तर-एरकोट	40.89
	2.	दक्षिण-एरकोट	36.78
	3.	धर्मपुरी	29.00
	4.	सेलम	39.29
	5.	पेरियार	39.81
	6.	तिरूचिरापल्ली	45.62
	7.	पुडुकोट्टई	38.69
	8.	रामनाथपुरम	45.32

स्रोत : 1981 जनगणना

गेहूं की खरीद

9075. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 में गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल में विभिन्न राज्यों का कितना-कितना योगदान रहा :

(ग) विभिन्न राज्यों से गेहूं की खरीद का क्या मूल्य निर्धारित किया गया था :

(घ) क्या राज्यों से गेहूं खरीद मूल्यों पर ही खरीदा गया था : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण त्रयोई) : (क) चूंकि गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन और पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है, इसलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं । रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी ।

(ख)

(लाख मीटरी टन में)

राज्य	रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान वसूल की गई गेहूं की मात्रा
हरियाणा	18.34
पंजाब	55.43
उत्तर प्रदेश	3.68
राजस्थान	0.07
	77.52

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा गेहूं का निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य पूरे देश में एक समान होता है । रबी विपणन मौसम 1991-92 और 1992-93 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 225/- रुपये और 250/- रुपये प्रति क्विंटल है । यह भी निर्णय किया गया है कि वर्तमान मौसम के दौरान उन किसानों को 25/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी दिया जाएगा जो केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली करने वाले भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेन्सियों को 1-4-92 से 31-5-92 के बीच की अवधि में गेहूं की बिक्री करेंगे ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों के मूल्य

9077. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्यपुस्तकों विशेषकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) की पुस्तकों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं :

(ख) क्या इन पाठ्यपुस्तकों की बाजार में कमी भी है : और

(ग) यदि हां, तो एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों के मूल्यों में कमी करने और उन्हें बाजार में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार इसकी पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) न लाभ-न हानि के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य निर्धारित करना ।

(ii) कक्षा I-VIII की पुस्तकों का मूल्य निर्धारण 15/- रु० से अधिक न करना और हानि, यदि कोई हो को वर्दाश्त करना ।

(iii) उर्दू भाषा की पाठ्यपुस्तकों का मूल्य, उन्हीं पुस्तकों की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों में से जो भी कम हो, के बराबर निर्धारित करना और हानि, यदि कोई हो को वर्दाश्त करना ।

रा० शै० अ० प्र० प० की पाठ्यपुस्तकों 35 थोक एजेंटों के माध्यम से बेची और वितरित की जा रही है (इनमें से 14 संघशासित क्षेत्र दिल्ली और 21 अन्य स्टेशनों पर स्थित हैं) । रा० शै० अ० प्र० प० दिल्ली स्थित अपने परिसर में एक विक्रय केन्द्र चलाती है । परिषद् ने क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कलकत्ता, अहमदाबाद और मद्रास में तीन क्षेत्रीय प्रकाशन और वितरण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है । दिल्ली स्थित वर्तमान प्रकाशन इकाई उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी ।

स्वास्थ्य जनसंख्या और विकास के संबंध में एशियाई विकास बैंक का अध्ययन

9078. **श्री खनत कुमार मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने अपने "एशिया तथा प्रशान्त महासागर के देशों में स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा विकास" शीर्षक अध्ययन में देश में अधिक समतामूलक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने और जनसंख्या वृद्धि की गति कम करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० सारादेवी सिद्धार्थी) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक से एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों में "स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास" नामक किसी अध्ययन की रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

कैन्सर प्रवण वस्तुओं का उत्पादन

9079. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग से अल्फा ओलफिन और सालटोन जैसी कैन्सर प्रवण वस्तुओं के निर्माण हेतु एक परियोजना स्थापित की जा रही है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या जन-साधारण के स्वास्थ्य को इस खतरनाक रसायन से बचाने के लिए पूर्वोपाय किए गए हैं : और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

क्षयरोग प्रतिरोधी दवाओं की कमी

9080. **श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा क्षयरोग प्रतिरोधी दवाओं की सप्लाई के संबंध में किए गए संविदा उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) सरकार ने जनता को क्षयरोग प्रतिरोधी दवाओं की उचित मूल्य पर पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मेसर्स यूनिक्योर (इंडिया) प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली उन्हें दिए गए आपूर्ति आदेश को पूरा करने में विफल रही और उसे इस आधार पर इसे निरस्त करने को कहा गया कि यह वैध दर संविदा की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई थी । पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय ने संविदा शर्तों के अनुसार मेसर्स यूनिक्योर लि० के जोखिम तथा लागत पर औषधों को पुन: खरीदने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि दर संविदा की वैध अवधि के दौरान आपूर्ति आदेश दिए गए थे ।

तथापि, देश में क्षय रोग-रोधी औषधों की प्राय: कमी होने की कोई सूचना नहीं है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में मॉडल स्कूलों को सहायता

9081. **श्री नारायणभाई जमनाभाई राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के प्रत्येक मॉडल स्कूल को अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मॉडल स्कूल को कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । सभी स्कूलों को दिए गए नियमित अनुदानों के अतिरिक्त वर्ष 1990-91 और 1991-92 में संयुक्त मॉडल स्कूल में परिवर्तित प्रत्येक सैकेन्डरी/सीनियर सैकेन्डरी स्कूल को 50,000/- रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है ।

'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के अन्तर्गत सामान का वितरण

9082. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनाये गए तंत्र का ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या इसके प्रयोग के तरीके की भी समीक्षा की गई है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत अच्छी किस्म की शिक्षण अध्ययन सामग्री की खरीद और वितरण का कार्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। योजना के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले उपकरणों की विभिन्न मदों के मानदण्ड और विशिष्टताएं, भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने निर्धारित की हुई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इन मानदण्डों और विशिष्टताओं को अपनाने की सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग किस सीमा तक किया गया है, इसके मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य चार संस्थाओं को सौंपा गया है।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एड्स की आशंका

9083. **श्री अर्जुन चरण सेठी**
श्री सत्यदेव सिंह
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक विदेशी महिला के नवजात शिशु में एड्स वायरस पाए गए थे :

(ख) यदि हां, तो क्या एड्स वायरस से बचाव हेतु उचित उपकरणों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण अस्पताल के डाक्टरों तथा अर्धचिकित्सा कर्मचारियों में एड्स वायरस के संक्रमण का डर पैदा हो गया है :

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(घ) एड्स संक्रमण के विरुद्ध पर्याप्त बचाव सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) एक महिला (अफ्रीकी राष्ट्रीयता) ने 22 मार्च, 1992 को सफदरजंग अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया। एच०आई०वी० संक्रमण के लिए जांच करने पर माता-पिता और बच्चा एच०आई०वी० संक्रमण से पॉजीटिव पाए गए।

इस घटना के मालूम होने पर अस्पताल के आवासीय डाक्टरों ने चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित किया और ऐसे रोगियों की देखभाल करने से जिस डाक्टर को एच०आई०वी० संक्रमण हो सकता है, उसे किस प्रकार का मुआवजा प्रदान किया जाएगा और क्या अस्पताल संक्रमण नियंत्रण संबंधी क्रियाविधियों को अस्पताल में सख्ती से लागू किया जा सकता है, के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

इस घटना के पश्चात दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की गई कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अस्पताल संक्रमण नियंत्रण के बारे में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ इस बात की भी सिफारिश की गई कि अन्तरंग रोगी उपचार को बोर्ड में जारी रखा जा सकता है और रोगी के लिए एक अलग पृथकीकरण की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है । पूर्ण रूप से एड्स के विकसित रोगियों को बोर्ड के पास उस क्षेत्र में रखा जाना चाहिए जहां अवसरवादी संक्रमणों के अवसर न्यूनतम हों ।

इस बैठक के फलस्वरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गुरू तेग बहादुर अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों को ऐसे रोगियों की देखभाल करने में स्वास्थ्य परिचर्या के कार्यकर्ताओं के संक्रमण जोखिम को कम से कम करने के लिए अस्पताल संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से लागू करने/कार्यान्वित करने तथा अस्पताल संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त धनराशि का हिसाब लगाने के लिए औपचारिक निर्देश दे दिए गए हैं ।

[अनुवाद]

मुम्बई में उपनगरीय रेल लाईनों पर रेल फाटक और अतिक्रमण

9084. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में उपनगरीय रेल लाइनों पर स्थित रेल फाटकों और किये गये अतिक्रमणों के कारण रेल की यातायात क्षमता में बाधा पड़ती है और उनके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं/विलम्ब से चलती हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपनगरीय रेलगाड़ियों के ठीक से आने जाने के लिए इन फाटकों को हटाने का निर्णय लिया है : और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितने धन का आवंटन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बम्बई क्षेत्र में 31 में से कुछ समपारों पर अतिक्रमण किए जाने के कारण गाड़ियों के विलम्ब से चलने तथा उन्हें रद्द किये जाने के मामले हुए हैं ।

(ख) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागत की हिस्सेदारी के आधार पर यथा प्रायोजित बहुत अधिक व्यस्त 10 समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है । अन्य व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब संबंधित प्राधिकरण द्वारा लागत की हिस्सेदारी के आधार पर इसे प्रायोजित किया जाएगा ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों पर और रेलवे द्वारा पुल खास पर प्रत्याशित प्रगति के अनुसार धन आवंटित किया जाता है । चालू वर्ष में बम्बई में ऊपरी सड़क पुलों के लिए 75 लाख रु० आवंटित किए गए हैं ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की अपील

9085. श्री वसुदेव आचार्य
श्री मृत्युंजय नायक } : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने कितने मामलों में औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध अपील की है : और

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है और ऐसे पंचाटों के विरुद्ध अपील नहीं की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी अस्पतालों में "न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेन्स इमेजिंग" सुविधा

9086. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सरकारी अस्पतालों के नाम क्या है जहां पर रोगियों को "न्यूक्लियर मेगनेटिक रिसोनेन्स इमेजिंग" सुविधा प्राप्त है तथा ये अस्पताल कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा और अधिक अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह अत्याधुनिक सुविधा समुचित मूल्य पर जनसाधारण को प्राप्त हो सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, दिल्ली तथा निजाम संस्थान, हैदराबाद में न्यूक्लियर मैगनेटिक रेसोनेन्स इमेजिंग सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने दो न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेन्स इमेजिंग मशीनें खरीदने का निर्णय किया है जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं । इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि छह प्रमुख सरकारी अस्पतालों को निम्नलिखित दो प्राइवेट नैदानिक केन्द्रों के साथ जोड़ दिया गया है ताकि संबंधित रेफर करने वाले अस्पतालों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रति माह आर्थिक रूप से कमजोर 35 रोगियों को एन०एम०आर०आई० सेवाएं प्रदान की जा सकें, :—

1. दीवान चन्द अग्रवाल प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र ।
2. एम० आर० आई० नैदानिक अनुसंधान केन्द्र ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

9087. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इस योजना से अब तक कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य की कोई पुनरीक्षा की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अब तक कुल 699.04 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं।

(ख) अब तक इस योजना से 413546 प्राइमरी स्कूलों के बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण के लिए शिशु शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा पर गठित कार्य दल ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की समीक्षा करते हुए सिफारिश की कि आठवीं योजना के दौरान, इसके पूरा होने तक यह योजना चलती रहेगी तथा जहां कहीं भी स्कूलों में नामांकन की दृष्टि से यह उचित प्रतीत हो वहां 3 शिक्षकों और तीन कक्षाओं के न्यूनतम मानदण्ड को बढ़ाया जाना चाहिए।

इसने अपर प्राईमरी स्कूलों के लिए भी आपरेशन ब्लैक बार्ड योजना की सिफारिश भी की है।

अर्थ सम्मिट के लिए नीति

9088. **श्री कमल कुमार मण्डल**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने गत माह मलेशिया में हुई विकासशील देशों की बैठक में जून, 1992 में रियो, ब्राजील में होने वाले प्रस्तावित अर्थ सम्मिट के लिए अपनी नीति तैयार करने हेतु भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या नीति तैयार की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) भारत ने 27—29 अप्रैल, 1992 तक कुआलालमपुर, मलेशिया में आयोजित पर्यावरण और विकास पर विकासशील देशों के दूसरे मंत्री स्तर के सम्मेलन में भाग लिया। भाग लेने वाले देश, जून, 1992 में रियो-डे-जनीरो, ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में सामान्य नीति अपनाने के लिए सहमत हो गए। पर्यावरण और विकास पर कुआलालमपुर घोषणा की एक प्रति माननीय सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

शिशुओं में दिल की बीमारी

9089. **श्री श्रवण कुमार पटेल**
श्रीमती वसुन्धरा राजे
डा० महादीपक सिंह शाक्य
श्री अर्जुन चरण सेठी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष कम से कम 60,000 शिशु दिल की बीमारियों से मर जाते हैं:

(ख) भारत में प्रतिवर्ष दिल की बीमारी से अनुमानतः कितने शिशु मरते हैं और यह विश्व का कितना प्रतिशत होता है : और

(ग) भारत में इस प्रकार होने वाली मौतों को रोकने के लिए किन योजनाओं पर कार्य हो रहा है और उनकी वार्षिक लागत कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आमवातिक हृदय रोग की वार्षिक मृत्यु-दर 60,000 बतलाई जाती है यद्यपि यह पूरी सूचना नहीं है ।

(ख) भारत में हृदय विकारों के कारण बच्चों में मृत्यु के संबंध में अभी तक कोई महामारी विज्ञान रोग संबंधी अध्ययन नहीं किए गए हैं ।

(ग) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है । बहरहाल, देश के अधिकतर प्रमुख अस्पतालों में हृदय विकारों के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

[हिन्दी]

औषधियों में रंग

9090. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले औषधियों में "अमरंथ" रंगों का प्रयोग किया जाता था ;

(ख) क्या इन रंगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण इन रंगों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है/लगाया गया है ;

(ग) क्या कुछ प्रमुख औषधि निर्माताओं के पास इन रंगों का स्टाक है ;

(घ) क्या इन रंगों के स्टाक को नष्ट करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में निहित उपबन्धों के अनुसार "अमरंथ" के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है ।

(ख) औषधों में इस रंग के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

ग्रामीण नेत्र शिविर

9091. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "रूरल आई केम्पस नोट हाइजेनिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यवर्धक स्थितियों में बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय नेत्रविज्ञान सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी की 5 दिवसीय स्वर्ण जयंती की बैठक के दौरान ग्रामीण नेत्र शिविरों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों और आपरेशन के बाद की परिचर्या के अभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए । नेत्र-संग्रहण और कार्निया-रोपण की अपर्याप्तता के बारे में भी विचार व्यक्त किया गया ।

(ग) मोतियाबिन्दु के आपरेशनों के माध्यम से दृष्टिविहीनता की दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण नेत्र शिविरों के माध्यम से रोगियों के साथ संपर्क स्थापित करना भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति है । यद्यपि सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थानों का कार्मिक शक्ति, औषधों और उपकरणों की दृष्टि से दर्जा बढ़ा दिया है तथापि वित्तीय कठिनाइयों के कारण ग्रामीण जनता, जो भारत के 5 लाख गांवों से अधिक में फैली हुई है, के लिए स्थायी नेत्र परिचर्या संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत कठिन बात है । ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरेत्तर क्षेत्र के साथ-साथ उप-प्रभागीय क्षेत्रों (तालुक क्षेत्र) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और छोटे नेत्र अस्पतालों के आगे विकास और सुदृढ़ करने का कार्य चरणवार ढंग से नियोजित किया गया है । जब तक पर्याप्त आधारभूत ढांचे को स्थापित नहीं कर लिया जाता तब तक पिछले बकाया पड़े मोतियाबिन्दु के आपरेशनों वाले रोगियों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए शिविर के माध्यम से रोगियों से संपर्क स्थापित करने का कार्य जारी रखना होगा । वैसे भारत सरकार ने नेत्र शिविर जो आपरेशन से पहले, आपरेशन के बाद की परिचर्या के साथ-साथ अनुवर्ती उपाय प्रदान करते हैं, के आयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं ।

ब्रिटेन का कला नीलामकर्ता

*9092. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "सोथेबी कम्स टू इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को किन शर्तों पर भारत में विभिन्न कलाकृतियां नीलाम करने की अनुमति दी गयी है और उन्हें कितना कमीशन भेजने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या इस कंपनी द्वारा नीलाम की जाने वाली कलाकृतियों में ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं है जिन्हें विदेश ले जाने पर प्रतिबंध है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, पुरावस्तुओं का व्यापार करने के लिए अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास नीलाम की जाने वाली चीजों का कोई विवरण नहीं है ।

"एड्स" रोग और कैंसर के इलाज के लिए मानव प्रतिरक्षियों का विकास

9093. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1992 के "दि हिन्दू" में "ह्यूमन एन्टीबडीज इन टेस्ट ट्यूब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या सरकार "एड्स" और कैंसर पर नियंत्रण करने के लिए इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक मानव शरीर से बाहर एक परखनली में प्रतिपिंडों को तैयार करने में सफल रहे हैं । ये प्रतिपिंड ऐसे प्रोटीन हैं जो शरीर की उस समय रक्षा करते हैं जब संक्रामक जीव इस पर आक्रमण करते हैं । यदि आगे ये प्रयोग सफल होते हैं तो यह प्रौद्योगिकी जीवित शरीर से बाहर बड़ी मात्रा में ऐसे प्रतिपिंडों को तैयार करने में सहायता कर सकती है जिनसे एड्स और कैंसर के उपचार में इनके प्रयोग करने की अच्छी संभावनाएं हो जाएंगी ।

[हिन्दी]

अल्पकालिक विश्राम गृह

9094. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिये अल्पकालिक विश्राम गृहों का निर्माण करने की कोई व्यवस्था है :

(ख) यदि हां, तो इन गृहों के निर्माण के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) 1990-91 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने गृहों का निर्माण किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग अल्पावास गृहों के संचालन के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अन्तर्गत इन गृहों के लिए परिसर किराए पर लिए जाने हेतु सहायता दिए जाने की व्यवस्था है । इसमें अल्पावास गृहों के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं है । 1990-91 में, 53 नए गृह संस्वीकृत किए गए थे ।

पश्चिम एशिया पर्यावरण सम्मेलन

9095. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई द्वारा आयोजित पश्चिम एशिया पर्यावरण सम्मेलन में भारत से किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ख) इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) सम्मेलन में दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पश्चिम एशिया पर्यावरण सम्मेलन सात से नौ अप्रैल, 1992 तक दुबई में आयोजित किया गया । भारत सरकार को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था । अत: भारत से किसी सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया ।

(ख) सम्मेलन में की गई कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

बाघों की संख्या

9096. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सभी उन्मीय परियोजनाओं में वनों की बड़े पैमाने पर कटाई के कारण बाघों की संख्या में कमी आई है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) सभी बाघ परियोजनाओं में बाघों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । लेकिन वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा के लिए सभी बाघ रिजर्वों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा गहन गश्त लगाई जाती है । इसके अलावा, "बाघ परियोजना क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास" नामक एक नई स्कीम चलाई गई है ताकि ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और उद्यान प्राधिकारियों के साथ उनके झगड़ों को कम किया जा सके ।

पर्यावरण सम्बर्द्धक रसायन

9097. **श्री नवल किशोर राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण सम्बर्द्धक रसायनों की सूची तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने उपभोगता उत्पादों की सोलह श्रेणियों की पहचान की है जिनमें से कुछ रसायनिक हैं या इनके निर्माण की प्रक्रिया में रसायनों का मिश्रण शामिल हो सकता है । प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत मानदंड निर्धारित किए जायेंगे जिनके अनुसार ऐसे उत्पादों की शिनाख्त की जायेगी जिनके निर्माण, प्रयोग और निपटान से पर्यावरण को होने वाले नुकसान में काफी कमी आयेगी, उत्पादों की जिन श्रेणियों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार है :—

1. साबुन और डिटरजैन्ट्स
2. प्लास्टिक
3. खाद्य तेल, चाय, काफी, बेबी फूड, संसाधित खाद्य, बेवरेजेज जैसी खाद्य मदें
4. कागज (फाइन कागज, सफाई वाला कागज, न्यूज प्रिंट आदि)
5. वस्त्र, डायपर्स आदि
6. परिरक्षण तथा खाद्य संयोजन
7. प्रसाधन सामग्री अर्थात शैम्पू, लिपस्टिक्स, पाउडर
8. पेन्ट्स
9. बैटरियां
10. लुब्रिकेटिंग ऑयल
11. पेकेजिंग
12. एरोसोल
13. कीटनाशक, नाशीकीट, आयोसाइड्स तथा वीडीसाइड्स
14. औषध
15. इलैक्ट्रिकल वस्तुएं/इलैक्ट्रानिक वस्तुएं
16. लकड़ी के विकल्प ।

न्यूयार्क में पर्यावरण और विकास के संबंध में प्रारंभिक समिति की बैठक

9098. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी**
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य } क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस महीने के शुरू में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की प्रारंभिक समिति की बैठक में भाग लिया था :

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष रूप से औद्योगिक देशों द्वारा प्रस्तुत स्थिति पत्र, जिसमें पर्यावरण और विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के तरीकों का उल्लेख किया गया था, में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए विकासशील देशों द्वारा की गई मांगों के क्या परिणाम निकले :

(ग) क्या अमरीका और इसके सहयोगी राष्ट्रों विशेषत: समूह 7 राष्ट्रों द्वारा इस संबंध में कड़ा दृष्टिकोण अपनाए जाने के परिणामस्वरूप "रियो" में आयोजित होने वाले पृथ्वी सम्मेलन में अपनाए जाने वाले वक्तव्य संबंधी प्रारंभिक समिति की वार्ता में बाधा आई :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार द्वारा परिस्थिति की क्षति को रोकने हेतु अधिक से अधिक सहयोग देने के संबंध में पश्चिमी देशों से आग्रह करने हेतु क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर और दक्षिण के देशों के दृष्टिकोण को देखते हुए ब्राजील सम्मेलन के लिए अपना पत्र तैयार करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत ने 2 मार्च से 3 अप्रैल, 1992 की अवधि में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की तैयारी समिति की बैठक में भाग लिया ।

(ख) कार्यसूची 21 में सम्मिलित मरूस्थलीकरण, महासागरों, समुद्रों तथा तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, अच्छे और स्वच्छ जल संसाधनों का संरक्षण, शिक्षा, जन-जागरूकता, मानव बस्तियों, अपशिष्ट एवं विषाक्त रसायन, भू-संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध, वायुमंडल की सुरक्षा तथा गरीबी जैसी मदों पर चर्चा की गई ।

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया है जिस पर रियो में होने वाली शिखर बैठक में आगे विचार किया जाएगा । बैठक में वानिकी, प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण तथा वित्तीय तंत्रों से संबंधित मामलों पर भी विचार किया गया । जी-77 के देशों और चीन में वित्तीय तंत्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर स्थिति पत्र भेजे हैं । लेकिन, बैठक में इन मामलों पर कोई मतैक्य नहीं हो सका है ।

(ग) से (ङ) तैयारी समिति पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणापत्र के मसौदे को तैयार करने में सफल रही है, इस घोषणा पत्र पर जून, 1992 में रियो-डी-जेनेरो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में चर्चा की जाएगी । सामान्य अधिकारों और कर्तव्यों के सिद्धांतों के मसौदे की एक प्रति (डी० ओ० सी० नं० ए०/कांफ्रेंस 151 पी० जी०/डब्ल्यू० जी०-III/एल 33 रि-1) माननीय संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय में रख दी गई है ।

भारत, विकासशील देशों को नए और अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने, विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले उपायों की पूरी लागत देने, निधि तंत्रों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि जैसे मामलों से संबंधित स्थिति पत्र तैयार करने में अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करता रहा है । भारत विकसित और विकासशील देशों के मध्य विद्यमान मतभेदों को कम करने के प्रयासों से भी जुड़ा है ।

[हिन्दी]

ए० डी० आर० एम० मुरादाबाद के पास लम्बित अपील

9099. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० डी० आर० एम० मुरादाबाद के पास कई अपीलें 1989-90, 1990-91 और 1991-92 से लम्बित पड़े हैं :

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) अब तक इनका निपटारा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अनुशासनिक मामलों में अपीलों से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

1989-90	कोई नहीं
1990-91	कोई नहीं
1991-92	11 (फरवरी, 1992 के 6 मामले और मार्च, 1992 के 5 मामले)

(ग) ये अपीलें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और इनमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में बहिरंग रोगी खण्ड का निर्माण

9100. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 5 सितम्बर, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग खण्ड, फेज-III (केन्द्रीय विंग) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है :

(ख) यदि हां, तो इन बहिरंग रोगी विभागों का ब्यौरा क्या है जिनमें कार्य शुरू हो गया है ;

(ग) क्या सभी बहिरंग रोगी विभागों को सुसंगठित बनाकर नए खण्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया है :

(घ) क्या सभी बहिरंग रोगी विभागों के साथ जुड़े हुए भीतरी खण्डों का भी निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है : और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में बहिरंग रोगी विभाग खंड फेज-III (केन्द्रीय विंग) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परन्तु बहिरंग रोगी विभाग शुरू नहीं किए जा सके हैं क्योंकि अग्नि शमन अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । तथापि, नए बहिरंग रोगी विभागों को बरामदों के माध्यम से मुख्य अस्पताल खंड के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अमेठी में चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति

9101. **श्री सैय्यद शहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा अमेठी में आयोजित चिकित्सा शिविर में केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या हैं :

(ग) क्या फाउंडेशन ने फाउंडेशन की विभिन्न गतिविधियों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने का भी अनुरोध किया है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) जी, हां ।

(ख) शिविर में आने वाले रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 14 से 24 मार्च, 1992 और 6 से 15 अप्रैल, 1992 तक लगाए गए पोलियो शिविर और ई०एन०टी० शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एल्फा ओलेफिन्स

9102. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुनों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने वाले डिटर्जेंटों के बनाने "एल्फा ओलेफिन्स" का इस्तेमाल किया जाना है :

(ख) क्या इसके सह-उत्पादों से कैंसर होने की संभावना है : और

(ग) यदि हां, तो एल्फा ओलेफिन्स का उत्पादन वाले एकक स्थापित करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्फा ओलेफिन्स को अल्फा ओलेफिन्स सल्फोनेट्स, जिनका प्रयोग डिटर्जेंटों के विनिर्माण में किया जाता है, में बदलने से बाई-प्रोडक्टों के रूप में कुछ असंतृप्त सल्टोनों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। चूहों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इन सल्टोनों में से एक, अर्थात् प्रोपेन सल्टोन चर्म कैंसर हो सकता है। किन्तु, लाइनर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेटों की तुलना में अल्फा ओलेफिन्स सल्फोनेट कम विषैले होते हैं। ये तेज़ी से और पूर्णत: जैव अवक्रमणीय हैं और इनकी विषाक्तता कम है। इसलिए इनसे चर्म में जलन कम होती है। अत: डिटेर्जेंटों के विनिर्माण में इनके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि-वानिकी

9103. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि-वानिकी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गयी परियोजनाओं तथा उन पर खर्च की गयी धनराशि का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) 1992-93 के दौरान कितने वृक्ष लगाने का विचार है तथा उसके लिये कितना भू-क्षेत्र निर्धारित किया गया है तथा इसी अवधि के दौरान कितनी सहकारी समितियों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या कृषि-वानिकी के परिणामस्वरूप किसानों के चारागाहों और कृषि योग्य शुष्क भूमि का दुरुपयोग और बलात् अधिग्रहण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फार्म वानिकी के चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को उनके अपने फार्म पर रोपण हेतु निम्नलिखित संख्या में पौधों का वितरण किया गया :—

वर्ष	वितरित की गई पौधों की संख्या (करोड़ में)
1989-90	5.70
1990-91	3.99
1991-92	3.30

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में कृषि वानिकी स्कीम के अन्तर्गत कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान वृक्षारोपण और शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं और चावल की उपलब्धता

9104. **श्री नारायणभाई जमनाभाई राठवा :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को रबी और खरीफ के मौसमों में अधिकतम मात्रा में गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने केन्द्रीय पूल को कितना गेहूं और चावल उपलब्ध कराया; और

(घ) केन्द्र सरकार ने 1992-93 में इसके लिए कितनी सीमा निर्धारित की है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण गगोई) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से पुरजोर अनुरोध किया गया है कि वे अधिकतम वसूली करें और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की भरपाई करने के लिए वसूली के कुछेक स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करें ताकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ग) विवरण संलग्न है; और

(घ) कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि किसानों से गेहूं और धान की वसूली न्यूनतम मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। चावल की वसूली राज्य सरकारों द्वारा मिल मालिकों पर लगाई गई सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है जोकि राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होती है। चावल की वसूली की मात्रा मिल मालिकों द्वारा धान की विधायित मात्रा पर निर्भर करेगी।

विवरण I

विपणन मौसम 1990-91 और 1991-92 के दौरान चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की राज्यवार वसूली

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विपणन मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	
	1990-91	1991-92*
क-केन्द्रीय पूल		
आन्ध्र प्रदेश	33.35	16.99
अरुणाचल प्रदेश	नग०	नग०

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विपणन मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	
	1990-91	1991-92*
असम	0.07	0.05
हरियाणा	10.62	9.16
कर्नाटक	1.46	0.97
मध्य प्रदेश	6.31	3.94
महाराष्ट्र	0.23	0.40
उड़ीसा	2.14	2.38
पंजाब	48.21	42.84
राजस्थान	0.28	0.20
उत्तर प्रदेश	13.47	8.31
पश्चिम बंगाल	1.03	0.56
चण्डीगढ़	0.21	0.24
दिल्ली	0.05	0.05
पाण्डिचेरी	0.05	0.04
जोड़ (क)	117.48	86.13
ख. केन्द्रीय पूल के अलावा		
गुजरात	0.17	0.08
जम्मू तथा कश्मीर	0.07	0.03
तमिलनाडु	8.99	9.50
जोड़ (ख)	9.23	9.61
जोड़ (क + ख)	126.71	95.74

*30-4-1992 की स्थिति के अनुसार।

नग० = 500 मीटरी टन से कम।

विवरण II

विपणन मौसम 1990-91 और 1991-92 के दौरान गेहूं की राज्यवार वसूली

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च)	
	1990-91	1991-92
हरियाणा	25.95	18.34

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च)	
	1990-91	1991-92
हिमाचल प्रदेश	0.01	—
जम्मू तथा कश्मीर	Neg. नग०	—
मध्य प्रदेश	Neg. नग०	—
पंजाब	67.49	55.43
राजस्थान	1.35	0.07
उत्तर प्रदेश	15.83	3.68
चण्डीगढ़	0.02	—
दिल्ली	—	—
कुल वसूली	110.65	77.52

नग=500 मीटरी टन से कम।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रसारण

9105. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम किस किस विषय पर प्रसारित किये जाते हैं :

(ख) ये कार्यक्रम किस किस समय प्रसारित किये जाते हैं :

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय में सुधार की आवश्यकता है :

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं :

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है : और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, आयोग अवर स्नातक छात्रों और सामान्य दर्शकों के लिए अंग्रेजी में "कन्ट्रीवाईड क्लास रूम" शीर्षक से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। ये कार्यक्रम पाठ्यक्रम उन्मुख न होकर सामान्य संवर्धन प्रकार के हैं और इसमें पर्यावरण, विज्ञान में विकास, नई खोज आदि जैसे अन्तर विषयक विषय शामिल हैं।

(ख) कार्यक्रम का प्रसारण रविवारों को छोड़कर सभी दिवसों को दोपहर 1-2 तथा दुबारा 4-5 पर होता है ।

(ग) और (घ) आयोग कार्यक्रमों की विषयवस्तु और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है । आयोग द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :

—विषयवस्तु को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए अनुसंधान :

—कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए उनकी पूर्व-जांच :

—शामिल शिक्षाविदों और निर्माण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं : और

—दर्शकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नये कार्यक्रम तैयार करना ।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, फिलहाल क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, दूरदर्शन के पास अतिरिक्त समय उपलब्ध होने पर आयोग की हिन्दी में कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना है ।

12.00 मध्याह्न

बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कथित रूप से जान से मारने की धमकी दिए जाने के बारे में

[व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक नोटिस दिया है.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक.....

.....**(व्यवधान)**.....

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक नोटिस दिया है कि एक ओर रूस का.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है । मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।

[अनुवाद]

पहले महिला सदस्य को बोलने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी दी है । पहले एजीक्यूटिव वहां समाप्त था, जब रामानुजन जैसे कमिशनर को सचिवालय में घुसकर मारा गया, फिर लैजिस्लेचर समाप्त हुआ, जब हेमेन्त शाही की हत्या की गई अब वहां जुडिशियरी समाप्त है । अब और क्या चाहिये, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये । मैक्सिमम कितने

दिन चाहियें ? वहां मैक्सिमम हत्यायें हुई । अब और क्या चाहिये ? क्यों भारत सरकार मूक-दर्शक बन कर बैठी है ? वहां क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू होता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री को कहना चाहती हूं और मानव संसाधन मंत्रीजी बैठे हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर वक्तव्य देना चाहिये । आप उनसे कहिये कि भारत सरकार इस पर वक्तव्य दे । वहां जुडिशियरी भी समाप्त हो गई है । आपको इस बात की जानकारी अखबारों से मिली होगी । प्रजातंत्र का मखौल बन चुका है । तानाशाही, प्रशासन की अपंगता, सामाजिक न्याय का दकीसला बिहार में है । यह सब दिखावा रह गया है । सबसे अधिक अपहरण, हत्याओं की संख्या है । विकास ठप । संवैधानिक ध्वसला है ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, सुनने में आया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन पर धमकी दी और अनेक अपशब्द कहे । इस सम्बन्ध में बिहार हाई कोर्ट के.....**(व्यवधान)**.....

श्रीमती कृष्णा साही : यह जुडिशियरी की बात है । चीफ जस्टिस को मारने की धमकी दी गई ।

श्री मदन लाल खुराना : इस सम्बन्ध में बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखित रिपोर्ट बिहार के गवर्नर को भेजी जिस में लिखा है कि मेरी जान खतरे में है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देकर बंगाल भिजवा दिया जाये । बिहार के मुख्यमंत्री की धमकी से बिहार की न्यायापालिका स्वयं को सेव महसूस नहीं कर रही है । इससे एक तरफ कांस्टीट्यूशनल क्राइसिज पैदा हो गया है । अगर बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस तरह से धमकी मिलेगी तो कानून का शासन खत्म होकर जंगल का राज आ जायेगा । यह केवल बिहार के सामने नहीं बल्कि समस्त देश के सामने एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिज की समस्या है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में न्याय मंत्री जी को इस सदन में आप वक्तव्य देने के लिये कहें । वास्तविक स्थिति क्या है और मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? इसके बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ बताए । .....**(व्यवधान)**.....

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, यह मामला ऐसा है, चार दिन पहले जब मैंने सुना था, तो मुझे लगा कि इस प्रकार की गम्भीर बात पर, सुनीसुनाई बात के आधार पर, कुछ न कहा जाए, यह उचित होगा । मैंने जब देखा कल दूसरे सदन में इस सवाल को उठाया गया, तब किसी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और संसदीय राज्य मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि हम बिहार से सम्पर्क करके, इसके बारे में तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इस विषय को दलगत विषय न करके माना जाए । मैं निवेदन करूंगा, अपने विपक्ष के साथी साथियों से भी और कांग्रेस सदस्यों से भी या तो अगर इसमें सच्चाई नहीं है, तो फिर जिस ने भी इस प्रकार की बातचीत और इस प्रकार के समाचार दिए हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । अगर सच्चाई है, तो वहां के मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार की शिकायत गवर्नर को की है और यह भी कहा है कि मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे परिवार की चिन्ता की जाए, इत्यादि-इत्यादि । तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कौन सी ऐसी और परिस्थितियों की कल्पना की थी, जिसको ब्रेक-डाउन-आफ-कांस्टीट्यूशनल मशीनरी कहा जा सकता है । मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जब मुख्य न्यायाधीश किसी मामले को देख रहे हैं, उस संदर्भ में वहां के मुख्य मंत्री ने उनको इस आशय की धमकी दी है, दी है या नहीं दी है, मुझे नहीं पता है, मैं इतना ही जानता हूं कि यह मामला चार दिन से चल रहा है । आज तक उनकी ओर से कोई प्रतिवाद नहीं हुआ है । मुझे जानकारी है । यहां से कोई प्रतिवाद करने की स्थिति में हो, जैसे उस दिन यहां से मंत्रिमंडल को कह रहे थे कि इतना गम्भीर आरोप लगाया गया है,

मंत्रिमंडल का कोई सदस्य क्यों नहीं प्रतिवाद करता है । खड़े होकर के कहे, न खड़े होकर के, प्रतिवाद करने की कोशिश नहीं की । एक तथ्य की ओर मैं आपको जानकारी दे सकता हूं और वह यह है कि जब मेरे एक मित्र ने गांधीनगर से, जो उनके परिचित हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे । उन्होंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

"मैं न तो इसकी पुष्टि करना चाहता हूं और न ही इससे इंकार करना चाहता हूं ।" इस तरह का उत्तर दिया गया था, जिसके अपने ही परिणाम निकलते हैं ।

[हिन्दी]

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, यहां पर अर्जुन सिंह जी और कुमारमंगलम जी बैठे हैं, इन्होंने कल दूसरे सदन में आश्वासन दिया था कि हम बिहार सरकार से सम्पर्क में हैं । जानकारी प्राप्त करके संसद को बतायेंगे और चर्चा करने के बजाए, जानकारी दे दें । अगर यह बात बेबुनियाद है, तो मामला खत्म माना जाए और अगर सच्चाई है, तो सच्चाई के आधार पर जो उचित कार्यवाही हो, वह की जानी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, एक न्यायाधीश राज्य सरकार को खुल्लमखुल्ला धमकी देता रहा है । मैंने यह मुद्दा भी इस सभा में उठाया था, लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था । एक सेवारत न्यायाधीश यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार को ठोकर मार कर बाहर कर देना चाहिये । मैं इस बात पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा ।.....**(व्यवधान)**.....मैं किसी को दोष मुक्त करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिये.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा मुद्दा दूसरा था । मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल ने.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जीरो-आवर में आप दो-दो बार बोलेंगे, तो दूसरे लोग रह जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इस मामले को जब माननीय सदस्या ने कहा, तो मैंने उसको गम्भीरता से नहीं लिया, लेकिन जब नेता विरोधी दल किसी बात को कहते हैं तो निश्चित रूप से वह मामला गम्भीर है । आज सवेरे हमारी बातचीत मुख्य मंत्री बिहार से हुई है और जिस मामले में सदस्य चिन्तित हैं, उस मामले में हम लोग भी उतने ही चिन्तित रहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीज़ कही गई है, वह बिल्कुल ही बेबुनियाद है और उसमें कोई तथ्य नहीं है ।.....**(व्यवधान)**.....आप पहले सुन लीजिए ।.....**(व्यवधान)**.....कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, सारे हथकंडे हार चुकी है और जुडिशियरी.....**(व्यवधान)**.....घबरा रही है.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं, नहीं.....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह एक गम्भीर मामला है ।.....**(व्यवधान)**.....नेता विरोधी दल बिना फैक्ट्स को एसर्टेन किए हुए.....**(व्यवधान)**.....आप पहले सुनिए.....**(व्यवधान)**.....ऐसे चलने वाला नहीं है ।.....**(व्यवधान)**.....आप सुनिए, आपने चार्ज लगाया है आपको सुनना होगा । आप मेरी भी पूरी बात को सुनिए ।.....**(व्यवधान)**.....यह बहुत गंभीर मामला है, आपको इसको सुनना होगा ।.....**(व्यवधान)**.....हम लोगों को भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और कांग्रेस की सरकार कहां क्या कर रही है ?.....**(व्यवधान)**.....आज दिल्ली में भी लॉ एण्ड आर्डर समाप्त हो गया है ।.....**(व्यवधान)**.....

जहां तक बिहार का मामला है और सरकार का मामला है मैंने कहा कि आज हमने मुख्य मंत्री से बातचीत किया है । अगर नेता विरोधी दल के पास में या कांग्रेस आई सदस्यों के पास में कोई प्रूफ है तो यहां रखने का काम करें .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दिये जाने का समाचार वास्तव में बहुत ही चिन्ताजनक है ।.....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं दो दिन पहले गोरखपुर से आया हूं ।..... **(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए इस मामले में जांच-पड़ताल करवा कर इसके ऊपर कुछ कीजिए, एकदम नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । देखिए, ऐसे मामले में कोई किसी कनकलुजन पर जम्प करना अच्छा नहीं होता है और अगर कुछ कहा है तो उसकी जांच-पड़ताल होने दीजिए उसके बाद कुछ कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । मैं यहां पर खड़ा हूं आप क्यों चिल्ला रहे हैं । मैं आप ही की मदद कर रहा हूं । देखिए, मैं कह रहा हूं इसकी जांच-पड़ताल होने दीजिए उसके बाद कुछ कीजिए । यहां पर हाउस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कल अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधान मंत्री के बीच का मामला आएगा तो हम लोग यहां उठाएंगे तब आप लोग मत कहिएगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं बार-बार हाउस में कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या और कोई हों, उनके खिलाफ कुछ कहने के पहले बहुत सोच-समझ कर कहना चाहिए और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि पहले इसकी ठीक से जांच-पड़ताल होनी चाहिए उसके बाद ही कुछ हो पाएगा । उसके बाद कोई कार्यवाही करनी हो तो हम देख लेंगे ।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथित समाचार वक्तव्य में बहुत ही चिन्ताकारक है । भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह पहली घटना है कि इस तरह की निन्दनीय घटना सुनी गयी है । मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से सहमत हूं कि हमें इस बात की सत्यता का पता लगाना चाहिए और यदि यह सत्य है, तो कानून का पालन करने वाले और इस देश के सम्मानजनक नागरीक के लिए इससे अधिक शर्मनाक और चिन्ताकारक बात और कौन-सी हो सकती है ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैंने अपने वरिष्ठ साथी श्री सोमनाथ चटर्जी के मुंह से यह सुनकर तो मुझे बहुत ही दुख पहुंचा कि मुख्य न्यायाधीश ने ही.....

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे विषय पर मत जाइये ।

श्री पवन कुमार बंसल : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । यह बात उन जैसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से आई है जो इसकी हिफाजत लेने और इस बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं । हम जानते हैं कि जब इस देश का कोई भी आम नागरिक कार्यपालिका के किसी कार्य से दुखी होता है, तो वह न्यायपालिका की ओर ही देखता है । हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है । न्यायपालिका के विरुद्ध लांछन लगाना और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक प्रकार के झगड़े को उकसाने की कोशिश करना वास्तव में बहुत ही शर्मनाक बात है । मैं माननीय विधि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें । इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें राज्यपाल से सिफारिश करने की कोशिश करनी चाहिये कि वे इस बात का पता लगायें कि क्या वास्तव में ही उन्हें मुख्य न्यायाधीश से पत्र प्राप्त हुआ है और यदि उन्हें यह पत्र प्राप्त हुआ है, तो हमें इस मामले पर उचित ध्यान देना चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपने कहा कि इसकी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए । उसके बाद बहस होनी चाहिए । जाँच-पड़ताल होने के पहले ही आप डिस्कशन को और बढ़ा रहे हैं । पहले जाँच-पड़ताल तो करवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : आप गुस्सा दूसरों की तरफ करते । मेरे पास कोई मशीन नहीं है । मैं आपको टाईम दूं तो इधर से गुस्सा हो जाते हैं, इनको टाईम दूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं । नियम से कोई नहीं चलता । कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी प्रीसाइडिंग आफिसर की है ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, जब से विपक्ष के नेता ने इस बारे में बताया है तबसे हम वास्तव में ही बहुत चिन्तित हैं । उनके एक मित्र ने मुख्य न्यायाधीश को अहमदाबाद से टेलीफोन कर उन्हें इस बात की पुष्टि की है । और फिर उन्होंने इस सभा में इस प्रश्न को उठाया है । कांग्रेस(ई) के सदस्य ने मुख्य न्यायाधीश से बात कर इस बात की पुष्टि की है और फिर इसे इस सभा में उठाने का प्रयास किया है । विपक्ष के नेता ने, इस सभा में इस मामले को उठाने से पूर्व इस आशय की पुष्टि करने संबंधी कोई पत्र मुख्य मंत्री को नहीं लिखा । यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है । यह मामला इस सभा में उठाने से पहले, विपक्ष के नेता बिहार के मुख्य मंत्री से भली प्रकार से बातचीत कर इस मामले की पुष्टि कर सकते थे । उन्होंने अपने एक मित्र के माध्यम से ही मुख्य न्यायाधीश से बातचीत की है । महिला सदस्य को मुख्य न्यायाधीश से इस बात का पता लगाने के बाद ही इस मामले को यहां उठाना चाहिए था । उन्होंने मुख्य मंत्री से बात नहीं की और इस बात की पुष्टि भी नहीं की कि यह सत्य है अथवा असत्य । इस सारी कहानी के पीछे जो राजनैतिक मन्शा मशीनरी काम कर रही है, हर कोई उसे जानता है । हमें इस तरह की राजनीति नहीं खेलनी चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से रिफ्रेंस दिया गया है । इसलिए मैं मर्यादा का पालन करते हुए कोट कर सकता हूं पूरी की पूरी राज्य सभा की प्रोसिडिंग्स, लेकिन प्रोसिडिंग्स कोट नहीं होती है, मैं इतना-ही कहूंगा कि जो बातचीत हुई थी फोन पर उसके आधार पर भी मैंने नहीं किया । मैंने जब कल राज्य सभा की कार्यवाही देखी और राज्य सभा की कार्यवाही में काफी देर तक यह चर्चा चली है, तमाम लोग उपस्थित थे, प्रमुख विरोधी दल वहां था, जिसके मुख्य मंत्री बिहार में हैं, किसी ने उसका प्रतिवाद नहीं किया । यहां तक कि मंत्री जी ने उसके बाद आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में जानकारी करके सदन को बतायेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम क्वेश्चन आवर के दौरान ही इस मामले को उठाना चाहते थे ।.....

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब तक इन्होंने जानकारी हासिल कर ली होगी । कल की चर्चा थी अब तक जानकारी हासिल कर ली होगी । इस विषय में आगे संदेह पैदा न करते हुए जो भी जानकारी इन्होंने हासिल की है वह हमें दें । आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, अगर गलत है तो जिसने भी इस कहानी को फैलाया है वह भी अपराधी है, अगर सच है तो यह बहुत गम्भीर मामला है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके दो सदस्य पहले ही ऐसा कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : अपनी टिप्पणी के बाद आप इसकी अनुमति किस लिये दे रहे हैं ।.....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसलिए कहा रहा हूं कि ज़ीरो-आवर के अन्दर आप लोग बिना नोटिस बोलेंगे, ऐसे काम्पलीकेटेड इश्यु लायेंगे तो इसके अन्दर ज्युडिशियरी और एक्जीक्युटिव का झगड़ा हो सकता है और दूसरे डाऊस का हो सकता है, यह अपने लिए ऐसा अच्छा नहीं है । इसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि हमने यहां पर बोला है । जो बोला है, वह सही निकलना चाहिए । सिर्फ बोलने से काम नहीं चल सकता । बोलने के लिए इन्सीस्ट मत कीजिए और इश्यु पर ज्यादा डिसकस करना अच्छा नहीं है, जब तक पूरे मालूमात न हो । देखिए, मिनिस्टर साहब को क्या कहना है ।

[अनुवाद]

हम लोग अन्य मदों पर भी चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को पत्र लिखा है अथवा नहीं, इस बात के बारे में जैसे ही हमें तथ्यों का पता चलेगा हम अवश्य ही इस सभा में उस पर चर्चा करेंगे ।.....(व्यवधान).....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हर रोज ये लोग यह कहते हैं कि सभा में इसका विवरण देंगे लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : हमने कल ही तथ्यों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है । हम सभा में फिर इस पर चर्चा करेंगे । मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तमाम जानकारी के साथ सभा में आइये ।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : जी हां, जानकारी सहित । सामान्यतः जब हम यह कहते हैं कि सभा में वापिस आयेंगे तो इसका यही अभिप्राय होता है कि जानकारी सहित आयेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विचार से इस मामले में संयम बरतना हमारे लिये अच्छी बात होगी क्योंकि यह एक अत्यधिक नाजुक मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : इसके हर दृष्टि से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ।

(व्यवधान)

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कावेरी जल विवाद कावेरी न्यायाधिकरण को सौंपा गया था । न्यायाधिकरण ने अपने अन्तीम निर्णय में कहा है कि तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० जल मिलना चाहिये । सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि जून माह तक, जल दे दिया जाना चाहिये । लेकिन कर्नाटक राज्य इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा है । इससे कर्नाटक में हिंसक घटनायें भी भड़की हैं । यह भी पता चला है कि कर्नाटक में इससे लगभग 2½ लाख तमिल लोगों को अपनी

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

जान बचाने के लिये वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनके विरुद्ध हिंसात्मक हमले हो रहे थे। उनकी संपत्ति और अन्य सामान को नष्ट कर दिया गया और वे शरणार्थियों की तरह वहां से भागे।

मैं यह अनुभव करता हूं कि लोगों ने मुझे इसलिये चुना है कि इन लोगों की समस्यायें सरकार के ध्यान में ला सकूं और इनकी समस्याओं के निवारण के लिये सरकार से संघर्ष कर सकूं। समूचा तमिलनाडु इस समय जलाभाव का सामना कर रहा है। केवल सिंचाई जल की नहीं, बल्कि पेयजल की सुविधा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

तिरूपुर, अनुप्परपलयम, पहलहम डाम, सुलुर, मदुकरई, सिरकर, समाक्कुलम, समालपुरम, सोमानुर तथा कोयम्बटूर जिले का करूरमत्तमपट्टी आदि क्षेत्र घोर जल-अभाव का सामना कर रहे हैं। पेयजल की पूर्ति पाने में इन क्षेत्रों के लोगों की जो दुर्दशा हो रही है, मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं ऐसे कुछ फोटोग्राफ, जिनसे इन लोगों को पीने का पानी लाने में होने वाली कठिनाई का बोध होता है, भी सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हूं।

इसी तरह से पेरीयार, सलेम, तंजौर तथा त्रिरूची जिलों के किसानों को अपनी फसलों को उगाने के लिये पानी नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप फसलों की बीजाई और कटाई में देरी हो रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु राज्य द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान ढूंढा जाये। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या के निवारण की दिशा में उठाये गये कदमों के बारे में एक वक्तव्य दे। प्रधान मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कावेरी जल विवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। तमिलनाडु में हमें जून माह में कुरूवेई फसल की बुआई शुरू करनी है। कर्नाटक सरकार को चाहिये कि वह न्यायाधिकरण के अन्तीम निर्णय को लागू करे। उसे इसमें और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये। भारत सरकार को भी अपनी ओर से कर्नाटक राज्य सरकार को यह सलाह देनी चाहिये कि न्यायाधिकरण के निर्देशों का अनुपालन किया जाये। लेकिन अन्तीम निर्णय के आदेश जारी करने के बाद भी भारत सरकार खामोश रही है। यह उचित बात नहीं है। सरकार को अन्तर-राज्य जल विवाद अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार कार्यान्वयन प्राधिकरण का गठन करना चाहिये।

मैं इस निर्णय को लागू करने के बारे में प्रधान मंत्री जी से एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। हम तमिलनाडु में कुरूवई फसल को उगाने के लिये जल चाहते हैं। न्यायाधिकरण के अन्तीम निर्णय को तत्काल लागू करने के लिये केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिये।

श्री के० पी० सिंहदेव (दैकानल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल 4 मई की संध्या के समय उड़ीसा में एक भारी समुद्री तूफान आया है जिसके कारण अनेक मौतें और भारी विनाश हुआ है। उड़ीसा में ऐसी विनाश लीला पहली बार ही नहीं हुआ है। विगत 35 वर्षों से बाढ़, अकाल और समुद्री तूफान उड़ीसा में लगातार आते रहे हैं। राहत कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। केवल राहत सहायता या अनुदान देने से ही काम नहीं चलता।

इसलिये कृषि मंत्रालय तथा इसके साथ-साथ अन्य मंत्रालय को मिल-जुल कर एक ऐसा पैकेज प्रोग्राम बनाना चाहिये जिससे राहत कार्यों संबंधी प्रयास में उड़ीसा सरकार की सहायता की जा सके तथा इसके साथ-साथ सभी मंत्रालयों को मिल-जुल कर ऐसे स्थायी उपाय करने चाहियें जिनसे उड़ीसा प्रदेश को इन तीनों आपदाओं से बचाया जा सके ।

12.27 म० प०

भारत को रूस से रॉकेट टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं पुन: एक गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । एक ओर रूस के विदेश मंत्री डा० ग्रेनेड अर्बलाइज़ यहां भारत में हैं, दिल्ली में हैं । उनकी वित्त मंत्री सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है । उन्होंने साफ कहा कि रूस भारत को राकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा रक्षा उपकरण और कल-पुर्जों की पूर्ति तथा व्यापार में सहयोग बढ़ाने की इच्छा रखता है । उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने भारत के राकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया है । लेकिन आप देखेंगे कल अफ़टरनून में अमरीका ने साफ तौर से कहा है और चेतावनी तथा धमकी दी है एक्शन की अभी तक तो वह बात ही करता था, भारत और रूस दोनों को चेतावनी दी है कि यदि भारत को रूसी राकेट इंजन देने का कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कदम उठायेगा । वहां के विदेश विभाग के प्रमुख प्रवक्ता मारग्रिट टुटवाइलर ने चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई के तहत अमरीकी टेक्नोलॉजी की पूर्ति खत्म करने की बात भी शामिल है । मैं समझता हूं इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति और नहीं हो सकती है, यह हमारे आत्मसम्मान को गिरवी रखने की बात है । इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार अमरीका द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग कल तीस सांसद के करीब अमरीकी दूतावास के सामने प्रदर्शन के लिए गये थे, हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया । यह और बात है कि दूरदर्शन किसके इशारे पर चलता है, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं बार-बार कहता हूं यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, न सरकार और विपक्ष का मामला है । भारत को जो एक स्टैंड रहा है और हमेशा से भारत ने अपने आत्मगौरव और आत्मरक्षा के लिए सदैव अपनी लड़ाई खुद लड़ने का काम किया है । मुझे इस बात की चिन्ता है कि जो तीसरी दुनिया है, जो नान-एलाइंड देश हैं, जहां भारत उनका नेता बन रहा था, आज हमारी स्थिति सबसे बदतर हो रही है । मैं समझता हूं सरकार को और सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इस सम्बन्ध में अमरीका ने जो चेतावनी दी है उसके खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट करना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आज सुबह ही मैंने इस संबंध में आपको लिखा है । बी० बी० सी० ने अपने सुबह के प्रसारण में यह कहा है कि अमरीकी अधिकारियों ने इस आशय की घोषणा की है कि वे रूस अथवा भारत किसी को भी उस क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिसके बारे में भारत आये उच्चाधिकार प्राप्त रूसी शिष्टमंडल ने हमारी सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे इस टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण का हरावा रखते हैं और वे इस मामले में किसी बाह्य दबाव के सामने नहीं झुकेंगे । अब दोनों देशों को धमकाने की कोशिश की जा रही है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस बात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है । यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस दिन जब सुपर 301 के बारे में धमकी दी गई थी, तो अमरीकन मार्किट को जो हम शुल्क-मुक्त रसायनों और भेषजों का निर्यात करते हैं उनके विरूद्ध सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी, तो उस समय श्री चिदम्बरम ने सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी । इन्होंने इस ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि मैं समझता हूं वह सभा के सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप थी । लेकिन आज मैं यह जानना चाहता हूं कि अब एक ऐसी बात हुई है जोकि इससे भी अधिक घातक है; और जैसा कि उस दिन भी मैंने कहा था, यह बात यहीं समाप्त होने वाली नहीं है । यदि आप मदद मांगकर एक बार उनकी उंगली पकड़ लेते है, तो वे उस रास्ते पर आपको बराबर घसीटते ही जाएंगे । यह सब हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । दो दिन पूर्व रूस के शिष्टमंडल के साथ जो समझौता हुआ है क्या वे उनका समर्थन कर रहे हैं ? क्या वे इस अमरीकी दबाव के समक्ष झुक जायेंगे अथवा वे अपनी बात पर डटे रहेंगे ?

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, इस मामले में मैं भी श्री राम विलास पासवान और श्री इन्द्रजीत गुप्त का समर्थन करता हूँ । यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका ने मिस मागरिट टुटविलर द्वारा प्रेस के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि भारत और रूस को चेतावनी दी गयी है और यदि रूस यह रॉकेट ईंजन भारत को बेचता है तथा यदि शीघ्र ही इस समझौते को रद्द न किया गया तो वे भारत और रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि वह समय आ गया है जब इस सभा को एकजुट हो जाना चाहिए और हमें अमरीकी प्रशासन के इस प्रकार के रवैये की निन्दा करनी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभी तथ्यों को जाने बिना कृपया इस प्रकार के निष्कर्ष पर न पहुँचें ।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, यह सत्य है क्योंकि वहाँ के विदेश विभाग के प्रमुख प्रवक्ता द्वारा संवाददाता सम्मेलन में ऐसा कहा गया है । महोदय, आप जानते हैं दो दिन पूर्व रूस के शिष्टमंडल ने इस बात का उल्लेख किया है कि वे हमारे साथ इस समझौते तो बरकरार रखेंगे । वे हमारे मित्र देशों में हैं और अब इन दोनों देशों को यह देखना है कि अमरीकी सरकार द्वारा हमारे ऊपर इस प्रकार के दबाव से किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो जायें ।

महोदय, इस दृष्टि से यह बिल्कुल आवश्यक है कि इस संसद के विचार, सभी राजनीतिक दलों के विचार को प्रकट किया जाना चाहिए ताकि अमरीका के अधिकारीगण भी यह जान जाये कि भारत में हम अपने सम्मान का किसी भी कीमत पर समर्पण या इसे इनके अधीन नहीं करेंगे । सरकार की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में और इस राष्ट्रीय मुद्दे पर इस सम्माननीय सभा के सभी पक्षों को साथ ले कर एक वक्तव्य जारी करना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में इस प्रकार के विषयों पर जब भी चर्चा हुई है और जहां पर इस सदन को लगा है कि नये विश्व की परिस्थिति में जो अमेरीका का स्थान बना है और उसके कारण जो उनके मन में गलतफहमियां पैदा हुई हैं, वे चाहे जिसे, चाहे

जिस प्रकार से चलाना चाहेंगे तो वे चला सकते हैं तो इस सदन की एक स्वर से प्रतिक्रिया हुई है । इस सवाल को कभी उसको नहीं मानना चाहिये । जब पिछले दिनों स्पेस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का सवाल आया और हमारा पुराना समझौता, जो हमने रूस से किया था, उसको सत्य कराने का अमेरिका ने प्रयास किया तो हम सब लोगों ने एक स्वर से अपना विरोध प्रकट किया और सरकार ने उसके अनुरूप आकर यहां वक्तव्य दिया । यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि रूस ने उसके बाद एक सही निर्णय लिया और उसने इस बात को दोहराया कि हमने जो समझौता किया था, उस समझौते पर हम कायम हैं । उसी पर प्रतिक्रिया है कि आज अमरीका ने फिर से धमकी दी है उनको भी, हमको भी । इसके ऊपर सामूहिक उत्तर हमारी तरफ से होना चाहिये । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री अगर आकर पूरे सदन की ओर से और पूरे देश की ओर से साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता देते कि इस प्रकार की धमकियों से हम झुकने वाले नहीं हैं लेकिन साथ-साथ सावधानी यह बरतनी चाहिये कि इस मामले में मास्को का रवैया क्या है ? उनके प्रतिनिधि यहां हैं । हमारी तरफ से ठीक प्रकार से आज सामूहिक रूप से प्रत्युत्तर हो कि आज पूरा देश इस बारे में एकमत है, जिसमें कोई सन्देह नहीं है । हां, अगर इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ही वक्तव्य दें तो उचित है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया याद कीजिये कि जब शुरू में हमें इस धमकी के बारे जानकारी मिली तो हमने इस सभा में इस मुद्दे को उठाया था । यह बात रूस के उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमंडल के यहाँ आने से पूर्व हुई थी । अब हम यह देखते हैं कि रूस के शिष्टमंडल के यहाँ आने के पश्चात् तथा उसके द्वारा कुछ आश्वासन दिये जाने के बाद यह धमकी दी गयी है ।

महोदय, यह सिर्फ समाचार पत्रों का अनुमान नहीं है । यह संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग के प्रमुख प्रवक्ता द्वारा कहा गया है । उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही थी । इस प्रतिबंध में मूल रूप से इन्हें अमरीकी प्रौद्योगिकी की जानकारी की प्राप्ति, जिसमें कि निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होगी, रद्द कर देना, अमरीका के साथ हुये समझौतों को रद्द कर देना शामिल हैं और ये प्रतिबन्ध भारत और रूस दोनों पर एक विशिष्ट समय के लिए लगाये जायेंगे । जब इतना गंभीर मामला हमारी जानकारी में आया तो मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं की ?

महोदय, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है । एक सामन्तवादी देश द्वारा सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों के कारण और हमने जो आर्थिक नीति अपनायी है इस कारण हमें धमकी दी जा रही है, हम पर धौंस जमाया जा रहा है । हमने जिस आर्थिक नीति को अपनाया है उस कारण हमारा रवैया स्पष्ट नहीं है । महोदय, मैं इसे जानना चाहूँगा । सरकार स्वयं अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं करती हैं । यह उस समय की प्रतीक्षा क्यों करती है जब तक कि इस मुद्दे को सभा में न उठाया जाए ? अभी कोई भी नहीं है । माननीय विदेश मंत्री जी भी उपस्थित नहीं है । इस मामले का जवाब देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित नहीं है । उन्हें स्वयं आना चाहिए और इस गंभीर मामले के सम्बन्ध में कहना चाहिए या इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए । आज एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारी क्या स्थिति है ? हमारी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को क्या हो रहा है ? एक बाहरी देश खुल कर हम पर धौंस जमा रहा है । महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया माननीय प्रधान मंत्री जी को यहाँ आने के लिए तथा इस सम्माननीय सभा को विश्वास में लेने कहें । उनसे देश को यह कहने के लिए तथा आश्वासन देने के लिए कहें कि भारत इन धमकियों तथा धौंस जमाने की इन कोशिशों के समक्ष कभी भी समर्पण नहीं करेगा ।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कल संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल अमरीकी दूतावास में अमरीकी सरकार के वर्तमान रवैये पर विरोध प्रकट करने के लिए अमरीकी दूतावास गया था । लेकिन इस

सम्बन्ध में दूरदर्शन पर एक शब्द भी नहीं बोला गया । इस बात का कोई प्रचार नहीं किया गया । क्यों ? क्या वे इसे भी दबाना चाहते हैं ? वे इस बात को दबाना चाहते हैं कि भारतीय संसद के सदस्यगण इस बात पर विरोध प्रकट कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं । जहाँ तक इस सरकार का, सरकारी संचार माध्यमों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है । यह वर्तमान सरकार का रवैया है । हम अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रति इस चापलूसी को कभी बर्दास्त नहीं करेंगे । हम इसका पर्दाफाश और इसका विरोध करेंगे । हम चाहते हैं कि सरकार शीघ्र ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और हमें यह जानना चाहिए कि इस सम्बन्ध में सरकार का वर्तमान रवैया क्या है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संक्षेप में मैं आपको और इस सम्माननीय सभा को यह स्मरण कराना चाहूँगा कि उसी दिन जिस समय श्री चिदम्बरम ने संयुक्त राज्य अमरीका से धारा एस०-301 के अन्तर्गत भेषजों के आयात के सम्बन्ध में अमरीकी दबाव पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, हमारे रक्षा मंत्री ने रक्षा सम्बन्धी सहयोग पर चर्चा करने के लिए अमरीकी सेनाध्यक्ष का स्वागत किया था । यह शर्मनाक बात है । यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है । जिस दिन अमरीकी सरकार ने नाराज होकर और बदले की भावना से हमें धमकी दी, हम उनकी चापलूसी करने लगे और हम उस सरकार के साथ रक्षा सहयोग की बात करने लगे । यहाँ इस सम्बन्ध में आवाज उठायी गयी थी कि शीघ्र ही संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हिन्द महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द किया जाये । यदि सत्ता पक्ष को जरा भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है तो हम सरकार से इस माँग का शीघ्र ही उत्तर चाहते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह सभा द्वारा की गयी सर्व सम्मत माँग थी । संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द करने की माँग पूरी सभा द्वारा की गयी थी ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ़्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे केवल दो बातें कहनी हैं । जो रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात आज वाशिंगटन से आयी है, प्रधान मंत्री ने यहां पर 7 दिन पहले इस पर बहुत लम्बा बयान पढ़ा था । पता नहीं सदन को उसकी याद है या नहीं कि उन्होंने यहां पर खड़े होकर एक लम्बा लिखित बयान पढ़ा था । स्पौन्टेनियस रिएक्शन उनका कोई नहीं था । प्रधान मंत्री ने कहा था कि ऐसे जो आप लोग परेशान हो रहे हो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है । सारी बातें हो चुकी हैं फिर आप किस लिये परेशान हो । यह बात यहां पर प्रधान मंत्री की तरफ से आ गयी थी । अब कहीं न कहीं जाकर यह मामला बिगड़ चुका है । प्रधान मंत्री ने कैसे यह बात यहां पर कही, किस आधार पर कही, कहां से उनको जानकारी मिली ।

अमेरिका में हमारा दूतावास है और हर मामले पर प्रतिदिन, और दिन में चाहे जितनी बार, स्टेट डिपार्टमेंट से या जिन लोगों से बातें करनी हैं, हमारे दूतावास की बातें होती हैं । जब यह रॉकेट टेक्नोलौजी का मामला रूस के एक अखबार के चलते यहां पर उठा, तो कहां तक प्रधान मंत्री की बात हो गयी, किस प्रकार का जवाब उनको अमेरिका से मिला, हमारे दूतावास ने क्या किया, अमेरिकी सरकार ने हम लोगों को क्या बताया, उनका जो यहां पर दूतावास है अमेरिका का, उनकी तरफ से हम लोगों को क्या सूचना मिली, अध्यक्ष जी, इसका जवाब आपको इस सदन में प्रधान मंत्री की तरफ से दिलाने का काम करना चाहिये वरना यह बहुत बड़ा अन्याय होगा सदन के साथ । वरना यह बहुत बड़ा अन्याय सदन के साथ होगा । अगर यह

सदन आज नहीं बैठा होता, यह सारा काण्ड अगर 4 दिन के बाद आया होता, तो सदन को एक मजाक का विषय बनाकर रखने का यह जो सिलसिला चला है, अध्यक्ष जी, आज आप स्पष्ट शब्दों में प्रधान मंत्री को कहिए कि वे अपने उस बयान का खुलासा करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखिए, आप, ...

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात को कहने दीजिए। मैं पिछले अर्से से इस सवाल को उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब यह जीरो-आवर का मामला है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जीरो-आवर की बात नहीं है, हमारे देश की आजादी का सवाल है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां आप हर व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कैसे कर सकते है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इसे शून्य काल से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह हमारी प्रभुसत्ता का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही कठोर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिस दिन आप अपनी नई आर्थिक नीति को अपनाते हैं, आप इस देश की स्वतन्त्रता का समर्पण कर देंगे। मैंने यह बात इस सम्माननीय सभा में कही है। मैंने यह बात बाहर भी कही है और मैं ऐसा कहता रहूंगा।

[हिन्दी]

वहां से यह सारी फिसलन शुरू हुई है क्योंकि हम इन्कार कर रहे हैं। इसलिए एक तो प्रधान मंत्री जी से सीधे इस पर बयान दिलाइए और दूसरा, अध्यक्ष जी यहां पर शाहाबुद्दीन साहब ने जिस सवाल को उठाया, . . . **(व्यवधान)**. . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उनकी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, क्या बचा है, आप मुझे बताइए। अब क्या बचा है? यह जो एक्सरसाइज का मामला है, आप सरकार को कहिए, सदन की राय कर के कहिए, कम से कम एक जगह पर

कहीं खूंटा गाढ़ने का काम हो, ताकि अमरीकी समझें कि भाई इन लोगों को रोज-रोज एक तमाचा मारने से काम नहीं चलने वाला है ।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : महोदय, अमरीका ने बड़े ही नाजुक समय में चेतावनी दी है । यह ऐसे समय में दी गयी है जब रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री गेनेडी बरबुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये यहाँ आये हुए थे । स्पष्ट रूप से यह बहुत ही अशुभ संकेत है । यह भविष्य में होने वाली घटनाओं, उभरते हुए विश्व व्यवस्था के लिए और एक एकध्रुवीय विश्व की वास्तविकता का संकेत होगा । हम सबों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए । स्पष्ट रूप से यह प्रौद्योगिकी आतंकवाद की कार्यवाही है जो विशेष रूप से द्विपक्षीय वार्ताओं में जो कि जी० ए० टी० टी० में और रीओ में हो रहे पृथ्वी सम्मेलन में हमारी वार्ता सम्बन्धी स्थिति को कमजोर करने के उद्देश्य से और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन और इसे लोकतंत्रात्मक बनाने सम्बन्धी हमारी माँग को कमजोर करने के लिए की गयी है ।

मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे को पक्षपात का मुद्दा न बनाया जाए । हम सभी इसके लिए चिन्तित है । हम जानते हैं यह असली मुद्दा नहीं है । संयुक्त राज्य अमरीका ने कहा है कि इससे प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली का उल्लंघन होता है । हर कोई जानता है कि क्रायोजेनिक ईंजन का उपयोग प्रक्षेपास्त्रों में नहीं होता है बल्कि वास्तव में उन्हें बुस्टर रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है । हमने भू-तुल्यकालीक उपग्रह के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है । यह बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय है । भारतीय वैज्ञानिक इसमें पुरी तरह से दक्ष है । संयुक्त राज्य अमरीका चाहता है कि हम इसे बन्द कर दे । **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, संसद को भी देश की एकजुट विचार धारा व्यक्त करने का अधिकार, दायित्व है और यह इसका कर्तव्य भी है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें एक बात समझ लेनी चाहिए । समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपा है उसके बावजूद रूस के मंत्री आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं ।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : कुछ भी हो, यह देखना माननीय प्रधान मंत्री जी का काम है । **(व्यवधान)** मैं भी यही चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी अथवा सदन के नेता द्वारा इसका उत्तर दिया जाए । न तो मैं और न ही आप यह कहने की स्थिति में हैं कि यह सूचना कहाँ तक सही है । लेकिन ऐसी सूचना है । यह मामला सभा के समक्ष है । यदि किसी को इन्कार करना है तो सरकार को इन्कार करना है । सरकार कहाँ है ? सरकार यहाँ उपस्थित हो और इससे इन्कार करे । **(व्यवधान)** जी हाँ, वहाँ सरकार है । जहाँ तक सभा के इस पक्ष का सम्बन्ध है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी कृपया अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दीजिए ।

श्री चित्त बसु : पूरी सभा इससे सम्बद्ध है । हम संयुक्त राज्य अमरीका के इस रवैये की गहरी निन्दा करते हैं । **(व्यवधान)** यह देखने के लिए इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा की जाए और इसे बचाये रखा जाए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इसकी चर्चा करने से पूर्व मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करती हूँ । आपने उस दिन शून्य काल में इस मुद्दे को उठाने की मुझे अनुमति दी थी । अब मैं वास्तव में एक बहुत ही खेदजनक बात कहूँगी । हमें पता चला है कि बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं . . . **(व्यवधान)** . .

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? . . .**(व्यवधान)** . . .

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दम-दम) : हम इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आज प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं या नहीं . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : गीता जी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोल रही हैं । उनका मुद्दा भी समानरूप से महत्वपूर्ण है । आप उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फ्रीडम फाइटर्स का इशू है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गीता जी को बोलने दीजिए । ऐसा नहीं है कि आप ही बोलें, दूसरों को बोलने नहीं दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं उस विषय पर बोलूंगी जिसका मैंने आपको नोटिस दिया है । यह बहुत दुखद बात है कि जिन प्रसिध्द स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवास आवंटित किया गया था उन्हें संपदा निदेशालय ने बेदखली के आदेश दिए हैं । यह सूची बहुत व्यापक है परन्तु मैं यह दिखाने के लिए आपको कुछ उदाहरण दूंगी कि यह मामला कितना गंभीर है ।

श्री बाल्मीकी चौधरी जिन्हें नोटिस दिया गया है वे भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सचिव थे । श्री डी० के० बरूआ राज्यपाल के साथ कांग्रेस (इ) के सचिव थे । श्री मधु लिमये उन दिनों इंदिरावादी नहीं थे । फिर भी उन्हें आवास दिया गया । तत्पश्चात श्री शार्दुल सिंह और श्रीमती प्रकाश कौर का नाम है जो भगतसिंह जी के रिस्तेदार हैं । श्रीमती कमला बहुगुणा स्वत: ही विख्यात हैं उनके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है । श्री इन्द्रदीप सिंह बिहार मंत्री मण्डल में मंत्री होने के साथ-साथ बहुत लम्बे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे और वह बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानी भी हैं । श्रीमती सुभद्रा जोशी को हरेक आदमी गोवा मुक्ति संघर्ष के लिए याद करते हैं । क्या उनके विरूध्द ऐसा किया जाना चहिए ? अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें आवास केवल चिकित्सा आधार पर दिया गया था । महोदय, मैं आपको बता दूं कि इन स्वतंत्रता

सेनानियों ने प्रधान मंत्री को भी आवेदन किया है । उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को इन आवासीय मकानों को आवंटित करते समय इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि ये उन्हें कुछ समय विशेष तक के लिए आवंटित किए जा रहे हैं, उन्हें ऐसा आभास कराया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों अथवा कुछ अन्य चिकित्सा कठिनाइयों में किसी भी कठिनाइयों में इन मकानों को अपने पास रखेंगे । अब वे बहुत कठिनाई में हैं । उनमें से अधिकांश लोग बहुत बूढ़े हैं । हमने इतने प्रसिध्द स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार होने की बात कभी नहीं सुनी । मैं आपके माध्यम से सरकार विशेष रूप से शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले को अपने हाथ में लें और बेदखली के लिए जारी किए गए आदेश को तुरन्त निरस्त कर दें ।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, मैंने आज सुबह एक बहुत परेशान करने वाले और लोक महत्व के समाचार के बारे में नोटिस दिया है ।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए देश के सभी भागों से भारतीय खाद्य निगम के 5000 कर्मचारी दिल्ली में एकत्रित हुए हैं । उनकी मुख्य समस्या निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए उच्च अधिकारियों द्वारा निगम के कार्यों में कुप्रबंधन के बारे में है । महोदय 3 व 4 श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते जो पहली अगस्त, 1987 से देय है, को 28 फरवरी, 1992 को अंतिम रूप दिया गया था । पिछले 18 महीनों से वेतनमानों में संशोधन के लिए बातचीत चल रही है । परन्तु 18 महीने की इस अवधि के दौरान न तो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और न प्रबंध निदेशक ने पांच माह की वार्ता में भी भाग नहीं लिया है । अधीनस्थ अधिकारियों को इस मामले पर बातचीत करने के लिए कहा गया । भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने में विफल रहे हैं । अब खरीद का मौसम शुरू हो गया है । यदि हड़ताल हो गई तो हमें कठिनाई होगी । दलगत भावना से उठ कर 46 संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और हमने यह ज्ञापन खाद्य मंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया कि इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है । खाद्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस अति महत्वपूर्ण मामले पर दलगत भेदभाव भुलाकर 46 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित इस ज्ञापन पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है । यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी इस महीने की 15 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे । खाद्य मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ।

श्री पी० सी० थॉमस (मुक्तुपुजा) : सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है । . . **(व्यवधान)** .

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा बोलते हैं । श्री मंजय लाल को बोलने दो । वह भी आपके समान ही इस सदन के सदस्य हैं ।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर में स्थित दूरदर्शन केन्द्र का स्टुडियो आधुनिक तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित होकर मार्च, 1989 से ही तैयार पड़ा है । उस समय 31 मार्च, 1989 को उसके उद्घाटन की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उक्त उद्घाटन तिथि रद्द कर दी गई । पुन: 13 अक्तूबर, 1990 को उद्घाटन की तिथि तय की गई, परन्तु वह भी रद्द कर दी गई । यह स्टुडियो भवन चार साल पहले लगभग 30 लाख रूपये की लागत से निर्मित हुआ था । स्टुडियो में लगभग तीन करोड़ रूपये की आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं । कार्यक्रम निर्माण हेतु कीमती ओ० बी० भान

विगत एक साल से बेकार पड़ा है । स्टुडियो में तैनात कर्मचारियों को बैठ कर प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है । अत: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि वह मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र के तैयार पड़े स्टुडियो का अतिशीघ्र उद्घाटन कर चालू कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें ।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, दोनों रेल मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान एक अत्यधिक लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं ।

महोदय, सिडको ने कालवा-तुरभे रेल लाइन को निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है और इसने अभी तक 29 करोड़ रूपए खर्च कर दिए हैं । अत: रेलवे को पहले किए गए वायदे के अनुसार रेलवे लाइन के अधिग्रहण के कार्य को तेजी से करना चाहिए और उनसे कालवा-तुरभे रेल लाइन को सामान परियात के लिए तत्काल शुरू करने का अनुरोध किया जाना चाहिए । रेलवे को ठाणे से तुरभे के बीच दैनिक यात्रियों के परिपात के लिए लाइन को तैयार करने के लिए समझाया जाना चाहिए और जुई नगर तक इसका विस्तार करके इसे मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए । इस पर लगभग 58 करोड़ रूपए की लागत आने की संभावना है । मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन पर राज्य सरकार की सहायता से कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, तथा सिडको ने कार्य आरंभ कर दिया है । बेलापुर-पनवेल लाइन के लिए 30 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है । रेल मंत्रालय को इस रेल लाइन का उपनगरीय दैनिक यात्रियों की सेवा के लिए उनयन करने के लिए कहा जा सकता है । नावा-सेवा बन्दरगाह तथा उल्वा नोड्स का कार्य सिडको द्वारा पूरा किया जा रहा है और बेलापुर-नावा-सेवा-उरण के बीच प्राथमिकता के आधार पर रेलवे लाइन का निर्माण करना आवश्यक हो गया है । इस काम के लिए रेल विभाग के पास धन जमा करा दिया गया है । इस रेलवे लाइन की लम्बाई 20 किलोमीटर से अधिक है । रेल अधिकारियों को मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन की तरह से ही धन की व्यवस्था करके इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए समझाया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाने जा रहा हूं । लोक सभा के सदस्य के परिवार के विषय में मामला है, इसका मैं सुबह नोटिस भी दिया हूं । श्री अशोक देशमुख के परिवार के सदस्य दो तारीख को आईसी-491 फ्लाइट से औरंगाबाद जाना चाहते थे, लेकिन दो तारीख को रिजर्वेशन मिलने के बाद वे जा नहीं सके और इसकी सूचना एयरपोर्ट दिल्ली के अधिकारियों ने नहीं दी है । इस वजह से फैमिली के सदस्य तीन तारीख को रवाना हुए, लेकिन विमान में कुछ तकनीकी खराबी के कारण विमान बीच में कहीं खड़ा रहा । तीन तारीख से पांच तारीख तक उनको अपनी फैमिली का पता नहीं था कि उनकी फैमिली कहां है । चार तारीख को जब इन्होंने पता लगाया कि फैमिली औरंगाबाद नहीं पहुंची है, तो इन्होंने पचास टेलीफोन यहां से गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को किए और जब उनके पीएज ने फोन किया तो पता लगा कि उदयपुर के होटल में उनकी फैमिली को रखा हुआ है । इन्होंने जब यहां से विनती किया कि उनकी फैमिली को चार तारीख को कम से कम वहां से भेज दिया जाए, लेकिन विनती करने के बाद भी विमान के अधिकारियों ने उनकी फैमिली को नहीं भेजा, बल्कि तेरह विदेशी लोगों को उस दिन फ्लाइट से औरंगाबाद भेज दिया । एक संसद सदस्य की पत्नी और बच्चे वहां पर रहते हुए, उनको प्रायोरिटी न देते हुए, वहां से तेरह फॉरनर को वहां से भेज दिया गया । इसके बारे में जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । इसके बारे में उन्होंने कोई सूचना भी क्यों नहीं दी कि तुम्हारी फैमिली वहां पर है, उदयपुर में है । इन्होंने जब यहां से भागा-दौड़ी की है, तब जाकर रात को दस बजे पता लगा कि उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के होटल में है । मुझे बताया है

कि आज पांच तारीख तक भी उनके परिवार के सदस्यों को नहीं भेजा है । ऐसे समस्या हल नहीं हो सकती है । अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसकी जांच करें और जो भी आवश्यक हो करें ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री पी० सी० थॉमस : महोदय, यह वास्तव में शर्मनाक है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने यह सब कह दिया है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह शर्मनाक है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अप्रैल, 1992 को दूरदर्शन केन्द्र पटना ने अपने कार्यक्रम "पल्लव" में निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का खुलकर 15 मिनट का समय दिया । इस कार्यक्रम में पटना में चल रहे नटराज सर्कस को बगैर विज्ञापन के रूप में बच्चों का कार्यक्रम बनाकर दिखाया है, परन्तु यह साथ ही इस सर्कस कंपनी के कलाकारों तथा उनसे जुड़े लोगों का खूब समय देकर साक्षात्कार किया जिससे इस सर्कस की पूरे दूरदर्शन क्षेत्र में जम कर विज्ञापन बगैर किसी शुल्क के किया गया है । क्या एक सरकारी क्षेत्र इस प्रकार के पब्लिसिटी करने के लिए स्वतन्त्र है ? इस मामले में मुझे यह भी कहना है कि जब हम लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई सभा करते हैं, तो उसके लिए कैमरा टीम उपलब्ध नहीं होती है, परन्तु जब किसी दूरदर्शन आधिकारी का वहां पर कार्यक्रम होता है, जो कि कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी नहीं होता है, तो उसके लिए दूरदर्शन की कैमरा टीम उपलब्ध होती है । क्या दूरदर्शन के अधिकारियों को इस बारे में खुली छूट प्रदान की गई है कि वह जिसका कार्यक्रम चाहे रिकार्ड करें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या न हो । मैं इस संबंध में सरकार से दूरदर्शन की दिशा-निर्देश की जानकारी चाहता हूं साथ ही पटना केन्द्र के द्वारा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जो उस वक्त उक्त क्षेत्र में ही अपने कार्यक्रम कर रहा था, उसके कार्यक्रम को विज्ञापित करने के संबंध में क्या तथ्य थे ? उसकी पूरी जानकारी चाहता हूं और साथ ही यदि उक्त कंपनी ने इस कार्यक्रम के विज्ञापन के लिए यदि शुल्क नहीं दिया है, तो अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसकी भी पूरी जानकारी चाहता हूं । यह बात बिहार के न्यूज पेपर में भी खुल्लम-खुल्ला आई है ।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थॉमस : महोदय, मैंने केरल को सप्लाई किए जा रहे गेहूं में कमी के बारे में नोटिस दिया था । केरल राज्य को सप्लाई की जा रही गेहूं की मात्रा में पिछले काफी महीनों से पूर्ण विछेदन है और इसका राज्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में मैंने पहले अनुरोध किया था तथा मंत्री महोदय इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए तैयार हो गए थे । मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के आंदोलन के बारे में खुले दिमाग से विचार करेगी ।

1.00 म० प०

ऐसा कहा गया है कि सरकार खुले दिमाग से इस पर विचार करेगी, परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है । भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने नोटिस दिया है कि वे 15 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं तथा वे 8 से 10 तारीख तक प्रधान मंत्री के घर के सामने धरना देने जा रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि इस हड़ताल को टालने के लिए मंत्री महोदय की ओर से एक वक्तव्य आना चाहिए । क्योंकि यह एक गंभीर मामला बनने जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम में 70,000 कर्मचारी हैं और कर्मचारी एशोसिएशन इन कर्मचारियों में से 95% प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है । वे कुछ वास्तविक कारणों से हड़ताल पर जा रहे हैं ।

यूनियन के कुछ सदस्यों और कर्मचारियों को उत्पीडित भी किया गया है । इस यूनियन के महासचिव का हड़ताल का नोटिस दिए जाने उनके हड़ताल पर जाने के ही कारण तबादला कर दिया गया है । यूनियन के कुछ अन्य सदस्यों को भी सख्त नोटिस जारी किए गए हैं । कथित नोटिसों में उन पर कदाचार आदि के आरोप लगाए गए हैं ।

महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पहलू के बारे में भी वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं इस पर उनका समर्थन करता हूं ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे आंदोलनकर्ताओं को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए राजी करें । हम इस पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार हैं । हम उनकी उचित समस्याओं पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप प्रबंधक मन्डल को उनके साथ मिल बैठकर उनकी समस्याओं का हल करने का निदेश दें ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, क्या मैं रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? क्योंकि मैं उन्हें मुबारक बात देना चाहता हूं । मैं पिछले दो वर्षों में रेल मंत्री को पहली बार बधाई दे रहा हूं ।

मुम्बई में लोकल ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है । महिला दैनिक यात्रियों की मांग है कि उनके लिए व्यस्ततम समय में कम से कम एक ट्रेन होनी चाहिए, मुझे खुशी है कि आज महिला दैनिक यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है । शायद आज अक्षय तृतीया है । शायद इसी वजह से यह आज शुरू हो रही है । यह चर्चगेट से बोरीवली के बीच चलेगी । मेरी केवल यही मांग है । चर्चगेट से बोरीवली केवल आधाही क्षेत्र है । बेहतर होगा कि इसे और आगे विरार तक बढाया जाना चाहिए जो कि वहां से 20 किलोमीटर दूर है ताकि पश्चिम रेलवे के पूरे उपनगरीय क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया जा सके ।

अत: मैं मांग करता हूं कि उस ट्रेन को बोरीवली से विरार तक चलाया जाय और यह सुविधा मध्य रेलवे में भी शुरू की जाए जिससे महिला दैनिक यात्रियों को सहायता मिलेगी ।

मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें जिसमें इस पर यथाशीघ्र विचार करने का आश्वासन दिया जाए ।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का सिर्फ यह कहने से समाधान होने वाला नहीं है कि "अब हम इस मामले पर खुले दिमाग से विचार करेंगे।" उनकी याचिका मार्च के महीने से खाद्य मंत्रालय के पास विचारार्थ लंबित पड़ी हुई है। हम इस मामले के हल होने की पिछले दो महीने से अधिक समय से धैर्यपूर्वक प्रतिक्षा कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि यह कहने के बजाय कि उनका रवैया उदार है सरकार को हमें यह कहना चाहिए कि उसकी उदारता इस मामले को अब कहां तक ले गई है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने इस संबंध में अनेक पत्र लिखे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने पहली मई को दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया। देश उत्तरी भागों से हजारों की तादाद में कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया तथा अपनी मांग उठाई।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए आप में से केवल एक सदस्य क्यों नहीं कहता है और तत्पश्चात दूसरे सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं देते हैं। यदि एक ही मुद्दे पर कई सदस्य एक साथ बोलेंगे तो दूसरे सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु मुद्दा यह है। जब हमें बताया जाता है कि वे हड़ताल करेंगे और यहां पर उपस्थित मंत्री महोदय स्पष्ट रूप में यह नहीं बताते कि वह किस प्रकार से कर्मचारियों की मांग सम्बन्धी मामले का समाधान करेंगे तब यह मामला हमारी चिन्ता का मामला बन जाता है। हम ऐसे सरकार के साथ कैसे तालमेल कायम रख सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसी समय पूरी चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह हर बात जानते हैं। हजारों कर्मचारी आये थे। उनमें परस्पर मतभेद नहीं था। एक जिम्मेवार सरकार से जो आशा की जाती है, यह उसके अनुरूप नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, किदवई भवन में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में भयंकर आग लगने के फलस्वरूप वहां पर करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हो गया है। दो कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं। यद्यपि वे आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेलीफोन की जो स्पेशल सैंकशंस हैं वे सारी नष्ट हो गई हैं, उनकी प्रक्रिया बंद हो गई है। इससे अन्य संस्थानों के कार्य पर भी असर पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सारे मामले की जांच की जाए कि आग किस प्रकार से लगी। चौथी और पांचवी मंजिल पर आग लगी है और महत्वपूर्ण सारी टेलीफोन लाइंस डिसकनेक्ट हो गई हैं। इसलिए इस मामले की तुरंत जांच की जानी चाहिए। क्योंकि यह भवन असुरक्षित घोषित किया गया था फिर भी लापरवाही हुई है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

डॉ० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मार्किट में किसानों का गेहूं सरकारी गोदामों को नहीं मिल रहा है और खाद्यान्नों की महंगायी से त्राहि-त्राहि मच गयी है। अप्रैल के अन्तिम हफ्ते ही से महंगायी का बढ़ना प्रारम्भ हो गया है।

पिछले वर्ष 1990-91 में खाद्यान्न का गवर्नमेंट का लक्ष्य 7.5 मिलियन टन था जो वर्ष 1991-92 में बढ़ा कर 9 मिलियन टन निर्धारित किया है । 1.5.92 को सरकारी सुरक्षित भण्डार में मात्र 2.2 मिलियन टन शेष रहा गया था और सरकार ने इस कमी के कारण विदेशों से 10 लाख मिलियन टन गेहूं खरीदने की सोची ही नहीं, विदेश सचिव को भी विदेशों में भेजा । अगर विदेशों से गेहूं आयात होता या अब किया जाएगा तो उसका आयतित मूल्य सरकार आंकड़ों के अनुसार लगभग 620 प्रति क्विंटल पड़ने की सम्भावना है ।

आज गेहूं का घोषित मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल है । इस पर 50/- बोनस और 5/- प्रान्तीय सरकार द्वारा अनुदान की घोषणा की गयी है । इस प्रकार सब मिला कर 280/- किसान को मिल सकता है ।

सरकार के भण्डारण के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं । परन्तु देखा गया है कि इन प्रान्तों की मण्डियों में खाद्यान्न सरकारी गोदामों में नहीं जा रहा है, प्राईवेट व्यापारी गेहूं को 325 से 350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद रहे हैं । सरकार ने अपनी असफलता के कारण गेहूं पर अनेक पाबन्दियां लगानी शुरू कर दी हैं, यथा रेल पाबन्दी आदि है । इस यातायात को रोकने का दुष्परिणाम यह हुआ कि आटे की मिलें बन्द हो रही हैं । केवल तमिलनाडु राज्य में गेहूं न पहुंचने से 35 प्रतिशत उत्पादन रह गया है और इनमें कार्यरत मजदूर 36 हजार रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं ।

इस प्रकार पाबन्दी लगाना मात्र समस्या का समाधान नहीं है । एक तरफ सरकार उदारवादी नीति का ढिंढोरा पीटती है, दूसरी तरफ पाबन्दियों की मरमार कर रही है । अतः मेरी सरकार से मांग है कि गेहूं का मूल्य खुले बाजार में कम किया जाए और किसान का लागत मूल्य कम करने के लिए सरकार वर्तमान अनुदान नीति में सुधार करे ताकि किसान को भी उचित मूल्य अनुदान के रूप में प्राप्त हो सके । दूसरी तरफ खुले बाजार में गेहूं की मांग कम करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न की भरपूर आपूर्ति की जाए और प्रति यूनिट खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि आम उपभोक्ता खुले बाजार में गेहूं खरीदने न जाए । इस प्रकार मांग कम होने से बाजार भाव स्वयं ही गिर जाएगा और जो गेहूं व्यापारी अधिक दामों पर खरीद रहे हैं, वह नहीं खरीदेगा । परिणामस्वरूप गेहूं सरकारी गोदामों में आने लगेगा ।

यदि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो मुझे आशंका है कि जो गेहूं इस समय साढ़े चार या पांच रुपये प्रति किलो बिक रहा है वह ऑफ सीजन में बढ़ कर 10/- रुपये प्रति किलो बिकेगा । जिसका प्रभाव 40 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा और जीवनयापन करना असम्भव होगा, परिणामस्वरूप अराजकता का नंगा नाच होगा ।

श्री केवल सिंह (भटिंडा)* : आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले साल एफ०सी०आई० के वर्करों ने तीन महीने स्ट्राइक की थी । जिसके बारे में मंत्री जी ने लिखित आश्वासन दिया था कि सरकार अभी नयी-नयी सत्ता में आयी है . . .

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य :

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बता देते तो ट्रांसलेशन की व्यवस्था करते । ठीक है, पहली बार बोल रहे हैं बोलने दीजिए इनको । आडियो में रिकार्ड हो रहा है, उसको ट्रांसलेट कर लेना ।

---

* मूलतः पंजाबी में उठाए गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

श्री केवल सिंह : फूड मिनिस्टर साहब ने भरोसा दिलाया था कि सरकार नयी-नयी सत्ता में आयी है और देश गम्भीर संकट का सामना कर रहा है । अत: स्टाइक वापस ली जाए और हम आपकी समस्या बैठ कर हल करेंगे । पूरे हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में एफ०सी०आई० में ठेकेदारी सिस्टम समाप्त हो चुका है, अकेले पंजाब में अभी यह व्यवस्था रहती है । पंजाब के साथ यह बेहन्साफी क्यों ? यह हमारे साथ बेहन्साफी है । हम बहुत सब्र कर चुके हैं । इससे आगे अगर किसी किस्म का नुकसान होता है तो हमारे फूड मिनिस्टर ही जिम्मेदार होंगे ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अयोध्या सम्बन्धी मामले की रिपोर्ट के बारे में आपने क्या सोचा है ? वह एक अति महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हम एक तारीख निर्धारित कर रहे हैं ।

1.10 म०प०

सभापटल पर रखे गये पत्र

गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण आदि

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1890/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1891/92]

(5) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1892/92]

(7) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1893/92]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 1992, जो 20 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 41/2/87 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 1894/92]

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1992, जो 12 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 95(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1992, जो 13 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 329(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1992, जो 18 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 107(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1992, जो 18 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 108(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर संशोधन नियम, 1992, जो 5 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 311(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 182(अ), जो 5 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी उद्योग को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देय उपकर की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1895/92]

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत अधिसूचना और राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1992, जो 31 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 74(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग (सहयोजित सदस्यों को देय भत्ते) नियम, 1992, जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 118(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1896/92]

(2) (एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1897/92]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 की संख्या 8) (वाणिज्य)—वायुदूत लिमिटेड परिचालन कार्य आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री एम० ओ० एच० फारूक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 की संख्या 8) (वाणिज्य)—वायुदूत लिमिटेड परिचालन कार्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1898/92]

(2) पवन हंस लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1899/92]

कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1900/92]

(3) भारतीय कन्टेनर निगम तथा रेल मंत्रालय के बीच हुए वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1901/92]

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1902/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1903/92]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1904/92]

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1905/92]

(9) फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत फार्मेसी काउंसिल आफ इंडियाज एम्पलाइज ग्रुप सेविंग्स इन्श्योरेन्स रैगूलेशनस्, 1991 जो दिनांक 4 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 26-10/89/पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1906/92]

(10) (एक) कैंसर होस्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिजनल कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सेंटर, ग्वालियर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर होस्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सेंटर, ग्वालियर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1907/92]

(12) (एक) कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास के वर्ष 1990-91 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1908/92]

(14) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1909/92]

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 1) सिविल, (1992 का संख्या 2) (वैज्ञानिक विभाग), आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रतिलिपि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 1)—सिविल ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1910/92]

(दो) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 2) (वैज्ञानिक विभाग) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1911/92]

(तीन) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 4) (राजस्व प्राप्तियां—अप्रत्यक्ष कर) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1912/92]

(चार) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 5) (राजस्व प्राप्तियां—प्रत्यक्ष कर) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1913/92]

(पांच) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 12)—दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1914/92]

(छह) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 3)—संघ सरकार (दिल्ली प्रशासन) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1915/92]

(2) संघ सरकार के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1916/92]

(3) संघ सरकार के वर्ष 1990-91 के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1917/92]

1.12 म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.12½ म० प०

श्यामचरणपुर, देंकानाल, उड़ीसा में यात्री हाल्ट और मिनी रेलवे स्टेशन के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (देंकानाल) : मैं श्यामचरणपुर, देंकानाल, उड़ीसा में यात्री हाल्ट और मिनी रेलवे स्टेशन के बारे में श्री प्रशांत मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता, श्री विपन महापात्र, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला इकाई, श्री नवीन चौधरी नारायण दास, जैट०आर०यू०सी०सी० के पूर्व सदस्य, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व अध्यक्ष, देंकानाल नगरपालिका, जिला देंकानाल, उड़ीसा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.13 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ नए निर्माण शुरू करना

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, कदाचित सदन को स्मरण होगा कि 17 मार्च, 1992 को 1992-93 के रेल बजट पर आम बहस का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि मेरा प्रस्ताव पुरूलिया-कोटशिला और मद्रास-तिरूच्चिरापल्ली लाइनों के आमान परिवर्तन तथा बंडेल-कटवा खंड के विद्युतीकरण का है, मैंने पंजाब में कोटकपुरा-फाजिल्का खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को आमान परिवर्तन संबंधी कार्य-योजना में शामिल करने का भी जिक्र किया था। तदनुसार, इन निर्माण-कार्यों को, जो प्रत्येक नई सेवा के रूप में है, तत्काल शुरू करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि इन्हें भारत की आकस्मिकता निधि से धन लेकर शुरू किया जाए, जैसा कि इस तरह के मामलों में अनुमेय है। इस संबंध में सदन को निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है --

क्र० सं०	काम का विवरण	प्रत्याशित लागत	1992-93 के लिए परिव्यय	रकम, जिसे भारत की आकस्मिकता निधि से निकालने का प्रस्ताव है (करोड़ रुपयों में)
		आमान परिवर्तन		
1.	पुरूलिया-कोटशिला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (35 कि० मी०)	पूंजी 20.00	5.00	0.50
2.	मद्रास-तिरूच्चिरापल्ली मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (337 कि० मी०)	पूंजी 200.00	20.00	0.50
3.	कोटकपुरा-फाजिल्का खंड (80 कि० मी०) का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव तथा कोटकपुरा से बठिण्डा (45 कि० मी०) तक मीटर लाइन रेलपथ का उन्नयन	पूंजी 30.00	10.00	0.20
		विद्युतीकरण		
3.	बंडेल-कटवा (104 कि० मी०) (ई० एम० यू० गाड़ीयां चलाने की सुविधाओं सहित)	पूंजी 39.42 म०आ०नि० 4.21 दु०क्ष०नि० 1.87	1.00	0.10

भारत की आकस्मिकता निधि से इस प्रकार निकाली गयी रकम की पूर्ति अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें मैं संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत करूंगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1918/92]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : 10 करोड़ रूपये की लागत की परियोजना के लिए मात्र 20 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है।

श्री सी० के० जाफर शरिफ : जब तक हम योजना आयोग से दुबारा बात नहीं कर लेते, तब तक आप हमारे साथ सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, नागर विमानन और पर्यटन मंत्री ने एक वक्तव्य देना था वह इसे 4-30 म० प० के बाद देना चाहते थे। मैं उन्हें इसकी अनुमती दे रहा हूँ अब नियम 377 के अधीन मामले।

1.15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ कस्बे में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : हनुमानगढ़ टाऊन, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में जो टेलीफोन मशीन लगी हुई है वह करीब आज से पच्चीस-छब्बीस साल पहले की लगी हुई है । साथ ही यहां की टेलीफोन मशीन को 10 साल पहले ही आपके विभाग द्वारा अवधि पार घोषित किया हुआ है । यहां पर एक हजार लाइन की मशीन कार्यरत है जिसका सालाना रेवेन्यू तीस लाख है तथा तकरीबन एक सौ नये कनेक्शन हेतु काफी समय से बकाया पड़ी है । अत: आवश्यकता को देखते हुए यहां कम से कम दो हजार लाइनों के इलैक्ट्रानिक एक्सेंज की आवश्यकता है । बढ़ती हुई नगर आबादी व औद्योगिक एवम् व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से आज के समय में टेलीफोन की सुचारू व्यवस्था अति आवश्यक है । हमारे शहर में लाखों टन गेहूं, चना, सरसों, नरमा, कपास, चावल, गुवार इत्यादि का व्यापार बड़े स्तर पर होता है । हमारा ये क्षेत्र तीन-तीन नहरों से (भाखड़ा, राजस्थान कैनाल, घग्घर) सिंचीत होने के कारण कृषि प्रधान है और यहां की खपत से बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है जिसका नब्बे प्रतिशत भाग देश के अन्य प्रांतों के शहरों में रेलवे सड़क मार्ग से जाता है । अत: इस माल को खरीदने व बेचने और सही समय पर सूचना के लिए टेलीफोन का सुचारू रूप से काम करना अति आवश्यक है ।

एस० टी० डी० सेवा कार्यरत होने के बावजूद भी वर्तमान टेलीफोन व्यवस्था काम नहीं करती है ।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि हनुमानगढ़ टाऊन, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सेंज की स्थापना शीघ्र की जाये ।

(दो) आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में कोठाकोटा में चीनी मिल स्थापित करने के लिए आशयपत्र जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम कृष्ण कोंतला (अनकापल्ली) : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आन्ध्रप्रदेश ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित है । यह क्षेत्र गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है । इस समय राज्य में 33 चीनी मिले है जिनकी पेराई क्षमता 56,600 मीट्रिक टन प्रतिदिन है । यद्यपि चीनी उद्योग के विकास की वहां अपार क्षमता है, यह देखा गया है कि इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनकापल्ली में भूमितल जल सुविधाओं सहित काफी अच्छी सिंचाई क्षमता है । अनकापल्ली में स्थित चार चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता से पेराई कर रही है । 1971 में कोठाकोट में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किया गया था ताकि वहां अतिरिक्त बचे गन्ने की पेराई हो सके । दुर्भाग्यवश, जिले के किसान इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहे क्योंकि वह एक करोड़ रुपये की अपेक्षित शेयर पूँजी नहीं जुटा

पाये । और धन की अनुपलब्धता तथा अन्य कारणों से लाइसेंस रद्द हो गया । मई, 1990 में निजी क्षेत्र के कुछ प्रार्थना पत्रों के साथ-साथ राज्य सरकार ने लाइसेंस नीति के उदारीकरण के बाद दो प्रार्थना पत्र नई चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में भेजे । राज्य सरकार को पिछले छह वर्षों से आशय पत्र में प्राप्त होने वाला उचित हिस्सा नहीं मिला है ।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे विशेष मामला मानकर या तो नया आशय पत्र जारी किया जाये या सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने संबंधी पुराने आशय पत्र का नवीकरण किया जाये ।

(तीन) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में 660 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के शेष कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उत्तरी बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र देश में सबसे घनी आबादी वाला है । उद्योग-धंधों के अभाव में यहां की आबादी पूर्णत: कृषि पर ही निर्भर है । किन्तु लगातार बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोपों एवम् सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में यहां की खेती काफी पिछड़ी हुई है और यहां के किसानों की दयनीय आर्थिक दशा सर्वविदित है ।

सन् 1977 में पूर्व केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बिहार की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के खयाल से कांटी, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में 660 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण का निर्णय लिया था । इसी योजना के तहत तब 220 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट बनी थी जो अब कार्यरत है । किन्तु बाकी 440 मेगावाट की इकाई का काम रुका हुआ है जिससे उक्त क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है ।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कांटी के बाकी 440 मेगावाट की थर्मल पावर इकाई को शीघ्र निर्मित कराये ताकि उक्त क्षेत्र का अपेक्षित आर्थिक विकास हो सके और क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके ।

(चार) पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में "बल्लाल ढीपी" में आरम्भ किये गये खुदाई कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कलकत्ता ने बंगाल के सबसे विशाल तथा प्राचीन धार्मिक परिसरों/मंदिरों के मूल ढांचों की पूर्ण तस्वीर को उजागर करने के उद्देश्य से नाडिया जिले में "बल्लाल" ढीपी नामक स्थान पर खुदाई कार्य शुरू किया गया है लेकिन ऐसा पाया गया है कि या तो कार्य बन्द कर दिया गया है या समुचित गति से कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे वहां के लोगों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

इसलिए, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाये कि इस महत्वपूर्ण खुदाई कार्य को तुरन्त पूरा किया जा सके ।

(पाँच) राजस्थान में कोटा के निकट परमाणु विद्युत केन्द्र, रावतभाटा में प्रयोग होने वाले एल० एस० एच० एस० की चोरी और उसमें होने वाली मिलावट की जाँच किये जाने की आवश्यकता

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : महोदय, नेशनल कौंसिल फार सिविल लिबर्टीज (एन० सी० सी० एल०) ने दिनांक 31-12-91 को लिखे पत्र में माननीय प्रधान मंत्री को लिखा गया है कि बड़ौदा-अहमदाबाद राजमार्ग पर तीन/चार स्थानों पर एक गिरोह कोटा के निकट स्थित आणविक विद्युत केन्द्र रावतभाटा को सप्लाई किये जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी तथा मिलावट में संलिप्त है। इन टैंकरों के ड्राइवर/ट्रांसपोर्टस इन टैंकरों में से रास्ते में 10 से 20 ड्रम पैट्रोलियम पदार्थ चूरा कर वजन पूरा करने के लिए उसमें पानी मिला देते है। राजस्थान स्थित सफेद सीमेंट बनाने वाले प्लांट भी बड़ौदा तेलशोधक कारखाने से एल० एस० एच० एस० प्राप्त करते है। उन्होंने इस पेट्रोलियम पदार्थ में हुई मिलावट का पता लगा लिया है तथा संबंधित चालकों/ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की है। उन्होंने यह तथ्य नेशनल काउंसिल फार सिविल लिबर्टीज (एन० सी० सी० एल०) के ध्यान में भी लाया है। एन० सी० सी० एल० ने मामले की जांच करने के लिए एक दल भेजकर यह पता लगाया है कि बड़ौदा-अहमदाबाद राजमार्ग पर चार स्थानों अर्थात् बाराजा, रत्नपुर, पियोवेलक, चोकेरी तथा पादमाला पर कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी तथा उनमें मिलावट करने का काम करते है वे जल्दी जल्दी अपना कार्य स्थल भी बदलते रहते हैं।

निजी कम्पनियों ने टैंकरों को खाली करने से पहले उनकी पूर्णतया जाँच करनी आरम्भ कर दी है ताकि गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या पैदा न हो। उत्पादन में नुकसान न हो लेकिन रावतभाटा के हेवी वॉटर प्लांट ने जो पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है, इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। परिणाम-स्वरूप भारत सरकार को न केवल लाखों रूपये का नुकसान सहन करना पड़ रहा है बल्कि करोड़ो रूपये की प्लांट व मशीनरी को भी इस मिलावट के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है। यह बात सरकार के ध्यान में चार महीने पूर्व लाई गई थी लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिणाम यह है कि चोरी जारी है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तत्काल जांच करायें।

(छः) गैर-कानूनी आप्रवासियों का प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए बंगला देश के साथ बातचीत किये जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, हाल में बंगला देश और मयनमार (बर्मा) सरकारों के बीच अनेक बैठकों के पश्चात एक समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत लगभग 2 लाख 23 हजार मुस्लिम शरणार्थियों को बंगला देश से मयनमार वापिस भेजा जायेगा। वे मयनमार में हुई घटनाओं के बाद बंगला देश आये थे। यह समझौता हुआ था कि लगभग 2 लाख 23 हजार व्यक्ति वापिस अपने देश जायेंगे। इस समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 2,23,000 लोग अपनी मातृभूमि को वापस जा सकेंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बंगला देश के लड़ाई के दौरान लाखों पाकिस्तानी राष्ट्रीक भारत में अवैध रूप से आये थे। बंगला देश बनने के बाद भी वहाँ से अभी भी लोगों का अवैध रूप से आना जारी है। आरम्भ में तो ये लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे थे किन्तु पिछले 20 वर्षों के दौरान यह देश के विभिन्न भागों में फैल गये हैं जिसके कारण देश में सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं। उनमें से काफी लोगों ने मतदाता के रूप में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।

इसलिए मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि वे बंगला देश से शीघ्र ही बातचीत करे और बंगलादेश के साथ एक समझौता करके भारत में अवैध रूप से आये इन बंगला देशवासियों को वापिस भेजा जाये ।

(सात) चमड़े की तैयार वस्तुओं पर लगाये गये निर्यात शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : चमड़े की कतिपय तैयार वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क इस बजट में प्रस्तावित है । इसके कारण चमड़े की वस्तुओं की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई है जिसके कारण विदेशी खरीददार यह वस्तुएँ पाकिस्तान, बंगला देश और श्रीलंका से खरीदने लगे है क्योंकि इन वस्तुओं का वहाँ बहुत कम मूल्य है । इससे हमें विदेशी मुद्रा का प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये का नुकसान होगा ।

यद्यपि, महोदय, चमड़ा उद्योग पहले से अन्य बाहय कारणों से मन्दी का सामना कर रहा है । लगातार मन्दी के दौर से गुजरने से तथा चमड़े की तैयार वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का प्रस्तावित निर्यात शुल्क वापिस लिया जाये, इससे आशंका है चमड़ा उद्योग में लगे लाखो कर्मचारियों को तथा निर्यात व्यापार को भी विशेषतया तमिलनाडु के डिन्डिगुल क्षेत्र में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, से लोग विस्थापित हो जायेंगे । देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो जायेगी । चमड़े पर शुल्क के प्रस्ताव से इसके उत्पादन में, चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात पर तथा विदेशी मुद्रा से प्राप्त होने वाली आय पर प्रभाव पड़ेगा ।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने तथा चमड़े से बनी तैयार वस्तुओं पर 10 प्रतिशत प्रस्तावित निर्यात शुल्क को शीघ्र वापिस लेने का अनुरोध करता हूं जिससे कि निर्यातको के हितों और इस उद्योग में लगे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

1-27 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.31 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.30 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

वित्त विधेयक, 1992—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी वित्त विधेयक पर अपना भाषण जारी रखेंगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, सभा को स्मरण कराने के लिए पहले मैं अपने कल उठाये गये मुद्दों का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर रही हूं ।

मैं समझती हूँ कि यह वित्त विधेयक धनी लोगों को अधिक धनवान और गरीबों को नुकसान पहुँचायेगा । इस संबंध में मैंने उल्लेख किया था कि सरकारी राजस्व का 80 प्रतिशत भाग अभी भी अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है जिसकी मार आम आदमी द्वारा वहन की जाती है । मैंने कहा था कि बड़े औद्योगिक घरानों को अपने म्यूचअल फंड खोलने की अनुमति देने तथा इस तरह की निधियों को आय कर से मुक्त करने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की बजाय सट्टेबाजी बढ़ेगी । मैंने सम्पत्ति कर पर छूट और पूंजीगत लाभ कर पर छूट को एक अपवाद स्वरूप लिया है । मैंने कहा है कि इन चीजों से न केवल गरीब लोगों पर भार पड़ता है, बल्कि इससे लघु उद्योग क्षेत्र भी प्रभावित होता है जोकि हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है । मैंने उल्लेख किया था कि कपड़ा श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी भूख से मौतें हो रही हैं ।

आज मैं सीधे ही उस मुद्दे पर आती हूँ जिस पर मैं बीच में बोल रही थी । यह प्रश्न संसाधन जुटाने का है । कल सभा के कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा था कि इस वर्ष भारी सूखा पड़ने की संभावना है और कुछ लोग चक्रवात की भी बात कर रहे हैं । मैं समझती हूँ कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं । निःसंदेह यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है ।

कल मैंने इस बात पर आपत्ति की थी कि यह सरकार एक बहुत बड़े वर्ग पर अर्थात ग्रामीण धनवानों पर कर लगाने से इन्कार कर रही है, जबकि साथ ही यह धनवानों को और अधिक धनिक बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है । वे ग्रामीण धनवानों को नहीं छू रहे हैं । मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि प्रश्न काल के दौरान वसूली मूल्य बढ़ाने और पंजाब की मण्डियों में हड़ताल के बारे में कुछ चर्चा की गयी थी और दूसरी तरफ यह प्रश्न भी था कि सरकार गेहूं का आयात क्यों कर रही है । माननीय मंत्री श्री तरूण गगोई ने बहुत ही अनभिज्ञ व्यक्ति की भूमिका निभाई । न तो उन्होंने इससे इन्कार किया कि उन्होंने आयात का फैसला किया है न ही उन्होंने यह कहा कि वे इसे आयात करेंगे । लेकिन उन्होंने इसके परिणाम पर बात किये बगैर इसको छिपाने की कोशिश की । उन्होंने कहा था, "जी हाँ, सरकार किसी भी समय आयात कर सकती है लेकिन इसका फैसला अभी नहीं किया गया है", फिर उन्होंने कहा था :—

"निविदा आमन्त्रित करने के जवाब में बहुत ही ऊंची कीमतें उद्धृत की गई ।"

उन्होंने यह नहीं कहा है कि किसने ये ऊंची कीमतें उद्धृत कीं ।

यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि दुर्भाग्य से यह बात मुझे मालूम है । ये पंजाब की हरित पट्टी के और किसी अन्य जगह की हरित पट्टी के वे लोग हैं जिन्होंने इस खरीद में सहयोग नहीं किया है नही इस सरकार ने गंभीर रूप से इस पर कोशिश की है । एक बात और है । इस निविदा पर सबसे पहले अमल करने वाले भी वही, अर्थात पंजाब के लोग थे । यहाँ मैं बता दूं कि जिस निविदा की उन्होंने बात की है वह प्रथम निविदा 630 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं थी । जरा कल्पना कीजिए कि इसे बाजार मूल्य पर भी न बेच कर इसी पर दृढ़ रहते हुए अपने ही देश से अपनी ही सरकार से 630 रुपये के हिसाब से मांगना, मैं तो यही कहूंगी कि आप दोनों हाथों से नहीं बटोर सकते हैं । आप एक रास्ते चलिए । आप निर्धनों में निर्धन पर गौर करें । आपको इस समय गेहूं का आयात करना पड़ेगा क्योंकि आप खरीद नहीं कर पाये । उन्होंने कहा था कि यह पिछले वर्ष की तरह ही कम है । लेकिन यह स्थिति पिछले वर्ष की तरह नहीं है । अतः क्या होगा ? क्या आप यह मूल्य देंगे ? अन्यथा आपको यह नहीं मिलेगा । क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार इस तरह का नहीं है कि फिर भी वे अब कम मूल्य लगाये । वस्तुतः यह दूसरी बात है । यह भी बहुत ऊंची है । अतः सरकार कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलायेगी, लेकिन यदि यह चल भी रही है तो केवल नाम मात्र को चल रही है ? इसे कहाँ से छोड़ना होगा ? कल मैंने कहा था कि म्यूचअल फंड के लिए न तो श्री रामेश्वर

ठाकुर न ही श्री दलबीर सिंह को न ही मुझे कीमत चुकानी होगी । यहाँ मैं वही बात कहूंगी । इसकी कीमत कौन चुकायेगा ? यह वास्तव में कठिन स्थिति है और मुद्रा स्थिति का दबाव भी रहेगा । अत: इससे गरीबों का क्या होगा ? भूख से मौतें केवल कपड़ा मजदूरों की ही नहीं होगी बल्कि यह तो गरीब लोगों में भी बढ़ेगी । मैं जानना चाहती हूँ कि इस स्थिति से कैसे निपटेंगे ।

इस संबंध में मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहूंगी । कल महिलाओं के बारे में काफी कुछ कहा गया और यह कहा गया कि महिला उद्योगपतियों को आयकर में छूट दी जा रही है, ताकि वे समृद्ध हो सके आदि आदि । मुझे माफ करें । यह वास्तव में राजनैतिक चाल है । न ही मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो उच्च स्लैब में भी छूट चाहते हैं जैसे कि श्री संतोष मोहन देव ने कहा था । बात यह है कि यदि आप लाखों महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहला काम यह करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं पर अधिक उत्पाद शुल्क नहीं लगायें । यही सब बातों की मूल पायी है । आप इसे हटा दें और हमें बतायें कि आपने जो आयकर स्लैब बनाई है उस पर छूट क्यों दी जाये । यह महिलाओं से बरताव करने का तरीका नहीं है । मैं आपको अपने देश का अनुभव बताती हूँ । जो भी संघर्ष हमने किए हैं उनके बारे में मुझे याद है कि वे सभी संघर्ष जिनमें हमने सफलता पायी है, उनमें आज तक वैसे मैंने 1939 में आन्दोलन में भाग लिया था, महिलाओं के भाग लेने की वजह से सफलता हासिल की है । अन्यथा किसी भी आन्दोलन में सफलता नहीं मिलती । मैं सरकार को सीधे ही बता दूं कि यदि यही नीति रही तो महिलायें आपको नहीं छोड़ेंगी । वे विनम्र रहती हैं लेकिन जब अवसर आता है तो भड़क भी सकती हैं । ऐसी स्थिति आ सकती है ।

निधियों के आबंटन के बारे में भी एक बात है । कृषि, बाढ़ नियंत्रण और ग्रामीण विकास के लिए कुल आबंटन में 40 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है, अर्थात् 1991-92 में जुलाई से मार्च तक पांच प्रतिशत कमी की है । इस समय यह कहा गया है कि इस वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी । हमें याद रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति की दर 12-13 प्रतिशत है । अत: इस दस प्रतिशत वृद्धि को तो मुद्रास्फीति ही ले डूबेगी । अत: कृषि के लिये यह आबंटन वास्तव में वृद्धि नहीं है । हथकरघा क्षेत्र के आबंटन को 262 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया गया है । मुद्रास्फीति के संदर्भ में तो यह स्वाभाविक रूप से काफी कम है । अत: कल्पना कीजिए कि ग्रामीण गरीबों, बुनकरों की क्या स्थिति होगी । सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा । लेकिन हथकरघा क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । अत: कृपया स्थिति को समझने की कोशिश करें ।

महोदय, एक बात और है । मध्यम वर्ग को हाल में दी गयी राहत के बारे में काफी कुछ कहा गया है । लेकिन मैं तो कहूंगी कि इस संबंध में प्रत्येक समाचार पत्र ने टिप्पणी की है और मैंने भी गौर किया है कि जो कुछ भी एक हाथ से दिया गया है उसे दूसरे हाथ से ले लिया गया है । हो सकता है कि ज्यादा ही ले लिया गया हो । ये सारी गणना की जानी चाहिए । लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं दिया गया है । यह बात यहाँ कही गयी है । मैं नहीं समझती कि अपनी बात को अमल करवाने का यह सही तरीका है । कृपया मुझे अपनी भाषा के लिए माफ करें । यह तो जो कुछ मैंने रियायतों के बारे में कहा था उससे संबद्ध है ।

महिलाओं के बारे में मैंने पहले कुछ कहा था और मैं अब एक अन्य बात बताऊंगी । आपने कर लगाये हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा था । आपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है । लेकिन जो कर्मचारियों की विधवायें हैं यदि उन्हें रोजगार प्राप्त है तो उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा । आपका कहना है कि उन्हें दो बार महंगाई भत्ता मिलता है । ऐसा क्यों है ? बात यह है कि वह कमा रही हैं, वह श्रम कर रही है । इसीलिए आप उन्हें महंगाई भत्ता दे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें पेंशन का हक प्राप्त है । उन्हें महंगाई भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए ?

क्या मैं आपको आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की याद दिलाऊं ? मैं बीमार पड़ी थी और जब यह मुद्दा उठाया गया तो मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री का उत्तर नहीं सुन सकी । मैं एक बात जानना चाहती हूं । आप महिला समुदाय के इतने बड़े भाग को वास्तव में कितना कुछ दे रहे हैं ? मैं यह प्रश्न पूछती हूं क्योंकि एक अखिल भारतीय यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे उनसे काफी संख्या में पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

काला धन एकत्र करने के बारे में काफी कुछ कहा गया है या आपके कर-अपवचन के विरुद्ध उठाये कदमों के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है । परन्तु क्या मैं पूछ सकती हूं कि इस सरकार विशेष के सत्ता में आने से पहले बीच में किसी और की सरकार थी और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी इन वर्षों में ऐसे कौन से घराने हैं जिन्होंने भारत में शून्य कर अदा किया है ? क्या यह टाटा आदि नहीं है ? अतः एकाधिकारवादियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति आपके वर्तमान दृष्टिकोण द्वारा शून्य कर अदायगी को बहुत बढ़ावा मिलेगा । कल मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी । क्या वे इतने अच्छे हैं कि कूद कर आपके जाल में आ जायेंगे ? मैं तो कम से कम इस पर विश्वास नहीं करती हूं कि ऐसी कोई बात हो सकती है ।

इससे पहले कि मैं समाप्त करू मैं एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ पुरुष और महिलाओं ने मुझे इसके बारे में पूछा है । मैंने सुना है कि श्रीमान मोहनसिंह जी ने स्वतन्त्रता सैनानियों से भेंट की थी और उनसे उन्होंने अनुरोध किया था कि स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन बढ़ाई जाय । मैं हमेशा स्वतन्त्रता सैनानियों के हित के लिए लड़ती रही हूं । सन्तोष दा इसे अच्छी तरह जानते हैं । ऐसे झूठे मामलों के अलावा जिनको आपकी सरकार ने पेंशन दी है ऐसे कितने वास्तविक मामले हैं जिन्हें 700 रुपये मिल रहे हैं ? एक स्वतन्त्रता सैनिक सम्मेलन पुरस्कार भी है । लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप इस वायदे को निभा रहे हैं ।

कुछ भी हो, जो बातें मैंने कल कहीं थीं तथा जो आज कहीं हैं, उनमें यह स्पष्ट है कि इस वित्त विधेयक के वर्तमान रूप तथा इसके पीछे छिपी धारणा का मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से विरोध करती हूं ।

क्योंकि श्री मनमोहन सिंह जी आ गये हैं, इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी, पिछली बार भी जब मैंने वित्त विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए थे तो आपने इस दौरान उपस्थित रहने का शिष्टाचार नहीं निभाया था । आपने कहा था कि आप इस सम्बन्ध में मुझसे चर्चा करेंगे । परन्तु आपने कभी भी चर्चा नहीं की । मैं आपसे वही बात पूछूंगी । मैंने सोचा था कि अगर आप उपस्थित होंगे तो मैं फिर वही मुद्दा उठाऊंगी ।

विदेशी मुद्रा बचाने के सम्बन्ध में मैंने आपको सुझाव दिया था कि अन्य उपायों के साथ-साथ कम से कम कुछ घरेलू उड़ानें रद्द तो कर ही देनी चाहियें । परन्तु उसके विपरीत आपने घरेलू उड़ानों की संख्या और बढ़ा दी है । मैं हवाई उड़ानों का अधिक उपयोग नहीं करती हूं । परन्तु एक दिन मैं नागपुर तथा रायपुर गई । मैंने वहां क्या देखा ? मैंने देखा कि पचास प्रतिशत सीटें खाली पड़ी थीं । एक दिन मैं वायुदूत सेवा से जाना चाहती थी तथा मैंने सीटों की उपलब्धता के बारे में पूछा । उन्होंने बताया कि उनके पास 75 सीटें खाली हैं । जब मैं श्री सिंधिया के शहर ग्वालियर से आ रही थी, तो भी यही स्थिति थी । क्या स्थिति से निपटने का यही तरीका है ? आपने नई उड़ाने आरम्भ क्यों की ?

इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा । आप अपना पिछली बार दिया गया उत्तर नहीं दोहरा देना कि "मैं सभी संचार माध्यमों में विघ्न डालना चाहती हूं" । यह सुझाव मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि कोई भी गरीब आदमी घरेलू उड़ानों का प्रयोग नहीं करता है । धन्यवाद !

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, यह जो बजट फरवरी के महीने में पेश होता है वही अंग्रेजों के जमाने में उनके लाभ की दृष्टि से यह पेश किया जाता था । इतने अर्से के बाद अभी भी हमारे देश में जो बजट फरवरी में पेश होता है उससे ऐसा लगता है, अनुमान है कि कई हजार करोड़ रुपए की हमारे देश में बर्बादी हो जाती है । यदि आप इस बजट को वर्षा ऋतु के बाद चाहे आप नवम्बर में पेश करें या नवम्बर के आखिर में करें, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद करने से यह हो जाता है कि समूचे देश में कैसे हमारे अनाज की फसल हो रही है, पानी कितना है, कितना बिजली का उत्पादन होगा, सारी जानकारी मिल जाती है । इसलिए हमारे देश का जो व्यापारी वर्ग है वह अपना बजट करीब-करीब दिवाली के बाद करता है । तो मैं खास तौर से अपने वित्त मंत्री जी से जो बहुत साल से आर्थिक स्थिति की जांच करते रहे हैं उनसे मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि इस बार आप बजट फिर से नवम्बर के महीने में पेश करें जोकि देश की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाल सके ।

अभी क्या होता है कि आप पांच फरवरी में बजट पेश करते हैं, अप्रैल के आखिर में या मई में पैसा जाता है, किसी गांव या जिले में और उस पैसे का दुरुपयोग होता है, वर्षा हो जाती है । असम में क्या उपयोग होगा ? असम में बारिश आ जाती है तब बजट पहुंचता है । इसी तरह से और राज्यों का भी है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बजट निश्चित रूप से आप नवम्बर में पेश करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी ।

दूसरी बात यह है कि बजट हमारे देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है । हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई समस्याएं हैं । लेकिन उसमें दो-तीन समस्याएं ऐसी हैं जिसके संबंध में इस देश को विचार करना चाहिए था, विचार करना चाहिए और आगे भी विचार करना चाहिए, वह है देश की बढ़ती हुई बेरोज़गारी । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां बेरोजगार युवकों की बढ़ती हुई संख्या है । कहने को यह संख्या 4 करोड़ 20 लाख है लेकिन इनकी संख्या कई गुणा अधिक है । लेकिन इसमें कुछ ठोस और व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है जो इस बजट में नहीं दिखायी देते हैं । मेरा एक सुझाव है कि जितनी हमारे देश की ग्रामपंचायतें हैं, 1 लाख 15 हजार के लगभग, हरएक ग्राम-पंचायत में कम से कम छोटे और मध्यम उद्योग खोले जाएं जिसमें लगभग 100 लड़कें और लड़कियों को काम पर लगाया जाएं । इसके लिए गुंजाइश बहुत है । चाहे ये उद्योग कृषि से संबंधित हों या किसी और चीज से संबंधित, ये उद्योग खोले जा सकते हैं । हरएक चीज को शहर में खोलने के कारण ही गांव के लोग शहर में आ रहे हैं और बस रहे हैं जिसके कारण यहां पर मकान की समस्या, पानी, बिजली और अन्य हर चीज की समस्या बढ़ती जा रही है । यदि आप गांव में ही उद्योग खोलेंगे तो वे वहीं पर नौकरी कर लेंगे और आपके यहां ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी ।

इसके लिए स्वर्गीय नेता श्री राजीव जी ने एक स्माल एण्ड टाइनी इण्डस्टरी डिवेलेपमेंट बैंक खोला था, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है । उसका मकसद यह था कि अधिक से अधिक छोटी और टाइनी इण्डस्टरीज़ गांवों में जाएं । इस बैंक को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था, जितना आदर देना चाहिए उतना नहीं दिया गया । इन कारणों से, इतना ही नहीं, अभी हमारे जितने छोटे, चाहे मध्यम उद्योग हैं, जितने भी बड़े-बड़े उद्योग होंगे, जैसे कि वित्त मंत्री और हमारी सरकार की आशा है जितने उद्योग खुलेंगे, ऐसा लगता है यहां सब साधन उपलब्ध हैं । बम्बई हो, दिल्ली हो या अहमदाबाद हो, बड़े-बड़े शहरों में मुझे खुलने की आशा नजर आ रही है, लेकिन क्या वित्त मंत्री जी इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसे अधिक से अधिक उद्योग हमारे ऐसे क्षेत्रों में, जहां उद्योग नहीं है, छोटे शहरों में हमारे प्रदेशों की राजधानियों में जाएं जिससे कि

सबके सब उद्योग बड़े शहरों में न जा कर छोटे शहरों में भी पहुंचे । इससे बहुत से लोगों को काम मिलेगा और वहां के वातावरण और पानी तथा बिजली की समस्याएं कम होंगी । एक तरफ तो हम बड़े उद्योगों को लगाने में, खोलने में, उनके नियम-कानून को बहुत शिथिल कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उद्योग खोलने की जरूरत है, लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है । यह कैसे बढ़ रहा है ? जैसे 10, 12 या 15 डिपार्टमेंट होते हैं, उनके इंस्पेक्टर जाते हैं, 10, 12, 15 विभागों के इण्डस्ट्री के इंस्पेक्टर जाते हैं तो उनका बहुत-सा काम रूकता है । छोटे-छोटे उद्योगवालों के पास अकाउंटेंट या क्लर्क या इतना अधिक स्टाफ नहीं होता है कि रोज-रोज अपने दस्तावेज दिखाएं जिसके कारण उत्पादन भी कम होता है और भ्रष्टाचार को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है । मैं वित्त मंत्री जी से खास तौर से अनुरोध करूंगा कि इन छोटे उद्योगों पर जिस तरह से रोज-रोज नियम अधिक कड़ा किया जा रहा है उसको ढीला करें । लेकिन साथ ही साथ उन पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है । लेकिन इस तरह से नहीं कि उनके उत्पादन में कमी हो और भ्रष्टाचार भी बढ़े । अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, जो युवक हैं वे उद्योगों में या ठेकेदारी में घुसना चाहते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े घाघ बैठे हुए हैं, हिन्दी में कभी घाघ कह देते हैं कभी माफिया कह देते हैं, तरह-तरह के उनके नाम हैं, जो नये युवक घुसना चाहते हैं उनको बन्दूक की नोक पर, यहां तक कि हजूर सरकारी दफ्तरों में बन्दूक की नोक पर ठेकेदारी वे लोग ले लेते हैं ।

और फिर वे किसी को बेचते हैं । दिन-प्रति-दिन यह बढ़ता जा रहा है । इतना ही नहीं युवक लोग ठेकेदारी ले लेते हैं और वे उनको चलाने नहीं देते हैं । उसमें हमारे जिले के चाहे कलैक्टर हो, एस० पी० हो या जिनको बड़े-बड़े माफिया या दादा कहते हैं या असामाजिक तत्व कहें, उनका वे साथ देते हैं जिससे उनको लाभ हो जाता है । जो युवक इस काम में आते हैं तो उनको बढ़ने नहीं देते हैं । हो क्या रहा है ? सार्वजनिक क्षेत्र में निजी उद्योग और ज्वाइंट सैक्टर की बात करते हैं । निजी उद्योग जब सिक हो जाता है तो कहते हैं कि सरकार इसको नियंत्रण में ले ले । जब पब्लिक सैक्टर की बात करते हैं तो कहते हैं कि निजी उद्योग को दे दिजिए । हमारे बंगाल के भाई नाराज न हों, मैं यह कहना चाहता हूं कि साफ बात यह है कि वहां पर बहुत से सैक्टर मिले हुए हैं और बहुत से निजी उद्योग में तेजी से चले गए हैं । हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो । आज चाहे निजी उद्योग हो, चाहे सरकारी उद्योग हो या ज्वाइंट सैक्टर हो, तो उसमें एफीशियेंट सैक्टर चाहिए, मतलब यह कि उसकी हर चीज में मैनेजमेंट की ओर ध्यान दें । उसमें मजदूर अपना काम करते हैं और अपना पैसा लेकर चल देते हैं । निजी उद्योग, पब्लिक सैक्टर या ज्वाइंट सैक्टर में जो सिक हो रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट डिफेक्टीव है । उसमें सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री जी कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कोर्स खोलिए चाहे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को दीजिए क्योंकि हर जगह आइ ए एस, आइ एफ एस या आइ पी एस हैं । इसलिए कुछ साल पहले आइ इ एस, इंडियन इकोनोमिक सर्विस को खोला गया था क्योंकि जो बड़े-बड़े घाघ हैं आइ०ए०एस० वगैरह वे इसको चलने नहीं देते । इसलिए प्रोफेशनल्स उसमें रहने चाहिए ताकि निजी उद्योग, पब्लिक सैक्टर या ज्वाइंट सैक्टर में सिक न हो पाए । एक तो इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड और स्टैट ट्रॉन्सपोर्ट हर राज्य में है । इनकी हालत बहुत खराब है और ये घाटे में चल रहे हैं । यह कहा जाता है कि इनको सुधारने के लिए निजी क्षेत्र में दे दीजिए । निजी सैक्टर में देने से आप समझते हैं कि क्या सुधार हो जायेगा ? हर हालत में एफीशियेंट मैनेजमेंट लाइए और इसमें किसी तरह से पोलिटिक्स नहीं आने दीजिए । उनको थोड़ा-सा काम करने दीजिए और उस पर लगाम भी रखिए । स्टैट ट्रॉन्सपोर्ट और इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को नियंत्रण में करें । छोटे उद्योगों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता । हमारे देश में क्या हो रहा है । हमने सात पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं । लेकिन क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है चाहे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें या मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखें, चाहे बिहार के झारखंड को देखें, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं । मेरा सुझाव है कि आप हिम्मत करके इसको केबीनेट में रखिए और छोटे-छोटे राज्य बना दीजिए । यह कहा जाता है कि पेन्डोरा बाक्स खुलने पर झगड़ा होगा, लेकिन हमारे जो 32-33 राज्य हैं और हो सकता है कि बढ़कर 40 हो

जाएं, इससे डरना नहीं चाहिए । इससे प्रशासन में ज्यादा खर्च होगा तो उससे ज्यादा लाभ भी होगा । उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सात जिले हैं जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं । वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां से काफी आय होती है ।

3.00 म० प०

छत्तीसगढ़ में बस्तर हैं, रायगढ़ है, शहडोल है, नलगांव है, दुर्ग है, और भी हैं । इनकी आमदनी बहुत अधिक है । चाहे कारखाने से हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट से हो, चाहे कोरबा से हो, चाहे बस्तर के जंगलों से हो, चाहे बेलाडिया से हो या खनिजों से हो । लेकिन वहां की राज्य सरकार वहां खर्च करने के लिए सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपया ही देती है । छत्तीसगढ़ के युवक, किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग सभी यह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया जाये, अलग से राज्य बनाया जाये । वह इसलिए भी जरूरी है कि वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां के युवकों को कोई काम नहीं मिल रहा है । जब मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया तो उस समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के जो छोटे-छोटे हिस्से रह गये थे उनको मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया गया ।

मध्य प्रदेश में सात नदियां हैं । लेकिन वहां की प्रांतीय सरकार इनका ठीक से दोहन नहीं कर पा रही है; पानी का उपयोग होना चाहिए, चाहे वह बिहार, गुजरात, उड़ीसा या यू० पी० में ही जाये, हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी पहले मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है । क्योंकि वहां नदियों पर बड़ी सिंचाई योजनायें नहीं बन रही हैं । हम कई सालों से देख रहे हैं वहां की धरती उपजाऊ है, मजदूर मेहनती हैं, वहां के लोग तुलनात्मक दृष्टि से काफी ईमानदार हैं । इसलिए वहां पर अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाये तो आज मध्य प्रदेश देश को तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल इत्यादि दे सकता है । जैसे अमरीका कहता है कि हम भारत को गेहूं नहीं देंगे क्योंकि वह क्यूबा को चावल दे रहा है, यह परिस्थिति भी पैदा नहीं हो सकती । उसके लिए हम वहीं पर उत्पादन कर सकते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर हालत में मध्य प्रदेश की सातों नदियों के पानी का उपयोग हो इसके लिए वहां की सरकार से कहें और जो पैसा यहां से दिया जाता है उसका उपयोग होता है या नहीं, इस पर भी आपका कोई नियंत्रण होना चाहिए । जिससे नदियों के पानी का उपयोग हो सके । इसलिए जब भी कभी छोटे-छोटे राज्य बनाने की बात आये, छत्तीसगढ़ का एक राज्य जरूर बनाया जाये ।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कई किस्म के महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और इसका स्वागत करता हूं । हम यह भी चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ छोटे उद्योगों, घरेलू उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों और मंझोले उद्योगों को भी अच्छी तरह से प्रोत्साहन दिया जाये । इसके अलावा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है । फलों का, कृषि की अन्य चीजों का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, दालों-तेलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए । साथ ही साथ जो जंगल कट रहे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए । मध्य प्रदेश में लोग सागौन के पेड़ लगाते हैं और पांच-छः साल में उसे काट देते हैं । इसलिए जंगलों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए ।

आज दुनिया में तीन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं । एक कनाडा में, दूसरी स्विट्जरलैंड में और तीसरी हिमाचल प्रदेश में । हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जंगल लगाने, फलों के पेड़ लगाने का विषय होना चाहिए और इन कामों के लिए इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए । आप हमारी खेती को प्रोत्साहन देंगे तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमें अधिक अनाज भी मिलेगा । क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसके लिए भी अनाज चाहिए । आपने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाया है कि देश की आबादी कम हो लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि देश

की आबादी बढ़ रही है । हालांकि उसको रोकने के लिए 1977 में कुछ किया गया जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस-पार्टी ने भोगा लेकिन वित्त मंत्री जी, आप हिम्मत कीजिये और एक दफा और कीजिये ताकि बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जा सके ।

सभापति महोदय, हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और जंगलों का सही मायनों में विस्तार करने के लिए, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये हैं । दलहन और तिलहन के लिए आप हर स्टेट को सबसिडी देते हैं लेकिन वह सबसिडी किसानों को नहीं मिलती है, पता नहीं कहा जाती है ? इसलिए वित्त मंत्री जी, जो सबसिडी छोटे-छोटे किसानों को देने के लिए भेजते हैं, उसको बंद कर दीजिये और उसके बदले जो अनाज पैदा करे, उसको ज्यादा कीमत दे दीजिये । उसी तरह से आज हमारे देश के किसानों को अनाज के लिए जो पैसा मिल रहा है, वह बहुत कम है क्योंकि उसको पानी, सिंचाई, बिजली, कर्ज़ पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है । उसकी फसलों में जो कीड़े लगते हैं, उसको दूर करने के लिए दवाईयां भी डालनी पड़ती हैं, जमीन में खाद भी डालनी पड़ती है, इसका खर्च भी बढ़ गया है । इसलिए कम से कम किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए उनको ज्यादा कीमत दें तो विदेशों से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इस उद्देश्य के लिए देश में ऐसे उद्योगों का निर्माण हो जहां विशेष वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो, इस ओर ध्यान दें ।

सभापति महोदय, अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में कहा था कि इसका सुधार किया जायेगा । मैं अभी अपने इलाके मध्य प्रदेश से होकर आया हूं और जानता रहता हूं लेकिन यह सिस्टम ज्यों का त्यों है और काम ठप्प पड़ा हुआ है । वहां न गेहूं मिलता है, न चावल मिलता है, न मिट्टी का तेल मिलता है, न शक्कर मिलती है । तीन-चार महीनों से शक्कर लापता है, पता नहीं यह सब क्यों हो रहा है ? इसमें किस की गलती है, इसकी आप जांच करें । जो लोक नाराज़ हो रहे हैं और कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है लेकिन मिलता कुछ नहीं है, इसके लिए कोई रास्ता आप बतलाइये । इसको रोकने के लिए कोई यदि कोई रास्ता नहीं बतायेंगे तो लोग यह नहीं कहें कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी लेकिन कुछ मिलता नहीं है । इसलिए आप ऐसा न करें ।

धन्यवाद ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वित्त विधेयक के विरोध में अपनी बात कहने के लिए समय दिया है ।

सभापति महोदय, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके बारे में यह कहना या शिकायत करना कि इस देश में दरिद्रता, महंगाई, बेरोज़गारी — ये सब इनकी देन है, यह अब कोई शिकायत की बात नहीं रही । यह इनका आभूषण है, इनकी नीति और इनकी सरकार के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है । इसलिए उम्मीद करना कि एकाध किसी वित्त विधेयक और बजट से इस देश की गरीबी और बेकारी तथा दुर्भिक्ष समाप्त हो जायेगा, यह कल्पना से परे है और उन लोगों की ओर से कहा गया कदम होगा या कही हुई बात होगी जो पिछले 40-45 सालों की नीति से कुछ आशा रखते रहे हों । पिछले साल भर की जो नीति है, वह इस दिशा में और तीव्र गति से इस देश में बढ़ाने का काम करेगी । जब पिछला बजट आया था, उस समय भारत के वित्त मंत्री ने बार बार इस सदन में और इस देश को यह आश्वासन दिया था कि आने वाले दो महिनों में महंगाई थमेगी, उसकी रफ्तार रुकेगी और धीरे-धीरे हम उस पर काबू पा जायेंगे । फिर इन्होंने कहा कि आने वाले अक्तूबर और नवम्बर तक इस महंगाई पर काबू पा लिया जायेगा और अभी उनका वक्तव्य आया है कि आने वाले तीन वर्षों में धीरे-धीरे इस देश में महंगाई खत्म हो जायेगी और हम उस पर काबू पा लेंगे । एक जगह स्थिर

रहकर अपनी बात कहने का संकल्प और साहस वित्त मंत्री में स्वयं इसलिए नहीं है कि वे समझते हैं कि इनकी नीतियों से इस देश की न महंगाई रुकने वाली है, न बेकारी खत्म होने वाली है और न इस देश में हर साल पड़ने वाला सूखा और अकाल समाप्त होने वाला है।

सभापति महोदय, अभी मुद्रास्फीति की बात चल रही थी। इनका दावा था कि मुद्रास्फीति बहुत जल्द सिंगल डिजिट में हो जायेगी लेकिन अभी भी 13.27 फीसदी मुद्रास्फीति की रफ्तार पिछले महीने तक रिकार्ड की गयी है और हर हफ्ते जो रिपोर्ट आ रही है समाचार-पत्रों में—कभी कभी यह 13.7, 13.5 और 13.17, इसी के आस पास घूम रही है। जहां तक महंगाई का सवाल है, पिछले साल जो महंगाई का थोक मूल्य सूचकांक 20-4-91 को 192.9 था और इस वर्ष साल भर में जबकि दावा किया गया कि हम महंगाई को घटाकर पिछले साल के बराबर कर देंगे, उसकी उपलब्धि साल भर बाद यह है कि यह बढ़कर 19-4-92 को 218.5 हो गया। तो मुद्रा-स्फीति की जो रफ्तार है, उसके मुकाबले महंगाई की रफ्तार कुछ अधिक है और इस रफ्तार से जब हम चल रहे हैं तो हमारे देश की तरक्की की जो रफ्तार है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पांच छह फीसदी भी वह जो लक्ष्य यहां रखते हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा है कि आने वाले पांच वर्षों में हम इतनी प्रगति की रफ्तार प्राप्त कर लेंगे, उतनी प्राप्त तो नहीं होती। जो हमारी मुद्रा-स्फीति और महंगाई की रफ्तार है वह इनके संकल्प से तीन या चार गुना अधिक है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। वही हालत बेकारी की है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तो बजट और वित्त विधेयक से इस देश में गरीबी और दुर्भिक्ष खत्म नहीं हो सकता। आज इस देश में 9 राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ लोग अन्न की मांग कर रहे हैं और जो हमारे मौसम के भविष्य वक्ता हैं, वे कहते हैं कि आने वाला जो मानसून है वह इतना लाभकारी हमारे लिए नहीं होगा कि आने वाली फसल इतनी अधिक हो जाए कि हम इस देश में जो अकाल की स्थिति है उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए श्रीमन, हमको अपनी नीतियों के बारे में, इस देश की नीतियों के बारे में नये सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और यदि यह सरकार परिवर्तन नहीं करेगी तो दुर्भिक्ष, अकाल और बेकारी की पीड़ित जनता इन्हें मजबूर करेगी उन नीतियों में परिवर्तन करने के लिए। इस बजट में और इस विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। रोज़ाना प्रधान मंत्री की ओर से इस देश के मज़दूरों को यह संदेश दिया जाता है कि हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जो नीतियां हैं उससे किसी की छंटनी नहीं होगी, लेकिन इस बजट में केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों को प्रोत्साहित करने के लिए और उसे मज़बूत बनाने के लिए कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है। कानपुर नगर एक पुराना नगर है। उसमें 1 मिलियन का टैक्सटाइल कार्पोरेशन था और 5 मिलियन का ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन है। पिछले 1 अप्रैल से 25 हजार मज़दूर बिना वेतन के उस नगर में पड़े हुए हैं। जो एफ०सी०आई० की एक यूनिट गोरखपुर में कार्यरत है, उसमें साढ़े तीन हजार मजदूर इसी 1 मई से बिना वेतन के हो गए हैं। पिछले डेढ़ साल से वह कारखाना बंद पड़ा है। बैठाकर वेतन दिया जा रहा था लेकिन अभी पहली मई को जब मजदूर दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा था, एफ०सी०आई० गोरखपुर की इकाई के मज़दूर 1 मई से बिना वेतन के हो गए। इसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार और माननीय वित्त मंत्री का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इनसे कहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ये मज़दूर जिनकी सेवा शर्तें बरकरार रहेंगी, सार्वजनिक तौर पर प्रधान मंत्री ऐसा आश्वासन देते हैं, लेकिन वह बिना वेतन के क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और जब वित्त मंत्री वित्त विधेयक का उत्तर देंगे तो इस गंभीर प्रश्न पर भी आप कोई सकारात्मक उत्तर देंगे, ऐसी हम वित्त मंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं।

दूसरी बात केन्द्र-राज्य संबंधों की है। अभी बार-बार यहां पर कहा गया कि छोटे राज्य कर दिए जाएं तो इससे देश का विकास तेज़ी से होगा। इस देश का विकास छोटे राज्य बनाने से नहीं, इस देश का विकास

तब होगा जब राज्य केन्द्र के मोहताज़ न हों । हमारी स्थिति दूसरी हो गई है । छोटे-छोटे राज्य जो आप बना रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं, उनकी निर्भरता केन्द्र सरकार के ऊपर संसाधनों के मामले में निरंतर बढ़ रही है । सरकारिया कमीशन का जो दिशा-निर्देश है, उसके संबंध में केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संसाधन है, उसका निर्धारण करने के बारे में सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है । विभिन्न राज्यों में जो वित्तीय घाटा है, एनडीसी में भाषण करते हुए वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि जो राज्यों का बढ़ता हुआ घाटा है, केन्द्र को इस बात के लिए मज़बूर करेगा कि जो विकास की मदों में हमारी ओर से दी जाने वाली सहायता की राशि है । वह धीरे धीरे खत्म हो जायेगी । विद्युत के क्षेत्र में हम आपको कोई सहायता नहीं दे पायेंगे इसलिये कि घाटे की अर्थ व्यवस्था हमारे लिये बोझ होती जा रही है । बीस हजार करोड़ रुपये का घाटा राज्यों का सम्मिलित ढंग से हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है । इसके बारे में आप सोचिये कि राज्य जब तक आपके ऊपर निर्भर रहेंगे और उनके घाटे का भी दायित्व आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आप इस देश की अर्थ व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं कर सकते ।

विभिन्न राज्यों में करों का ढांचा और टैरिफ की जो दरें हैं, वह अलग-अलग किस्म की हैं । किसी राज्य में चुंगी को समाप्त कर दिया गया है, किसी राज्य में जो बिक्रीकर है, उसकी दर, दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है । नतीजा यह होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में करों की चोरी करने के लिये स्मगलिंग होती है और दूसरे धंधे, जो बेइमान किस्म के लोग हैं, ऐसे तरीकों को निकालने की कोशिश करते हैं । यह केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का दायित्व है कि राज्यों की बैठक करके, जो करों का निर्धारण है, विभिन्न राज्यों में, उसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया जाये । इसके साथ-साथ जो टैरिफ है, उसकी भी दरों में निरंतर परिवर्तन के बारे में विचार किया जाये तथा केन्द्र की ओर से एक गाइडलाईन राज्यों को दी जाये जिससे कि बिजली की जो दर उत्तर प्रदेश में है, बिजली की जो दर बिहार में है, बिजली की जो दर दिल्ली में है, आज तीनों में महान अंतर है । नतीजा यह होता है कि आपके निर्देश पर अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली की दरों में भारी वृद्धि कर दी है, जिसका सीधा असर यह है कि, उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्रीय विषमता की अभी चर्चा हो रही थी, छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं । औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उस राज्य में जितने छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, वे सब उस बढ़ी हुई टैरिफ का शिकार होकर नष्ट हो जायेंगे, बीमार हो जायेंगे और खत्म हो जायेंगे । इसके बारे में भी आपको सोचना होगा ।

उसी तरह बैंकों में जो क्रेडिट डिपौजिट रेश्यो हैं, उसमें भी आज महान अंतर है । जितने औद्योगिक दृष्टि से फार्वर्ड राज्य हैं, जैसे गुजरात है, सबसे अधिक क्रैडिट डिपौजिट रेश्यो का लाभ आज गुजरात राज्य को मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो क्रैडिट डिपौजिट रेश्यो है, विकास के हिसाब से, उद्योग के हिसाब से तथा अन्य सारे कार्यों और क्षेत्रों में जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं सरकारी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के, उनका जो रवैया है, इन पिछड़े हुए राज्यों के लिये, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वह भेदभावपूर्ण है और पिछड़े हुए राज्यों में क्रैडिट डिपौजिट रेश्यो बहुत ही कम है । इसको मर्यादित करके, हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में क्रैडिट डिपौजिट रेश्यो को एक तरह का करना और खासकर पिछड़े हुए राज्यों में, उसके और बढ़ाने के बारे में, केन्द्र सरकार विचार करे और वित्त मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई गाइडलाईन बनायें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जितने सरकार की ओर से चालू किये जाने वाले प्रोजैक्टस है, उनकी जो निर्धारित सीमा है, जब वे अपनी निर्धारित सीमा में पूरा नहीं हो पाते तो उनका अनुमानित लागत खर्च काफी अधिक बढ़ जाता है । अभी जो वर्ष 1991-92 की कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट आयी है, उसमें कहा गया है कि 307 प्रोजैक्टस देश में ऐसे हैं, जिनकी लागत खर्च 70,043 करोड़ रुपये से बढ़कर 94,511 करोड़ रुपये हो गयी है, केवल इसलिये कि इन प्रोजैक्टस को जिस निर्धारित समय सीमा के भीतर

पूरा करना था, सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पायी । बार-बार यहां वित्तीय अनुशासन का नाम लिया जाता है, उसकी माला जपी जाती है लेकिन वित्तीय अनुशासन की वजह से ही सारे प्रोजैक्टस बर्बाद हो गये हैं, उन्हें जब हम वित्तीय अनुशासन के कारण समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करते । इसके पीछे अधिकारियों और दूसरी तरह के ठेकेदारों की मिलीभगत है जिसके चलते इन प्रोजैक्टस की जो खर्च सीमा है, वह निरंतर बढ़ रही है । इसकी वजह से हमारे देश और इस देश के अर्थ तंत्र पर एक नये किस्म का भार बढ़ता चला जा रहा है । इसके ऊपर सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है ।

हिन्दुस्तान की सरकार और वित्त मंत्री जी ने अपनी पीठ देश भर के तस्करों से ठुकवाने के लिये उन्हें बहुत बड़ी छूट दी है । वह छूट यह है कि 5 किलो सोना आप विदेशों से ला सकते हैं । उस पर इन्होंने पहले कुछ अधिक टैक्स लगाया था परन्तु उस टैक्स को अब कम कर दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह क्या इस देश में सोने की तस्करी रूक सकेगी । तीन सौ टन सोना हर साल इस देश में खप जाता है और उसका तीन-चौथाई हिस्सा तस्करों के जरिये इस देश में आता है । कितना भी टैक्स आप कम करते जायें, इस देश में जो निरंतर बढ़ता हुआ काला धन है, उसको खिपाने का सबसे बड़ा जरिया सोने की खरीद है । सोने की खरीद के जरिए इस देश के बेईमान किस्म के लोग अपने काले बाजार से कमाए हुए धन को खिपाने का काम करते हैं । हिन्दुस्तान की सरकार, आपका बजट, या आपका वित्त विधेयक, कोई ऐसा नया संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता कि किन चीजों के जरिए इस देश के काले धन को खत्म करने का काम आप करेंगे । काले धन को प्रोत्साहित करने और उसको बढ़ाने का एक से एक नया प्रोत्साहित प्रोग्राम आपकी ओर से देने का कार्यक्रम हो रहा है ।

आपने करीब-करीब 14-15 फीसदी सोने के आयात पर टैक्स लगाया था कि कोई भी अनिवासी भारतीय अपने साथ सोना ला सकता था । अब आपने उसको कम कर दिया और अब यह पड़ेगा करीब 7-8 परसेंट । पाकिस्तान में यह 3 परसेंट है । जब आप कम करेंगे तो वह उसको मुक्त कर देगा, कोई कर नहीं लगाएगा । उसके जरिये सोने की जो स्मगलिंग है, आज जारी है । वह निरन्तर बढ़ती रहेगी, उसका कोई अन्त नहीं है । यह एक अंतहीन प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को रोकने का तरीका यह है कि अधिक से अधिक मजबूत ढंग से, और मजबूत तरीके से काले धन के बढ़ते हुए व्यापार को और उसकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने की ओर कुछ बुनियादी और मजबूत तथा कारगर कदम उठाए जाएं ।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के अंदर वैल्थ टैक्स और इन्कम टैक्स में कुछ छूट दी और कुछ पुरानी चीजों को रखा । मैं इसमें कहना चाहता हूं कि 80-सी०सी०ए०, जो स्वत: रोजगार करने वाले लोगों को जल्दी रिटायर करने और तैयार करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में था, लोग अपनी बचत की धनराशि इसके जरिये बढ़ाकर के और कुछ काम कर लिया करते थे, वह हटा दी है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे कहना चाहूंगा कि 80-सी०सी०ए० और 80-एल०, जिस रूप में पहले थीं, उनको उसी रूप में रखा जाए और "सेबी" जिसका निर्माण आपने अपनी ओर से किया है, यह पूंजी निवेश को नियमित करने, दलालों और बैंकों को नियमित करने, जाल-बट्टा और अवैध व्यापार की नीतियों को खत्म करने के लिए बना था, इसके कार्यों को मजबूत करिए और ऐसा करिए कि इन चीजों से इस देश में जो दूसरे तरह के काले धन चल रहे हैं, उनको रोका जा सके ।

सभापति महोदय, टैक्सी के ऊपर एक्साइज में कुछ छूट दी गई थी । उस छूट का दुरूपयोग हुआ और उसका लाभ कुछ किस्म के लोगों ने उठाया और अकेले समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि 20 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी, केवल टैक्सी में कारों को फर्जी ढंग से दर्ज कर के कुछ लोगों ने की । फियेट द्वारा चोरी की गई, मारुति द्वारा चोरी की गई, एम्बैसेडर द्वारा चोरी की गई । जो लोग टैक्सी नहीं चलाते,

निजी उपयोग के लिए जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, उन्होंने अपना बोगस रजिस्ट्रेशन टैक्सी में करा कर, इस टैक्स की चोरी की और इसका गलत तरीके से लाभ उठाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार सोचे और केवल उन टैक्सी ड्रायवरों को यह सुविधा मिले, जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी ड्राइवर के रूप में आर०टी०ओ० के कार्यालय में हो या उसका कोई दूसरा तरीका निकाला जाए जिससे कि टैक्स की चोरी रूके। इसके लिए भी वित्त मंत्री जी कुछ उपाय निकालें।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : पार्लियामेंट के मैम्बर की एजेंसी भी है।

श्री मोहन सिंह : एक पार्लियामेंट के मैम्बर की भी एजेंसी है जिसके जरिये गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस व्यक्ति ने इसका सबसे अधिक फायदा उठा कर के लाभ कमाया, उसकी भी इन्क्वायरी कराने का काम करें।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अभी तक इन्क्वायरी नहीं हुई है।

श्री रोजवीर सिंह (अंबाला) : क्या पार्लियामेंट के मैम्बर की एजेंसी है?

श्री मोहन सिंह : हां, ऐसा अखबारों में छपा है कि पुणे के अंदर श्रीमान एक एजेंसी है और उस एजेंसी ने 2 महीनों के अंदर सबसे अधिक कार बेचने का काम किया और वे सभी कारें जो उस फर्म के जरिये बेची गई वे सबकी सब टैक्सी में गई, निजी उपयोग के लिए नहीं गई। यह सरकार के और वित्त मंत्रालय के ध्यान में रहा होगा, लेकिन इस पर कोई विचार करने का काम या इसकी इन्क्वायरी कराने का काम नहीं किया गया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से हिंडालको के ऊपर, पिछली साल, उसकी सभी फर्मों के ऊपर छापा पड़ा। उसके खिलाफ एफ० आई० आर० तैयार हुई, चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन वह चार्जशीट अदालत में नहीं गई। इसमें कुछ अधिकारियों की सांठगांठ है।

मैं कहना चाहता हूं कि लिटिगेशन में जितने मुकदमें चल रहे हैं और जितनी धनराशी आपकी आज मुकदमेबाजी के तहत पड़ी हुई है, इसके बारे में एक गम्भीर मन्थन होना चाहिए। अकेले टोबैको कम्पनी के ऊपर अरबों रुपये का कर बकाया है और वह लिटिगेशन में पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम कम्पनियां हैं जिनके ऊपर टैक्स का बकाया फर्जी लिटिगेशन खड़ा करके अदालतों में उसको पैंडिंग करके, उसका स्थगन आदेश लेकर बड़े-बड़े उद्योगपति, टैक्स के चोर और व्यापारी इस टैक्स की चोरी को रोके हुए हैं। इसपर भी नया कानून बनाने और संसद की एक समिति बनाकर उसपर विचार करें कि जो इतने लम्बे दौर तक वित्तीय कर की चोरी के मामले में अदालतों पर अदालत जाने का काम होता है और उससे कर चोरी रूकी रहती है, निषेधाज्ञा के जरिए इसपर कोई सरल उपाय, जिससे उन करों की चोरी को न केवल रोका जाए बल्कि उसकी वसूली भी निर्धारित समय के भीतर हो सके, इनपर सोचना पड़ेगा।

अन्तिम बात सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। करीब-करीब इस सदन ने 88 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि वैसे ही बिना बहस के इस सदन के भीतर विभिन्न मंत्रालयों की पास कर दी। इस बारे में सोचना होगा कि जो संसदीय सलाहकार समितियां हैं, उन संसदीय सलाहकार समितियों को विभागों के बजट के बारे में बहस करने का राय देने का भी अधिकार होना चाहिए और यदि ऐसा हो तो जो सम्पूर्ण सदन के भीतर समयाभाव के चलते हम विभिन्न विभागों के बजट पर बहस नहीं कर पाते, उसपर हम बहस कर सकेंगे और जो सदन का नियंत्रण हमारे संचित निधि के ऊपर है उस नियंत्रण को हम स्थापित रखेंगे।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढैंकानाल) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक 1992 का समर्थन करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा वित्त वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय सरकार का जो बजट संसद में प्रस्तुत किया गया था जिसकी अधिकतर लोगों ने प्रशंसा की तथा कुछ लोगों ने आलोचना भी की, उसके वित्तीय प्रावधानों को इस विधेयक के द्वारा कार्यरूप दिया जायेगा ।

'द स्टेट्समैन' के 2 अप्रैल, 1992 के अंक में इस सम्बन्ध में प्रकाशित लेख से मैं उद्धृत करना चाहूंगा । वह लेख एक भूतपूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लिखा गया है, जिसके साथ ही एक मंत्रालय में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन्होंने ऐसे लिखा है,

"कुछ लोगों ने इस बजट को लोगों के साथ धोखाधड़ी बताया है आमतौर पर यह बात कही जा रही है कि यह बजट मुद्रास्फीतिकारक होने के कारण गरीबों के दिल में विरोध है तथा इससे गरीबों को सबसे अधिक नुकसान होगा । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वास्तविक और मूल दर पर व्यय योजना आवंटन आदि तथ्यों को प्रस्तावों में निहित अन्याय का प्रतीक माना जा रहा है ।"

उन्होंने आगे लिखा है :

"12 प्रतिशत मुद्रास्फीति के साथ 1992-93 के लिए आवंटन क्या है ।" इसके आगे उन्होंने कहा है :

"परन्तु ग्रामीण रोजगार के लिए कुछ नई योजनायें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विशेष योजनाओं के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में अतिरिक्त 500 करोड़ रूपए का प्रावधान करने सम्बन्धी घोषणा है । 'स्माल फार्मरज़ एग्री-बिज़नैस कन्सोरटियम' नामक एक नए अभिकरण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए 12 मुख्य परियोजनायें आरम्भ करेगा ।"

उन्होंने इससे आगे ऐसा कहा है :

"वर्तमान ग्रामीण विकास योजनायें—जैसे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना आदि से कुछ विशेष लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए आवंटित निधि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होने इससे योजना का प्रभाव कम हो रहा है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदनों में इन त्रुटियों को उजागर किया है । एक रिपोर्ट के अनुसार इन राशियों का उपयोग जीपें, कारें, एयर कंडीशनर, विडियो कैमरे तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों पर निवेश करके किया गया ।"

यह एक बहुत ही गंभीर बात है । इस संदर्भ में उड़ीसा के अधिकतर सांसदों ने नवम्बर के सत्र में तथा बजट सत्र के दौरान चर्चा की थी । हम विभिन्न मंत्रियों, तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री उत्तमभाई एच० पटेल से मिले थे । उन्होंने उड़ीसा, तथा भुवनेश्वर जाने की कृपा की थी जहां मैंने तथा मेरे मित्र श्री लोकनाथ चौधरी ने उन्हें तथ्यों की जानकारी दी, तथा राज्य सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ जिलों में गड़बड़ी चल रही है । मैंने यह कारण बताया था । यह महानुभाव एक भूतपूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के आर्थिक समन्वय मंत्रालय में सचिव भी रहे हैं तथा कार्मिक मंत्रालय में वर्ष 1985 में मुझे इनके साथ कार्य करने का अवसर मिला था ।

इसलिए जब कि ये बातें एक भूतपूर्व सतर्कता अधिकारी द्वारा कहीं जाती हैं, तो वित्त मंत्री तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रियों को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा इन पर गहराई से विचार करना चाहिए । इसके आगे उन्होंने कहा है :

"समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को कम ब्याज के बैंक ऋणों द्वारा तथा कुछ राजसहायता द्वारा आमदनी देने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना था । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक राजसहायता द्वारा परिसम्पत्तियां उपलब्ध करवाई गई । दुर्भाग्यवश, अधिकतर लाभ सम्पन्न लोग उठा ले गये । बेईमान अधिकारियों तथा स्वयंभू अधिकारियों ने दरिद्रनारायण के सेवक और पुजारी बन कर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अति गरीब लोगों को देने के लिए आवंटित साधनों का स्वयं उपयोग करना आरम्भ कर दिया, जिससे ब्लाक तथा बैंकों के क्षेत्र स्तर के आधार को और धक्का लगा । ऋण मेलों के द्वारा बैंको के धन का बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन हुआ, जिसे हेराफेरी करके गरीबों को वितरित किया हुआ दिखाया गया । अधिकतर ऐसे ऋण जो कि 10,000 करोड़ के लगभग थे, उनकी वापसी असंभव हो गयी थी तथा जनता दल सरकार द्वारा 1990 में उन्हें बट्टे खाते में डालना पड़ा ।"

यह सब बातें मैंने इसलिए उद्धृत की क्योंकि कल ही मेरे माननीय मित्र श्री सुभाष चन्द नायक ने यद्यपि उन्होंने अपना भाषण उड़ीया में दिया था जिसका अनुवाद हुआ था—राज्य की उन करुण तथा दुखदायी स्थितियों का वर्णन किया था जिनमें कालाहांडी तथा कारापुट के बहुत संख्यक आदिवासी लोग रह रहे हैं तथा बताया था किस प्रकार वहां से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है ।

इस सदन में भी अनेक बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है तथा क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है इसलिये दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्रों ने इस सम्बन्ध में चर्चा पर आपत्ति की थी जबकि मानवीय दुखों के निवारण का कार्य केवल राज्य अथवा पंचायत का था, म्यूनिसिपैलिटी पर नहीं छोड़ा जा सकता । यह सारे राष्ट्र का उत्तरदायित्व है तथा मेरे विचार में यही उचित समय है जब हम इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें ।

श्री यू० सी० अग्रवाल, जिनके 2 अप्रैल, 1992 को दि स्टेटसमैन में प्रकाशित लेख को मैंने उद्धृत किया है, ने लिखा है,

"सामान्य परिस्थितियों के व्यय में कटौती मुद्रास्फीति के दबाव को कम करती है तथा मूल्यों में कमी लाने में सहायक होती है । बजट प्रस्तावों से जिनको तुरंत आघात महसूस करते है वे हैं स्वर्ण तस्कर, 'हवाला' व्यापारी तथा वे लोग जो कई प्रकार के लाईसैंस, कोटे, परमिट इत्यादि प्राप्त करके तथा बाद में खासे लाभ के साथ उन्हें बेचकर मेहनत का पैसा कमाने की बजाये मुफ्तकी आसान कमाई करते है । गरीबों के लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इससे लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे बशर्ते कि इन बजट प्रस्तावों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाये तथा कुछ वर्षों तक अनुपालन भी किया गया । उस समय तो इतना सोच कर ही प्रसन्न हुआ जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हो तो आधे काम हुआ समझो । खराब मानसून इत्यादि जैसी कोई आपदा अगर देश पर नहीं आती, अथवा स्वार्थी तत्त्वों के दबाव में आ कर सरकार अपने बढ़ते कदम पीछे नहीं खींच लेती तथा सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने साधनों से बढ़ कर कोई कार्य नहीं करती, तो देश आने वाले दिनों में वास्तविक समृद्धि प्राप्त करने की आशा कर सकता है ।"

कल तथा परसों ही, सूखे की स्थिति पर चर्चा करते हुए मेरे मित्र श्री मुकुल वासनिक, तथा अन्य सदस्यों ने और पश्चिम बंगाल से मेरे मित्रोने अथवा गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा अन्य तीन राज्यों में सूखे की स्थिति का वर्णन किया था तथा 'वर्ल्ड वाईड वाच इन्स्टीट्यूट' ने दो साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि भारत में सूखा पड़ेगा । पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे यहां मानसून निरंतर अच्छा

रहा, इसलिए औसत के अनुसार इस बार गंभीर सूखा पड़ने की आशंका है, और इसलिए आने वाले तीन महीनों के दौरान हमें पीने के पानी के संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

मुझे राज्यों अथवा सम्बद्ध मंत्रियों की ओर से इस समस्या से निपटने के प्रति कोई तत्परता नहीं दिखाई दी है, सभी आशंका काल शून्य काल के दौरान कई सदस्यों ने भी व्यक्त की ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के (ख) भाग में 29 फरवरी, 1992 को अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था तथा संसद के समक्ष कर प्रस्तावों का उल्लेख किया था ।

30 अप्रैल, 1992 को संसद सदस्यों, चैम्बरस ऑफ कामर्स, उद्योग, मज़दूर संघों तथा अन्य व्यक्तियों से प्रत्यावेदन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप को वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कुछ राहत उपायों तथा रियायतों की घोषणा की । प्रथम पृष्ठ पर अपने भाषण के (ख) भाग में जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, वह काफी जागरूक तथा संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं ।

मैं वित्त मंत्री के भाषण के उस भाग को उद्धृत करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर की छूट की सीमा बढ़ाने, कर की दरें कम करने तथा आयकर रियायतों की न्यायसंगत नहीं माना है तथा कहा था कि इसलिए उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 80-एल, 80-सी० सी० ए०, 80-सी० सी० बी०, के अन्तर्गत कटौतियों को वापस लेने की घोषणा की है । आगे उन्होंने कहा था कि धारा 80-एल को वापस लेने से कठिनाईयां पैदा होंगी, विशेषकर निम्न आय वर्ग के उन पेंशनधारियों तथा कर दाताओं के लिए जिन्होंने अपनी बचत को विशिष्ट वित्तीय आस्तियों पर निवेश कर रखा है । सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने धारा 80-एल के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों को वापस लेने सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था । उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए तथा निम्न आय वर्ग के कर दाताओं के हितों की यथा संभव रक्षा के लिए, मैं अन्तरिम उपाय के रूप में धारा 80-एल के अन्तर्गत 7,000 रुपये की सीमा तक कटौतियों को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं । छूट सीमा में 6,000 रुपए की बढ़ौत्तरी को मद्दे नज़र रखते हुए जोकि वित्त विधेयक में मूल रूप से प्रस्तावित थी, जो संशोधन धारा 80-एल के सम्बन्ध में मैंने प्रस्तावित किया है, उससे उन निम्न आय वर्ग के उन लोगों की समस्या का समाधान हो जायेगा, जिनके आवेदन मुझे प्राप्त हुए हैं" ।

मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1991-92 के वित्तीय वर्ष के आयकर प्रस्तावों में धारा 80-एल० के अन्तर्गत 22,000 रुपये की मूल छूट और 13,000 रुपये की अन्य छूट का प्रावधान किया गया था । इस प्रकार कुल 35,000 रुपये की प्रभावी छूट दी गई थी । इसके अतिरिक्त, धारा 80-सी० सी० ए० के अन्तर्गत कर योग्य आय में से 50,000 रुपये और धारा 80-सी० सी० बी० के अन्तर्गत दूसरे 10,000 रुपये की कटौती का भी प्रावधान था ।

चालू वित्त विधेयक के सन्दर्भ में माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा व्यक्त की गई राय को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आधारभूत छूट की सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी है । यह उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था । इसके लिये उन्हें सभी तरफ से शाबाशी भी मिली थी यद्यपि मेरे भाजपा दोस्तों की तरफ से नहीं लेकिन सदन के दूसरी पार्टियों की तरफ से यह शाबाशी दी गई थी । माननीय वित्त मंत्री ने अपने बाद के भाषण में कहा कि उन्होंने, धाराएँ 80 एल० 80 सी० सी० ए० और 80 सी० सी० बी० के अन्तर्गत मौजूद प्रावधानों को खत्म कर दिया है । उनके प्रस्तावों से वेतन-भोगी सीमित आय के वर्गों को निर्मम धक्का लगा है, जोकि बढ़ती मँहगाई, जो इस समय 12 प्रतिशत बढ़ी है और पिछले साल 16 प्रतिशत बढ़ी थी, के कारण पहले से ही परेशानी का सामना कर रहे थे ।

माननीय वित्त मंत्री ने धारा 80-एल के अन्तर्गत 7000 रुपये तक आंशिक रियायत बहाल करने की घोषणा की है । इसके बारे में, मैंने उनके द्वारा 30 अप्रैल को लिए गए जवाब का उल्लेख किया था । इस प्रकार उनकी इस वर्तमान घोषणा से वास्तविक छूट को 1991-92 के स्तर पर लाया गया है । उन्होंने सही अर्थों में वेतन-भोगी वर्ग को कोई रियायत नहीं दी है । आगे, धारा 88 के अन्तर्गत पिछले वर्ष 50,000 रुपये के स्तर को बढ़ाकर 60,000 रुपये करके उन्होंने सीमित आय वाले वर्गों के साथ एक क्रूर मजाक किया है, क्योंकि इस 10,000 रुपये निवेश करने वाले निवेशकर्त्ता को मात्र 20,000 रुपये की रियायत मिलेगी । अगर मेरी बात गलत है तो माननीय वित्त मंत्री इसे ठीक कर सकते है । लेकिन मैं यह विचार तो इसे पढ़कर ही व्यक्त कर रहा हूँ और मैं कोई वित्तीय मामलों का जादूगार होने का दावा नहीं करता हूँ न ही मैं एक अर्थशास्त्री हूँ । मैं तो उड़ीसा जैसे बहुत ही पिछड़े राज्य का एक साधारण सिपाही मात्र हूँ ।

मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि उच्च आय वाले वर्गों को निजी आयकर में रियायत देने के खातिर मध्यम आय वाले वर्गों की हितों की अवहेलना करके आय के उच्च स्लैब में कमी नहीं की जानी चाहिए । उनके वर्तमान प्रस्तावों में तो 3 लाख रुपये से ऊपर आमदनी वाले व्यक्तियों को तो काफी राहत दी गई है, किन्तु वेतन-भोगी वर्गों पर कुठाराघात किया गया है, जिनकी आमदनी उससे कम है । क्या सरकार, जो एक आदर्श नियोक्ता मानी जाती है, अपने उस कर्मचारियों को जो हमारे आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसरों को पूर्ण रूप से स्थिर और अवरूद्ध हो जाने के कारण सरकार के प्रति पहले से ही कड़वाहट से भरे है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का यही संदेश देना चाहती है ?

वित्त विधेयक को सरलीकृत और तर्कसंगत बनाने तथा कर संरचना का पुनर्गठन करने के लिये अब चेल्लेया समिति के सुपुर्द कर दिया गया है और इसके सम्बन्ध में एक अन्तरिम रिपोर्ट भी दे दी गई है । मैं चाहता हूँ कि चेल्लेया समिति की रिपोर्ट पर पूर्ण बहस के लिये संसद को मौका मिले जिससे कि इस सदन को भी विश्वास में लिया जा सके । उनमें प्रत्यक्ष कर, आय-कर, विकलांगों के लिये कल्याणकारी उपाय, आश्रितों के चिकित्सा, कामकाजी महिलाओं के लिये करों में छूट, वृद्ध नागरिकों को विशेष राहत, स्वैच्छिक सेवा-निवृत योजना के तहत भुगतान, कलाकारों, लेखकों, खिलाड़ियों तथा अभिनेताओं के बचतों पर प्रेरणा राशि में वृद्धि—मेरे साथी श्री सुनील दत्त को इससे प्रसन्नता होगी— कर्मचारियों के लिये निजी अस्पतालों में चिकित्सा लाभ, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिली मुआवजे राशि में छूट और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों का पोषण करने वाली सहकारी संस्थाओं को रियायत आदि का उनमें प्रावधान है । फिर उसके बाद कर अपवंचना के विरुद्ध उपाय किये गये हैं । उन्होंने इसके खामियों को पाटने का प्रयास किया है । बचतों से सम्बन्धित कर रियायतों में सुधार, कर आधार को विस्तृत करना, चैरिटेबल ट्रस्टों और संस्थाओं से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल और तर्कसंगत बनाया जाना, करों की उगाही स्त्रोतों पर लगनेवाली करों में कटौती से सम्बन्धित प्रावधानों को आसान बनाया जाना, फर्मों के कर-निर्धारण की पुनः संरचना प्राप्त किये गये पूंजी पर कर-निर्धारण का पुनर्रचना: और संपत्ति-कर, सूद-कर, छूट-कर, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से पूँजी-बाजार में वृद्धि करना एक प्रशंसा योग्य कदम है ।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपनी जादू की छड़ी लहराकर एक प्रशंसनीय कार्य किया है । इसमे कोई संदेह नहीं है । उन्होंने कुछ राहतें प्रदान की है, जिनके बारे में मेरे विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि इनमें मानवीय पहलुओं को अनदेखा किया गया है । इनको थोड़ा मानवीय बनाया जाना चाहिये था ।

यद्यपि रियायत तो कई चीजों में दी गई है, किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्वी भारत में इस उद्योग का सबसे बड़ा संयंत्र मेरे चुनाव-क्षेत्र में स्थापित है । जबकि अधिकांश दूसरे उद्योगों पर लगने वाली आयात-शुल्क और उत्पाद शुल्क को

युक्ति-संगत बनाया गया है, और उनमें कमी की गई है । लेकिन पॉलिस्टर फाइबर उद्योग को इससे वंचित रखा गया है । पता नहीं क्यों ? घरेलू उत्पादों को उपलब्ध कवर को और नीचा करने के खातिर आयात-शुल्क में अधिकतम 110 प्रतिशत (मूल + सहायक) की कमी की गई है । हस्त-निर्मित सभी फाइबरों पर (एक्रीलिक फाइबर के लिये एक्रीलोन टाइट, नाइलोन फाइबर के लिये कैपरोलैक्टम और विस्कोस फाइबर के लिये वुड पल्प जैसी मूलभूत कच्चे मालों पर) आयात शुल्क को निम्न प्रतिशतता में रखा गया है । यह एक सही कदम है । पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर के मामले में, एल० डी० एम० टी० पी० टी० ए० और एन० ई० जी० आदि जैसे पी० एस० एफ० के लिये घरेलू मुल्यों पर निवेश की खातिर आयात शुल्क कवर को उसी स्तर पर अर्थात् 110 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया है । आयात शुल्क कवर के अन्तर्गत डी० एम० टी०/पी० टी० ए०/एम० ई० जी० की कृत्रिम रूप से रखी गयी उच्च मुल्यों की यह विषमता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण पॉलीस्टर की ऊँची कीमत परिहार्य हो जाती है और उसकी माँग में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप पी० एस० एफ० उद्योग रूग्ण हो जाता है । इसलिये, मैं वित्त मंत्री से इस मामले को देखने की एकबार फिर अपील करता हूँ । जब मैं उनसे दूसरी बार मिला तो उन्होंने कहा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय से इस मामले को अग्रसारित करवाना वांछित होगा । मैं आशा करता हूँ कि वह मंत्रालय ऐसा करेगा । अगर वह मंत्रालय यह नहीं करता है, तो भी मैं उनसे इस मामले में पहल करने और स्वयं ही उस मंत्रालय से स्टेपल फाइबर प्लांट के मामले अग्रसारित करवाने का अनुरोध करता हूँ ।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात खत्म कीजिए ।

श्री के० पी० सिंहदेव : मुझे तीन चार बातें अभी और कहनी है । महोदय, मेरा निवेदन है कि कृपया मुझे सहयोग दें ।

मेरा अगला मुद्दा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध है, यद्यपि यह वित्त विधेयक से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है । जैसा कि मैंने कहा कि मैं उड़ीसा जैसे बहुत ही पिछड़े और अर्द्ध-विकसित राज्य से सम्बन्धित हूँ और मेरे राज्य की समस्या पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मध्य प्रदेश के समान है ।

एक माननीय सदस्य : केरल भी ।

श्री के० पी० सिंहदेव : मुझे जानकारी मिल रही है । महोदय, पहले मैं सोचता था कि केरल उस श्रेणी में नहीं आता है । महोदय, हम ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों से ही इतिहास की तरफ देखें, तो पायेंगे कि पश्चिम बंगाल भारत का बहुत ही उन्नत और अग्रणी राज्य था । किसी समय इसे भारतीय साम्राज्य का रत्न कहा जाता था । और ब्रिटिश शासन के भाँति ही, पश्चिम बंगाल का काम-काज भी, इसकी सजीव क्षमताओं के बावजूद आजादी के बाद भी कोई खास अलग नहीं रहा.....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री के० पी० सिंहदेव : महोदय, कृपया मेरा साथ दीजिए । मैं बोलने के लिये ढाई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अगर मुझे मात्र दस मिनट का ही समय दिया जाता है तो यह उचित नहीं है । मैं थोड़ा और समय लूँगा ।

महोदय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और असम के साथ एक विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, पटसन और वनसंपदाओं की प्रचुरता के बावजूद, ये पाँचों राज्य आर्थिक स्थिति में सबसे नीचे हैं और इनकी आय सम्पूर्ण भारत के औसत राष्ट्रीय आय से भी कम है तथा हमारे गाडगिल फार्मूला और इसमें बाद में की गई कुछ संशोधनों पर हमारी आम-सहमति के बावजूद

और अब मुखर्जी फार्मूला जिसका उल्लेख हमारे योजना मंत्री कर रहे थे, के आने के बाद वस्तुस्थिति यही है कि तमाम पंचवर्षीय योजनाओं, योजना आयोग के द्वारा राशि, वितरण तथा नौ वित्त आयोगों के गठन के बावजूद ये राज्य पिछड़े के पिछड़े ही बने हुए हैं । नवें वित्त आयोग ने एक आदर्श प्रस्ताव रखा था जिसके अन्तर्गत कुछ पिछड़े और अर्ध्द-विकसित राज्यों की पहचान की गई थी जिन्हें वित्त आयोग के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाना था और उसमें मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत तय की गई थी । अब जबकि वित्त आयोग ने स्वयं ही पिछड़े दो बजटों के दौरान इस बात को माना था कि पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति दर 22 प्रतिशत थी और वर्तमान में जब हम वित्त विधेयक पर बहस कर रहे हैं, तो यह दर 12 प्रतिशत है । मुद्रास्फीति के इन दो घातांकों पर विचार नहीं किया गया है । यद्यपि नवें वित्त आयोग के आदर्श प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत का ही घाटा दिखलाया गया था लेकिन सही अर्थों में यह 60 प्रतिशत के करीब है और अभी जब वे राज्य सूखे के चपेट में हैं तथा हमने आज उड़ीसा में आए तूफान पर भी चर्चा की है एवं सिर्फ दो महीने पहले हमने कृषि मंत्री के देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति पर स्वयं के दिये बयान पर हमने बहस की थी । अत: ऐतिहासिक रूप से हमारे तीन साथी सूखा, बाढ़ और तूफान कई वर्षों से स्थायी तौर पर हमारे साथ हैं । राज्य सरकार के पास इन स्थितियों से निबटने का संसाधन नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनके योजना प्रस्तावों के ऊपर केन्द्र द्वारा अग्रिम धनराशि मुहैया करायी जाती है । इसलिये अन्य चीजों के भाँति इससे भी मुद्रास्फीति की ही स्थिति बनती है, क्योंकि इससे न तो स्थायी संपत्ति बन पाती है और न ही वांछित मात्रा में इससे रोजगार का निर्माण हो पाता है, जो कि प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए । ये स्थितियाँ मानव-निर्मित न होकर प्राकृतिक है । यद्यपि इन आकस्मिक स्थितियों से निबटने के लिये विपदा राशि की व्यवस्था है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । प्रत्येक वर्ष हम बाढ़, तूफान और सूखे की स्थिति पर बहस करते हैं । और करोड़ों रूपयों की प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती है और इस सौदेबाजी के दौरान कई लोग मर भी जाते हैं लेकिन हम संतोषजनक समाधान ढूँढ नहीं पाते हैं । इन सब चीजों की ओर देखना होगा और पर्वतीय इलाकों, आदिवासी विकास खण्डों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति इलाकों में चल रही विशेष योजना के तर्ज पर ही इसके लिये भी कोई विशेष योजना चलाई जानी चाहिए, क्योंकि कई राज्य नियमित रूप से सूखे या बाढ़ या तूफान के चपेट में आते रहते हैं ।

[अनुवाद]

अत:, इसे मैं वित्त मंत्री पर ही छोड़ता हूं क्योंकि वह योजनाएँ बनाने में प्रवीण हैं और मै आशा करता हूँ कि वह ये योजनाएं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार के लिए भी बनाएंगे ।

अब मैं मूलभूत ढांचे के प्रश्न को लेता हूँ, जिसका वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के भाग-क में जिक्र किया था और कतिपय राज्यों का मैंने उल्लेख किया है, जहाँ तक अखिल भारतीय औसतन आधारभूत ढाँचे अर्थात बिजली, संचार, रेलवे और परिवहन का संबंध है, उससे बहुत नीचे है । यद्यपि बिजली उत्पादन और आधारभूत ढांचे के विकास में निजी भागीदारी को आकर्षित करने की एक योजना है, जिसका प्रधान मंत्री महोदय ने भी मुख्य मंत्रियों को और इस सभा में भी उल्लेख किया है, सावधानी के तौर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि बांये हाथ को यह नहीं पता लगाना चाहिए कि दांयाँ हाथ क्या करता है और मैंने लगभग एक माह पूर्व वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाया है कि जो योजनायें वह यहाँ संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका हमें पता नहीं हैं अथवा उन संबंधित मंत्रालयों विशेषकर उर्जा मंत्रालय, जोकि उर्जा-उत्पादन का प्रभारी मंत्रालय है, द्वारा तैयार की गई योजनाओं के बारे में विभिन्न प्राधिकारी के यहां तक कि विदेशों में भी विदेशी-भागीदारी को शामिल करने की कोशिश करने के बारे में अपनी शिकायतें भेज रहे हैं । वे

उससे बिल्कुल अलग संदेश देते हैं, जिसपर वित्त मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री महोदय हम पर विश्वास करना चाहेंगे । अत: मुझे पता नहीं है कि उर्जा-उत्पादन में विदेशी-भागीदारी का क्या रुख है, क्योंकि बायाँ हाथ वह छीन रहा है, जो दायाँ हाथ देने की कोशिश कर रहा है ।

महोदय, यदि मेरी बात सही है, तो वित्त मंत्री महोदय ने कृषि को पूर्णतय: राज्य-सरकारों की देख-रेख पर छोड़ दिया है । अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि कृषि हमारे विकास का मेरुदंड है । अब यदि सिंचाई, उर्वरक और कृषि को पूर्णतय: राज्य-सरकारों पर ही छोड दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे विकास का मेरुदंड सफल होगा ही अथवा क्या कृषि अभी भी मानसून की आपदाओं पर ही पूर्णतय: निर्भर रहना पडेगा । विभिन्न राज्यों से जो सिंचाई प्रस्ताव प्राप्त हुए है उनमें से विशेषकर मझौले और मुख्य सिंचाई परियोजनाओं, से केंद्र सरकार बहुत चिन्तित है । मेरे ही राज्य का जन-संसाधनों से जल निकालने की क्षमता का प्रतिशत कागजों में केवल 30 प्रतिशत है, परन्तु वास्तव में यह क्षमता 17 प्रतिशत है और अखिल भारतीय औसत जल निकालने की क्षमता 36 प्रतिशत से थोडी अधिक है । अत: सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी अगर हमारी यही उपलब्धि है, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोडा-सा आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए और यह देखना चाहिए कि 'रेंगली' 'सुबनारेखा', 'अपर इन्द्रावती' और 'अपर कोलाब' जैसी मुख्य परियोजनाएँ पूरी हों जोकि केवल उड़ीसा राज्य के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इनमें पश्चिम-बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी सम्मिलित हैं ।

इसके अतिरिक्त उर्जा के साथ रोजगार भी जुड़ा है क्योंकि उर्जा कृषि और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है और हमारे शिक्षित युवकों और अर्ध्यकुशल युवकों की आकांक्षाओं केवल तभी पूरी की जा सकती है, अगर हम उन्हें वह मूलभूत ढांचा प्रदान करें जिससे की रोजगार भी सृजित हों । मैं एक ऐसे राज्य से हूँ जहाँ के गांवों में गर्मी के महीनों में आगजनी की काफी घटनाएँ होती है क्योंकि वहाँ के घर न तो आलीशान होते हैं और न ही अग्नि-रोधक । फिर भी, न तो राज्य सरकार की ही और न ही केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना है । अत: यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि उपर्युक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मिशनों को जिन्हें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा सृजित किया गया था, अपना ध्यान इन समस्याओं पर केंद्रीत करने के निर्देश दिये जाने चाहियें ताकि अनेक तरीकों से ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके और वहाँ उपलब्ध दुर्लभ धनराशि अन्य कार्यों पर खर्च न हो सके ।

जहाँ तक पर्यावरण का संबंध है, हम यहाँ भारी प्रदूषण के बारे में बहस कर रहे हैं । मैं एक ऐसे क्षेत्र से हूँ, जहाँ ब्रह्मणी और महानदी केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दोनों द्वारा प्रदूषित की गई हैं और फिर भी पर्यावरण कानून में इतने अधिक विधान बनाने के बावजूद भी कोई दण्डात्मक अथवा निदानात्मक कार्यवाई नहीं हुई है । मेरे विचार से इस पर भी नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मेरा आखरी मुद्दा भूतपूर्व-सैनिकों और उन सैनिकों के बारे में है जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे है और हमारे सैनिकों का मनोबल इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनकी कैसे देखभाल करते हैं । यहाँ, इस सभा में, हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चिन्तित हैं । मेरे विचार से आज सुबह श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस मुद्दे को एक विशेष उल्लेख के रूप में उठाया था । हम व्यापार संघों के बारे में चिन्तित हैं; हम हमारे समाज के उन कमजोर वर्गों के बारे में चिन्तित हैं जोकि अपनी आवाज उठा सकते हैं, जिनका संसद में एक प्रकोष्ठ है और जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बोल सकते हैं, लेकिन इन भूतपूर्व-सैनिकों और सैनिकों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है और उन्हें अति कठिन भू-भागों, अशरण्य भू-भागों और विषम मौसमी परिस्थितियों में लगाया जाता है । जब वे सेवानिवृत होते हैं तो हम उनकी देखभाल तक भी नहीं करते । मैं

भूतपूर्व-सैनिकों के बारे में गठित उच्च-स्तरीय-समिति, जिसने एक रैंक एक पेंशन की सिफारिश की है, का हवाला देना चाहूँगा । उसे निष्प्रभावी कर दिया गया है । मैं अपने माननीय मित्र और एक बहुत अच्छे सैनिक और एक बहुत योग्य सांसद श्री जसवन्त सिंह से, जोकि 1984 में भूतपूर्व-सैनिकों संबंधी उच्च-स्तरीय समिति में मेरे साथ थे, बातचीत कर रहा था । हम सभी 35 लाख भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुचाना चाहते थे क्योंकि परिपक्व से काफी वृध्द हो चुके हैं । यह 1953 से 1986 के बीच की अवधि में सेवानिवृत होने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सहायता की आवश्यकता की बात थी क्योंकि वे बहुत कम पेंशन पा रहे थे । यही वे व्यक्ति हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है और न कि वे व्यक्ति जो 1986 के पश्चात सेवानिवृत हुए हैं क्योंकि तीसरे और चौथे वेतन आयोगों ने उन्हें मूल्य सूचकांक में वृध्दि के आधार पर पर्याप्त प्रतिपूर्ति कर दी है ।

मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूँ कि बजट संबंधी प्रस्तावों की गुणवत्ता न कि उनकी संख्या अथवा बजट धनराशि मूल प्रश्न है । मूल्यांकन, निर्धारण, कार्यान्वयन और कारगर, निगरानी, जिनकी कि फिलहाल कमी है, केवल यही वे चीजें है जिनके माध्यम से हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं । उत्तर-दायित्व और जिम्मेदारी निर्धारित की जानी है ।

मैं अपने मित्र, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर की इस बात से सहमत हूँ कि अप्रैल में बजट सत्र के उपनिवेशी-दृष्टिकोण को त्यागना चाहिये । बजट सत्र सितम्बर में होना चाहिये ताकि अक्तूबर अथवा नवम्बर में वित्त-विधेयक पारित किया जा सके और हमे मानसून के बाद नवम्बर से अगले मानसून तक पूर्ण सत्र मिल सके ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्न और प्रयास किये गये हैं । विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कई प्रकार के प्रयास किये । बजट घाटे को भी कम करने की दिशा में प्रयास हुए हैं । पूंजी निवेश बढ़ाने की भी बात हुई । लेकिन स्थिति यह है कि समाज में असंतुलन बना रहा । इस देश के अन्दर 44 वर्षों से जिस प्रकार की एक व्यवस्था चली आ रही है जिसके अन्तर्गत गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, और भविष्य में उसका क्या रूप होगा, यह दिखाई नहीं पड रहा है । इसके मुख्य कारण क्या हैं यह मैं आगे जाकर विस्तृत रूप से सदन को बताने का प्रयास करूंगा । आज समय की मांग यह है कि हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण लोगों से जुड़ी हुई होनी चाहिए । जो कि नहीं है । हमारे जीवन का केन्द्र बिन्दू ग्रामीण बनना चाहिए न कि शहरी होना चाहिए । आज देश के अन्दर बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी राष्ट्र के सामने एक भयंकर राक्षस के रूप में देश के सामने खड़ी है । मेरा स्पष्ट कहना है कि हमारा कोई भी माननीय सदस्य उससे बचा हुआ नहीं होगा । हम लोगों की क्या स्थिति बनती है, अपने लोक सभा क्षेत्र में जाने के उपरांत एक व्यक्ति को भी सेवा में नहीं लगा सकते ।

पिछले दिनों उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक बात कही गई कि इंफ्रास्टक्टर के माध्यम से हम विकास करेंगे । कहां का इंफ्रास्टक्टर । गांवों के अन्दर न आपके बिजली है, न आवागमन के साधन हैं और न वहां पर इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है जिसने पूरे जन-जीवन को झिंझोड़ कर रख दिया है । यहां बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनीज को लाने की बातें की जा रही हैं । हमारी छोटी यूनिट्स, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज को यहीं के बड़े उद्योग पनपने नहीं दे रहे हैं । इसके ऊपर हमें निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिए कि किस प्रकार का माल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में बनेगा, टाइनी इंडस्ट्रीज में बनेगा । बड़ी इंडस्ट्रीज चाहे बिड़ला

हो, टाटा हो, बड़ी कंसर्न हों या विदेशी कम्पनीज हों इनकी बात न करके देश के अन्दर स्माल स्केल यूनिट्स, टाइनी इंडस्ट्रीज किस प्रकार से अपने आर्थिक संकट से गुजर रही हैं इसकी आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए ।

1992-93 की विकास दर के विषय में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम बहुत जल्दी ढाई प्रतिशत से बढ़कर चार प्रतिशत तक कर देंगे और मुद्रास्फीति जो इस समय 13 प्रतिशत है उसको घटाकर 6 या 7 प्रतिशत तक ले आयेंगे । लेकिन ये सारी स्वप्न की बातें हैं, वास्तविक जीवन में ऐसा होनेवाला नहीं है । इस वर्ष खरीफ की फसल जो कि मानसून पर निर्भर करती है, मानसून के जो वैदर एक्सपर्ट्स है उनकी ओपिनीयन भी इसके पक्ष में नहीं है ।

4.00 म० प०

और आने वाले वर्ष हमारे लिए और भी चिन्ता का विषय बने हुए हैं । इस सदन को अच्छी प्रकार से यह जानकारी होनी चाहिये और विशेष रूप से वित्त मंत्री जी को कि इस वर्ष बम्पर क्रॉप हुई है लेकिन देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है । एफ० सी० आई० द्वारा जो परचेज़ इस वर्ष हुई है, वह पिछले वर्ष से 50% भी नहीं हुई है क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारी, व्यवसायी और बड़े-बड़े जमींदार उसकी होर्डिंग किये हुए हैं जिससे यह समस्या आने वाले दिनों में गरीब व्यक्ति के सामने एक चुनौती बन कर आयेगी । इसलिए मेरा इस विषय में आपसे अनुरोध है कि समय रहते प्रदेश सरकारें और केन्द्रीय सरकार एक समायोजन करके गेहूं की परचेज़ करें । हमारे देश में गेहूं का अभाव नहीं है लेकिन हमारी अपनी व्यवस्था बेकार होने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाये हैं ।

मान्यवर, इस बार हमारे देश में चीनी का उत्पादन 12 मिलियन टन का अनुमान है । मेरी जानकारी में इससे भी ज्यादा होगा लेकिन हमारे देश में चीनी का मात्र उपयोग 10 मिलियन टन ही है । इस प्रकार लगभग ढाई-तीन मिलियन टन चीनी का एक्सपोर्ट किया जा सकता है । पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी से मैंने इस विषय में कहा कि उत्तर प्रदेश से 144 नयी चीनी मिलों के लाइसेंसेज हेतु एप्लीकेशन्स केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई हैं । उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों में चीनी का बाजार भाव कम है, हम तो यह नहीं भेजेंगे । यह कितना दुखदायी और कष्टदायक विषय है कि हमारे मंत्री स्तर के लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं समझते । मेरा तो यह कहना है कि हम लोग 5-5 कि० ग्राम सोना दूसरे लोगों के माध्यम से यहां मंगा रहे हैं और जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है । क्यों नहीं हम लोग सस्ते दर पर चीनी बाजार भाव भेजकर सोना अपने रुपये से मंगाये जिससे देश के अन्दर ही इस समस्या का समाधान हो सके ।

मान्यवर, आपको शायद जानकारी हो कि हमारे देश के अन्दर इस समय डोमैस्टिक यूज़ में आने वाली 32 हज़ार करोड़ रुपये की गैस का वेस्टेज हो रहा है और इसका स्टोर करने के लिए या घर-घर में पहुंचाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

मान्यवर, देश के अन्दर इस समय जंगलात 33 प्रतिशत होना चाहिये जो कि घटकर 10 प्रतिशत रह गया है, इसके लिए किसी को चिन्ता की जरूरत नहीं है ?/ चिन्ता तो कुर्सियों की है और प्रदेशों में कुर्सियों की है । इससे ज्यादा रास्ता राष्ट्र के सामने या इस प्रकार का कोई समायोजन नहीं है जिसके माध्यम से आने वाला कल का देश सुखदायी बन सके ।

मान्यवर, टैली-कम्युनिकेशन्स के लिए 3200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपया कर दिया गया है और पंचायत स्तर पर पहुंचाया जा रहा है लेकिन शहरों के अन्दर टेलीफोन की व्यवस्था जर्जर पड़ी हुई

है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को उस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिये जिससे गरीब आदमी जुड़ा हुआ है या जिससे देश की 80% जनता जुड़ती है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त राज्य मंत्री श्री ठाकुर से यह निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मेरे एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने इस सदन में दिया था कि वर्ल्ड बैंक का अनुदान का रुपया प्रदेश सरकारों के पास जो पड़ा हुआ है, इसके लिए किसी को चिन्ता नहीं है । वह अपना भाग नहीं डालने के कारण सारा का सारा अनुदान विफल हो रहा है । आप इसकी चिन्ता करिये, चाहे वह सिंचाई से संबंधित हो, चाहे विद्युत से सम्बन्धित हो लेकिन जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इन सब कार्यक्रमों को वर्ल्ड बैंक के लोन के द्वारा उसका लाभ उठाया जा सकता है ।

मान्यवर, इंडस्ट्री के विषय में मैंने अभी बात कही । इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से देशव्यापी कुछ ब्लॉक स्तर पर चयन किया है । उत्तर प्रदेश में भी 7-8 ब्लाक ढूंढे हैं । वहां न सड़कें है, न बिजली है और न इस प्रकार की कोई और व्यवस्था है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लिये जायें । यदि आप विद्युत, आवागमन और इंस्पेक्टर-राज से मुक्ति दिलवा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में औद्योगीकरण को कोई रोक नहीं सकता ।

मान्यवर, एक बात सेल्ज़ टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा । इसको नेशनल लैवल पर केन्द्रीय सरकार के स्तर से सभी प्रदेश सरकारों को बैठाकर इसका समायोजन हो क्योंकि कहीं तो सेल्ज़ टैक्स 14 प्रतिशत है और किसी प्रदेश में तीन प्रतिशत है जिसके दूरगामी दुष्परिणाम भोगने को मिल रहे हैं ।

मान्यवर, आयकर की सीमा बढ़ाने के बारे में कर की दरों में कमी की बड़ी चर्चा हुई है मगर यह सीमा रुपए के अवमूल्यन और महंगाई की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए 22 हजार से 28 हजार नहीं हुई । सच्चाई यह है कि जो पिछले वर्ष 22 हजार रुपया था आज 28 हजार रुपया उसके बराबर है । आयकर कानून की धारा 80 एल के अनुसार 13 हजार रुपए ब्याज पर छूट मिलती थी, उसे घटाकर 7 हजार रुपए किया जाना सरासर करदाताओं के साथ अन्याय है क्योंकि करदाता को इस बढ़ी हुई महंगाई में उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त आयकर सीमा 28 हजार रुपए के स्थान पर 48 हजार रुपये की जाए जो कि आज की नितांत आवश्यकता है और मेरी जानकारी में सदन का हर माननीय सदस्य इसके विषय में अपनी यही राय रखता है । मान्यवर, क्लॉज़ 42 के अंतर्गत 80 सीसीए से मध्यम वेतनभोगी श्रेणी प्रभावित होगी । इसके साथ ही साथ जो पब्लिक फंड्ज़ एनएसएस के अंतर्गत जमा होते हैं, उनको सैटबैक लगेगा और उस पर गवर्नमेंट को केवल 11% ब्याज देना पड़ता है और इसका जो सबसे मुख्य नुकसान होने वाला है कि यह जितनी भी अमाउंट है, यह सारी की सारी प्रदेश सरकारों के पास जाती है और यदि आपने 80 सीसीए को समाप्त कर दिया तो प्रदेश सरकारे एक बहुत बड़े स्रोत से वंचित रह जाएंगी और वैसे ही प्रदेश सरकारों के पास धन का बहुत अभाव है । इसलिए 80 सीसीए को बनाए रखिए जिससे मध्यम श्रेणी के लोग और प्रदेश सरकारों को पूरा लाभ मिल सके ।

मान्यवर, इसमें केन्द्र सरकार को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है । जिस समय वह अपने पैसे का रिफंड लेती है, उस पर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है । यदि केन्द्र सरकार या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें नुकसान होता तो हमारी समझ में कुछ बात आती ।

बुजुर्ग लोगों को 50 हजार से अधिक पर जो छूट मिलती थी, उसको बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है । ऐल्डरमैन की सब जगह रिस्पेक्ट होती है । उसके प्रति सदन की रिगार्ड पे करना हमारा कर्तव्य है ।

क्लॉज़ 35 में माइनर्स के विषय में मुझे यह कहना है कि हमारे देश के अंदर यह परंपरा चली आ रही है कि केवल पिता या बच्चे के अभिभावक रुपए को बचाने के लिए माइनर्स के नाम से रखते हैं । अन्य स्त्रोतों से भी माइनर्स के पास पैसा आता है जैसे उसके दादा-दादी से या नाना-नानी से आता है, और यहां तक यदि उसके फॉदर की डेथ हो जाती है तो उसकी मदर के साथ वह भी उसके भागीदार होते हैं लेकिन वह सारा पैसा मदर के साथ क्लब कर देना, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ।

मान्यवर, पिछले दिनों हमारी सरकार ने विदेशों से धन लाने के लिए छूट दी थी । आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंतर्गत अधिकांश माइनर्स के नाम से रुपया आया है । सरकार के प्रति लोगों में विश्वास उठ जाएगा कि 6 महीने पहले जो निर्णय लिया उसके विरूध्द अब यह काम करने जा रही है ।

क्लॉज़ 65 के अंतर्गत फर्म जो इनकम टैक्स देने की स्थिति में हैं, उसकी कुल आय का मैक्सिमम मार्जनल रेट पर टैक्स लगेगा जो कि सर्वथा अनुचित और अन्याय है । इसमें से जो छोटी फर्म्स हैं, जिनकी आय 50 हजार से कम है, उन पर 30% और जिनका 50 हजार से ऊपर का कारोबार है, उनकी इनकम पर 50% मैक्सिमम मार्जनल रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए ।

मान्यवर, सेक्शन 80 एचएचसी के विषय में मैं बताना चाहूंगा । इसके अंतर्गत वे मैनुफैक्चरिंग युनिट्स हैं जो देश के अंदर अपना मैनुफैक्चर किया हुआ माल बेच सकती हैं और विदेश में भी बेचती हैं । इस विषय में मेरा यह अनुरोध है कि जो विदेश में भेजें उसके प्रॉफिट और लॉस का अलग से आकलन किया जाए और जो देश के अंदर हों, उसका अलग से आकलन हो, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए ।

[अनुवाद]

जमा-हेतु राशियां स्वीकार करने संबंधी धारा 269 (एस० एस०) और जमा-राशियों की पुनः अदायगी संबंधी धारा 269 (डी०) में संशोधन करने के बारे में —

[हिन्दी]

इसके अंतर्गत एक ऐम्बीग्यूटी है जिसे आपको समाप्त करना है । मान लीजिये कि एक्स ने वाई को 20 हजार रुपया देना है और वाई ने जैड को देना है । यदि एक्स सीधे ही जैड को वह रुपया दे देगा तो इसके अंतर्गत उस पर पैनल्टी पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि आप इस ऐम्बीग्यूटी को दूर कीजिये ।

मान्यवर, आज शेयरों पर अंकुश समाप्त हो चुका है और शेयर मार्केट की क्या दुर्गति हुई है, वह सब हमारे सामने है । कल ही हमारे वित्त मंत्री ने राज्य सभा के अंदर, जब वे जवाब दे रहे थे तो कहा कि सी० बी० आई० द्वारा इस सारे मामले की इंक्वायरी करायी जायेगी जिसमें कि एस० बी० आई० यानी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का साढे छः सौ करोड़ रुपया एक व्यक्ति विशेष की तरफ है, वह मामला भी इन्वौल्व्ड है । आज स्थिति यह है कि कन्ट्रोल ऑफ पब्लिक ईश्यू खत्म कर दिया गया है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि किसी न किसी प्रकार का इस पर अंकुश या कंट्रोल आपको फिर लागू करना चाहिये अन्यथा हमारे देश के अंदर बोगस और फिक्टीशियस फर्म बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है । दस रुपये का शेयर, आर्टिफीशियल ढंग से, मार्केट में वे 200 रु० या 300 रु० का करने में एक्सपर्ट हैं । उदाहरण के लिये ऊषा रैक्टिफायर वालों ने जैसा किया था । जिस प्रकार से देश की गरीब जनता आज शेअर मार्केट के प्रलोभन में ग्लैमर में आकर, शेयर्स परचेज करती जा रही है, मैं चाहता हूं कि सटोरियों के हाथों से बचाकर, उसे सही दिशा मिले, जिससे कि इंडस्ट्रीज का भी भला हो और देश के लोग भी सही दिशा में अपना पैसा लगा सकें ।

अब मैं वैल्थ टैक्स या सम्पत्ति कर के बारे में कहना चाहूंगा । बजट में सम्पत्ति कर के बारे में कई अलग अलग प्रावधान किये गये हैं, जैसे गैस्ट हाउस, आवासीय मकान, फार्म हाउस, जो म्युनिसिपैलिटी, कार्पोरेशन, नोटिफाइड टाउन एरिया या टाउन एरिया कमेटी की 25 किलोमीटर रेंज में होगा, उन पर यह वैल्थ टैक्स लगेगा जब कि दूसरी तरफ यदि वह किसी कम्पनी का होगा तो उस पर वैल्थ टैक्स नहीं लगेगा । जिन कम्पनियों की तरफ आपका करोड़ों रुपया है, उनकी हर प्रकार की चीजों को आपने वैल्थ टैक्स से मुक्त कर दिया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्त प्रक्रिया से हमारी जो हाउसिंग की प्रौब्लम है, वह और बढ़ेगी । अब लोग हाउसिंग पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे । किसी इंडीवीज्युअल का भी यदि कोई रेजिडैन्शयल मकान होगा, अगर वह अपना कोई दूसरा मकान बना लेगा तो उससे अल्टीमेटली हाउसिंग की प्रौब्लम सौल्व ही होगी । उसके साथ साथ उस पर भी अब आप टैक्स लगायेंगे, वह टैक्स देने के लिये जिम्मेदार होगा, देनदार होगा । इसलिये उसमें कोई लॉस नहीं है ।

मान्यवर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिये स्वर्ण बौंडस के माध्यम से आपने प्रयास किया है, इससे निश्चित रूप से ब्लैक मनी रखने वालों के वारे-न्यारे हैं क्योंकि न अब उन्हें गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा न कोई वैल्थ टैक्स देना पड़ेगा । जिस दिन उन्हें गोल्ड वापस किया जायेगा, उतने समय का उन्हें ब्याज भी मिलेगा । उस ब्याज पर कोई इन्कम टैक्स भी नहीं लगेगा । इसलिये आपने जो प्रयास किया है कि ब्लैक मनी किसी तरह से बाहर आये लेकिन यह आप समझ लीजिये कि आपकी नितियों के कारण ब्लैक मनी इस देश में और ज्यादा क्रिएट होगी क्योंकि अब लोगों को एक रास्ता मिल गया है कि गोल्ड बौंड लीजिये और इस प्रकार अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लीजिये । इस विषय में आपको नये सिरे से विचार करना होगा ।

75 हजार रुपये तक तनख्वाह पाने वाली महिलाओं के लिये स्टैन्डर्ड कटौती आपने 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दी है । मैं चाहता हूं कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये । महिलाएं सब एक समान होती हैं । जब छोटे स्तर पर, आय पाने वाली महिलाओं के लिये आपने व्यवस्था की है कि उन्हें साढ़े 33 परसेंट के हिसाब से कटौती मिलेगी, उस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, मैंने फाइनैंस बिल पर अपने कुछ अमैंडमैंटस मूव किये हैं, प्रस्तुत किये हैं । जिन अमैंडमैंटस पर मैंने चर्चा की है, मैं चाहूंगा कि उन्हें आप स्वीकार करें ।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित वित्त-विधेयक 1992 का समर्थन करता हूँ और इसके सभी कटौती-प्रस्तावों का विरोध करता हूँ ।

हमारे जैसे एक विशाल देश में, जिसकी करीब 70 प्रतिशत जनसंख्या बहुत कम आय से निर्वाह कर रही है और उसमें से भी एक लोगों का बहुत-बड़ा अनुपात गरीब की रेखा से नीचे रह रहा है, हमें अपनी वित्तिय-पद्धति पर निगरानी रखने के लिए नये-नये तरीके और कारगर उपाय खोजने होंगे । माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अनेक बातों का उल्लेख किया है, बहुत-से नये प्रस्ताव इस बजट में और इस वित्त विधेयक में भी शामिल किये गये हैं । लेकिन अभी भी अनेक ऐसे वंचित क्षेत्र हैं, जिनकी ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और जिनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है ।

हम पिछले दस महीनों से यह सुनते आ रहे हैं, जिस दिन से यह संसद गठित हुई है तबसे, इसमें बहुत-कुछ पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, अर्थ-व्यवस्था को खुला बनाने की जरूरत है क्योंकि इससे विकास की दर में वृद्धि हो सकेगी जिसके फलस्वरूप हमारे देश में विद्यमान बहुत-सी बुराइयों और समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी । हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत इतने घोर वित्तिय-संकट में है कि हमें उन तरीकों पर विचार करना पड़ेगा, जिनसे हम उन्हें समर्थन दे सकें और उनकी वित्तिय-दशा को सुदृढ़ कर सकें । यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में भी, जो कि मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्था का एक नमूना है, मैं यह बताना चाहूँगा कि सरकार उन गरीब लोगों को, जोकि आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं है, समर्थन देती है । उनकी सामाजिक-सुरक्षा, स्वास्थ्य-योजनाओं और अन्य योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं हैं, जिनसे राज्य द्वारा उन लोगों को सहारा दिया जाता है जोकि आर्थिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ नहीं है ।

हमारे देश में हम ऐसा पिछले लगभग चालीस वर्षों से करते आ रहे हैं । लेकिन इसके साथ ही, हमारी जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत लोगों को राज्य से सहायता की आवश्यकता है, अत: हमें निश्चय ही और अधिक धनराशि व्यय करनी होगी । अत: हमें और अधिक धन इकट्ठा करना है जिससे कि जनसंख्या के इस प्रतिशत, जनसंख्या के इस भाग को उसके वर्तमान-स्तर से ऊपर लाया जा सके ।

देश में बहुत-से ऐसे क्षेत्र है, जहाँ पिछड़ापन है और मेरे विचार से अनेक लोगों की अभी भी शहरों में रहने की तमन्ना है । यद्यपि मेरा महाराष्ट्र राज्य देश में एक सबसे अधिक प्रगतिशील और औद्योगिक रूप से अत्यधिक अग्रणी राज्य समझा जाता है, लेकिन इसके साथ ही विदर्भ क्षेत्र, जिससे मैं आया हूँ और विशेषकर मेरा ही जिला, जिसके दो कोनों पर मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की सीमायें हैं, मैं अभी भी गरीबी, बेरोजगारी तथा सड़कों, रेलवे, दूरसंचार और यहाँ तक कि बहुचर्चित सार्वजनिक वितरण-प्रणाली जैसी सुविधाओं की कमी है । बहुत-से ऐसे उपेक्षित-क्षेत्र हैं, जिनपर आत्मविश्लेषण करने और बहुत-सारा कार्य और अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है ।

अत:, एक पद्धति, जिसमें अमीर से प्राप्त करके गरीबों को देने का मूलभूत-प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि इससे प्रत्येक व्यक्ति होगा कि कर एक सभ्य-समाज को दिया जाने वाला मूल्य है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि हममें से कोई भी कराधान की मूल धारणा का विरोध करे अथवा इस पर किसी गलतफहमी अथवा असहमति प्रकट करे । जहाँ तक हमारे देश की जनता की देखभाल करने और इसके पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संबंध है, राज्य का राजस्व बढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी ओर वित्त मंत्री और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

चाहे जो भी योजनायें हम लोगों के लिए चलायें, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । आज जो 12 प्रतिशत और इससे अधिक की मुद्रास्फिती की दर पीछे से चली आ रही है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, क्योंकि पिछले वर्ष देश के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति थी और किसी को भी पता नहीं है कि इस वर्ष मान्सून कैसा रहेगा, अत: इस संबंध में एक विश्लेषण किया जाना चाहिए कि वे लोग जो 12 प्रतिशत और इससे अधिक मुद्रास्फिति के अन्तर्गत परेशानी झेल रहे हैं उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए ।

अभी कुछ महीने पहले हम स्थानीय जिला परिषद के चुनावों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ गरीब आदमी, आम आदमी को उसकी बुनियादी खाद्य सामग्री जैसे तेल, मिर्च, गेहूँ, चावल जोकि अनिवार्य खाद्य पदार्थ हैं के संबंध में कठिनाई होती है, अत: जो कुछ भी हमारी वित्तीय आयोजना हो, जो कोई भी

वित्तीय उपाय हमारे वित्त मंत्री शुरू करें वे हमारे देश में इस वर्ग को जोकि हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग है कम से कम दरों पर रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कर सके ।

जहाँ तक कराधान की बात है मैं तो कहूँगा कि यही एक मात्र तरीका है जिससे राज्य अपने संसाधन बढ़ा सकते हैं ताकि गरीब लोगों के हितों की रक्षा की जा सके या हमारी अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके, तथा हम सबको एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 40 या अधिक वर्षों से हम प्रत्येक वर्ष बजट पेश करते हैं तथा इस वर्ष भी हमने बजट पेश किया है लेकिन जहाँ तक कराधान संबंधी कानून की बात है चाहे यह प्रत्यक्ष कराधान के रूप में हो या अप्रत्यक्ष कराधान के रूप में हो इनमें किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं है । जब बजट पेश होने वाला ही होता है तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए दु:स्वप्न की तरह होता है, यहाँ फिर इस संबंध में अनुमान लगाया जाता है और उसके अन्दर छिपी बात जानने की कोशिश होती है तथा यह पता लगाने की कोशिश होती है कि उसमें उनके लिए क्या कुछ है । जब बजट निकलता है तो भी आमतौर पर काफी असंगति और विसंगतियाँ होती है । अत: माननीय वित्त मंत्री को सर्वप्रथम यह मुख्य कदम उठाना चाहिए कि वह एक ऐसी नीति बनाये जो कि यदि संभव हो तो कम से कम पांच और अधिक वर्षों तक चले । इस अनुमान लगाने और इस छुपने छुपाने का खेल बन्द होना चाहिए जहाँ आप किसी वर्ष कोई प्रस्ताव लाते हैं और अगले वर्ष आप इसे रद्द करना चाहते हैं और कोई अन्य ही प्रस्ताव लाते हैं ।

मैं समझता हूँ कि श्री जसवन्त सिंह ने कल इस बात का उल्लेख किया है—मैंने उनके भाषण पर गौर किया है—कि जहाँ तक कर संबंधी कानूनों की बात है—पिछले 2 वर्षों में 333 संशोधनों से अधिक किये गये और यदि कोई व्यक्ति पिछले 40 वर्षों पर गौर करे तो शायद अब तक हजारों संशोधन किये जा चुके हैं । यदि ऐसा होता रहा तो मुझे विश्वास है कि इससे केवल दुराचार ही बढ़ेगा क्योंकि जब हम कानून का पालन नहीं कर सकते हैं, जब कर परामर्शदाता कानून का पालन नहीं कर सकते हैं तो भ्रष्टाचार या विसंगतियां आदि जो कुछ भी कहना चाहें आ जायेगी ।

अत: मुख्य बात जिस पर हमें हमेशा जमे रहने की कोशिश करनी चाहिए यह है कि जहाँ तक कर संबंधी कानूनों की बात है हमारी एक सुसंगत नीति होनी चाहिए जोकि समय-समय पर बदली जाय, हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम कराधान की प्रभावी रूप से निगरानी कर सके, तथा इस काले धन पर रोक लगा सकें जोकि हममें से अधिकांश की चिन्ता का प्रमुख कारण है जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास तथा राष्ट्र के हालात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति बार-बार यह बात कहता रहता है कि काले धन को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए और इसे मुख्यधारा में लाना चाहिए ताकि इसका और लाभकारी इस्तेमाल किया जा सके और देश इससे लाभान्वित हो सके तथा समृद्ध हो सके । लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि यह काला धन कैसे उत्पन्न हुआ । हमारे इस संबंध में कानून थे, वह नियम रहे हैं जहाँ प्रत्यक्ष कर में—आय कर—कराधान की प्रभावी दर 97.5 प्रतिशत से अधिक थी । हमारे यहाँ सम्पत्ति कर और अन्य करों को आय कर के साथ जोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए कर की दर 100 प्रतिशत से अधिक थी । इसका अर्थ है कि कोई भी यह कहेगा कि आप कर लगाइए और मेरे पास मेरी आय ही रहने दीजिए, ऐसा ही दूसरे ढंग से कहें कि सरकार आय वाला भाग अपने पास रखें और लोग कर वाले भाग को रखें । यह ज्यादा ठीक होगा । हमारे माननीय मंत्री, श्री ठाकुर कराधान के क्षेत्र से ही संबद्ध रहे हैं । अत: मुझे विश्वास है कि वह मेरी भावनाओं को और भी अच्छी तरह से समझते हैं । लेकिन जहाँ तक कराधान संबंधी कानूनों की बात है इसमें कुछ न कुछ सुसंगति होनी चाहिए ।

अब मैं काले धन के मुद्दे पर आता हूँ । हमारी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा बहुत अधिक है । जिस तरह के विभिन्न कानून और विभिन्न नियम हमारे यहाँ हैं उनसे काले धन की उत्पत्ति बन्द नहीं होगी । आपने व्यक्ति विशेष और कम्पनियों के मामले में कराधान की दर कम कर दी है । लेकिन काला धन न केवल इस प्रत्यक्ष कर की वजह से पैदा होता है बल्कि अप्रत्यक्ष करों पर भी गौर करें जैसे कि आपके यहाँ बिक्री कर होता है । बिक्री

कर भी इस काले धन का बहुत प्रमुख पहलू है । किसी राज्य में तो किसी वस्तु के लिए बिक्री कर की दर 15 प्रतिशत है । उससे लगे राज्य में उसी वस्तु के लिए बिक्री कर 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत होगा । इस 10 प्रतिशत को बचाने के लिए लोग दुराचारों में लिप्त रहने लगते हैं । वे इस सम्पूर्ण सौदे या सौदेबाजी को नम्बर दो के धन्धे से करने की कोशिश करते हैं । इसके ये पहलू भी है जिन पर यह जरूरी है कि माननीय मंत्री गौर करें । इससे काले धन की इस बुराई को रोकने में थोड़ी मदद मिलेगी ।

आपने काले धन को सफेद में बदलने के लिए कई योजनायें चलाई हैं । आपने विदेशी मुद्रा अदायगी योजना चलाई है । आपने स्वर्ण बांड योजना शुरू की, आपने भारत विकास बन्ध पत्र योजना चलाई । परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि जैसे हमने इस सभा में कई बार बात की है और जो कुछ भी जानकारी आर्थिक मामलों संबंधी पत्रिकाओं और आर्थिक सर्वेक्षण से मिलती है उसके मुताबिक यह काला धन 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक है । आप 8—10 हजार करोड़ रुपये तक भी काले धन को नहीं निकलवा सके हैं । अत: अभी तक हमारी इस आर्थिक व्यवस्था में 90,000 करोड़ रुपये या 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन चलन में है तथा इससे पुन: लगभग 10—15,000 करोड़ रुपया वार्षिक रूप से पैदा होगा । यह उसमें जुड़ता जायेगा । आप आधारभूत रूप से अपनी योजनाओं के जरिये जिस काले धन का सफाया कर रहे है वह और कुछ नहीं बल्कि देश में इस समय कुल काले धन के उपर ब्याज के बराबर है ।

और भी कई बातें हैं जिन पर मैं थोड़ा कहूँगा । आपने धारा 80-सीसीए, 80-सीसीबी, 80-एल को हटा लिया है और इन्हें आंशिक रूप से प्रारम्भिक अवस्था से ही दुबारा वापस लाये हैं । ठाकुर जी, आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं । आप सभी नियम जानते हैं । मैं समझता हूँ यह तो आम मध्यम वर्ग औसत वेतन भोगी श्रमिक के लिए है । उसे कुछ राहत चाहिए । 22,000 रुपये की छूट से आपने इस छूट की सीमा बढ़ाकर 28,000 रूपये तक कर दी है । यह दो वर्षों के लम्बे समय के उपरान्त हुआ है । जो कुछ भी फायदा उन्हें इस सीमा को बढ़ाने से हुआ है वह मुद्रास्फिती की दर से पूरी तरह साफ हो गया है ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भी अंशदान किया जाता है । ये अंशदान कतिपय अन्य योजनाओं जैसे जीवनधारा में 10 या 15 वर्षों के लिए किया जाता है । अचानक आपने इस योजना को बन्द कर दिया । उस योजना के अन्तर्गत पहले किये अंशदानों का क्या हुआ ? इससे तो इस व्यक्ति विशेष को पहले उस योजना के तहत पहले किये अंशदानों के सम्बन्ध में तो हानि हो जायेगी । उसके पास कई विचार होते हैं जिनसे वह सेवानिवृत्त होने पर या वृद्ध होने पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है । अत: जो कुछ भी लाभ उस योजना के तहत होते थे वे अब खत्म हो जायेंगे । अत: मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री धारा 80-सीसीए, 80-सीसीबी और 80-एल की मूल सीमा को बरकरार रखने की कोशिक करेंगे क्योंकि 22,000 से 28,000 रुपये तक सीमा बढ़ाने से और इन योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ को कम करने से आप 22,000 रुपये की इस वर्तमान सीमा से दी जा रही छूट को स्वत: ही कम कर रहे हैं ।

फिर नाबालिकों की आय की बात भी आती है । दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने इस मुद्दे के संबंध में पहले भी उल्लेख किया था । यह बात तो समझ में आती है यदि अवयस्कों की आय पर कर माता-पिता की आय के साथ जोड़-कर कर लगाया जाया यदि पिता या माता की वर्तमान आय को अवयस्क के नाम में कर दिया जाय । लेकिन इससे अवयस्क को उस जमा राशि पर प्राप्त ब्याज के जरिये या अन्य जरिये से जो आय होगी यह जरूरी नहीं है कि यही आय पिता या माता से उपार्जित की गयी हो । अत: माता-पिता की आय के अलावा अवयस्क की आय में कुछ राहत दी जाय तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ न्याय दे पायेंगे ।

मैं अप्रत्यक्ष कराधान और उत्पादन शुल्क पर एक या दो बातें कहूँगा । मैं संगमरमर और ग्रेनाईट के उत्पाद शुल्क के बारे में उल्लेख करूंगा । संगमरमर और ग्रेनाईट आधारभूत रूप से वे पत्थर हैं जिन्हें बाह्य तौर पर

इस्तेमाल किया जाता है और आपने उन्हें सजावटी पत्थरों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है । उच्च श्रेणी के संगमरमर और ग्रेनाईट की कीमतें लगभग एक ही होती हैं । आपको संगमरमर की सस्ती घटिया किस्म और महंगी अच्छी किस्म मिल सकती हैं तथा संगमरमर की शुल्क दर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है जबकि ग्रेनाईट के मामले में यह शुल्क 15 प्रतिशत यथा मूल्य है । अत: कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे संगमरमर और ग्रेनाईट दोनों को एक ही वर्गीकरण के अन्तर्गत लाया जा सके । यदि ग्रेनाईट ज्यादा महंगा पत्थर है तो यथा मूल्य के बजाय इसे 15 रुपये या 25 रुपये या 30 रुपये या 35 रुपये या जो कुछ भी न्यायोचित हो किया जा सकता है । लेकिन यथा मूल्य ढांचे के तहत इसे संगमरमर की तरह के विशेष शुल्क ढांचे के अनुरूप लाया जा सकता है ।

एक बात पर मैं स्वार्थवश कुछ कहूँगा । मैं माननीय मंत्री श्री ठाकुर को बीड़ी उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा । मैं बीड़ी उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसीलिए मेरा इसमें एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है । बीड़ी निर्माताओं द्वारा 20 लाख या कम वार्षिक दर से बीड़ी बनाने पर इस शुल्क में छूट दी जाती है । अब मूल रूप से यह छूट बड़े और छोटे औद्योगिक क्षेत्रों किसी भी वस्तु के लिए दी जाती है ताकि इनमें एक आर्थिक मापदंड सुनिश्चित किया जाये जबकि बीड़ी उद्योग में केवल हाथ से ही कार्य होता है । आप ऐसे राज्य से संबद्ध है जहाँ काफी अधिक बीड़ी उत्पादन किया जाता है । यदि बीड़ी उत्पादन की दर 20 लाख बीड़ी प्रतिवर्ष है तो इसका मतलब है कि कम्पनी 10 मजदूरों से ज्यादा को रोजगार नहीं दे रही है जबकि औसत बीड़ी कारखाने के हिसाब से 200 से 300 मजदूरों से कम नहीं होने चाहिए । यह तो सबसे छोटी बीड़ी निर्माण इकाई है । अत: इन खामियों की वजह से जो दुराचार हो रहा है और सरकार को जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर गौर किया जाना चाहिए । 20 लाख या कम की दर से बीड़ी निर्माण के संबंध में छूट देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ आर्थिक मापदंड का प्रश्न ही नहीं है चाहे यह बड़ा या छोटा बीड़ी निर्माता हो । यह इसलिए क्योंकि वे हाथ से काम चला रहे हैं । अत: मैं समझता हूँ कि यह छूट अनावश्यक है ।

मैं सरकार से यह अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि वह चेल्लय्या रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करे जिसे अब तक आंशिक रूप से लागू किया गया है ताकि कर सम्बन्धी सुधारों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके ।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का संबंध है, उनके लिए विशेष विकास की जरूरत है लेकिन औद्योगिक नीति में नए उदारीकरण से पिछड़े क्षेत्र के लोगों को औद्योगिकरण से कोई लाभ नहीं मिलेगा । इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कुछ राहत दें ताकि लोगों को ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहन मिले । अन्यथा, महाराष्ट्र में मेरा निर्वाचन क्षेत्र भंडारा, माननीय सभापति का निर्वाचन क्षेत्र और श्री मनोरंजन भक्त का निर्वाचन क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और अन्य पिछड़े व मूरदराज के क्षेत्र विकास के अभाव में समय बीतने के साथ-साथ बुरी तरह प्रभावित होंगे । इसलिए मैं पुरजोर आग्रह करता हूँ कि कर व्यवस्था का पुनर्गठन करके और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में रियायतें देकर इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए ।

4.13 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्य योजना

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जब वर्तमान सरकार ने जून, 1991 में कार्य-भार संभाला तो पर्यटन उद्योग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भारी संकट आया हुआ था । वर्ष के प्रारंभ में खाड़ी युद्ध के शुरू होने से न केवल भारत में अपितु समूचे विश्व में पर्यटकों का आना जाना अस्त व्यस्त हो गया था । पूर्वी यूरोप की घटनाओं और देश के कुछ भागों में अशांत हालात होने, आम चुनावों और श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या होने से पर्यटकों के आगमन में अधिकतम गिरावट आई ।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की अत्यधिक महता को स्वीकारते हुए सरकार ने परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक उपाय आरम्भ किए ।

एक टूरिज्म थिंक टैंक गठित किया गया जिसमें पर्यटन उद्योग के सभी भाग यात्रा व्यवसाय, होटल मालिक, पर्यटक ट्रांसपोर्टर और यात्रा प्रचार माध्यम थे ताकि स्थिति का जायजा लेकर पर्यटन के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि के लिए कार्य योजना का खाका तैयार किया जा सके । ऐसा, इस उद्योग के प्रतिनिधिक समूहों के भागीदारों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था और नीति बना कर ऊपर से थोपना नहीं था । इसके लिए अनेक बैठकें आयोजित की गई और पर्यटन उद्योग से प्राप्त सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चा की ।

— चूंकि राज्य सरकार को पर्यटन के संवर्धन एवं विकास में एक निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, इसलिए भविष्य में पर्यटन के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में उनकी राय जानने के लिए दिसम्बर 91 में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी । बैठक में सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित किए गये जिनमें पर्यटन कार्य योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए ।

— पर्यटन कार्य योजना के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार के बहुत से मंत्रालय सम्मिलित हैं । मैंने स्वयं पर्यटन व्यवसाय को केन्द्रीय स्तर पर पेश आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढने के बारे में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और गृह मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया है । पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में कई सुझावों को सम्मिलित भी कर लिया गया है ।

— पर्यटन की कार्य योजना, जिसे मैं सभा-पटल पर रखने जा रहा हूं, इन सभी प्रयासों का परिणाम है । यह एक संकल्पनात्मक ढांचा है, जिसमें उन सभी बातों पर मोटे तौर पर बल दिया गया है जो 90 के दशक के रूचिकर एवं रोमांचक गंतव्य के रूप में भारत की छवि सुधारने के लिए आवश्यक है । पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के मुख्य लक्ष्य ये हैं :—

- आगामी पांच वर्षों में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को विश्व पर्यटन में 0.4% से बढ़ा कर 1% करना ।

- 1990-91 में पर्यटन से हुई 2,440 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय को इस शताब्दी के अंत तक बढ़ा कर 10,000 करोड़ रु० करना ।

- रोजगार के अवसरों को मौजूदा 14 मिलियन नियोजित व्यक्तियों (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों) से बढ़ा कर इस शताब्दी के अंत तक दुगुना करना ।

- स्वदेशी पर्यटकों, विशेष रूप से मितव्ययी श्रेणी के लिए सुविधाओं में सुधार करना तथा उनका विस्तार करना ताकि वे अपने बजट में अपनी छुट्टियां मना सकें ।

- पर्यावरण का संरक्षण करना तथा इसे समृद्ध बनाना और इसे पर्यटन विकास का एक अनिवार्य अंग बनाना ।

- पारम्परिक छवि को बरकरार रखते हुए, पर्यटन उत्पादों को, विशेष रूप से सावकाश, रोमांचक, समागम तथा प्रोत्साहन पर्यटन को प्रेरित किया जाएगा ।

माननीय सदस्य निम्नलिखित उन महत्वपूर्ण विषयों को नोट करना चाहेंगे जिन पर कार्य योजना में बल दिया गया है :—

- **पर्यटन आधारिक संरचना का सुधार**

  आगामी तीन वर्षों में होटलों की 44,400 होटल कमरों की वर्तमान क्षमता को दुगुना करने के प्रयास किए जाएंगे । विशेष क्षेत्र में और विशिष्ट गंतव्य-स्थलों पर, एक, दो और तीन स्टार श्रेणियों के लिए ब्याज इमदाद को बढ़ा कर 5% किया जाएगा ताकि उनके विकास को प्रोत्साहित किया जा सके ।

- **हैरिटेज होटलों का संवर्धन**

  बड़ी संख्या में ऐसी हवेलियां, किले और महल हैं जिन्हें हैरिटेज होटलों में तबदील किया जा सकता है जो न केवल विदेशी/स्वदेशी पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि इनसे ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों की आय में वृद्धि भी होगी । इस राष्ट्रीय विरासत का आर्थिक उपयोग करने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

- **स्वदेशी पर्यटन**

  आर्थिक कार्यकलाप को गति प्रदान करने और सांस्कृतिक तथा भावात्मक एकता का संवर्धन करने के लिए देश के अलग-अलग भागों में स्वदेशी पर्यटन के प्रवाह का संवर्धन एवं विकास करने हेतु अनेक उपायों को शामिल किया गया है ।

- **तीर्थाटन**

  तीर्थाटन कम बजट वाले स्वदेशी यात्रियों का एक महत्वपूर्ण भाग है । सरकार ने तीर्थ केन्द्रों का विकास करने के लिए आवासीय सुविधाओं, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, आधार-संरचनात्मक सहायता और परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने हेतु विशेष स्कीमें निर्धारित की हैं ।

- **यात्रा व्यवसाय**

यात्रा व्यवसाय द्वारा पर्यटन संवर्धन संबंधी कार्यकलापों में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा प्रचालकों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं को कारगर/उदार बनाया जाएगा ।

- **मानव संसाधन विकास**

देश में प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पाक संस्थान स्थापित किया जाएगा । क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए होटल प्रबंध तथा केटरिंग तकनालाजी के क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे । विश्वविद्यालयों को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता लेकर पर्यटन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

- **समागम पर्यटन**

समागम तथा सम्मेलन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में पूर्णत: एकीकृत समागम परिसर स्थापित किए जाने चाहिएं । सरकार ये प्रयास करेगी कि एक समागम शहर की स्थापना की जाए जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों ।

- **व्यापार मेले**

भारत में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए एक पर्यटन व्यापार मेला 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा ।

- **विदेशी पूंजी निवेश**

उदार औद्योगिक नीति के अनुरूप, विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है ताकि होटल तथा पर्यटन संबंधी उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश का संवर्धन किया जा सके ।

- **गंतव्य-स्थलों का विपणन**

भारत का एक सामान्य गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धन करने की बजाए, अब देश के अलग-अलग भागों के 15 विशिष्ट परिपथों/गंतव्य-स्थलों पर ही विपणन संबंधी प्रयास केन्द्रित रहेंगे जो न केवल एकीकृत विकास के लिए बल्कि विदेशों में प्रचार एवं संवर्धन हेतु भी होंगे ।

- **विशेष पर्यटन क्षेत्र**

देश के अलग-अलग भागों में कुछ विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक नई स्कीम शुरू की जा रही है । विशेष पर्यटन क्षेत्र परिभाषित क्षेत्र होंगे जिनमें होटलों, पर्यटक परिसरों, खेलों एवं मनोरंजन सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए कर रियायत तथा वित्तीय प्रोत्साहनों सहित एकीकृत आधारभूत सुविधाएं होंगी । यह स्कीम उन्हीं राज्यों में लागू की जाएगी जो इस परियोजना को फलने फूलने और विकसित करने के लिए अधिकतम रियायतें देने के इच्छुक हैं ।

- **सांस्कृतिक पर्यटन**

  पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर्यटकों को भारत की समृद्ध विरासत की पूरी जानकारी दिलाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की बहुआयामी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का विकास करने का प्रयास करेगी ।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तभी सफल हो सकती है जब केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और पर्यटन के विकास और संवर्धन में लगे निजी व्यवसायी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे ।

मैं आपको यह भी बता दूं कि विगत कुछ महीनों में हमने इस कार्य योजना के कुछ पहलुओं को कार्यान्वित किया है । मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि इन प्रयासों के परिणाम मिलने लगे हैं और अक्तूबर 1991 से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है जो दिसम्बर, 1991 में 2,03,000 पर्यटकों के आगमन सहित अपनी चरम-सीमा पर थी जो कि अपने आप में अब तक का रिकार्ड है । अप्रैल 1992 के आंकड़े भी अपने आप में रिकार्ड हैं चाहे इनकी तुलना अब तक के सर्वोत्तम पर्यटक वर्ष 1989 से ही क्यों न की जाए ।

अत: पर्यटन का विकास करने के लिए हमारा आशावादी होने का ठोस आधार है । हमें निरंतर आपके परामर्श तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी ताकि पर्यटन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहे और इसे राष्ट्रीय एजेंडा में अपना वास्तविक स्थान मिले ।

मुझे पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को सदन के पटल पर रखते हुए प्रसन्नता हो रही है । **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०—1919/92]** भारत में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए एक सुपरिभाषित एवं विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का यह एक निष्ठापूर्ण प्रयास है ।

4.45 म० प०

वित्त विधेयक, 1992—जारी

सभापति महोदय : अब हम इस पर वाद-विवाद जारी रखेंगे । श्री जनार्दनन ।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की तरफ से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं ।

प्रारम्भ में मैं इस पुनीत सभा की जानकारी हेतु हमारे राजनैतिक संरक्षक अन्ना के कहे गए शब्दों को उध्दृत करता हूं : "भारत एक गरीब देश नहीं है लेकिन भारतीय गरीब हैं ।"

इसके अलावा तीस वर्ष पूर्व 1962 में हमारे अन्ना ने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व यह कहा था, "अगर तमिलनाडु को पांचवी योजना में एक हजार करोड़ रुपये दिए जाएं तो मेरी पार्टी आम चुनाव नहीं लड़ेगी ।" उन्होंने यह 1962 में कहा था । इस प्रकार अगर तमिलनाडु को एक हजार करोड़ रुपये दे दिए जाते तो मैं नहीं जानता कि हमारी पार्टी का क्या होता । हजार करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि है ।

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनैतिक नेता अन्ना पर एक मजाक भी किया था। उस समय हजार करोड़ रुपये तो बहुत बड़ी राशी थी परंतु अब लाखों और करोड़ों रुपये अब खर्च होते हैं। अब दसवीं लोकसभा है। लेकिन अभी भी गरीबी समाप्त नहीं हुई है और काफी सुधार की आवश्यकता है।

अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक सही वित्त मंत्री पाया है। तिरूक्कूरल में एक कहावत है :

इथानाइ इथानाल इवान मुडिक्कुम एंड्र आईड्र अहानार अवानकान विडाल।

इस प्रकार वह श्रेष्टतम वित्त मंत्री हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही निर्वहन कर सकता है उसे ही चुना गया है और वह श्री मनमोहन सिंह हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि श्री मनमोहन सिंह श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं? ऐसा इसलिए है कि श्री पालकीवाला ने जहां तक तीसरी बात संसद सदस्य होते हुए मुझे यह मालूम है कि जिसने आज तक किसी भी वित्त मंत्री की प्रशंसा नहीं की, उनकी प्रशंसा की है।

अब मैं सीधा विषय पर आता हूं। डा० राजा चलैय्या तमिल हैं। वह मेरे पड़ोसी गांव से हैं। उनका जन्म कोविलपट्टी में हुआ था। उनकी सिफारिशे वास्तव में अच्छी हैं।

डा० राजा चेलैय्या की अध्यक्षतावाली कर सुधार समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में टायरों, कपड़ों और तम्बाकू जैसी अधिकांश वस्तुओं के लिए मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क ढांचे का विशिष्ट और मूल्यानुसार शुल्कों के मिले जुले ढांचे की सिफारिश की थी।

यद्यपि डा० मनमोहन सिंह ने संसद में घोषणा की थी कि उन्होंने समिति की सिफारिशें मान ली हैं, लेकिन हमें इस बात से निराशा हुई है कि इन्हें लागू करने के लिए कुछ भी सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। हम सिगरेट के पैकेट पर यह छाप रहे हैं "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और इसलिए मैं इस उद्योग को ऐसा उद्योग मानूंगा जो कि हानिकारक है। सरकार इस उद्योग को और अधिक धनराशि अर्जित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रही है। यहा इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी से अधिक धनराशि अर्जित कर रही है। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान संशोधन हेतु इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क से संबंधित एक सूचना दी है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और 29 अप्रैल के लोकसभा के बुलेटिन में प्रकाशित हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 1987 से पूर्व सिगरेट उद्योग किस प्रकार कार्यरत था और उत्पाद शुल्क में वृध्दि के बावजूद अब यह कैसे चल रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (1985) पर अप्रत्यक्ष कर जांच समिति तथा तकनीकी अध्ययन ग्रुप ने सरकार से सिफारिश की थी कि आमतौर पर यह प्रयास होना चाहिये कि पूर्णत: विशिष्ट शुल्क की बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मूल्यानुसार ढांचा हो या विशिष्ट तथा मूल्यानुसार ढांचा अपनाया जाए ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत में अन्तर बनाए रखा जा सके।

प्रो० राजा जे० चेलैय्या की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और कर सुधार समिति का मत था कि सरकारी राजस्व के हित में सरकार को मूल्यानुसार शुल्क ढांचा अपनाना चाहिये जिससे विनिर्माताओं के असीमित लाभ (स्थिति का अनुचित लाभ) पर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेगा। कर सुधार समिति ने शुल्क की विशिष्ट दर के मौजूदा पध्दति तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मूल्यानुसार ढांचे अथवा विशिष्ट तथा मूल्यानुसार के मिले जुले ढांचे के गुणों-अवगुणों पर विस्तृत चर्चा भी की थी जैसा कि डा० राजा चेलैय्या रिपोर्ट से पृष्ठ 113 पर और वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के अध्ययन दल की रिपोर्ट में भी कहा गया है।

सभी सिगरेट विनिर्माताओं को वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एक सरकारी एजेंसी ने सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा है कि 1987 से पूर्व सभी सिगरेट विनिर्माताओं के लाभ 1987 के बाद अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं और सिफारिश की कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ढांचे की समीक्षा की जाए ।

कर सुधार समिति ने "विशिष्ट शुल्क को मूल्यानुसार शुल्क दर में बदलना" शीर्षक के तहत इस प्रस्ताव के गुणों पर आगे चर्चा की है ।

इसी प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (1985) पर तकनीकी अध्ययन दल ने भी सिफारिश की थी "कि समीक्षा को लचीला बनाने के लिए दल पूर्णत: विशिष्ट शुल्क की बजाय विशिष्ट तथा मूल्यानुसार शुल्क के मिले-जुले ढांचे की सिफारिश कर सकता है ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य में अन्तर को उचित महत्व मिले । यहां मैं एक उदाहरण दे सकता हूं । 1987 में 10 सिगरेटों के एक पैकेट का मूल्य 1 रुपया 70 पैसे तय किया गया था लेकिन इस पर शुल्क 1 रुपया 25 पैसे था । इस प्रकार शुल्क दर 73 प्रतिशत है । उन दिनों में यह सबसे सस्ती सिगरेट थी । सबसे महंगी सिगरेट 5 रुपये 50 पैसे की थी और उस पर 4 रुपये शुल्क था । आजकल शुल्क 72 प्रतिशत है । लेकिन आज उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने के बाद मौजूदा शुल्क 62 से 63 प्रतिशत रह गया है । इस प्रकार सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है चाहे यह 60 मि० मि० का हो या 10 मि० मि० हो अथवा 70 मि० मि० हो । इसलिए सिगरेट की लम्बाई का अन्तर रखने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आप अधिक अर्जित नहीं कर सकते: इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं । इस चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 1987 तक सिगरेट कम्पनी के लाभ की सीमा बहुत कम थी और इसके बावजूद सभी सिगरेट कम्पनियां अच्छा लाभ कमा रही थीं और फलफूल रही थीं लेकिन आज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने के बावजूद विभिन्न ब्रांडों पर छपे हुए मूल्य पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का प्रतिशत 57.9 प्रतिशत से लगभग 70 प्रतिशत हो गया है । कर सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए विशिष्ट ढांचे के अवगुणों पर विस्तार से विचार किया है और पैरा 9.24 तथा 9.25 में इन बातों का उल्लेख है और विनिर्माताओं द्वारा गलत घोषणा के द्वारा कर चोरी का स्पष्ट मामला बनाया है और कहा है कि मूल्यांकन के विवाद को हल करने की प्रक्रिया के दौरान अन्तत: वर्गीकरण विवाद सुलझाये जा सकेंगे ।

मैंने सरकारी राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से संशोधन विधेयक पेश किया है और इस समय प्रवृत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दर को बनाए रखते हुए लोक हित को ध्यान में रखा है, लेकिन विशिष्ट और मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क दर के मिले जुले ढांचे को लागू करने से अभिप्राय है कि सिगरेट विनिर्माताओं द्वारा खुदरा मूल्यों में और वृध्दि करने से 75 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क देय होगा । इसका मतलब है कि मौजूदा व्यवस्था भी बदले बिना ही सिगरेट विनिर्माताओं को बढ़े हुए मूल्य का 75 प्रतिशत सरकारी खजाने को देना होगा और 25 प्रतिशत उनके पास रहेगा ।

यह तरीका 1) मूल्यों पर नियन्त्रण रखेगा, 2) सिगरेट विनिर्माताओं के असीमित लाभ पर नियन्त्रण के रूप में कार्य करेगा, 3) विवाद के बगैर सरकार के राजस्व में वृध्दि होगी ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री लोक हित में मेरे सुझाव को मान लेंगे और यह सरकार के लिए लगभग कुछ सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटा सकते हैं और इस बारे में विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी में मित्रों को खुश करने के लिए आयकर सीमा बढ़ाने के लिए या आम आदमी को राहत देने के लिए उस राशि का उपयोग किया जा सकता है ।

इसके साथ ही मैं वस्त्र उद्योग की बात शुरू करता हूँ । सूती वस्त्र उद्योग में 10' एस, 20' एस, 30' एस मीडियम काउन्ट और लौ काउन्ट के लिए बजट से पहले उत्पाद शुल्क 0.375 रुपये प्रति किलो था । आज यह 0.65 रुपये प्रति किलो है यह पहले से 73 प्रतिशत अधिक है । 30' एस काउन्ट धागे के लिए यह पहले से 204 प्रतिशत अधिक है । ये सूती धागे के वे लौ काउन्ट हैं जिसे आम आदमी इस्तेमाल करता है अर्थात जिसे जनता कपड़ा कहते हैं । 60' एस काउन्ट के लिए उत्पादन शुल्क को 28 प्रतिशत घटा दिया गया है । अत: जिस बजट में गरीब लोगों के कल्याण की बात होती है, उसमें गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले मीडियम काउन्ट सूती धागे पर उत्पाद शुल्क कम किया जाना चाहिए । अत: उद्योग के हित में इस पर पुन:विचार किया जाना चाहिए । सम्पूर्ण वस्त्र नीति पर पुन: विचार किया जाना चाहिए ।

1992 में वस्त्र उद्योग संकट में था । विश्व युद्ध के दौरान 1942 में अवैध रूप से वस्त्र उद्योग लगाये गये । अब 50 वर्षों के बाद यह पुन: संकट में है । जब हम यहाँ अगले सत्र में मिलेंगे तो हमें वस्त्र नीति पर काफी हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा ।

आप नवम्बर 1991 में कपास का निर्यात कर रहे थे लेकिन फरवरी 1992 में आपने आयात की अनुमति दे दी । आपने अब सूती धागे का निर्यात बंद कर दिया है । इससे तमिलनाडु की वस्त्र कताई मिलों पर फर्क पड़ेगा । आखिर आपने केवल 4 प्रतिशत निर्यात किया है जबकि चीन और पाकिस्तान इसका 36 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं । वे अब हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी है । अंतत: इन सभी बातों पर विचार करते हुए वस्त्र नीति की पुन: समीक्षा की जानी चाहिए और कपास तथा सूती धागे की आयात और निर्यात नीति की सरकार द्वारा पुन: समीक्षा की जानी चाहिए ।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारी मुख्य मंत्री डा० पुरतची थैलावी जयललिता ने सेतुसमुद्रम परियोजना को आठवीं योजना में शामिल करने का अनुरोध किया था । यह न केवल तमिलनाडु के ही हित में है बल्कि सारे देश के हित में है । अन्यथा 1962 में हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ हमारी जो समस्यायें थीं वही हमें 1992 में समुद्री तट के साथ मिलेंगी । अत: सेतुसमुद्रम परियोजना भारत की प्रतिरक्षा के साथ-साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है ।

केन्द्रीय सरकार ने हमें 20 करोड़ रुपये की लागत वाले एरोमेटिक संयंत्र के लिए अनुमति दी है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को सहृदय धन्यवाद दिया है । मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि सेतुसमुद्रम परियोजना को आठवीं योजना में शामिल किया जाए । यह अलग बात है कि इसे ज्यादा से ज्यादा 2060 या 2500 तक शुरू किया जा सकता है । यदि आप इसे योजना में शामिल नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल भी आयोजना नहीं कर रहे हैं । यह बहुत दुख की बात है कि आप बिल्कुल भी आयोजना नहीं कर रहे हैं । यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं यहाँ थिरुवेलूवर का नाम ले सकता हूँ । आपके अधिकारी जो कुछ भी कहें, वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है । हमारे नेता अब हमारे साथ नहीं हैं । हमने अपने नेता श्री राजीव गांधी को खोया है । जिनकी वजह से क्या हमने उसे खोया है ?

एक अन्तिम बात आप भविष्य के लिए समझ लें । सेतुसमुद्रम परियोजना भारत के लिए जरूरी है और इसलिए इसे आठवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए ।

जैसे कि हमारे कांग्रेस के एक माननीय संसद सदस्य ने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कुछ भी योजना बनाये, आप चाहे चन्द्रमा पर जायें, कोई भी परियोजना लगाये हमारी जनता जिन्होंने दिल्ली ही नहीं मद्रास भी नहीं देखा है उन्हें चावल और गेहूँ चाहिए । मै संसद के लिए तीन बार निर्वाचित हुआ हूँ । लोग चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल और गेहूँ सप्लाई किया जाय । ये चीजें उन्हें कम से कम कीमत पर सप्लाई की जानी चाहिए । यह नीति श्री राजीव गांधी द्वारा अपनायी गयी थी ।

उन्होंने कपास की केवल दो लाख गांठों का निर्यात किया था । लेकिन सबसे गलत कार्य श्री देवीलाल ने किया जब उन्होंने 13 लाख टन गेहूं का निर्यात किया । भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । ऐसा कभी नहीं हुआ था। ।

5.00 म०प०

अब हम उसका नुकसान उठा रहे हैं । कृपया वस्त्रों के आयात-निर्यात की नीति में राजीवजी के मार्ग का अनुसरण करें । केवल 1985-86 में श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान विश्व के अन्य भागों को भारतीय सूत का निर्यात किया गया था । वर्तमान वस्त्र नीति जिसका पालन आप आयात-निर्यात के मामले में कर रहे हैं उसमें संशोधन किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं काले धन के बारे में कुछ कहूँगा । मैं केवल भारत में ही काला धन शब्द सुन रहा हूं । सिंगापुर, जापान, लन्दन या अमरीका में वे केवल डालर, येन या स्टर्लिंग कहते हैं और वे इसे काला धन नहीं कहते हैं । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था अर्थात 1942 में, 50 वर्ष पहले इस काले धन की उत्पत्ति हुयी थी । क्या हमें इस पैदा हुए काले धन की वजह से जो कि अभी तक चलन में है बेइज्जत नहीं होना पड़ता है ? हम 50 वर्षों के बाद भी इस काले धन को समाप्त नहीं कर पाये हैं ।

दूरदर्शन कार्यक्रम 'मनी मैटर्स' के अनुसार हमारे देश में 15 मिनट में एक करोड़ रुपये मूल्य के काले धन की उत्पत्ति होती है । प्रत्येक घंटे हमारे यहाँ 4 करोड़ रुपये मूल्य के काले धन की उत्पत्ति होती है । इसकी टेलीविजन पर घोषणा की गयी है ।

मेरे कांग्रेसी मित्रों ने बीड़ी उद्योग जिसमें केवल हाथ से काम किया जाता है के बारे में कहा है और हमारे तमिलनाडु में माचीस की तीली केवल हाथ से बनाई जाती है । हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर इसके बारे में विस्तार से जानते हैं । हमारी मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु की विधान सभा में कहा था तथा केन्द्र सरकार को हाथ से बनी छोटी माचिस की डिब्बियों पर उत्पाद शुल्क हटाने की सिफारिश की थी । अब लगभग 10 से 12 लाख माचिस की डिब्बियों के बण्डल उत्पाद शुल्क की समस्या से बिना बिक्री के पड़ी हैं । ये माचिस की तीली का उद्योग मुख्यत: तमिलनाडु के पांच जिलों में हैं जैसे कामराजार जिला, चिदम्बरानार, पोत मुथुर मल्लिंगम, तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम जिले, वे सभी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे । इन जिलों का नाम हमारे नेता स्वर्गीय एम० जी० आर० द्वारा उनके नाम पर रखे गए । हमने एक विश्वविद्यालय का नाम भी कामराजार के नाम पर रखा है । अत: तमिलनाडु में कामाराजार का नाम तीन हजार साल के बाद तक भी स्मरण किया जाता रहेगा । अत: हमने कामराजार के नाम को इतना महत्व दिया है । श्री एस अन्बरासू अनुरोध कर रहे हैं कि एक रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाय । डा० पुरात्वी थालावी जयललिता ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह सेतुसमुद्रम परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करें ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : 29 फरवरी को जब वित्त मंत्री ने बजट और वित्त विधेयक पेश किया था तो सब जगह इसका स्वागत किया गया था । वास्तव में यह भाषण दूरदर्शन द्वारा सारे भारत और सारे राष्ट्र में देखा और सुना गया । भारत की जन संख्या के उस वर्ग ने भी इस बजट का स्वागत किया जो इसके परिणामों के बारे में नहीं जानता था । मैं तो कहूंगा कि इस प्रसन्नता की तुलना उस खुशी से की जा सकती है जब विवाह के बीस वर्षों के बाद किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है । इसी तरह सब जगह कुछ लोगों ने नये बजट का स्वागत किया । **(व्यवधान)** ।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : आप तो हिन्दी में बोल सकते हैं, हिन्दी में बोलिये ।

श्री राम नाईक : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये 20 साल की शादी के बाद, जिस घर में कोई एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनायी जाती है, कई लोगों को इसमें वैसा ही लगा लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जिन्हें थोड़ी इसकी जानकारी है, उन्होंने कहा कि ऊपर-ऊपर से देखने में यह बजट बहुत अच्छा लगता है—लेकिन जो चमकता है, वह हमेशा सोना ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है । इसीलिये हमने बताया कि इसमें सामान्य आदमी के लिये, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिये कुछ नहीं है । हमने कहा कि इसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होगी । सामान्य आदमी बढ़ती हुई कीमतों के कारण आज दबा जा रहा है और वह कितना दबा जा रहा है, आज रुपये की कीमत 1947 के रुपये की कीमत की तुलना में 10 पैसे भी नहीं रह गयी है । इसलिये जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, रुपये की कीमत लगातार कम हो रही है तो ऐसे समय पर टाइम्स ऑफ इण्डिया में एक कार्टूनिस्ट हैं—लक्ष्मण—उनके चित्र हम हर रोज देखते हैं । लक्ष्मण ने एक कार्टून के जरिये 29 फरवरी को जब बजट यहां पेश किया गया, उसके बाद 9 मार्च को अपना पहला कार्टून निकाला, जो इस बजट के बारे में था । उन्होंने लिखा कि जब मैं इस बजट का विश्लेषण करता हूं, कार्टून के नीचे उन्होंने लिखा, जिसे मैं पहले इंग्लीश में बताना चाहूंगा, पढ़ता हूं, 9 मार्च को उनका जो कार्टून निकला, लक्ष्मण अपने कार्टूनों के कारण सारी दुनिया में मशहूर हैं, कार्टूनिस्ट हैं, व्यंग चित्रकार हैं, उन्होंने ऐसा बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा, पहले दिन उनको लगा —

[अनुवाद]

"पहले दिन ही यह वास्तव में काफी महान लगा ।"

[हिन्दी]

दूसरे दिन उनको लगा—

[अनुवाद]

"दूसरे दिन थोड़ा चौकाने वाला लगा ।"

[हिन्दी]

उन्होंने लिखा कि इसमें जरूर कोई धोखा है । इसमें सब कुछ अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं है, और

[अनुवाद]

"और आज यह इतना भयभीत करने वाला लगता है कि मुझे बजट पूर्व की ही अच्छी आर्थिक स्थिति ठीक लगने लगती है ।"

[हिन्दी]

छः-सात दिन बाद उनको लगा कि इससे पहले बजट के पूर्व जो स्थिति थी, वही अच्छी थी । इस बजट ने सामान्य जन को कोई नई चीज़ दी, ऐसा उन्हें नहीं लगा । इसलिये उन्होंने लिखा कि पहले से गम्भीर स्थिति इस बजट ने पैदा कर दी है । आज उस बजट को यहां पेश किये हुए दो महीने से ज्यादा हो गये हैं और इस बजट के सम्बन्ध में लोगों की जो धारणा थी, वह गलत धारणा अब बिल्कुल साफ हो गयी है कि इस बजट में आम आदमी के लिये, मध्यम वर्गीय लोगों के लिये कुछ विशेष प्रावधान नहीं हैं । इस तरह की धारणा आज लोगों के मन में पैदा हो गयी है ।

सभापति जी, जिस दिन यहां गिलोटिन लग रहा था, सदन ने 5 मिनट के अंदर, दो लाख 33 हजार करोड़ रुपये की मांगों को अपनी मंजूरी दे दी, उस समय मेरे मन में यह आ रहा था कि अब स्थिति क्या बनेगी । मध्यम वर्गीय लोगों के साथ-साथ जो बुद्धिमान लोग हैं, विचारक हैं, उनके विरुद्ध भी हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने, अर्थ मंत्री ने एक युद्ध छेड़ दिया है, जब हम इस बजट का विश्लेषण करते हैं तो वैसी स्थिति हमें उसमें दिखायी देती है । इसलिये मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अर्थ मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि वे थोड़ा, अपने मित्रों के साथ-साथ, हमारे भाषण की ओर भी ख्याल रखें । एक कान उनका उधर और एक कान हमारी ओर होगा, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूं ।

मुझे ऐसा लगता है कि गये साल जब फाइनैंस बिल पर मैंने यहां भाषण दिया था, उस समय बजट के संदर्भ में अपने कुछ सुझाव दिये थे । उन सुझावों को संक्षेप में, मैं यहां फिर दोहराना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव था कि कोआपरेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसायटीज़ पर जो आपने इन्कम टैक्स लगाया है, वह ठीक नहीं है, उसे वापस लिया जाना चाहिये । दूसरा सुझाव मैंने दिया था कि बैंकों में जो लोग अपना डिपौजिट रखते हैं, उस पर मिलने वाले ब्याज पर उन्हें इन्कम टैक्स देना पड़ता है, उस ब्याज को इन्टरैस्ट देते समय ही डिडक्ट करना चाहिये, काट लेना चाहिये, इस प्रकार का कानून था । हमने उसका विरोध किया । तीसरा सुझाव हमने यह दिया था कि जो एअरकण्डीशन्ड होटल्स है, उन पर आपने जो टैक्स लगाया, वह भी ठीक नहीं है । चौथी बात हमने कही थी कि ग्लास मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री पर जो आपने टैक्स लगाया, वह भी बराबर नहीं है । उस समय तो मंत्री महोदय ने उसका बड़ा जोरदार समर्थन किया, लेकिन इस बजट में आपने, बजट पेश करते समय, हमने जो चार मांगे, गये साल बड़े आग्रहपूर्वक आपके सामने रखी थीं, आपने मान लिया कि हमारा कहना ठीक था । इसलिये मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम, जैसा गये साल आपने कहा, 7-8 महीने बाद हमारी बात मान ली, इस बार भी 7-8 महीने का समय न बिताते हुए, आप जरा हमारी बातों का ख्याल रखें, जब आप जवाब दें तो किसी बात को 7-8 महीने बाद मंजूर करने के बदले, तुरन्त यदि आप उन बातों पर ख्याल करके निर्णय ले लें तो मुझे लगता है कि देश की दृष्टि से वह अधिक अच्छा होगा । और उसको कोई प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर, आपको इसके बारे में फैसला करना चाहिए ।

अब आपने 30 तारीख को जो कुछ सुविधाएं दीं, एक बयान दिया, अगर उन सारी बातों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको आप सुविधा देना चाहते हैं, जो काला पैसा कमाने वाले हैं, उनको आप सुविधा देना चाहते हैं ताकि वे अपने काले पैसे को सफेद कर सकें, इसके लिए आपके पास योजना है और साथ-साथ जो स्मगलर्स, गलत ढंग से इस देश में माल लाते हैं, उनके लिए भी आपके पास कुछ योजना है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिसकी पगार की आय है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने केवल 7 हजार रुपए की सुविधा इधर-उधर कर के दी और उसके अतिरिक्त आपने उसे कुछ नहीं दिया । मध्यम वर्ग देश की जो वैचारिक हड्डियां हैं, जो देश की रीढ़ होते हैं, उनकी आपने बहुत उपेक्षा की है । इतनी उपेक्षा उनकी आपको नहीं करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मध्यमवर्गीय परिवार को सुविधा देने के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं । इन्कम टैक्स की एक्जम्पशन लिमिट जो आपने 28 हजार रुपए, इधर-उधर करके की है, वह बढ़नी चाहिए । इसका कारण यह है कि जब हम आज रुपए की वैल्यू मूल्य पर विचार करते हैं, तो यह इन्कम टैक्स लिमिट ज्यादा होनी चाहिए । पिछले साल के मुकाबले कीमतें बहुत बढ़ी हैं और रुपए की वास्तविक कीमत बहुत कम हो गई है । इसलिए हमने आपको एक अमेंडमेंट दी है, यह जो आयकर की सीमा है यह 48 हजार रुपए तक आप को बढ़ानी चाहिए । इसके सारे कारणों में मैं दुबारा नहीं जाऊंगा, उनका दुबारा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा । बढ़ती हुई कीमतें और मुद्रास्फीति आदि ये सारी बातें हैं, जिनके कारण यह आयकर की सीमा 48 हजार रुपए होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जो आपने इन्कम टैक्स की सैकिंड स्टेज रखी है 50 हजार रुपए की, उसे आप 75 हजार रुपए करें । तीसरी जो एक लाख रुपए की स्टेज रखी है, वह सही है, उसे एक लाख ही रहने दें । फिर कितना टैक्स होना चाहिए इसके बारे में हमने आपको सुझाव दिए हैं । अगर उनको आप मंजूर करेंगे, तो मध्यम वर्गीय परिवार अपना गुजारा चला सकेंगे । जो पगार वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर इस प्रकार का हमला करना, वह भी बार-बार, यह अच्छा नहीं होता है ।

अभी मुझे लगता है कि आपने 7 हजार रुपए की छूट और दी है । वह 80 एल और 80 सी०सी०बी० आदि के अन्तर्गत । मैं इन सब धाराओं में न जाकर सिर्फ एक ही सीधी-सादी बात कहना चाहता हूं कि आपने जो पिछली बार टैक्स कंसेशन्स दिए थे उन्हीं को आप इस साल भी बरकरार रखें । अगर आप ऐसा करते हैं, तो इनसे किस को लाभ होगा और किस को नुकसान होगा, इस प्रकार का विचार किसी के मन में नहीं आएगा । इसके सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार से टैक्स कंसेशन्स में बार-बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार से परिवर्तन करना लोगों और सरकार की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है । इस प्रकार से सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा ।

सभापति महोदय, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कोई इंश्योरेंस की 40 हजार रुपए की "जीवनधारा" पॉलिसी लेता है । यह कर-मुक्त थी । अब वह 20, 15 या 10 साल के लिए कम से कम लेगा, तो वह यह सोच कर लेता है कि हर साल जो प्रीमियम है उस पर इन्कम टैक्स में छूट मिलने वाली है और अचानक आप अपना निर्णय बदल देते हैं, तो इससे उसको नुकसान तो होगा ही साथ ही आपकी नीतियों के प्रति उसमें अविश्वास पैदा हो जाएगा । यानी गवर्नमेंट की नीतियों में एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए । लोगों को स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि आपकी इतने रुपए तक की इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगेगा । यह तो आप कर सकते हैं यह तो आपका अपना ही विभाग है । इंश्योरेंस एक्ट में आप परिवर्तन कर के ऐसा कर सकते हैं । यह कांटेक्चुअल लायबिलिटी होती है । इसलिए इन्कम टैक्स का सारा स्ट्रक्चर ऐसा रहना चाहिए जिसमें इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो ।

आज यूनिट ट्रस्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो एक साल तो कुछ इन्कम टैक्स लगेगा और दूसरे साल कुछ अलग तरीके से ज्यादा इन्कम टैक्स लगेगा, तो कैसे काम चलेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि हर समय, हर साल, इस प्रकार से परिवर्तन करना अच्छा नहीं है । अतः मेरा यह सुझाव है कि जैसे आपने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी के अन्तर्गत बता दिया कि हमारी 5 साल के लिए यह पॉलिसी है, वैसे ही इन्कम टैक्स के लिए भी जो कन्सेशन्स हैं, वह पांच साल के लिए चलने चाहिएं । टैक्सेशन के जो कन्सेशन्स होते हैं उनमें कम से कम पांच साल तक परिवर्तन नहीं करना चाहिए । यदि इस प्रकार की पालिसी लेंगे तो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए एक पालिसी और इन्कम टैक्स के लिए दूसरी पालिसी क्यों । उसमें स्थायित्व होना चाहिए । यदि ऐसा होगा तो इनवैस्ट कितना करना है, कहां करना है, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति सोच सकता है । लोगों का विश्वास सरकार में रहेगा । जैसे यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है और उसे 70 हजार रुपये ग्रैच्युटी मिली हो तो वह सोचेगा कि मुझे इसमें से कितना कहां लगाना है । यदि आप ऐसा कानून लाएंगे तो इससे सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रिटायर व्यक्ति होगा । वह रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी पूंजी को कहीं लगा लेगा और आप कानून बदल देंगे तो उसका क्या होगा । जो भी कन्सेशन हो उसे पांच साल के लिए रखना चाहिए । इस भूमिका में मैंने कई अमैंडमेंट्स दिए हैं और हर सैक्शन में कहा है कि 1995-96 तक इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए । उस पर आपको विचार करना चाहिए ।

हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली—संयुक्त परिवार के बारे में आपने परिवर्तन किए हैं । हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली हिन्दुस्तान के पुराने विचारों की दृष्टि से एक सोशल स्कीम है । यदि कोई अपंग होता है, काम नहीं कर सकता है, कमजोर होता है उसको भी यदि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मैम्बर करके लिया जाए तो उसे

और कोई इंश्योरेंस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । आज दुनिया के प्रगतिशील देशों में सोशल सिक्युरिटी स्कीम है, हमारे देश में नहीं है । जब तक देश में सोशल सिक्युरिटी स्कीम शुरू नहीं कर सकते तब तक हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली की सारी योजना को आप इस प्रकार से धक्का मारकर उसमें परिवर्तन न करें । तथ्य के तौर पर आपने मान लिया कि डबल टैक्सेशन नहीं रहेगा । मेरा सुझाव है, पार्टनरशिप की जो इन्कम होती है वह और जो बाकी की इन्कम है उसपर टैक्सेशन लगाइए ।

[अनुवाद]

कृपया भागेदारी वाली फर्मों के लिए अलग कराधान न लगाये ।

[हिन्दी]

पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स न लगाते हुए इनडिविजुअल पार्टनर को पार्टनरशिप से जो इन्कम मिलती है उसको और बाकी जो अलग इन्कम होगी उसे एक जगह पर करके यदि आप टैक्स लगाएंगे तो डबल टैक्सेशन निकल जाएगा ।

मैं एक्साइज़ ड्यूटी के बारे में भी सुझाव देना चाहता हूं । एक्साइज़ में भी आपने परिवर्तन किए हैं । गए साल हमने दो-चार बार रिप्रेज़ेंटेशन्स दिए हैं और उसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं । एक सुझाव उसमें यह है कि मोटर वेहीकल्स पर जो बॉडी बनाते हैं और जीप पर जो बॉडी बनाते हैं, उस टैक्सेशन में बहुत बड़ी असमानता है । यदि कोई जीप पर बॉडी बनाता है तो उसको एक्साइज़ ड्यूटी 66 प्रतिशत लगती है । मतलब 50 हजार बॉडी की कीमत होगी तो लगभग 33 हजार टैक्स देना पड़ता है एक्साइज ड्यूटी का । आप जानते हैं कि बॉडी बनाने वाले गैरेज कैसे होते हैं ? वह स्माल स्केल इंडस्ट्री जैसे होते हैं । वहां हाथ से काम ज्यादा होता है । 50 हजार बॉडी की कीमत होगी तो एक्साइज ड्यूटी 33 हजार होगी । बस बॉडी जो कि बहुत बड़ी बनती है, उस पर टैक्स केवल 8400 रुपये । आप कल्पना कर सकते हैं कि बस की बॉडी पर टैक्स 8400 रुपये और जीप की बॉडी पर टैक्स 33 हजार । यह एक एनामली—विसंगति है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मोटर विहिकल्स बॉडी के बारे में जो साधारणतः स्माल स्केल इंडस्ट्री में काम चलता है व गांव-गांव में काम चलता है वहां ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिये । कोई प्रीमियर की बॉडी बनाता है, या मारुति की बॉडी कोई बनाता है तो जैसी इंजन की कीमत होती है, उसी प्रकार का टैक्स फैक्ट्री में लगाया जाये तो समझ में आ सकता है । अगर वह स्माल स्केल में बनता है तो ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिये, यह मेरी पहली मांग है ।

जो छोटे-छोटे सौंदर्य प्रसाधन स्माल स्केल इंडस्ट्री में बनाते हैं, उसमें एक्साइज ड्यूटी की लिमिट पांच लाख है । अगर कॉस्मेटिक वाला स्माल स्केल इंडस्ट्री में है, वह उसका पांच लाख से ज्यादा उत्पादन करता है तो उस पर ज्यादा ड्यूटी लगती है । रेडियो, टेलीविजन, एयरकंडीशनर या फ्रीज स्माल स्केल में बनाता है तो 20 लाख तक ड्यूटी नहीं है लेकिन अगर कोई छोटा सा सौंदर्य प्रसाधन बनायेगा और वह पांच लाख का होगा तो टैक्स लगेगा । जो-जो स्माल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सब के लिये एक समान कानून होना चाहिये । इस दृष्टि से कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर जो लोग करते हैं, उन पर जो अन्याय इस प्रकार से हो रहा है, वह समाप्त करना चाहिये और 20 लाख के ऊपर यदि उनका मैन्युफैक्चर होता है तो फिर 20 परसेंट तक इस प्रकार की ड्यूटी लगनी चाहिये ।

यह सारी बातें बताने के बाद मैं आपको दो बातों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी 30 तारीख को आपने एक कन्सैशन दिया है । उसमें मुख्य आइटम है, थर्मोवियर, इंसोलेटिड वेयर, थर्मस फ्लास्क, ये सारी चीजें जो हैं, इसमें ठंडी चीजें ठंडी और गर्म चीजें गर्म रहती हैं । इससे एनर्जी सेव—बचत होती है । आपने 30 परसेंट इस पर टैक्स लगाया था । कई लोगों ने और कई एसोसिएशन्स ने आपके पास मैमोरेंडम दिया, आपको समझाया

और आपने समझ भी लिया । इससे इन चीजों का एक्सपोर्ट भी ज्यादा बढ़ सकता है । स्माल स्केल सेक्टर में ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आपने जो टैक्स प्रपोज किया है उसके अनुसार 30 परसेंट एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की घोषणा की है । इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जितना भी यह मैन्युफैक्चर होता है, उसमें से लगभग 70 परसेंट थर्मोवेयर, इंसोलेटिड वेयर...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : धन्यवाद के बाद आप समाप्त भी करिये ।

श्री राम नाईक : एक बात का धन्यवाद कर समाप्त करता हूं । यह 70 परसेंट मैन्युफैक्चर मेरे उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में छोटी-छोटी फैक्ट्रियां करती हैं । आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है । इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

जिस चीज का उल्लेख मैंने शुरू किया है, उसका मैं फिर उल्लेख करना चाहूंगा । ग्लास बोटल्स पर भी आपने गये समय पर एक्साइज ड्यूटी लगायी थी, वह आपने कम की है । इससे उसका उत्पादन बढ़ेगा और जो स्माल सेक्टर में लोग हैं, उनको लाभ होगा । गत समय इसके बारे में बताने के बाद आपने 7-8 महीने के बाद कन्सैशन दिये । जो भी मैंने सुझाव दिये हैं, उसके बारे में कल जब आप उत्तर देंगे तो सारे अमेंडमेंट्स को विशेषकर 48 हजार वाले अमेंडमेंट को अवश्य मानना चाहिये ।

मैं अंत में इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि अर्थ मंत्री जी जब जवाब कल देंगे तो इन सारी बातों पर विचार करके उन्हें पूरा करेंगे जिससे सदन को ही नहीं अपितु सारे देश को ऐसा लगे जो सारी बातें हमने सही ढंग से आपके सामने रखीं, उनको आपने माना । हर बात के लिये आन्दोलन करने की आवश्यकता न पड़े इसका आप ख्याल रखें । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभणी) : सभापति महोदय, सदन में फाइनेंस बिल जो विचार के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

5.25 म०प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

महोदय, यह जो बजट है, ऐसा बजट पहले कभी इस सदन में पेश नहीं हुआ है, मैं ऐसा कहूंगा । यह बजट केवल ऐतिहासिक बजट नहीं है, यदि इस बजट के समर्थन में विपक्षी दल साथ दें, तो यह अमृत कलश हो सकता है । इतना अच्छा बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे सदन में पेश किया है, यह एक गर्व की बात है । कुछ संशोधन हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य कर सकते हैं, उनके सुझावों को भी माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान में रखते हुए, 40-42 सालों से इस सदन में जो वैचारिक मंथन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी विचार करें । आज एक मंथन यह भी चल रहा है कि हर इंसान को अन्न, वस्त्र और निवारा कैसे दिया जाए । ये हम आज तक नहीं दे सके, लेकिन यदि इस बजट पर हम सब लोग इकट्ठे होकर साथ दें, तो यह अमृत कलश हो जाएगा और निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के सारे लोगों को अन्न, वस्त्र और निवारा दे सकेंगे । यह बहुत अच्छा बजट है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं । समर्थन के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का गम्भीर प्रयास किया है, लेकिन विरोधी पक्ष के लोगों ने यह कहा है कि यहां देश में अंतराष्ट्रीय कंपनियां आने से हमारे यहां नुकसान होगा । मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1950 से लेकर आज तक भारत देश में कौन सी अंतराष्ट्रीय कंपनियों से नुकसान हुआ है । आप कोरिया का उदाहरण लें, हांगकांग का उदाहरण लें और अन्य कई देशों का भी उदाहरण ले सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं

जो भी कंपनियां यहां आती हैं उनसे नुकसान कुछ नहीं होता है । ऐसे बहुत से देश हैं, जिन्होंने उनके यहां विदेशी कंपनियों के आने पर करों में बहुत सी छूट दी है । अमरीका ने 30 परसेंट छूट दी है, ब्रिटेन ने 40 फीसदी दी है, सिंगापुर ने 31 परसेंट और हांगकांग ने 15 परसेंट छूट दी है । बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देशों में आई हैं, उन्होंने उनको छूट दी है । मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश गरीब देश है, उसका साक्षरता के मामले में बीसवां स्थान है, पानी के मामले में 123वां स्थान है । निर्यात के मामले में अभी देखा जाए, 1950 में 16वें नम्बर पर था और अभी यह 43वें नम्बर पर गया है । इसलिए जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, वे सही हैं । आज कोरिया, हांगकांग, चाईना हमारे देश से कहीं आगे हैं । चाईना हम से तीन गुना आगे है, कोरिया की अर्थव्यवस्था 1950 में बराबर थी, लेकिन आज हमारे से आगे है । हांगकांग हम से तेरह गुना आगे है । कोरिया तीस गुना आगे है । इस बजट से मैं समझता हूं कि इन देशों के मुकाबले आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ।

महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि यह बजट गरीबों के खिलाफ है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ी है और यहां देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाने से नुकसान होगा । डंकल की रिपोर्ट अभी हमें मालूम नहीं लेकिन डंकल के बारे में इन्होंने कहा है । इस तरह की तरह-तरह की बातें वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषण में कही हैं । ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी अभी लोगों ने कहा है कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए इन्होंने पांच हजार की सबसिडी की छूट दी है, यह सराहनीय बात है ।

पिछली बार मैं खुद इस सदन को छोड़ कर गया था तो आज की स्थिति में मैं यहां बैठा हूं क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ने पांच हजार की किसानों के लिए छूट दी है । इस बजट के अन्दर अधिकतर गांवों के लिए पानी देने की योजना का प्रावधान है । श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि रोजगार योजना के अंतर्गत जो दिवस होता है, श्रमिक दिवस, वह कम हो गया है । 1987 में जो दिवस पैदा किए हैं, श्रमिक दिवस, 87 करोड़ पैदा किया और 1990-91 में 90 करोड़ श्रमिक दिवस । इस तरह का रोजगार भी इस बजट में देने का प्रयास किया और पिछली बार 1988-89 में पांच हजार चालीस करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में खर्चा हुआ बाकी स्टेट करे या न करे, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात जो-जो स्टेट करेंगे वह तो उनका काम है और यह जिसका काम है उसे करना चाहिए और जिस स्टेट से संबंधित मामला है उस स्टेट की जिम्मेदारी है । लेकिन फाइनेंशियल बजट के बारे में मैं यह कहूंगा कि रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया और स्वर्ण कानून में ढील देना यह बजट के दो विशेषताएं हैं । अन्य विशेषताओं में बजट के घाटे को कम करना, सीमा शुल्क में भारी कटौती करना, विदेशी निवेश पर तरह-तरह की रियायतें भी दी हैं । मुख्यत: बजट कारपोरेट सेक्टर व केपिटल मार्केट पर ज्यादा कांसन्ट्रेट करना है ।

वित्त विधेयक न केवल बजट प्रपोजल्स को प्रस्तुत करता है परन्तु करों के ढांचे में परिवर्तन करने का भी प्रयास करता है । प्रत्यक्ष करों व अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 1950-51 में 43 : 57 था जो 1990-91 में 20 : 80 हो गया । 1950-51 में आयकर का अंशदान कुल करों से 32 प्रतिशत था जो 1990 में 10 प्रतिशत रह गया । कारपोरेट टैक्स के अंशदान में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । 1950-51 में 9.9 प्रतिशत से घट कर यह 1990-91 में 9.1 प्रतिशत रह गया ।

अप्रत्यक्ष कर और उनमें भी एक्साइज़ ड्यूटी पर अधिक ध्यान देने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है और आम जनता पर करों का बोझ बढ़ा है यह भी हम कहने जा रहे हैं ।

मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ विरोधी दलों पर ही आरोप करूं तो मैं कुछ और सुझाव भी देना चाहूंगा । भारतीय अर्थव्यवस्था एक हाई कास्ट इकोनोमी बन गई है । आवश्यकता इस बात की है कि अप्रत्यक्ष कर मुख्यत: एक्साइज़ ड्यूटी को कम किया जाए । मेरी आशा है कि मंत्री महोदय आगामी बजट में न सिर्फ कारपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारेंगे बल्कि इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों के ढांचे में आमूलाग्र परिवर्तन लायेंगे । मेरा उनसे यह आग्रह रहेगा कि मुद्रस्फीति को ध्यान में रखते हुए आयकर की सीमा को और बढ़ाना चाहिये । आज की स्थिति में यदि वे 28,000 से 40,000 रुपए कर देंगे तो मध्यम वर्ग के वेतन भोगियों को कुछ राहत मिलती है ।

बजट घाटे को कम करने के लिये गैर योजना और सर्वे मुख्यत: इंटरेस्ट चार्जेज, डिफेंस तथा सब्सिडीस पर कंट्रोल करना होगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय घाटे का 14,000 करोड़ का अनुमान था जबकि यह घाटा योजना के अंत तक 35,000 करोड़ के लगभग हो गया । विदेशी ऋण के कारण हम अधिक गैर सरकारी खर्च, अधिक बजट घाटा और अधिक विदेश कर्ज के दुश्चक्र में फंस गये । विदेशी कर्ज के बजाय विदेशी निवेश (इनवेस्टमेंट) की आवश्यकता है और दूसरी तरफ बोरोइंग पर सीलिंग लगाना आवश्यक है । काले धन की समस्या के कारण आर्थिक सुधार के उपाय शिथिल होते जा रहे हैं । काले धन की समस्या का निवारण आवश्यक है । मंत्री महोदय ने हाल ही में आयकर अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि करों की चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा । यह सराहनीय कदम है । इसलिए वित्त मंत्री जल्दी एक वित्त राज्य मंत्री सरलीकरण और स्थायित्व के काम के लिए रखेंगे जिसका एकमात्र काम होगा कि नौकरशाहों के हाथों नयी नीतियां मजाक न बन जाएं । वित्त मंत्री महोदय ने किसान के मामले में काम किया । एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्राईस है, फलों के मामले में हम बहुत आगे हैं, इनका निर्यात बहुत आवश्यक है । फल बाहर एक्सपोर्ट करते वक्त अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए । उसके लिए जो इंटेरेस्टिड लोग हैं, उसके लिए उनको लोन देते हैं, वह लोन तो साफ है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, करीब 18 परसेंट ब्याज लगता है । मैं चाहता हूं कि इसे कम कर के चार प्रतिशत किया जाए । इसके अलावा जैसे अंगूर है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है, 80 रुपये के हिसाब से लगता है, यह भी कम होना चाहिए । मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह कम करें । कई मुद्दे अच्छे हैं, जो इस बजट में हैं । छोटे बिजनेस वाले को केवल 1400 रुपये भरने पड़ेंगे साथ ही साथ फ्लैट रेट इन्होंने रखा है । सोने के मामले में भी अच्छा कदम उठाया है । स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर दी गयी रकम अब 6000 रुपये तक टैक्स मुक्त होगी, यह पहले तीन हजार तक थी । विकलांग लोगों के परिवारों को 6000 से बढ़ा कर छूट 12000 कर दी गयी है । कामकाजी महिलाओं के लिए, जिनकी आय 75 हजार रुपये वार्षिक है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 हजार कर दी गयी है । वृद्धों की उम्र का लिहाज करते हुए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये होगी उनको करों में 10 प्रतिशत की छूट दी गयी है । रिटायरमेंट की रियायतें प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेंगी । किसानों के लिए जैसे मैंने अभी बताया, बहुत कुछ किया गया है ।

चाय, कॉफी, रॉकेल और चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा । इस तरह से यह बजट सराहनीय बजट है । मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा । इन्कम टैक्स पर जो स्पेशल सरचार्ज लगा रहे हैं, जिससे राज्य का बहुत नुकसान होता है, मैं समझता हूं कि यह सरचार्ज नहीं लगाना चाहिए । यह मेरी वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट है ।

जो मुझे थोड़ा सा समय मिला है, यह मेरा सब्जैक्ट नहीं होते हुए भी मैंने कोशिश की है और अपने विचार रखे हैं । मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यह ऐतिहासिक बजट है, इसको अच्छे ढंग से पेश किया गया है, देश को आगे ले जाने के लिए सारे दलों के सारे लोगों को इकट्ठे ही कर इस बजट का समर्थन करना चाहिए । इसके साथ ही, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड़) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि भले ही कुछ क्षेत्रों में इस बजट और वित्त विधेयक की तारीफ की गयी हो, फिर भी इस बजट और वित्त विधेयक से इस देश में साधारण और निर्धन लोगों को सहायता नहीं मिलेगी ।

सभापति महोदय : राय जी, आपके दल का समय खत्म हो गया है । आप सात या आठ मिनट ले सकते हैं । जो समय आपके दल को आवंटित किया गया था वह खत्म हो गया है ।

श्री एम० रामन्ना राय : यह कराधान नीति सरकार की वर्गीय चरित्र को प्रकट करती है । कांग्रेस सरकार की नीति हमेशा पूंजीपतियों को लाभ देने की रही है । वर्तमान सरकार की नीति भी वही है । वित्त विधेयक से यह सरकार जोकि अमीरों की पक्षधर और गरीबों की विरोधी है उसकी असलियत का पता चल जाता है । कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा दोगली रही है अर्थात् कहो कुछ और करो कुछ । ये दो विपरित बातें हैं । अवाडी से तिरुपति तक हम एक ही बात देखते हैं कि कांग्रेस हमेशा गरीब और दलित लोगों के लिए घड़ियाली आंसू ही बहाती हैं । लेकिन वास्तविक रूप में यह धनी और पूंजीपतियों को ही लाभ दे रही है । कांग्रेस पार्टी हमेशा दोगली बात करती है । अवाडी में कांग्रेस घोषित करती है कि इसकी नीति समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम करना है । लेकिन इन 40 वर्षों में उठाये गये कदमों से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि यह केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इससे वास्तव में अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब हो जाते हैं ।

सरकार की इन वर्षों में जो गलत नीति रही है उससे देश में करोड़ों रुपये का काला धन पैदा हुआ है । इस वित्त विधेयक और बजट में काला धन रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है ।

इस वर्ष के बजट में भी काला धन रोकने और इसका बढ़ावा रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है । इस भ्रष्टाचार को या काले धन को रोकने के लिए प्रभावी तरीका यह है कि पहले कांग्रेस सरकार की इस संबंध में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए क्योंकि जहां इच्छा होगी वहीं रास्ता प्रशस्त होगा । जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है इसकी भ्रष्टाचार रोकने की इच्छा नहीं है, तस्करी और काला धन रोकने की इच्छा नहीं है । इसीलिए यह सब जारी है । और इस बजट में भी यह बहुत स्पष्ट है कि काला धन बढ़ेगा ।

जैसे कि मैंने पहले कहा था कांग्रेस सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है । अब यह किसानों की बात करती है । वह कहते हैं कि यह किसानों के लिए है गरीब लोगों के लिए हैं । यदि सरकार किसानों के लिए है तो सरकार ने यह राज सहायता वापस क्यों ली है अर्थात् यह उर्वरक राज सहायता ? यह इसलिए हुआ है क्योंकि यह गरीबों और किसानों के खिलाफ है । सरकार ने राज सहायता वापस ले ली है और साथ ही यह कहते हैं कि यह गरीबों के लिए है । क्या यह गरीबों के लिए है ? क्या यह गरीब के लिए है, यदि हां, तो फिर इसे शुरू किया जाना चाहिए या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध किये गये खाद्य पदार्थों के लिए राज सहायता वापस नहीं लेनी चाहिए । अत: सरकार—कांग्रेस (इं०) की सरकार—किसानों के लिए, गरीबों के लिए केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । लेकिन वास्तव में उनके मन में हमेशा धनिकों के ही हित की बात होती है ।

आपने कहा कि मुझे कम समय दिया गया है इसलिए मैं अपना भाषण भी छोटा कर रहा हूं ।

कुछ दिन पहले बोफोर्स मामले पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनके विदेश मंत्री ने स्विस विदेश मंत्री को एक कागज़ सौंपा था । इसमें रुचिकर पहलू यह है कि विदेश मंत्री ने यह कहा कि स्विटज़रलैंड के प्रधान मंत्री को देने के लिए एक नोट एक वकील ने उन्हें दिया था । एक माह पहले सभा को यह बात बताई गई थी । यदि सरकार जानना चाहती कि किस वकील ने विदेश मंत्री, श्री सोलंकी को नोट दिया था, तो वह यह जान सकती थी । लेकिन एक माह बीतने के बाद भी सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि किस वकील ने यह नोट दिया । अत: इसके पीछे कारण यही है कि सरकार इसकी जांच नहीं करना चाहती । यदि सरकार इसकी जांच करती, तो वह पता लगा लेती कि किस वकील ने विदेश मंत्री को नोट सौंपा । लेकिन एक माह का समय बीतने के बाद भी सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकी । काला धन, तस्करी और भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रति भी सरकार का ऐसा ही रवैया है । सरकार इन्हें समाप्त

नहीं करना चाहती । इसीलिए यह कुप्रथाएं चल रही हैं । सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दें । यदि सरकार यह कहती है कि वह गरीबों और किसानों के लिए गंभीरता और सच्चाई से कार्य कर रही है, तो जो उर्वरक राजसहायता वापिस ली गई है, जिससे किसान लाभान्वित होते थे, उसे दुबारा दिया जाए । जब तक सरकार वह राजसहायता पुन: प्रदान नहीं करती है, तब तक उसका यह कहना कि वह गरीबों और किसानों का हित चाहती है उन्हें व राष्ट्र को धोखा देना होगा ।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लिए हैं । यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ाने के हेतु लिए गए हैं, तब ठीक है । यदि उत्पाद का निर्यात किया जाता है, तो और भी अच्छा होगा । अब क्या हो रहा है ? यदि ऋण औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पाद हेतु लिया गया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम निर्यात कर पाएंगे ? हाल ही में हमने यह बात जानी है कि यदि हमारे देश में किसान और उद्योगपति निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करते हैं तो भी क्या हम अमरीकी नियम सुपर 301 के तहत निर्यात कर पाएंगे ? हम कौन से खाद्य पदार्थ और औद्योगिक उत्पाद निर्यात कर पाएंगे ? मुझे डर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जो ऋण भारत सरकार ने लिया है वह हम वापिस नहीं कर सकेंगे । हम इस पहलू पर गंभीरता से विचार करें ।

अंत में मेरा यह कहना है कि अमरीकी साम्राज्यवाद हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है । वह न केवल भारत को बल्कि तृतीय विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को धमकी दे रहा है । रूसी सरकार को भी संयुक्त राज्य अमरीका ने धमकी दी थी । इसका केवल एक समाधान है कि हम आत्म निर्भर बनें और कम से कम खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में तो आत्म निर्भर बनें । यदि भारत खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में आत्म निर्भर है, तो हमें अमरीकी साम्राज्यवाद अथवा अन्य साम्राज्यवाद से डरने की आवश्यकता नहीं है ।

भारत को कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में अधिक से अधिक धन व्यय करना चाहिए, ताकि हम यह दावा कर सकें कि हम इस क्षेत्र में आत्म निर्भर हैं । हम विदेशी कारें, वीडियो और विलासिता का सामान आयात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हम खाद्य-पदार्थों के क्षेत्र में तो आत्म निर्भर होंगे । इस क्षेत्र में हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी । इस मामले में मेरा यह निवेदन है कि इस चरण पर सरकार को कृषि क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में राजसहायता पुन: प्रदान करनी चाहिए, ताकि देश आत्म निर्भर हो सके और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य कर सके । भारत को साम्राज्यवादियों से डरना नहीं चाहिए । बजट और वित्त विधेयक में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि भारत भविष्य में अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होगा । इस प्रकार मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : *सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं उनके द्वारा घोषित विभिन्न राहतों का भी समर्थन करता हूँ । इस वर्ष का बजट अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय प्रस्तुत किया गया है । पिछली दो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि हम एक माह की अपनी आवश्यकता का सामान आयात न कर पाएं । ऐसी स्थिति में श्री नरसिंह राव की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई । सत्ता में 6 महीने रहने के भीतर ही विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि हो गई है । यह उपलब्धि निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ अनावश्यक आयात कम करके प्राप्त की गई है । आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं । उदारवादी नीतियाँ अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित हो गया है और इसे नई शक्ति प्राप्त हुई है । जो लोग यह कहते हैं कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर देश की स्वतंत्रता और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है, उन्हें देखना चाहिए कि चीन और पूर्वी यूरोप के देशों ने क्या किया है । हमें यह पता चला है चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई सभी शर्तें स्वीकार कर ली है अथवा वह

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

स्वीकार करने के लिए तैयार था । क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना है ? एक ऋणदाता कोई-न-कोई शर्तें तो रखेगा ही । आपसी बातचीत द्वारा कुछ शर्तें स्वीकार कर ली जाएंगी । यह सार्वभौमिक प्रथा है । इसमें असाधारण बात क्या है ? साथ ही सरकार ने पेटेंट कानून के बारे में कौन सा रवैया अपनाया है ? जबकि अमरीकी प्रशासन ने भारत को सुपर 301 में शामिल करने और हमारा विदेशी व्यापार नष्ट करने की धमकी दी थी लेकिन सरकार उसके दबाव के आगे झुकी नहीं थी । विपक्ष पिछले दस महीनों से यह कह रहा है कि सरकार अमरीकी दबाव के आगे झुक गई है । लेकिन सरकार अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि के साथ इस पर चर्चा कर रही है और उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रही है कि यह गलत नीति है । जब अमरीकी सरकार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करेगी तो विपक्ष को पता चलेगा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर दृढ़ रवैया अपनाया है । केरल में विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में सड़क रोको आंदोलन किया । उसी समय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक प्रस्तुत किया और राहतों की घोषणा की तब श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी इस बात की प्रशंसा की थी । वहां वे इसके विरोध में सड़क रोको आंदोलन करते हैं और यहां इसकी प्रशंसा करते हैं । मुझे उनकी यह नीति समझ नहीं आती है ।

बजट अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है । यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुराइयों को समाप्त करने का बेहतर तरीका है । श्री मनमोहन सिंह को एक विशेषज्ञ सर्जन कहा जा सकता है । उन्होंने अपना कार्य तब शुरू किया था जब अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी । यह देखते हुए कि इसमें भारी परिवर्तन की आवश्यकता है तब उन्होंने ऐसा किया । जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तब उसमें दर्द भी होता है और खून भी बहता है । हमने पिछले बजट में यही देखा है । उसके बाद स्थिति में सुधार होने लगा । अतः उन्होंने अर्थव्यवस्था में और सुधार करने के लिए इस वर्ष के बजट में कुछ घोषणाएं कीं ।

यह बजट उदारीकरण की नीति का एक भाग है । इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करों में छूट दी जिसका सभी ने स्वागत किया । इसी प्रकार मैं आय कर में मूल छूट बढ़ाने का स्वागत करता हूं । कीमत वृद्धि के वर्तमान स्तर को देखते हुए 28,000 रु० छूट की सीमा अपर्याप्त है । अतः मैं मांग करता हूं कि इसे बढ़ाकर 35,000 रु० कर दिया जाए । आज महंगाई भत्ते पर भी कर लग रहा है । यह बिलकुल असंगत बात है । वास्तव में महंगाई भत्ता आय नहीं है । यह केवल मूल्य वृद्धि के लिए सहायता मात्र है । यदि इस पर भी कर लगाया जाएगा, तो महंगाई भत्ते का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा । अतः मैं मांग करता हूं कि महंगाई भत्ते पर कर की छूट दी जानी चाहिए । मैं अन्य छूटों विशेष रूप से सोने पर छूट का स्वागत करता हूं ।

महोदय, बजट विकास का मुख्य यंत्र है । भारत में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां विकास नहीं हुआ है । केरल ऐसा ही एक राज्य है । यहां साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है और साथ ही यहां शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या भी सबसे अधिक है । इस राज्य में 36 लाख से भी अधिक व्यक्तियों के बेरोज़गार होने का अनुमान है । यदि वहां औद्योगीकरण किया जाए तो उन्हें रोज़गार दिया जा सकता है । यह देखा गया है कि वर्ष 1977 से केरल में किए जाने वाले केन्द्रीय निवेश में कमी आई है । इसने केरल में रोज़गार की स्थिति को प्रभावित किया है । अतः वहां तीव्र औद्योगिकीकरण होना चाहिए । केन्द्र वहां धन लगाएं । लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है । कय्यनकुलम में तापीय विद्युत संयंत्र में कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है । फेक्ट का विकास नहीं हो रहा है । रेलवे विद्युतीकरण के लिए बहुत कम राशि प्रदान की गई है । अनेक ऐसे प्रस्ताव लंबित पड़े हैं । इसमें परिवर्तन करना होगा । औद्योगिकीकरण बढ़ाना होगा । केरल में निजीकरण करने से प्रगति नहीं होगी, क्योंकि गैर-सरकारी उद्योगपति दिल्ली, बंबई, मद्रास और ऐसे अन्य शहरों में उद्योग लगाएंगे । अतः

सरकार को केरल के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करना चाहिए । इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । केरल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पुरानी दरों पर चावल की आपूर्ति कर रही है जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा है । केन्द्रीय सरकार को कुछ हद तक इस घाटे की पूर्ति करनी चाहिए और राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए ।

6-00 म० प०

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघाट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पालघाट एक अविकसित जिला है । लेकिन यह केरल में अधिकतम चावल उत्पादक क्षेत्र है । सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण हम कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं पा रहे हैं । आज पालघाट के अनेक क्षेत्र गंभीर अकाल की चपेट में है । जब स्वर्गीय इंदिराजी के आग्रह पर साइलेंट वैली परियोजना बीच में छोड़ दी गई थी तब हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र की सिंचाई और विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक परियोजना चालू की जाएगी । इसी कारण कुरुक्कुट्टी करुप्पारा परियोजना शुरू की गई थी । लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण इस परियोजना को भी छोड़ दिया गया । चूंकि यह जिला सतत अकाल प्रवण जिला है इसलिए इस क्षेत्र के लिए सिंचाई की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए और पालघाट के किसानों को बचाया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, यदि सभा सहमत हो तब मैं सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । 7 बजे आई पी जी की बैठक है और यदि हम आधे घंटे तक और बैठते हैं तब एक या दो और सदस्य अपनी बात कह लेंगे । अभी अनेक सदस्यों को बोलना है ।

कुछ माननीय सदस्य : कृपया नहीं । उन्हें कल बोलने का मौका दीजिए ।

सभापति महोदय : श्री विजयराघवन, कृपया आप कल अपना भाषण दें ।

6-02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मई, 1992/16 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]